"संविधान सभा में एक से एक दिग्गज थे। कुछ, जिसे अहसास-ए-कमतरीं कहते हैं, वह उन दिनों मुझ पर हावी रहा। फिर सोचा, चलो जितना बन पड़ेगा ईमानदारी से करूंगा। कुछ दिन मैंने सभा की कार्यवाही को खूब गम्भीरता से देखा-समझा। ....मैंने पाया कि जब भी गांव, किसान, मजदूर के विषय में बहस तथा भाषण होते हैं तो वे सतही स्तर पर ही रहते। मैंने वहां अपनी जगह महसूस की। मैं इन विषयों पर औरों से ज्यादा जानता था। .....मैंने सब बातें अन्दर से देखी थीं। मैंने फैसला किया कि दूसरे जग-बीती कह रहे हैं, मैं आप-बीती कहूंगा।" *(स्वराज के स्वर)*

....और अपने संसदीय जीवन के अन्त तक इस निर्णय के अनुसार ही **चौधरी रणबीर सिंह** अपनी बात निर्भीक कहते रहे।

चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

2

राज्य सभा में चौधरी रणबीर सिंह

संपादन : ज्ञान सिंह

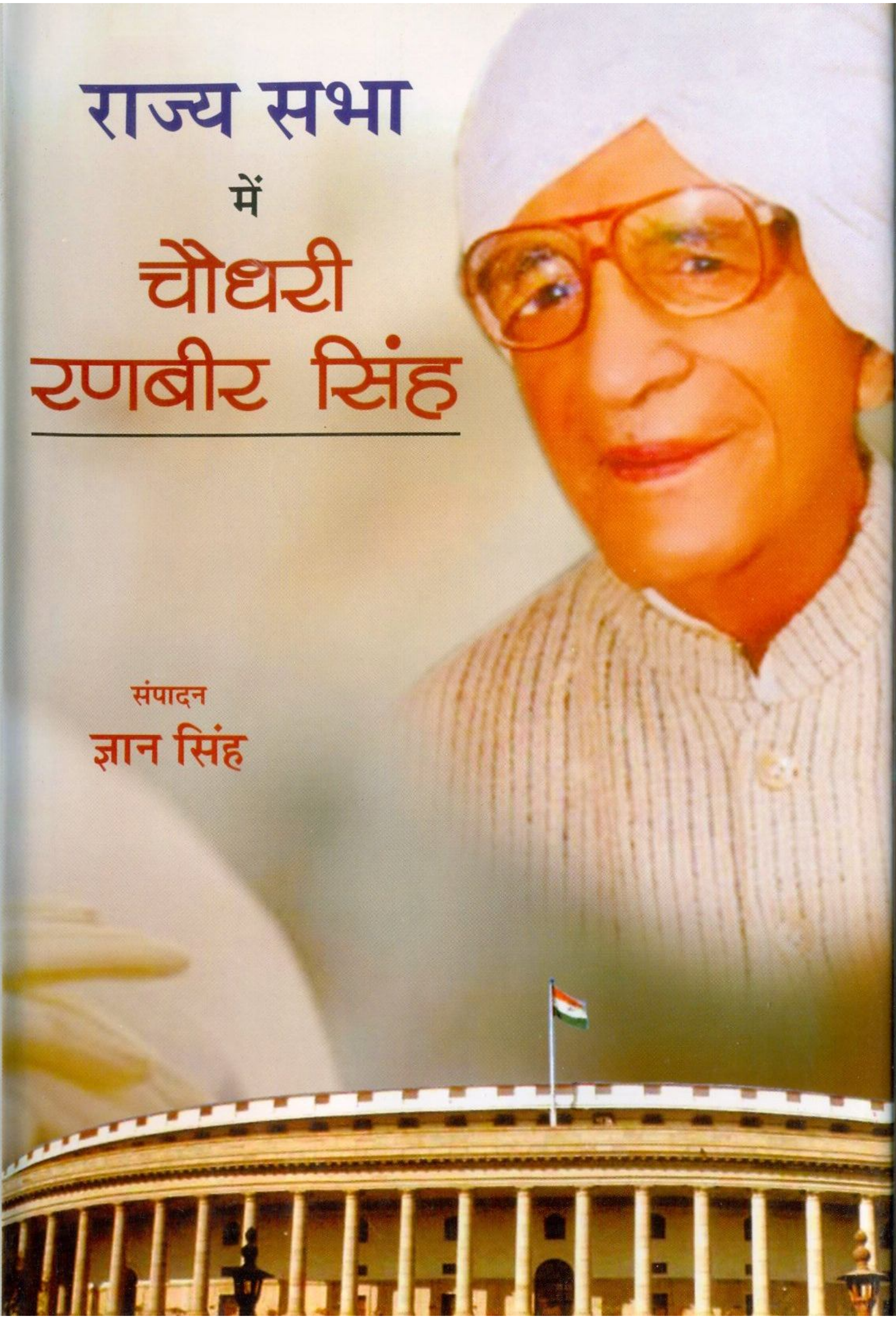

राज्य सभा में चौधरी रणबीर सिंह

संपादन

ज्ञान सिंह

राज्य सभा
में
चौधरी रणबीर सिंह

(भाग-दो)

राज्य सभा
में
चौधरी रणबीर सिंह

राज्य सभा (1972–78) में
दिये भाषणों का संकलन

(भाग–दो)

संपादक
ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

© प्रकाशक

संस्करण : 2013

प्रकाशक
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रकः
विकास कम्प्यूटर एण्ड प्रिण्टर्स
नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032

विषय सूची

1. संविधान (संशोधन) विधेयक, 1975 3
2. गुजरात राज्य पर उद्घोषणा जारी रखने बारे 10
3. भूमिहीन श्रमिक और ग्रामीण गरीब के हालात पर प्रस्ताव 16
4. बजट (सामान्य) 1975-1976 21
5. विनियोग विधेयक, 1975 28
6. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 34
7. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975 38
8. विदेशी मुद्रा तस्करी और तस्करी रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 1975 44
9. विनियोग विधेयक, 1975 49
10. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1975 58
11. कृषि वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1975 64
12. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 73
14. संसद (अयोग्यता निवारण) विधेयक , 1974 78
16. राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 87
16. केन्द्रीय समन्वय एजेंसी की स्थापना 93
17. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) विधेयक 1976 99
18. दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 102
19. लाटरी रोकथाम विधेयक, 1971 107
20. फैक्ट्री (संशोधन) विधेयक, 1972 111
21. आय और धन स्वैच्छिक घोषणा विधेयक, 1976 114
22. दिल्ली भू-स्वामित्व (हद) संशोधन विधेयक, 1976 119
23. संविधान (संशोधन) विधेयक, 1976 123
24. तमिलनाडु बारे राष्ट्रपति द्वारा घोषणा 128

25. फसलों की लाभकारी मूल्य योजना 133
26. भण्डारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1976 136
27. विनियोग (नं. 3) विधेयक, 1976 140
28. कृषि जिंस पर प्रस्ताव 145
29. विनियोग (रेल) नंबर 3 विधेयक, 1976 149
30. सड़क विकास पर प्रस्ताव 154
31. कृषि व सिंचाई मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा 157
32. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976 161
33. संविधान में विलोपन और समावेश 168
34. जीवन बीमा निगम (निपटान संशोधन) विधेयक, 1976 173
35. दिल्ली कृषि विपणन (विनियमन) विधेयक, 1976 178
36. इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (शेयर अधिग्रहण) बिल, 1976 182
37. कृषि उत्पादन लाभकारी मूल्य निर्धारण 185
38. धातु निगम (राष्ट्रीयकरण और विविध प्रावधान) विधेयक, 1976 189
39. केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 192
40. संविधान (चवालिसवां संशोधन) विधेयक, 1976 198
41. विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1976 204
42. विद्युत (आपूर्ति) संशोधन विधेयक, 1976 207
43. बजट (सामान्य) 213
44. संविधान (संशोधन) विधेयक, 1974 218
45. दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1977 222
46. चाय आदि निर्यात शुल्क पर प्रस्ताव 226
47. आम बजट (सामान्य) 1977-1978 - पर चर्चा 229
48. संविधान (संशोधन) विधेयक, 1974 237
49. लोकपाल विधेयक, 1977 246
50. मंत्री द्वारा वक्तव्य 249
51. वित्त (नं. 2) विधेयक, 1974 252
52. बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977 259
53. शत्रु संपत्ति (संशोधन) विधेयक, 1977 261
54. संविधान (संशोधन) विधेयक 1974 265
55. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1977 270

56. गुड़ और खांडसारी की कीमतों में गिरावट पर ध्यानाकर्षण 277
57. विपक्ष के नेता की मान्यता 280
58. विपक्ष के नेता की मान्यता 281
59. कमजोर वर्ग के लिए अधिमान्य उपचार 282
60. बाल विवाह निरोधक (संशोधन) विधेयक, 1978 288
61. बजट (सामान्य) 1978-1979 293
62. विनियोग विधेयक, 1978 301
63. हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रम अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1978 307

1975

राज्य सभा

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1975 ई.*

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभाध्यक्ष जी, श्री श्याम लाल यादव जी ने जो विधेयक पेश किया है उसमें एक बात अच्छी है कि उन्होंने हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसकी तरफ ध्यान दिलाया है। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है। इस विधेयक द्वारा उन्होंने देश का ध्यान उसकी तरफ खींचा है। अभी डा. सिन्हा ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि जो लोग बेकार हैं, उनको भत्ता दिया जाये। देश की आजादी के बाद जहां बहुत सारे काम अच्छे हुए हैं, कुछ खराबियां भी आई है। खराबी सबसे बड़ी यह आई कि आज देश में लोग अपने अधिकारों की फिक्र करते हैं। वह चाहता है कि उसको स्ट्राइक करने का अधिकार हो, रेलों को जाम करने का अधिकार हो। आज कुछ लोग यह भी चाहते हैं कि उनको पार्लियामेंट का घेराव करने का अधिकार हो, एसेम्बली को तोड़ने का अधिकार हो। अब यह कहा जाने लगा है कि जो बेकार हैं, उनको तनख्वाह दी जायें। कहां से दी जाये ? यह बात ये लोग नहीं बताते हैं। अगर देश की पैदावार नहीं बढ़ेगी, खर्चा बढ़ जाएगा तो इस प्रकार के भत्ते किस तरह से दिये जा सकते हैं ? हमारे सामने प्रश्न यह है कि महंगाई हो गई, गेहूँ के दाम बढ़ गये और दूसरी चीजें बहुत महंगी हो गई है।

डा. रामकृपाल सिंह ने यह अच्छी बात कहीं कि बेकारी के प्रश्न में हमें दलगत राजनीति को नहीं लाना चाहिए। जब वे बोल रहे थे तो उप-सभाध्यक्ष जी,

----

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 28th February, 1975, Page 210-222*

शायद आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। मैं यह कहना चाहता था कि अगर वे 6 तारीख का घेराव न करते हों तो आप उनको 4 मिनट का समय और दे दें। मैं यह मानता हूँ कि बेकारी की समस्या में हमें दलगत राजनीति को नहीं लाना चाहिए। लेकिन, बेकारी की समस्या को दलगत राजनीति में कौन फं साता है? मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई इस बेकारी की समस्या को अच्छी तरह से समझें कि कुर्सी मिलने से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती। अगर हल हो सकती तो पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना के बाद बेकारों की तादाद नहीं बढ़ती, खासकर, मेरा मतलब पढ़े-लिखों से है।

प्रश्न आज यह है कि यह बेकारी की समस्या कैसी है, किसकी है? बेकारी पढ़े-लिखों की है। उन्होंने गिनती बताई। वे भूल गए इस बात को कि मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली थी, जो आज भी चलती है, जो चलनी नहीं चाहिए थी, उसकी वजह से कितने पढ़ा गए। आख़िर में वह कहते हैं सबको पढ़ा दो तो सब बेकार हो जाएंगे।

मैकाले की जो शिक्षा नीति है, उसमें जो सोच थी, काम करने का तरीका था, वह बदला जाना चाहिये। एक जमाना था पुराने हिन्दुस्तान में, खेती पर 100 में से 60 आदमी निर्भर थे। देहात में भी 40 फी सदी आदमी कोई दूसरा रोजगार करते थे, कारीगरी का काम करते थे। देश में विदेशी शिक्षा आई और हमारा तरीका बदला। जो पढ़ता गया, वह अगर कोई कुम्हार का बेटा है तो वह बर्तन नहीं बनाएगा। अगर वह चर्मकार का बेटा है तो जूता नहीं बनाएगा। कपड़ा बनाने वाले का बेटा है तो कपड़ा नहीं बनाएगा। एक ही तरीका समझा गया कि भूमि को बांटो। बहुत सारे भाई, जो 6 तारीख़ को दिल्ली का घेराव करना चाहते हैं, उन्होंने इस देश में भूमिदान और ग्राम दान का बड़ा भारी मूवमेंट चलाया था। उस वक्त यह कहना था कि यह बेरोजगारी खत्म कर देगी।

उपसभाध्यक्ष जी, बिहार में तमाम ग्रामों का ग्रामदान हुआ, तमाम भूमि भूमिदान हुई। उसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। भारत की सरकार ने कभी उनको यह नहीं कहा कि तुम को जो पैसा चाहिए वह हम नहीं दे सकते, कोई भी तरीका अपनाएं बेरोजगारी हटाने का। सरकार हमेशा उनकी सहायता, माली मदद करने के लिए तैयार थी। लेकिन, बिहार से चलते हैं, हरियाणा में पहुंचते हैं। बच्चे जो पढ़ने जाते हैं काला देश में क्या यह दलगत राजनीति से ऊपर उठने का तरीका है?

श्री भैरों सिंह शेखावत (मध्यप्रदेश) : क्या करें?

श्री रणबीर सिंह : क्या हुआ, आप मुझे बता दें, आप बड़े समझदार हैं। आप विरोधी दल के नेता बनें, काला झंडा लेकर चलें, तो आपको क्या कहें? मैं इसमें आपकी तरह डिस्क्रिमिनेशन करने में यकीन नहीं करता। काला झंडा लेकर जाने वाले जयप्रकाश जी को यह वही शब्द कह सकते हैं तो काला झंडा ले जाने वाले नौजवान भी गुण्डे हैं। अगर काला झंडा दिखाने वाले जयप्रकाश और ठाकुर साहब, नेता हैं, तो वे भी नेता हैं जो देश को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, देश की उन्नति में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। बिहार में जो तब्दीली नहीं कर सके, बिहार में जिनको पूरा अख्तियार मिला, तमाम भूमि मिली, तमाम ग्राम दान मिला, वह बिहार आज हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ सूबा है। बजाए इसके कि बिहार में वे कोशिश करते बेरोजगारी हटाने की कोशिश करते, गाँव-गाँव में बिजली ले जाकर खेती की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करते, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की, वे आज सारे हिन्दुस्तान में विरोधी दल के नेताओं के सहारे पर हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं। उनसे कहा जाता है कि यह बेकारी देश की समस्या है और दलगत राजनीति को इसमें जगह नहीं होनी चाहिए।

बेकारी किसलिए हुई? जैसा मैंने कहा, गाँव में बेकारी इसलिए हुई कि देहात के जितने ग्रामीण उद्योग थे वे सब एक के बाद एक चलते बने। गरीब हरिजन जो चमड़े का काम करता था, उसका काम एक 'बाटा' ने ले लिया, जो कुम्हार बर्तन बनाता था, उसका काम बाबा ग्लास कम्पनी और दूसरी ग्लास कम्पनियों ने ले लिया है। जो लोहे का काम करते थे, उनका काम बड़े-बड़े कारखानों ने ले लिया है। जितने देहातों में ग्रामीण उद्योग थे, वे सब इस तरह से खत्म होते चले गये। यह बात तब हुई जबकि भारत सरकार ने खादी ग्रामोद्योग के लिए एक आयोग बनाया और हिन्दुस्तान के बड़े ऊंचे नेता को उसका काम चलाने के लिए लगाया। लेकिन, फिर भी हमारे देश में बेकारी दूर नहीं हो सकी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, नीति थी, उसके कारण हमारे रहन-सहन का जो तरीका बना उसकी वजह से यह हालत हो गई। इसके साथ ही साथ, जो हमारी पुरानी आदत काम करने की थी वह भी हमसे छूटती चली गई, जिसकी वजह से अब हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं।

उन्होंने आंकड़े दिये। लेकिन, वे भूल गये इस बात को कि हमारे देश में जो बड़े-बड़े कारखाने बने उनमें पांच हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारे देश में बड़े-बड़े कारखाने नहीं लगने चाहिये थे।

लेकिन, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर भाखड़ा नहीं बनता, राजस्थान में बिजली घर नहीं बनाया जाता, तो आज हमारे देश में इतनी अनाज की उपज नहीं हो सकती थी। हिन्दुस्तान में जो अनाज पैदा होता है, हिन्दुस्तान की जो भूख है, वह पूरी नहीं होती और हम भिखारी बनकर सारी दुनिया में फिरते रहते, तब भी यह पूरी नहीं हो पाती।

यही नहीं, चौधरी साहब, जरा सुनिये। स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में बड़े-बड़े खाद के कारखाने लगाये, इसके बावजूद आज भी हमारे देश में खाद की कमी है। उन्होंने यह बात स्वीकार की कि इस देश में छोटे कारखाने लगाये जाने चाहिये। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर भिलाई और दूसरे कारखाने न बनाये जाते, बोकारो का कारखाना न बनाया जाता, तो छोटे कारखानों की स्थापना किस तरह से की जा सकती और छोटे कारखाने किस तरह से चलाये जा सकते? आज हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े कारखानों में लोहा तैयार हो रहा है। लेकिन, फिर भी हमारी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। जब तक हम ज्यादा लोहा और खाद पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। चौधरी साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपके नेता चौधरी चरण सिंह जी हैं और उन्होंने दो दफा उत्तर प्रदेश का राजकाज अपने हाथों में लिया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जमुना के ऊपर बांध क्यों नहीं बंधवाया? टोंस में कसाऊ डैम बन सकता था। उसको उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया? स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ कई बात कह सकते हैं। लेकिन, जरा उन्हें सोचना चाहिये कि चौधरी चरण सिंह जी को जब अधिकार मिला था तो क्या उन्होंने बांध बंधवाने की कोई नींव डाली थी? *(Interruptions)* चौधरी साहब, आपको यह याद रखना चाहिए कि अगर आप सब लोग इकट्ठा भी बोलेंगे, तब भी मैं बैठने वाला नहीं हूँ।

उप-सभाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि जिन भाईयों को राजकाज चलाने का अख्तियार मिला था, वे ही आज टीका-टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। डा. रामकृपाल सिंह जी ने कहा कि छोटी सिंचाई योजनाओं पर खर्च होना चाहिये। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इन्दिरा गाँधी के कारनामों के बारे में मालूम है। जब इन्दिरा गाँधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय सारे देश में करीब 10 लाख कुएं थे, पम्प थे, जो बिजली से चलते थे। आज 25 लाख से ज्यादा पम्प या कुएं हैं, जो बिजली से चल रहे हैं। यह ठीक है कि इस भागदौड़ में बिहार पिछड़ गया है, जो जयप्रकाश नारायण का सूबा है और जो हिन्दुस्तान के लोगोँ को

रास्ता दिखलाना चाहते हैं। जिसकी जमीन के नीचे मीठा पानी है, वहां ट्यूबवैल नहीं लगे, हरियाणा जहां खारी पानी है, हरियाणा जो अपना डेम नहीं बना सकता था, उसने जमुना का पानी 150 फीट ऊंचा चढ़ाया। आपके चौधरी साहब 5 फीट पानी नहीं उठा सके। आप हमको सिखाना चाहते हैं। आप हरियाणा से सीखें कि तरक्की कैसे होती है। आप बिजली की बात करते हैं? गाँवों में बिजली किस तरह से जाती है, कितनी मेहनत से बनती है, इसको देखो। टीका-टिप्पणी करना तो बहुत आसान होता है।

डा. रामकृपाल सिंह : 24 करोड़ रुपए बिहार के कांग्रेसी खा गए।

श्री रणबीर सिंह : मैं आपके बारे में जानता नहीं। जो आपके साथ हैं, वे भी बहुत सारे कांग्रेसी थे। आपके सबसे बड़े नेता, चौधरी चरण सिंह कांग्रेसी थे। खा गए तो उनका भी हिस्सा होगा, वरना मैं यह मानता हूँ कि यह बात गलत है। यह बात उनकी है, जो कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन, टीका-टिप्पणी करते हैं।

डा. रामकृपाल सिंह ने कहा कि बेकारी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। समाधान करने का तरीका यही हो सकता है कि देश में जो खाद पैदा करने के लिए पैसा लगाया जा सकता है, उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। देश में जितने डेम बनें उसके ऊपर कोई पैसे की सीलिंग नहीं होनी चाहिए। पहले नोट सोने की बिना पर छापते थे। फिर, रुपये की सीक्योरिटी पर छापते हैं। मैं कहता हूँ कि नासिक प्रेस नोट छापे, इसलिए नहीं कि रुपये को सीक्योरिटी है या नहीं, महंगाई होगी या नहीं, नोट छापे, कागज की बिना पर। देश की तरक्की रुके, यह अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि बिजली के बड़े कारखाने लगे। हरिद्वार में बिजली पैदा करने की मशीन खाली पड़ी हैं। हरियाणा का इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड खरीदना चाहता है। पंजाब नेशनल बैंक रुपया देने को तैयार है। लेकिन, रिजर्व बैंक की हिदायत है कि मंहगाई बढ़ जाएगी। यह रोग है। जो पढ़ाई पढ़कर आर्थिक ज्ञान सीखे हैं, वह असली बीमारी है देश की।

देश के अन्दर रुपया छपे, बिजली के तार लगे, खम्बे लगें। दो ही किस्म के देश हैं दुनियां में -- या तो कम्युनिस्ट देश हैं या अमरीका जैसे पूंजीवादी देश हैं। अमरीका में जितना पैसा पानी बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है, नहर पर खर्च किया जाता है उतना और किसी चीज पर खर्च नहीं किया जाता। उस पर ब्याज नहीं लिया जाता। जो आर्थिक विज्ञान के विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि भाखड़ा डेम घाटे का सौदा है। अगर वह भारत में न होता, 500-700 करोड़ रुपए का खेती का सामान बाहर से मंगाना पड़ता। कुल 150 करोड़ रुपया लगा, फिर भी आर्थिक विज्ञान के विशेषज्ञ कहते

हैं कि घाटे का सौदा है। असल जो समस्या है वह सोच के बदलने की है।

मैं मानता हूँ कि 50-60 करोड़ रुपये की छोटी-मोटी योजना से बेकारी हट नहीं सकती, न वह घिराव से हट सकती है, न बिहार की असेम्बली को तोड़ने से हट सकती है, न जयप्रकाश हटा सकते है, न विरोधी दल हटा सकते हैं। हां, बेकारी का इलाज हो सकता है। जितने आज हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़े भी हों, वह हरियाणा में जाकर देखें। हरियाणा में सड़क के ऊपर काम करने वाला मजदूर हरियाणा का नहीं, वह आपका केरल का मिलेगा, वह आपका उत्तर प्रदेश का मिलेगा। चौधरी साहब, आप हमको शिक्षा देने वाले हैं। आज इसी तरीके से हर प्रदेश तरक्की कर सकता है। आप देखें कि हरियाणा और पंजाब की तरक्की हुई और वह इसलिए हुई कि उनकी सरकारों ने, हिन्दुस्तान की सरकार से कर्ज़ लेने में कोई झिझक नहीं दिखायी। दूसरे प्रदेश की सरकारें अंगूठा लगाते समय दस बार सोचती थीं। लेकिन, हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने कर्ज़ लिया और उसे खाया नहीं, जैसाकि वह कहते हैं, उन्होंने पंजाब को बनाया, उन्होंने हरियाणा को बनाया और आज वे हिन्दुस्तान को अन्न दे रही है। आज वे देश को कपड़ा दे रही हैं। कपास दे रही हैं, देश के लिए वह चावल देती हैं, गेहूँ देती हैं, बाजरा देती हैं। वह इलाके जो आज से 27 साल पहले बंजर इलाके थे, डेफि सिट इलाके थे, अपने यहां के लिए भी अन्न पैदा नहीं कर पाते थे, वह सूखे इलाके थे, आज हमने उनको सरसब्ज बनाया है। दरिया का पानी ढ़ाई सौ फिट ऊंचा चढ़ाया है। अगर यह उत्तर प्रदेश में चढ़ जाये तो चौधरी चरण सिंह को फिर चिल्लाने की आवश्यकता न हो। बिहार में यह पानी चढ़ जाये तो जयप्रकाश को गाड़ी में चलने की फुरसत न मिले।

मैं चाहता हूँ कि जो छोटे-छोटे कारखाने हैं, बड़े-बड़े कारखाने रहे। लेकिन, छोटे कारखानों को बिजली दी जाये। कपड़ा बनाने के लिए उनको बिजली दी जाये और एक-एक लूम के लिए लाइसेंस दिया जाये। जो कोई मांगे, आज लाइसेंस नहीं दिया जाता। पढ़े लिखे लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाता। ऐसा लाइसेंस का यह तरीका रद्द किया जाये, ताकि देश की तरक्की हो। हिन्दुस्तान की तरक्की में जो रोड़ा बनता है, उस तरीके को बंद किया जाये। चाहे वह वित्त मंत्रालय का कानून हो, हुक्म हो या उद्योग मंत्रालय का कानून हो या हुक्म हो। वह सब रद्द किया जाये। हिन्दुस्तान की शिक्षा में यह चीज सिखायी जाये। मैं जानता हूँ कि जब हम बी.ए. में पढ़ते थे तो हमारे साथी घी की कटोरी अपने हाथ में ले जाने में शर्माते थे। जाट के घर में पैदा हुए और मेहनत करते घबराते थे। उनको झूठा घी खाना पसंद था लेकिन अपने हाथ में घी की कटोरी नहीं ले

जाना चाहते थे। यह शिक्षा का कसूर है। शिक्षा के इस तरीके को बदलना होगा। अगर जरूरत हो तो वित्त मंत्रालय को और उद्योग मंत्रालय को भी बदलना होगा।

हमको बड़े कारखानों की भी जरूरत है और छोटे कारखानों की भी जरूरत है। जो यह समझते हैं कि हमको बड़े कारखानों की जरूरत नहीं है, वह भी भ्रम फैलाते हैं, इस देश में। अगर ऐसा होता तो जयप्रकाश जी को हरियाणा जाने की आवश्यकता नहीं थी या घेराव कराने की आवश्यकता नहीं थी। बेकारी पर पनपने वाले, पनप नहीं सकते हिन्दुस्तान में। चौधरी सुलतान सिंह जी ने ठीक कहा था कि वे भाई जिन्होंने गाँधी जी की जान ली वे सोचते थे कि उसके बाद उनको गद्दी मिलेगी। लेकिन, गद्दी उनको इस 27 वर्ष में नहीं मिली। सरदार प्रताप सिंह को मरवाकर जो चाहते थे कि राज की गद्दी उनको मिल जाये वह भी उनको नहीं मिली। जो भाई ललित नारायण के खिलाफ प्रचार करते थे और सोचते थे कि उस राज्य में वह आराम से रह सकेंगे, वह हुआ नहीं और होगा भी नहीं। इसलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि देश की बेकारी तभी दूर होगी जब जयप्रकाश जी शिक्षा लेने के लिए पंजाब और हरियाणा जायें। लेकिन, वहां शिक्षक बन कर नहीं, स्टूडेंट बनकर जायें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से इन राज्यों ने तरक्की की है। वे वहां बच्चों को बहकाने न जायें बल्कि उनसे शिक्षा लेने के लिए जायें, तभी देश की तरक्की हो सकेगी।

राज्य सभा

सोमवार, 3 मार्च, 1975 ई.*

गुजरात राज्य पर उद्घोषणा जारी रखने बारे

श्री रणबीर सिंह : उपसभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब जनसंघ के नेता और बी.एल.डी. के नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। डी.एम.के. के मारिस्वामी जी ने विरोध तो करना शुरू किया। लेकिन, मद्रास के झगड़े में जा फंसे और गुजरात की बात को भूल गए कि गुजरात के बारे में प्रस्ताव है। ठीक है, मारिस्वामी जी को मप्रास की बात याद ही आनी चाहिए, चूंकि जिस इलाके में भी कहत और अकाल हो, वह दूसरे इलाके को याद नहीं रख सकता, अपनी परेशानी के सामने दूसरे की परेशानी याद नहीं रहती। राजनारायण जी को कोई परेशानी नहीं। राजनारायण जी को एक ही परेशानी है कि गलती से राय बरेली में चुनाव लड़ने चले गए, वहां मात खा गए। हार को हार कबूल नहीं करते। हर वक्त दिन और रात वही एक बात उनको परेशान किए जाती है।

कोई वक्त हो, कोई समय हो, उनके दिमाग पर प्रधानमंत्री का साया रहता है। हर वक्त उन्हें मालूम देता है कि डिक्टेटर आ रहा है और वे उनसे अपनी हार कबूल नहीं करते हैं।

आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात का लांछन लगाया जाता है कि कांग्रेस

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 3rd March, 1975, Page 185-194*

पार्टी कहत का बहाना लेकर, अकाल का बहाना लेकर, चुनाव से पीछे भाग रही है। हमारे भाई हिन्दुस्तान के इतिहास को भुला देना चाहते हैं। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, दोनों साथ ही साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हो गया था। पाकिस्तान में 1946 में ही आम चुनाव हुए थे। उसके बाद चुनाव नहीं हो सके। हिन्दुस्तान ने कभी भी चुनावों को पीछे नहीं जाने दिया। 1971 के चुनाव 1972 में होने चाहिये थे, वे 1971 में ही करा दिये गये। चुनावों से पीछे भागने की जो बात कही जाती है, इसके बारे में कांग्रेस ने पीछे भागने की बात कभी भी सीखी नहीं है। लेकिन, कांग्रेस आज इस बात को जानती है कि जनता, जिसके सामने आज रोटी का सवाल सबसे प्रमुख है, जो जनता रोटी के लिए आज वहां पर परेशान है, जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, जिन लोगों के घरों में रोटी नहीं है और जिन्हें रोटी के लिए तीन चार मील की दूरी पार करके काम करने के लिए जाना पड़ता है, वहां की जनता के सामने जाकर यही विरोधी दल के लोग कहेंगे कि तुम तो अकाल में फंसे हो, तुम्हारी रोटी की बात पहले कांग्रेस वालों को करनी चाहिये थी। मगर, इन्हें तो अपनी कुर्सी की चिन्ता है।हम इस बात को जानते हैं।

जो लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या बिहार में चुनाव नहीं हुए थे ? ये लोग चुनाव की बात करते हैं कि हम चुनाव से भाग रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हुए थे ? उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप लोग हार गए थे। क्या इतनी जल्दी आप यह बात भूल गये हैं। उड़ीसा की हार को भूल गये। हमारे यहां एक कहावत है किसी आदमी की किसी बनिये के साथ लड़ाई हो गई थी। जब वह आदमी लड़ने आता तो बनियां कहता कि अब आयेगा तो एक सेर मारुंगा दोबारा आयेगा तो दो सेर मारुंगा, तीन सेर मारुंगा, पांच सेर मारुंगा। इसी तरह की हालत आज हमारे विरोधी दल वालों की भी हो गई है। हमारे देश में जनतंत्र है। ये लोग बार-बार प्रजातंत्र की दुहाई देते रहते हैं। ये लोग 6 तारीख को पार्लियामेंट का घेराव करना चाहते हैं। मैं इन भाईयों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा जनतंत्र में क्या इसी तरह का विश्वास है ? ये लोग बिहार की असेम्बली को तुड़वाना चाहते हैं। इन लोगों ने गुजरात की असैम्बली तुड़वा दी थी। हमारे मोरारजी भाई ने वहां पर असेम्बली तोड़वाने के लिए भूख हड़ताल की थी। आज कहते हैं कि वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं, तो भी चुनाव कराओ।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : असेम्बली को तोड़ने का मतलब यह है कि वहां पर फिर से दुबारा चुनाव कराये जायें, तोड़ने के माने यह नहीं हैं कि हमेशा के लिए वहां पर सैन्ट्रल राज्य हो जाए।

श्री रणबीर सिंह : हमेशा कभी किसी प्रान्त में राष्ट्रपति राज्य नहीं रहा है। क्या आपने कभी किसी प्रान्त में हमेशा के लिए राष्ट्रपति का शासन देखा है? केरल में राष्ट्रपति का शासन हुआ। क्या वहां पर भी राष्ट्रपति का शासन हमेशा रहा? इसी तरह से गुजरात में भी राष्ट्रपति का शासन हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है।

प्रश्न यह है, साधारण प्रश्न है कि आज गुजरात में लोगों के घरों में आटा नहीं है, वे अपना आटा हासिल करने के लिए दो, तीन मील दूर मजदूरी करने के लिए जाते हैं और आप उनको चुनाव में ले जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें कम से कम डेढ़ दो महीने का समय लग ही जाता है, जबकि इस बारे में सबको इंतजाम करना पड़ता है। नेता लोग जनता को सोने नहीं देते हैं। भूखे आदमी को माइक्रोफोन की आवाज कहां अच्छी लगेगी? फिर, किसके ऊपर दोष लगायेंगे? मोरारजी कहेंगे कि इंदिरा जी ने चुनाव करा दिया, हम तो आपके लिए इंतजाम करना चाहते हैं। मोरारजी भाई अगर इस बात के लिए भूख हड़ताल करें तो कम से कम गुजरातियों को यह याद हो जाएगा कि मोरारजी भाई को गुजरात के अवाम से कितना प्यार है। अगर प्यार होता तो कांग्रेस (ओ) और गुजरात के ये भाई ज्यादा इमदाद चाहते तो समझ में आ सकता था। लेकिन, चुनाव की खातिर भूख हड़ताल करें तो इसके मायने क्या हैं? इसके दूसरे मायने यह हैं कि वे हमको समझाना चाहते हैं कि कुर्सी हमको मिलने वाली है। मोरारजी भाई अपनी कुर्सी के लिये गुजरात को आग में धकेल देना चाहते हैं। कुर्सी अगर उनको मिलने वाली है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई समय को रोक नहीं सकता। 6 महीने कोई बड़ी चीज नहीं होती। जनता जहां भूखी है, वहां एक दिन भी बड़ी चीज है। लेकिन, जहां चुनाव की बात है, 6 महीने का अरसा कोई बड़ा अरसा नहीं है।

सच बात तो यह है कि हमारे विरोधी दलों की जनतंत्र में आस्था ही नहीं रही। यह मांग भी उस आस्था को तोड़ने के लिये की जा रही है कि अभी चुनाव करो। यह मांग जनतंत्र की हमदर्दी में नहीं हैं। अगर इसकी जनतंत्र में हमदर्दी होती या पंचायती राज में हमदर्दी होती तो ये 6 तारीख के घिराव में क्यों शामिल हों? सारे विरोधी दल घिराव में शामिल हैं। बिहार को तोड़ो, पार्लियामेंट को तोड़ो, यही जनतंत्र की हमदर्दी है? ये इस देश को खिलौना बनाना चाहते हैं। जैसा गृहमंत्री जी ने कहा, एक खबर निकली कि लोकसभा का चुनाव जल्दी होगा। ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि चुनाव के ऊपर 125 करोड़ रुपये का खर्च होता है, इसलिये, लोकसभा की बैठक जल्द बुलाई जाये, यह खिलवाड़ नहीं होनी चाहिये। आज उनको बगैर पैसे चुनाव होता दिखाई दे रहा है। मैं तो

कहता हूँ गृहमंत्री जी से, कि जितना चुनाव में खर्च होने जा रहा है उतना गुजरात के लिये इमदाद में खर्च करें। चुनाव 6 महीने में कर दिया जाये या फिर लोकसभा के साथ कर दिया जाये। कोई आसमान गिरने वाला नहीं है।

गरीब आदमी, जो भूख से परेशान है, उसको मदद की जरूरत है।। मगर,, त्यागी जी, आपको गुजरात से हमदर्दी है तो उनकी हमदर्दी की बात कहें। सब अपने दर्द की बात कहते हैं। जनसंघ के भाई शेखावत जी कहते हैं कि उनकी बड़ी हमदर्दी है। कुछ बातें तो उन्होंने अच्छी कहीं हमदर्दी की। उनका मैं स्वागत करता हूँ। गृहमंत्री जी से मैं कहता हूँ कि गुजरात की जनता को ज्यादा से ज्यादा माली इमदाद करें।

गृहमंत्री जी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। उसके बारे में शेखावत जी ने टीका-टिप्पणी की। फाइनेंस कमीशन के त्यागी जी भी चेयरमैन थे। लेकिन, ये स्टेट असेम्बली में कभी गये नहीं, कभी गये होंगे बहुत पहले। उनको भूल गये होंगे। लेकिन, गृहमंत्री जी ने तो राज्यों में काम चलाया है। इसलिये, जिस वित्त आयोग के अध्यक्ष रेड्डी साहब थे, उसने जितना अच्छा काम स्टेट्स के लिये किया वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। वे मुख्यमंत्री रहे और यहां उन्हें आना भी था। वरना, असल सिफारिश यह चाहिये थी कि जितना नहरों के ऊपर पैसा खर्च हो, उसपर कोई ब्याज नहीं होगा। न ही वह पैसा वापस लिया जाएगा। असली सिफारिश तो इस तरह की होनी चाहिये थी। आप इसको कर सकते थे। लेकिन, आप तो वित्त मंत्रालय के चक्कर में फंसे हुये थे। आप भूल गये कि जनता को तकलीफ क्या है। लेकिन, मैं तो एक बात कहता हूँ कि जितना रेड्डी वित्त आयोग ने सिफारिशें की हैं, वैसी और उतनी बढ़िया सिफारिशें अभी तक किसी ने नहीं कीं। इसलिये, उनपर कोई टीका-टिप्पणी करना बेकार है, गलत है।

सही है कि पहले जब अकाल पड़ता था तो ऐसी योजनाओं पर पैसा खर्च करने की स्कीमें रखी जाती थीं जिनका कोई लाभ नहीं था, जिनकी जरूरत नहीं होती थी। सारा रुपया मिट्टी में मिल जाता था। यह पहली बार हुआ कि जब हिन्दुस्तान की सरकार ने वित्त आयोग की सलाह पर एक फैसला लिया कि ऐसी योजनाओं पर पैसा खर्च होना चाहिये जो प्रदेश की तरक्की के लिए बनी हों, जिससे देश का काम बने ?

मैं चाहता हूँ कि गुजरात के तमाम गाँवों में जहां कुएं बन सकते हैं वहा ंकुएं बनवाये जायें। जहां बिजली के पम्प लगाये जा सकते हों, वहां पम्प लगवाये जायें। 5000 नहीं, 5 लाख पम्प लगवाये जा सकें तो उनको लगवाना चाहिये, ताकि उसके

बाद कभी वहां कहत न पड़े। गृहमंत्री जी से मैं कहता हूँ कि 6 महीने नहीं, एक साल भी आप भले चुनाव न करायें और 5 लाख पम्प वहां लगवा दें तो वहां हमेशा के लिए रेड्डी जी की जयजयकार होगी और मोरारजी को लोग भूल जायेंगे। लोग वहां कुर्सी के लिये भूखे नहीं हैं। वहां तो लोगों को रोटी चाहिये और वहां उनको करने के लिये आराम चाहिये। उनको न मोरारजी चाहिये और न रेड्डी साहब चाहिये और न त्यागी जी चाहिये। उनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वहां इतनी तकलीफ है और उस वक्त विरोधी दल वाले चुनाव की बात करते हैं तो इससे ही विरोधी दल की नीयत का साफ पता लग जाता है कि वह किसके हमदर्द हैं।

इस देश में बहुत से ऐसे भाई हैं कि जो कहते हैं कि जो पुलिस यहां पड़ी हुई है उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। वह 6 मार्च के लिए यहां लगायी गई है। अगर, जयप्रकाश जी जन आन्दोलन के समर्थक हैं तो उनको चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते कि हमने इस आन्दोलन को मुल्तवी कर दिया है और जितना पैसा इस पुलिस पर खर्च हो रहा है उतना पैसा गुजरात के गरीबों और भूखों के लिए आप खर्च कर दें और वहां की तरक्की कीजिये। ऐसा होने पर बात समझ में आ सकती थी। समझदार भाई कहते कि हम इस आन्दोलन से अलग रहना चाहते हैं और इसलिये अलग रहना चाहते हैं कि गुजरात के आदमी को जिन्दगी बिताना मुश्किल हो रहा है। आज उनके लिये रोटी नहीं है और इस आंदोलन में सरकार का बहुत खर्च होगा। लेकिन, यहां तो कोई किसी से पीछे नहीं है। अभी जनसंघ वाले भाई हरियाणा का जिक्र करते हैं, वहां के चुनाव का और राजनारायण जी भी चले गये। लेकिन, एक बात सही है कि न तो बी.एल.डी. को और न जनसंघ को और न कांग्रेस (ओ) को, किसी भी पार्टी को हरियाणा में अपने नाम पर चुनाव लड़ने का हौसला हुआ। आते वहां बी.एल.डी. वाले मैदान में। एक भाई जीते, वह हमारे यहां के चौबीसी के उम्मीदवार थे। लेकिन, वहां 1957 से चौबीसी की टिकट पर उम्मीदवार बराबर खड़े हो रहे थे। जयप्रकाश जी तो उस समय राजनीति से भागकर चले गये थे। उन्होंने तो उस समय राजनीति से बनवास ले लिया था। वह चौबीसी के नाम पर चुनाव लड़े थे। वह तो 1957 में जीते थे, 1962 में जीते थे, 1967 में जीते थे। एक दफा 1968 में कांग्रेस जीती थी और 1972 में वह तो जीते थे और इसकी वजह से वह कहते हैं कि गुजरात में इलैक्शन इसलिए बन्द कर दिया कि हम हरियाणा में हार गये। जो एक तीसरा स्थान है, वैसे तो हमारे यहां दो विरोधियों की सीटें थी। 1972 में और एक हमारे पास थी और एक है। एक हमने विरोधी दल से ली है। लेकिन, तीसरी सीट पर

जो सज्जन आये हैं उनका कोई पता नहीं कि कब तक वह बी.एल.डी. में रहेंगे और कब वी.के.डी. में रहेंगे कब हमारे साथ आ जाएंगे। उनके लिये कोई कुछ नहीं कह सकता है। एक भाई ने कहा कि वह तो रेड लाइन हैं। निजलिंगप्पा जी से उन्होंने कहा था कि वह तो लाल हनुमान है।

तो वे लाल ही लाल है, जो उनकी बातों पर आ आप जाते हैं। हमको जनतंत्र की शिक्षा देते हैं। राजनारायण जी पहले सोशलिस्ट पार्टी में रहे। फिर पी.एस.पी. में रहे। फिर बी.के.डी. में आये। फिर बी.एल.डी. में हैं। पता नहीं आगे कहां ठिकाना होगा। वह हमको शिक्षा देते हैं कि यहां पर डिक्टेटरशिप न चलाओ। डिक्टेटरशिप जमाने की उनको बीमारी है या हमको है?

हमने जनतंत्र को कायम रखा है। कांग्रेस आगे भी कायम रखेगी। बावजूद इसके कायम रहेगी कि हिन्दुस्तान की सारी विरोधी पार्टियां उसका विरोध करेंगी। हम जनतंत्र को कायम रखेंगे। हिन्दुस्तान में जनतंत्र कायम रहेगा, इंदिरा गाँधी जीतेगी। पीछे भी विरोधियों ने चोट खाई है। पीछे भी इनको चोट लगाई है और आगे भी लगाई जायेगी। राजनारायण जी को उसके लिए तैयार होना चाहिए और विरोधी दलों को उसके लिए तैयार होना चाहिए।

राज्य सभा

शुक्रवार, 7 मार्च, 1975 ई.*

भूमिहीन श्रमिक और ग्रामीण गरीब के हालात पर प्रस्ताव

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, जो मकवाणा साहब ने पेश किया है। उनके विचारों का समर्थन करते हुए, मैं वह मानता हूँ कि हमारे देश में भूमिहीनों के जीवन का स्तर ऊंचा करने के लिये, केवल भूमि ही बांटने का तरीका कोई बहुत सही नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं मानता हूँ कि बिहार है, जहां पर जयप्रकाश जी का आन्दोलन चल रहा है। उस प्रदेश में सारे गाँवों का भूमिदान किया गया। हर गाँव में भूमिदान हुआ। लेकिन, उसके बावजूद बिहार आज सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसलिए, मैं मानता हूँ कि यह सोच कि हम भूमिहीनों में भूमि को बांटकर उनकी गुरबत को, गरीबी को, हटा सकते हैं, यह सोच सही नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, जब हमारा देश आजाद था और हमारा आर्थिक शोषण नहीं हुआ था, अंग्रेज यहां पर हाकिम नहीं बना था, उन दिनों हमारे देश की जनसंख्या बहुत थोड़ी थी।

इसी तरह से देहातों में भी सौ में से चालीस भाई ऐसा धंधा करते थे जिसका

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 7th March, 1975, Page 174-179*

खेती से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता था। वे लोग दूसरा कारोबार करते थे। कोई चमड़े का कारोबार करता था, कोई कपड़े का कारोबार करता था, कोई कपड़ा बनाने का कारोबार करता था, कोई बर्तन बनाने का कारोबार करता था, कोई लकड़ी बनाने का कारोबार करता था, कोई लोहे का कारोबार करता था। इस तरह से वे लोग छोटे-छोटे अन्य कारोबार करते थे। उस समय हमारे देश में बड़े-बड़े कारखाने नहीं थे। फिर भी, हमारे देश में बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बनता था। अंग्रेजों के आने के वक्त ढाका, जो उस समय हिन्दुस्तान में ही था, वहां की मलमल विलायत की मंडियों में न बिक सके, इसके लिए वहां पर कानून बनाया गया था। ढाके की मलमल को खरीदना जुर्म करार दे दिया गया था। विलायत की बहनों को इसके खरीदने पर सजा भी भुगतनी पड़ती थी। यहां पर जो लोग मलमल बनाते थे, उन कारीगरों के हाथ कटवा दिये गये थे।

आज दरअसल भूमिहीनों के कल्याण की बात कही गई है और इस तरह से भूमि को देने का नारा दिया गया है, ताकि जो भूमिहीन किसान हैं, उनको भूमि मिल सके। जिन भूमिहीन भइयों के पास मकान के लिए जमीन नहीं हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं, उन सबको मकान के लिए भूमि मिलनी चाहिए। मुझे यह बात याद है कि जब इकट्ठा पंजाब था वहां जो लोग खेती करते थे, उनकी जमीन हिस्सों में बिखरी हुई थी और उसको इकट्ठा करने के लिए कांसोलीडेशन आपरेशन प्रदेश में किया गया था, ताकि हर गाँव में भूमिहीनों को मकान के लिए जमीन मिल सके। मुफ्त में घर बनाने के लिए जमीन का बंटवारा किया जाए, यह एक साधन बन गया था। हर गाँव में इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी कि जो भूमिहीन किसान है, उनको जमीन और मकान मिल सके।

उस समय श्री प्रताप सिंह कैरों वहां के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वहां पर एक टैक्स लगाया जो हर काम करने वाले को देना पड़ता था और इस तरह से उस टैक्स के द्वारा चार करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था। इस रुपये से हरिजनों के लिए एक फंड कायम किया गया था। उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि इस कार्य के लिए एक निगम बनाया जाये और उस निगम के द्वारा हरिजनों के लिए जमीन खरीदने के लिए, चमड़े का काम करने के लिए, कपड़े का काम करने के लिए या और भी कोई काम धंधा करने के लिए, छोटा मोटा कारखाना लगाने के लिए कर्ज देने की व्यवस्था की जाये। आज भी हरियाणा में और पंजाब में हरिजन कल्याण निगम कायम है। हिमाचल प्रदेश को भी जो हिस्सा मिला है, वहां उन्होंने भी निगम कायम किये हैं। जहां जमीन है वहां जमीन दी जा सकती है।

लेकिन, हालत यह हो गई है कि बहुत सारे जो कृषक हैं उनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। इसलिए, जमीन अगर कहीं मिलती है तो देश के हित में उसका बंटवारा यही हो सकता है कि जिनके पास थोड़ी जमीन है, उनको जमीन देकर उनकी होल्डिंग्स ऐसी बना दी जाये कि वे अपनी गुजर कर सकें। अगर एक आदमी के पास एक रोटी है तो उसका हल हम यही समझे हैं कि उस रोटी को दो हिस्सों में बांट दिया जाये। यह दो आदमियों की भूख के निपटाने का सही तरीका नहीं है।

जहां जमीन है, बेकार जमीन है, खेती लायक जमीन है वह जमीन भूमिहीनों को भी दें, छोटे बिस्वेदारों को भी दें जो खेती कर सकें। जो भाई मजदूरी करते हैं उनकी मजदूरी के लिए कायदा बने कि किसी को कम मजदूरी देकर काम न कराया जा सके। पंजाब और हरियाणा ने जहां और क्षेत्रों में रास्ता दिखाया है, इस क्षेत्र में रास्ता दिखाया है। वहां मजदूरों की मजदूरी भी ज्यादा मिलती है। जैसा मैंने कहा 1963-64 में, आज से 12 साल पहले, टैक्स लगाया था, ताकि भूमिहीनों की तरक्की की जा सके।

हरिजन कल्याण निगम अब हर प्रदेश में बने हैं, जो पहले पंजाब में था। पशुपालन के लिए और दूसरे कामों के लिए वहां से कर्जा दिया जाता है। आपको याद होगा कि जिस वक्त इम्पीरियल बैंक स्थापित हुआ था, जिसको आज स्टेट बैंक कहते हैं, उसकी कैपिटल 5 करोड़ से कम ही थी या 5 करोड़ के लगभग थी। आज वह बैंक हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा है। हिन्दुस्तान में सब आदमियों को छोटे कारखाने के लिए या बड़े कारखाने के लिए या खेती करने के लिए वहां से कर्ज दिया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि हरियाणा और पंजाब के जितने भूमिहीन थे या हैं, उन भूमिहीनों को काम देने के लिए वह रुपया शेयर कैपिटल काफी था। रिजर्व बैंक हरिजन कल्याण निगमों को ज्यादा से ज्यादा रुपया दे जिससे वे गरीबों की मदद कर सकें।

श्रीमन, हमारे देश में तरक्की तभी हो सकती है जब कपड़ा बनाने की छोटी-छोटी खड्डियां बिजली से गाँव-गाँव में चलें, बजाये इसके कि हम बड़े-बड़े कारखानों की तरफ देखें। बिजली वाली खड्डियों का लाइसेंस दिया जाये। आज शायद बड़ा कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस लेना आसान है। लेकिन, दो-तीन-चार पावरलूम की खड्डी का लाइसेंस नहीं मिल सकता। इसी तरीके से हमने अम्बर चरखे को बढ़ावा दिया। एक तकुए की जगह 4-5 तकुए वाला चरखा चला। मुझे याद है '62 से पहले, जब मैं लोकसभा का सदस्य था, पार्लियामेंट हाउस में दिखाया गया था कि चरखे में बिजली लग सकती है। लेकिन, आज तक चरखे में बिजली नहीं लगी।

कपास हिन्दुस्तान में पैदा होती है। मुझे याद है कि कपास का भाड़ा देते थे, जापान पहुंचाने के लिए। वहां से जो कपड़ा बन कर आता था, वह हिन्दुस्तान की मन्डी में सस्ता बिकता था। वह अमरीका और दूसरे साहूकार देशों का मुकाबला कर सकता था। उसका एक कारण था कि वहां बड़े-बड़े कारखाने नहीं हैं।

आप जानते हैं कि बड़े कारखानों का कुछ फायदा है और उनका कुछ नुकसान भी है। बड़े कारखानों का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत पैसा घट जाए और एक रुपया फी मजदूर की मजदूरी कम करनी पड़े तो वह कारखाना बन्द हो जाएगा। वह चल नहीं सकता। हम मुकाबला कर नहीं सकते। जापान किसलिए मुकाबला कर सकता था हिन्दुस्तान की मिलों का? इसलिए कि वह छोटी-छोटी मिलों के द्वारा घरों में बिजली की सहायता से कपड़ा तैयार करता था। इसी तरह, हिन्दुस्तान में आज हम भूमिहीनों के लिए छोटे-छोटे कारखाने लगायें। बहुत समय बीत गया। 27 साल खो गए।

गरीब आदमियों को सुनते हुए कि जमीन का बंटवारा होगा। आज जमीन का बंटवारा होते-होते हिन्दुस्तान में आमतौर पर जो सबसे बड़ा सीलिंग वाला भाई है उसके पास ईमानदारी से 19 एकड़ जमीन रह गई है। अगर कोई गड़बड़ करके ज्यादा जमीन रखे हुए हो तो आप उसकी जमीन लें। उसमें हमें एतराज नहीं होगा। लेकिन, ऐसे कितने भाई हैं? मैं मानता हूँ कि हमारे गाँव में ही जहां 7 हजार की आबादी है, मुश्किल से उसमें कोई दस पांच भाई ऐसे होंगे जिनके पास 19 एकड़ या 15 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी।

आज भी हम यह सोचते हैं कि जमीन के बंटवारे से भूमिहीन की या गाँव के मजदूर की तरक्की होगी, तो यह एक ऐसा स्वप्न है कि जो कभी फले-फूलेगा नहीं। हां, भूमिहीन की तरक्की होगी, जब-जब हिन्दुस्तान के देहातों में छोटे-छोटे कलकारखाने खुलेंगे और जो कामधंधा बड़े कारखानेदारों ने छीन रखा है, जैसे कपड़ा बनाने का काम बिरला और टाटा की मिलों ने ले रखा है या डी.सी.एम. ने ले रखा है और ऐसे ही बर्तन वहां बनते थे उनका काम बाबा ग्लास वर्क्स ने ले रखा है, उनको हम वापस दिलायें। वहां छोटे-छोटे कारखाने लगायें। ऐसा होने पर ही वहां के भूमिहीनों का फायदा होगा। देश आगे बढ़ेगा। देश की और उन लोगों की आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी।

इसलिए, मैं चाहता हूँ कि आज हर भूमिहीन को कर्ज दिया जाये। इसकी जरूरत है। अगर वह भैंस लेना चाहता है, कोई अच्छी गाय लेना चाहता है या किसी और काम धन्धे के लिए वह पैसा मांगता है तो वह उसको मिलना चाहिए। देश की आर्थिक नीति बदलनी चाहिए। टाटा अगर 20 करोड़ रुपया मांगे तो उसको कर्ज

मिल सकता है। लेकिन, एक भूमिहीन को 500 रुपया मिलना मुश्किल है, जबकि पांचसौ रुपये में एक बछिया भी नहीं मिलती है। आज जमाना बदला है। हमें चाहिए कि छोटे-छोटे कारखानों के लिए जितना पैसा चाहिए उसका इंतजाम करें, और छोटे कारखाने, बिजली से चलने वाले कारखाने गाँव-गाँव में भूमिहीनों की तरक्की के लिए लगायें, तभी दरअसल में इस प्रस्ताव का जो मुद्दा है मकवाणा साहब के, वह पूरा हो सकता है।

राज्य सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 1975 ई.*

बजट (सामान्य) 1975-1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : सभाध्यक्ष जी, अभी गुणा नन्द ठाकुर जी ने कहा कि हमारे देश में खासतौर से राजनीतिक और आर्थिक सवालों को पेचीदा करने की कोशिश की गई है। ऐसी हालत पैदा करने की कोशिश की गई जैसे जब देश आजाद हुआ और पंजाब और बंगाल से लोग बेघर होकर आये और बेघर होकर गये, उस वक्त जैसा वायुमण्डल बनाया गया था। उसी ढ़ंग का वायुमंडल बनाने की कोशिश की गई है।

विरोधी तत्वों की ओर से कहा जाता है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री अधिनायक बनना चाहती है। हमारे देश की प्रधानमंत्री प्रजातंत्र में विश्वास रखती है और यह इस बात से पता लगता है कि 1969 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कांग्रेस पार्टी में अकसिरयत में थी, वह कुछ दोस्तों के कारण मैन्योरिटी में चली गयीं। उनकी तादाद कम हो गई। अगर अधिनायकवाद बनने की बात होती तो वह चुनाव न करातीं। मैं समझता हूँ उस वक्त कोई भी देश में ऐसी पार्टी नहीं थी जो बहुमत में हो और राज चला सके। लेकिन, प्रधानमंत्री जी ने प्रजातंत्र को कायम ही नहीं रखा, बल्कि कभी बहस में या सदन की बैठक में कोई कमी न आये, इसका भी ख्याल रखा। सदन की बैठक का सिलसिला जारी रखा था, जबकि कांग्रेस बहुमत में थी उसी को कायम रखा। जो मैन्योरिटी के वक्त में अधिनायक नहीं बनी उन्हीं के बारे में आज ये कह रहे हैं कि वे अधिनायक बनना चाहती हैं। उनकी उदारता का परिचय मैंने आपको दिया।

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 18th March, 1975, Page 265-275*

मुझे मालूम है कि इलेक्शन पैटिशन बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हुये। जब उन्होंने सहादत के लिए आवेदन-पत्र दिया कि कोई कमीशन सहादत के लिए कायम कर कर दिया जाये। इस प्रकार के कमीशन कायम किये गये। इन कमीशनों ने मुख्यमंत्रियों की सहादत ली। प्रधानमंत्री जी के हाथ में इस देश का सारा कारोबार है। इस सदन में और उस सदन में वे भारी बहुमत में है। लेकिन, इसके बावजूद भी उनके प्रार्थना-पत्र को न्यायमूर्ति ने मंजूर नहीं किया। एक तरफ तो इस प्रकार की स्थिति है और दूसरी तरफ हमारे विरोधी दल के कुछ भाई अखबार-नवीस बनकर प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। आज आपने देखा होगा कि जब इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया तो विरोधी दल के सदस्य की तरफ से उसका उपहास करने की कोशिश की गई। यह हमारे देश की स्थिति का निचोड़ है।

इससे इस देश में कितनी मुश्किलें लाई गई हैं, यह मैं बाद में आंकड़े देकर बताऊंगा। लेकिन, मैं यह निवेदन करना चाहता है कि भले ही हम 1948 को भूल जायें। लेकिन, हम 1975 कभी नहीं भूल सकते। इसका कारण यह है कि 1948 की घटना को हुए 25 साल हो गये हैं। इन 26-27 सालों में हम उस घटना को भूल सकते हैं। लेकिन, सन् 1974 और 1975 के वर्षों को हम कैसे भूल सकते हैं ? 1975 के वर्ष में एक माननीय मंत्री जिन्होंने इस देश में रेल का पहिया जाम न होने पाये, इसके लिये प्रयत्न किया, उसकी हत्या कर दी गई।

चाहे हमारे विरोधी दलों में सी.पी.एम. या सी.पी.आई. के सदस्य हों, या दूसरे विरोधी दलों की तरफ से रेल का पहिया जाम करने की कोशिश की गई, ताकि भूखे लोगों के पास अनाज न पहुंच सके, जवानों के पास देश की रक्षा के लिये हथियार न पहुंच सकें, लड़ाई का सामान न पहुंच सके। ये लोग देश को दरहम-वरहम करना चाहते थे। श्री ललित नारायण मिश्र ने देश के इन्तजाम को, निज़ाम को, दरहम-वरहम होने से बचाया। लेकिन, उनको बम फेंक कर मार दिया गया।

आज इस देश में इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि जितनी भी बुराईयां हैं वे सब प्रधानमंत्री जी ने पैदा की हैं। इस किस्म का वायुमंडल इस देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस प्रकार का वातावरण पैदा करने वाले जितने भी लोग हैं वे कुर्सी के भूखे हैं। चूंकि, प्रजातन्त्र में कुर्सी हासिल करने का जो तरीका है उस तरीके से वे कुर्सी हासिल नहीं कर सके। इसलिए, ये तमाम विरोधी दल आज प्रजातन्त्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में जो प्रजातन्त्र को कायम किये हुए हैं, उनको कहते हैं कि वे अधिनायक बनना चाहते हैं।

मैं मानता हूँ कि शायद ही दुनियां में कोई ऐसा मुल्क हो, जहां पर किसी लीडर ने इस प्रकार की परिस्थितियों में प्रजातंत्र को कायम रखा हो। हमारे देश में हालत यह है कि ऐसे नेता के प्रति जनता में आस्था पैदा करने की बजाये, अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियें में वे ही लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने जब इस देश में एक रास्ता दिखाया, दो सौ साल की गुलामी खत्म की, तो उस गुलामी के खत्म होने के बाद छः सात महीने में ही उनकी हत्या कर दी गई। आज भी, इस देश में यही कोशिश हो रही है। आज के आड़े वक्त में, जबकि इस देश को ऊंचा उठाने की जरूरत है, इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखा है, इस देश में राजनैतिक आजादी को कायम रखा है, इस देश का दुनिया में नाम ऊंचा किया। कुछ तत्वों की यह कोशिश है कि यहां पर नेताओं की हत्या की जाये। जब यहां पर इन बातों का जिक्र किया जाता है तो बजाये इसके कि ऐसे मामलों पर गम्भीरता से सोचा जाये, कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो इसका उपहास करते हैं। मैं मानता हूँ कि यह देश प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।

उप-सभाध्यक्ष जी, आज इस बजट पर बहस करते हुए, चाहे वे सी.पी.आई. के सदस्य थे, चाहे वे सी.पी.आई. (एम) के सदस्य थे या दूसरे विरोधी दल के सदस्य थे, उन्हे कोई बात ऐसी नहीं मिली जिसकी वे सराहना करते। किसी एक आदमी से बंधी हुई नहीं है, किसी एक पार्टी से भी बंधी हुई नहीं है; यह तो देश की तरक्की है। सारे देश को गौरव होना चाहिए। लेकिन, उनको गौरव करने के लिए कोई चीज इसमें नहीं मिली। मैं आपकी मार्फत उन भाइयों का ध्यान यह जो बजट पेश हुआ उसके आंकड़ों के बारे में ध्यान दिलाना चाहुंगा।

The plan allocation has been increase by 646 crores for the plan for 1975-76 in comparison to 75-76 Mr. Vice-Chairman, Sir, you are well aware that the size of the First Five Year Plan, when it was drafted, was only 1 800 crores while the size of the annual plan for 1975-76 is 3612 crores which is more than double. But they do not see any improvement in this country. Not that, the size of the Second Five Year Plan was 4800 crores. Now, our one-year plan is about two-thirds of the Second Five Year Plan and double that of the First Five Year Plan. They do not see any improvement in the country or the development of this country. Sir, I will like to draw attention of the House to National Accounts Statistics circulated to us in February. You will find from this

that at 1960-61 prices taking inot account the gross domestic production at the factory cost of industries the total national income of the country in 1951 was only 9591 crores. The same has been increased in 1972-73 to the extent of over 19,322 crores. According to 60-61 prices. I am surprised to note that the Finance Minister said in paragraph 21 of his Speech, Sir I quote :

"Our ability to meet the minimum basic needs of our people depends crucially on the trend in agricultural production. It is in this light that I regard the claims of agricultural growth as the first charge on our developmental resources."

Sir, nobody in this country will differ from this theme. While mentioning further, the Finance Minister says, 'thirdly'. I think, it should have been 'firstly'. He says further and I quote:

"Thirdly programmes designed to ensure optimum utilization of surface and ground water to aid agricultural production will be pushed through."

Here, I feel that whatever the Finance Minister has said in his speech, probably, it will not be implemented because he himself has given the third place to the optimum utilisation of surface and ground water for agricultural production. It should have been given the highest priority. He has given the first priority to good quality seeds which do not require much finances. Sir, you know very well that it requires a few crores of rupees. If he gives the first priority to the optimum utilisation of surface and ground water, then it requires thousands of crores rupees.

Mr. Vice-Chairman, Sir, there are many friends here who think that credit squeeze is the panacea for all the economic evils of the country. Sir, I humbly differ from them. It is not correct. They also feel that the economic malady of this country is only inflation. That too is not correct. You know very well, Sir, that no country has progressed in deflation. They have progressed only when there was inflation. There is no doubt about it. It is also correct that when inflation is there, salaried persons have to suffer.

An Hon. Member : How about Russia?

Shri Ranbir Singh : It is a different matter in Russia. They do not go by this paper currency. They do not worry about the paper current and whether it is printed more or printed less. They utilise their resources.

Sir, personally speaking, why there is a difference in the planning in our country is that we want to establish socialism. But we still carry on with the principles of mercantile economy. And that is the main difficulty.

Mr. Vice-Chairman, Sir, you know very well that transformers and power generators are lying in the governmental stores in this country. The State Electricity Boards want to purchase the transformers and power generators, they are not able to do so. I know about my own State. My State is going with the programme of construction of Panipat Thermal Plant. Our State Electricity Board was ble to get an agreement with the Punjab National Bank. The Punjab National Bank has agreed to advance about Rs. 8 or 12 crores for installation of thermal plants and for the completion of the thermal plants. But the Reserve Bank of India, which is considered to be the bank of the nation and which guides the monetary destiny of this country, advised the Punjab National Bank not to advance the loan. And it is under such circumstances that not only our State but the entire country has a shortage of power. We could not have power. We have to stop our industries. Sometimes we impose a hundred per cent cut on our industries in Haryana. Still, the Reserve Bank does not feel the necessity of advancing money to the Haryana State Electricity Board. Mr. Vice-Chairman, Sir, I have to mention some other facts also. Sir, I will not like to take much time of the House.

The Vice-Chairman (Shri V.B. Raju) : You are at the fag end of the day.

Shri Ranbir Singh : Sir, I would like to say something about our wheat policy. The agriculturists have made this country self-supporting. I do not think they have committed any crime. They are not being given the price which they need.......

हमारे देश में किसानों ने कुछ वर्षों पहले गेहूँ इतना पैदा किया था कि कोई गेहूँ कों खरीद नहीं रहा था और सरकार को गेहूँ की खरीद में इमदाद करनी पड़ी। मुझे याद है कि सी.डी. देशमुख, जो उस समय वित्त मंत्री थे ने जब फार्मर्स फोरम बना तो उसमें

कहा था कि किसान दो महीने गेहूँ रख लें तो रुपयों की नहर वहा दूंगा और उससे किसान को उचित कीमत मिल सकेगी। उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पिछले साल गेहूँ का भाव 105 रु. मुकर्रर हुआ। इस देश के किसी एक किसान ने भी 105 रुपये के भाव से अपना गेहूँ नहीं बेचा। पिछले साल उसको 120-125 रुपये फी क्विंटल मिला। कई प्रदेशों के किसान तो ऐसे खुशनसीब है कि उनको 250-300 रुपये फी क्विंटल मिला। हरियाणा में किसान को 120-125 रुपए फी क्विंटल मिला, जबकि दिल्ली में 250-300 रुपए क्विंटल तक गेहूँ बिक गया। आज आपने देखा कि खाद की कीमत दुगुनी हुई, बिजली की कीमत दुगुनी हुई, नहर का आबियाना बढ़ा। लेकिन, फिर भी हम चाहते हैं कि 105 रु. क्विंटल से ऊपर गेहूँ न जाये। इस नीति से खेती की तरक्की नहीं हो सकती। यही मैं वित्तमंत्री जी ने कहना चाहता हूँ।

उप-सभाध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि बड़ी-बड़ी मिलों से जो चीनी बने वह विदेशों में जाये, ताकि हम विदेशी मुद्रा हासिल कर सकें, जिससे देश की तरक्की हो। उसका इन्तजाम कैसे होगा? देश में कन्जम्शन के लिए चाहिए था कि हम खंडसारी की तरक्की करें। हमारे देश में खंडसारी की छोटी 60 हजार यूनिट्स हैं। उनके ऊपर पिछले साल जो टैक्स पड़ता था वह 10 रुपया फी क्विंटल के हिसाब से पड़ता था। इस साल के प्रपोजल के मुताबिक अब 49 रुपया फी क्विंटल टैक्स पड़ेगा। नतीजा यह है कि खंडसारी की यूनिट बन्द हो रही है। खंडसारी यूनिट बन्द होती हैं तो जो चीनी बाहर जाने वाली है, उसको लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। इससे चीनी की पैदावार भी कम होगी और विदेशी मुद्रा भी कम मिलेगी, सिर्फ इसलिए कि 5-10 करोड़ रुपया खंडसारी से वित्त मंत्रालय हासिल कर सके। इससे देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। हम कहते हैं कि खेती को बढ़ावा मिले। एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन है। उसमें जो लोग बैठकर सलाह देते हैं, वे तमाम तनखादार हैं। कितने तनखादार इतने ईमानदार हो सकते हैं जो महंगा अनाज खरीदें? वे तो सस्ता अनाज चाहेंगे, सस्ती कपास चाहेंगे, सस्ती चीनी खरीदना चाहेंगे। वह एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन नहीं, सेलरीड परसेन्स का कमीशन है।

एग्रीकल्चरल प्राइसेज का सही आयोग वह तभी हो सकता है जब वहां पर एग्रीकल्चरल इकोनोमिस्ट्स हों, इकोनामिस्ट वैसे नहीं कि जो सस्ती चीज चाहते हों। लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अभी तखमीना भेजा है। वह सरकारी विश्वविद्यालय है और उसमें किसानों का कोई दखल नहीं है। वहां के विशेषज्ञों ने हिसाब लगाया है कि पंजाब में जो कास्ट प्राइस गेहूँ पैदा करने के लिये किसान को पड़ती है वह 120

रुपया फी क्विंटल आती है। आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जितने साधन हैं, जितने सुलभ हैं, वह और कहीं नहीं है। बिजली के जितने पम्प वहां हैं, उतने शायद मद्रास को छोड़कर और किसी प्रान्त में नहीं हैं। दूसरे प्रदेशें में गेहूँ और अधिक महंगा ही पड़ेगा। लेकिन, हम चाहते हैं कि पिछली बार जो पैसा किसान को मिला है, उतना पैसा भी किसान को इस बार न मिले। अगर यह नीति एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन तय करता है तेा उसको हटा देना चाहिये। इस कमीशन में, जिनको खेती का तजुर्बा हो, उनको ही बैठना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन की सलाह हमको माननी चाहिए। एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन की बात हमको नहीं माननी चाहिए। वह तनख्वाहदारों के हित में चलता है। देश के हित में चलने से इन्कार करता है। इसीलिए, सरकार को उसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। सरकार को ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि कपास की खरीद के लिए जितना रुपया भी चाहिए, वह दिया जाये और कपास की खरीदारी हो। अगर रिजर्व बैंक इसके लिये पैसा नहीं देता तो वह खेती की तरक्की या पैदावार बढ़ाने की कोई नीति नहीं है। इस नीति से तो खेती की पैदावार घटेगी। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में विचार करें। मैं मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम उन्होंने अच्छी बात कहीं। लेकिन, उस बात को कार्य रूप देने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खेत की पैदावार की कीमत किसान को पूरी मिले और उस पैदावार की खरीद के लिये जितना रुपया भी चाहिए वह दिया जाये।

आज 104 सरकारी मिलें हैं, खादी संस्थाएं हैं, उनके लिए कपास खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अगर रिजर्व बैंक उनकी कपास खरीदने के लिए पैसा नहीं देना चाहता तो यह पैसा काहे के लिये रखना चाहता है ? क्या इसके लिए कि साहूकार और सेठ लोग सस्ती कपास खरीदें और उससे बाद में मुनाफा कमायें ? जो लोग ऐसी सलाह रिजर्व बैंकों को देते हैं उनकी उस सलाह को नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप देश में खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो जितनी पैदावार हो, उसको खरीदने के लिए आप तैयार रहें। उसके लिए आप पैसा दें, चाहे उसका खरीदार काटन कारपोरेशन हो या कोआपरेटिव सोसाइटीज हों या जैसा जिस स्टेट में सिस्टम हो उसके मुताबिक उसको पैसा दे। लेकिन, किसान को खेती की पैदावार के लिये जितनी आवश्यकता हो उतना पैसा आप उसको दें। तभी देश में खेती की पैदावार बढ़ेगी और तभी देश का आर्थिक ढांचा सही बन सकेगा।

राज्य सभा

सोमवार, 24 मार्च, 1975 ई.*

विनियोग विधेयक, 1975

श्री रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं इस वित्तीय बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसके साथ-साथ मैं यह जानता हूँ कि यह चालू वर्ष बहुत कठिन था, देश के लिए। इसके साथ-साथ, यह जानते हुए भी मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश में एक तो वे भाई हैं जो पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, गर्मी और सर्दी में काम करते हैं और उसके बाद अन्न, कपड़े के लिए कपास या दूसरी चीजें देश के लिए पैदा करते हैं और दूसरी तरफ वे भाई हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जिनको महंगाई भत्ता मिलता है, जिनको तनख्वाह मिलती है। हम देश के किसी भाई को भी भूख से नहीं मरने देंगे। मुझे खुशी है कि पिछले 27 वर्षों में किसी को भी भूख से नहीं मरने दिया गया इस देश में। जिस देश में आजादी से पहले हर पांचवें साल कहत के कारण हजारों-लाखों की जानें जाती थी।

उपसभाध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ यह मानना होगा कि इस साल में 500 करोड़ रुपये से अधिक का अनाज विदेशों से मंगाया गया ताकि किसी को तकलीफ न हो। तीन सौ करोड़ रुपये की सबसिडी, अनुदान दी (295 और 300 करोड़ में कोई फर्क नहीं है) ताकि सस्ता अनाज उनको दिया जा सके। महंगाई भत्ते के मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन, एक आंकड़ा मुझको याद है जबकि रेल मंत्री जी ने बतलाया था कि इस अकेले साल में तनख्वाह और दूसरी चीजों में रेल के मुलाजिमों के लिए 200 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। देश में हर गरीब आदमी, हर भाई, जो भी देशवासी है, उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए; लेकिन उसका कोई संतुलन होना चाहिए।

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 24th March, 1975, Page 123-132*

एक तरफ इस देश में उपभोगताओं के लिये अनाज के लिए सबसिडी 295 करोड़ रुपये दी है और दूसरी तरफ इस देश में जितनी नहरें हैं उन पर भी पैसा खर्च होता है। अभी गौरे साहब ने कहा कि बिजली सस्ती देनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ब्याज तक अदा नहीं कर सकता, पूरा खर्चा तक नहीं दे सकता, तो कैसे बिजली सस्ती हो सकती है? पानी सिंचाई के लिए जो प्रोजैक्ट बने हुए हैं, उन पर देश में डेढ़ सौ करोड़ रुपये का घाटा साल में पड़ता है, जब कि अमरीका में सिंचाई साधन बढ़ाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। रूस में तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। वहां तो ब्याज का कोई जिक्र ही नहीं है। मुझे याद है कि भाखड़ा के ऊपर डेढ़ सौ करोड़ रुपये का खर्च आया था। आज के भाव में अगर वह बनाना हो तो 500 करोड़ रुपये का बनेगा। आज भी आर्थिक विशेषज्ञ इसको घाटे का सौदा कहते हैं, बावजूद इसके कि हिन्दुस्तान का गेहूँ 60-70 फीसदी वहां से पैदा होता है, जो चावल है वह 60-70 फीसदी वहां से पैदा होता है। लेकिन, आर्थिक विशेषज्ञ तब भी उसको घाटे का सौदा बताते हैं।

गौरे जी, हमने सुना था कि ए.पी.सी. की गोली होती है। वह सिर दर्द की तकलीफ या दूसरी जगहों की तकलीफ को दूर के लिए इस्तेमाल होती है। एक (Agricultural Price Committee) (ए.पी.सी.) की गोली निकली है जो देश को तकलीफ पहुंचाती है और देश को बनाने वालों को तकलीफ पहुंचाती है। आप चाहते हैं कि हम उसकी प्रशंसा करें?

श्री एन.जी. गोरे : हम प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं हम डिस्कशन के लिए कह रहे हैं। I say, discuss it. That is your own version.

श्री रणबीर सिंह : जिनसे सस्ता अनाज दिलाते हैं, जिनसे सस्ती कपास दिलाते हैं उनको कपास खरीदने के लिए पैसा देने के लिए सरकार को सलाह नहीं देते हैं। सस्ता अनाज बिके, 105 रु. क्वींटल अनाज बिके, यह बात सब कहते हैं। लेकिन, किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। आज हमारे देश में हालत यह है कि जो गरीब आदमी है, जिनको कुलक के नाम से बदनाम किया जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 18 एकड़ या 12 एकड़ जमीन वाला आदमी क्या कुलक कहा जा सकता है? श्री गोरे ने इस बात पर आशंका प्रकट की है कि सारे मुख्यमंत्री जो गेहूँ पैदा करते हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। दूसरी तरफ यह हालत है कि ए.सी.पी. की गोलियों के लिए इधर के या उधर के सदस्यों ने उनकी निन्दा की है। यह भी कहा है कि हमें गेहूँ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा?

मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को आजाद हुए 27 वर्ष हो गये। हिन्दुस्तान में जो शासन चला, उसमें सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया है। उनकी बात मानी गई। रेल का पहिया जाम करने का सवाल हो या हवाई जहाज का चलाना बन्द करने का सवाल हो, या पांच हजार रुपये जिनकी तनख्वाह है, उनका सवाल हो, हमदर्दी हमारे विरोधी दलों की हमेशा 12 सौ या 17 सौ रुपये महीना तनख्वाह पाने वालों की तरफ ही रहती है। हमारे देश का किसान भाई जो गर्मियों के दिनों में खेतों में काम करता है, उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। गोरे जी, आप अगर दिसम्बर के महीने में जबकि ठंड हो, बर्फ जमी हुई हो और रात का समय हो, और आपको खेत को पानी देना पड़े, तो आपको किसान के परिश्रम का अनुमान हो जाएगा कि कितना खून–पसीना बहा कर वह काम करता है। ऐसे किसान के लिए यहां पर कुलक लोवी या व्हीट लोवी या गन्ना लोवी का नाम दिया जाता है।

दुनिया में, रूस को छोड़कर, जितने भी देश हैं और जिन देशों ने तरक्की की है, उनमें मध्यम वर्ग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। एक हमारा देश है, जहां उनका हित देश का हित माना जाता है। किसान का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, जितना रखा जाना चाहिए। मध्यम वर्ग के लिए शराब चाहिए और उनके लिए ही 105 रु. क्वींटल गेहूँ की कीमत चाहिए।

इस देश में, जो विदेशी कर्जा है वह सात हजार करोड़ रुपये है। यह सात हजार करोड़ रुपये विदेशों से अनाज मंगाने पर खर्च किये गये और काटन मंगाने पर खर्च किया गया। आज कहा जाता है कि देश में अनाज की पैदावार बढ़ाई जाये। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बार–बार निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के किसान ने इतना गेहूँ पैदा किया है कि देश में उसको खरीदने वाला कोई नहीं मिला। हिन्दुस्तान के किसान ने इतना कपास पैदा किया है कि बाहर से हमें कपास मंगाने की जरूरत कभी न पड़े। आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान के बैंक भी उसको खरीदने के लिये पैसा नहीं देते हैं। हिन्दुस्तान के किसान ने इतना गन्ना पैदा किया कि आज भी एक करोड़ रुपया गन्ना उत्पादकों को नहीं मिला है और बकाया है। मैं कहता हूँ कि क्या हमारे देश के लोग कभी इस बात पर विचार करेंगे कि किस तरह से गाँवों की हालत को सुधारा जाये?

यहां पर कहा जाता है कि 105 रुपये क्वींटल गेहूँ का दाम सही है। पहले तमाम विरोधी दलों की तरफ़ से कहा गया था कि 75 रु. या 75 रु. का दाम भी ज्यादा है। करनाल में जब हमारे विरोधी दल के नेता लोग गये तो कहने लगे कि इस भाव पर किसानों को लूटा जा रहा है। यह बात कब तक चलेगी? यह दोतरफा बात, दो

तरह की कहानियां कब तक चलेगी?

चाहे वह बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी भी की हो। लेकिन, अपना बाप भी पागल हो जाए तो उसे पागलखाने भेजना पड़ता है। किसी को भी इस बात की रियायत नहीं हो सकती है कि जिस बाप ने पैदा किया है, वह अपने बच्चों को कत्ल करने लगे। हम उन्हीं में से हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान को आजाद कराया। हमने भी देश की आजादी के लिए जेल काटी हैं। लेकिन, अगर कल हम इस देश को तबाह करने की तरफ ले जाने लगें, किसी को काम न करने दें, तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन्दिरा गाँधी का और मैं महसूस करता हूँ--मैंने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के साथ 15 साल तक रहकर देखा, त्यागी जी उस समय मंत्री होते थे, त्यागी जी अगर ऐसा आड़े वक्त होता जैसा आड़े वक्त से हम गुजरे हैं तो इस हिन्दुस्तान का कोई नेता काम नहीं चला सकता था। जिस वक्त आप मंत्री होते थे, किसी ने रेल का पहिया जाम करने की कोशिश नहीं की, किसी ने हवाई जहाज चलाना बंद नहीं किया... अगर करते थे तो उसके साथ किसी की हमदर्दी नहीं थी।

आज जो देश के काम को रोकना चाहते हैं, उनके साथ हमदर्दी है। जो ऐसे वक्त में देश को बना रहा है उनको कहते हैं कि इस देश का सत्यानाश कर दिया। सभाध्यक्ष जी, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ, जबसे प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनीं हैं, इस देश को बनाने की तरफ कितना कदम आगे बढ़ा है? कई बातें कही जाती हैं कि छोटे-छोटे कारखाने लगे, छोटी सिंचाई योजनाओं पर ज्यादा रुपया दिया जाए। जबसे प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी बनी है, बड़ी सिंचाई योजना के मुकाबले में छोटी सिंचाई योजनाओं के ऊपर ज्यादा खर्च हुआ है। जिस वक्त वे प्रधानमंत्री बनीं ही थीं तब हिन्दुस्तान में सिर्फ 75,000 गाँवों में बिजली थी। आज डेढ़ लाख से ज्यादा गाँवों में बिजली है। जब वे प्रधानमंत्री बनी थीं, कुल 10 लाख पम्पिंग सेट ऐसे थे, जो बिजली से चलते थे, आज 25 लाख से ज्यादा पम्प बिजली से चलते हैं।

हम बड़ी आर्थिक सिद्धांतों की बातें सुनते हैं। जितना ज्यादा जो भाई आर्थिक सिद्धान्त रखते हैं, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार जैसा इलाका जहां कुदरत ने इतने अच्छे साधन दिए हैं, जहां पर जयप्रकाश जी ने तमाम जगहों में ग्राम-दान दिलाया, तमाम बिहार में भूमिदान दिया गया। लेकिन, बिहार के एक गाँव की जमीन की समस्या को हल नहीं कर सके। वह जयप्रकाश जी जिनके नेतृत्व के तहत

आज तमाम विरोधी दल व पार्टियां इकट्ठी होती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जरा मेहरबानी करके एक ही बात कर दो--ये 25 भाई विरोधी दल के, इनको इक्ट्ठा बैठा दो। देश के लोगों ने तमाम को तो कांग्रेस के टिकट पर जिता कर लोकसभा में भेजा नहीं है। काफी सदस्य हैं, जो कांग्रेस के मेम्बरों को, उम्मीदवारों को हराकर आए हैं। उन हिन्दुस्तान के 50-60 सदस्यों को भी आप इक्ट्ठा नहीं कर सकते, पचास सदस्यों को भी इकट्ठा बैठा नहीं सकते, तो क्या इस देश का कल्याण करेंगे?

वह इस देश में स्ट्राइक कराएंगे, जिसके नतीजे के तौर पर ललित नारायण मिश्र, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा के गेहूँ को रेल से हिन्दुस्तान के कोने-कोने में पहुंचाया, ताकि कोई आदमी भूख से न मरे; जिसने हिन्दुस्तान के बहादुर लड़ाकु फौजियों के वास्ते अनाज पहुंचाया, हथियार पहुंचाया, उनका कत्ल हुआ। फिर, उसका उपहास करते हैं। इन्दिरा गाँधी आज हिन्दुस्तान को बनाने में लगी हैं। उसके बारे में त्यागी जी, मैं आंकड़े देना चाहता था। जो देश की तरक्की के लिए 65-66 में कर्जा दिया गया वह कुल 5379.57 करोड़ रुपया था। आज 1975-76 में जो कर्जा दिया गया है वह 15306.05 करोड़ रुपया है। इसी तरह से, अगर देखा जाये तो हमारे देश में जो सरकारी कंपनियां हैं उनके ऊपर जो पैसा लगा हुआ है वह 1965-66 में 1797.82 करोड़ था और इस साल के आखिरी तक वह 5605.21 करोड़ हो जाएगा।

यही नहीं, रेलों के ऊपर जो देश में 70 लाख रोज लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, अनाज ले जाती हैं, लोहा ले जाती है और दूसरी वस्तुएं ले जाती है या दूसरी किस्म की यातायात की जिम्मेदारियां पूरी करती है, जब वे 1966 में प्रधानमंत्री बनी थीं तो उसमें 2672.02 करोड़ रुपया लगा था। इस साल के आखरी में 4289.23 करोड़ रुपया लगा हुआ है। आज हम उस बहन को कोसते हैं, जिसने इस देश की आड़े वक्त रक्षा की थी, इस देश का नाम ऊंचा किया था, इस देश को हमलावरों से बचाया था और दुश्मनों के ऊपर जीत हासिल की थी।

जब पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल पर अत्याचार किये थे, तो वहां पर करीब एक करोड़ शरणार्थी हमारे देश में आ गये थे। उस समय हमारे विरोधी भाई यह कहते थे कि ये लोग वापस नहीं जायेंगे। जिस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी पाकिस्तान वापस नहीं गये, उसी तरह से ये लोग भी पूर्वी पाकिस्तान नहीं जायेंगे। लेकिन, हिन्दुस्तान ने अपने देश के लिए एक नया इतिहास बनाया। सारे शरणार्थी सम्मान के साथ अपने घरों को वापस चले गये। वह 1971 की बात है। आज हमारे देश में विरोधी भाईयों द्वारा एक नया वायुमंडल तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ताकि जिसने इस देश को बनाया है

उसको ही हटा दिया जाये। इन लोगों ने चुनाव द्वारा ताकत आजमा ली है और जब यह देख लिया है कि चुनाव के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है तो अब गोली से हटाने की बात करने लग गये हैं। हमारी नेता, अपनी चुनाव याचिका के लिए, जब अदालत के सामने गई तो वहां पर एक आदमी पिस्तोल लेकर जाता है, जिसके बारे में हमारे राजनारायण कहते हैं कि उसका बाप तो कांग्रेसी था। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये भी तो पहले कांग्रेसी ही थे। कांग्रेस के बाद ये पी.एस.पी. में गये और उसके बाद एस.एस.पी में गये। एस.एस.पी. के बाद बी.के.डी. में गये और अब ये बी.एल.डी. में चले गये हैं और कुछ समय के बाद किस पार्टी में जायेंगे यह तो भगवान ही जानता है।

मैं नहीं समझता हूँ कि चौधरी चरण सिंह यह चाहते होंगे कि हमारे देश में स्ट्राइक हो और बच्चे स्कूलों में न जायें। मैं नहीं समझता हूँ कि चौधरी चरण सिंह यह चाहते होंगे कि उनकी पार्टी के लोग इस तरह की कार्यवाही में शामिल हों। लेकिन, कुछ लोग हैं, जिनसे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि वह अपनी बुद्धि को देश की तरक्की के कामों में लगा सके।

मेरा कहना है कि ये लोग जब 51 सदस्यों को एक साथ नहीं बिठला सकते हैं, तो वे देश की तरक्की के लिए क्या काम कर सकेंगे ? त्यागी जी वहां पर बैठते थे जबकि वे कांग्रेस से चुने गये थे और उस समय विरोधी दल बना था। वहां पर कांग्रेस से चुने हुए कंग्रेसी श्री रामसुभग सिंह ने लोकसभा में विरोधी दल बनाया था। संविधान में विरोधी दल के बनाये जाने की व्यवस्था है। लेकिन, इन 26 सालों में उनका कोई भी नेता नहीं बन सका है। ये लोग केवल उपहास करने की बात जानते हैं। कोई देश की भलाई की बात करना नहीं जानते हैं। किसी मकान को बनाना एक बड़ा मुश्किल कार्य होता है, किसी कारखाने का चलाना भी एक मुश्किल कार्य होता है और रेलों का चलाना भी एक मुश्किल कार्य होता है, जबकि उसमें विरोधी दलों द्वारा हड़ताल कराई जाये।

इस तरह से इन्दिरा गाँधी ने इस सब मुश्किलात का मुकाबिला करते हुए देश को आगे बढ़ाया और बढ़ाते ही ले जा रही है। आज कुछ लोग मोनोपली हाऊसेज़ की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग बाहर तो नहीं जायेंगे, अपने देश में हैं और जिस दिन हम चाहेंगे उसी दिन यह मोनोपली खत्म हो जायेगी। इसलिए, आज हमें अपने देश को हर तरह से आगे बढ़ाना है। वित्तमंत्री जी जो बिल लाये हैं अगर उसमें सब बातें शामिल नहीं हैं, फिर भी हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसमें चीजों की कमी को दूर करने की भावना है। मैं मानता हूँ कि इस साल में हम कामयाब होंगे। इसीलिए, इनको घबड़ाहट है कि हम कामयाब न हो जायें। इनकी उल्टी कोशिशों के बावजूद हम कामयाब हो रहे हैं।

राज्य सभा

शुक्रवार, 2 मई, 1975 ई.*

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी केवल खाद्य निगम के मंत्री ही नहीं हैं, ये कृषि और सिंचाई के भी मंत्री हैं। वे खुद एक किसान भी हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसानों को खाद्य निगम से कोई शिकायत नहीं। लेकिन, मुझे डर है शायद माननीय मंत्री जी यह भूल गए कि खाद्य निगम से किसानों को कितना गिला है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि यह जो बहाने खाद्य निगम ने निकाले हैं कि उसमें जो है, वह तौल है, उसमें रेता है, तो क्या खाद्य निगम ने पंजाब और हरियाणा से पहले कभी गेहूँ नहीं खरीदा था? क्या यह सत्य नहीं है कि खाद्य निगम जिसको सरकार ने हज़ारों करोड़ रु. अनाज को खरीदने को दिया, उस शक्ति का नाजायेज फायदा उठाना चाहता है? और इसलिये दोनों सरकारों पर दबाव डाल रहा है, ताकि सेल्स टैक्स के लिये वहां की सरकार दबाव न डाले, पंजाब और हरियाणा की सरकारें सेल्स टैक्स लेने की बात न कहें? उसके लिये उन्होंने यह बहाना निकाला है कि गेहूँ में जो है, गेहूँ में रेता भी है और गेहूँ कम तौल में भी बोरी में आता है। क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञान नहीं है कि खाद्य निगम में जो बोरियां आती थी उनमें पत्थर भी भरे हुये निकले थे? पत्थर भरने वाले वे भाई कौन थे? आज उनको यह ज्ञान नहीं है कि वह हमारी तौल को क्योंकर कम बताते हैं। वह पत्थर पकड़ने का उन्हें खतरा हो गया लगता है। इसलिये, कहते हैं कि तौल में गेहूँ कुछ ज्यादा बढ़ जाये तो उससे वे नाजायेज फायदा उठा सकें।

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 2nd May, 1975, Page 131-136*

यही नहीं खाद्य मंत्री जी ने कहा है कि किसानों को उनके खिलाफ गिला नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ और उनकी जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूँ कि हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट में एक दावा दायर किया गया है और दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा के कोर्ट में एक और रिट पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरफ से दाखिल की गई है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ गेहूँ के मामले में भेदभाव किया जाता है। जो गेहूँ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के खेतों में पैदा होता है तो दिल्ली में जो गेहूँ पैदा होता है उसका भाव तो 180 रुपया क्विंटल है और वह 150 से 170 रुपया क्विन्टल तक बिक रहा है: वही गेहूँ जो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, वह मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की मंडियों में 140 रुपया क्विंटल बिक रहा है। वही गेहूँ पंजाब और हरियाणा की मंडियों में 105, 107 और 110 रुपया क्विन्टल बिक रहा है। इसके अलावा, वही गेहूँ बम्बई, मद्रास और दक्षिण के दूसरे शहरों में 150 रुपया और 175 रुपया क्विंटल बिक रहा है।

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो अधिकार उन्होंने पिछले मर्तबा व्यापारियों को दिया था, क्या उसी तरह का अधिकार वे हरियाणा और पंजाब की सरकार को देने के लिये क्यों तैयार नहीं हैं? पंजाब सरकार और हरियाणा की सरकार चाहती है कि वह गेहूँ को खरीद कर, आपको दे और उनके वही सहुलियतें प्राप्त हो जो पिछले मर्तबा व्यापारियों को सरकार ने दी थीं। आधा गेहूँ तो 105 रुपया क्विंटल के हिसाब से खाद्य निगम को दे दे और आधा गेहूँ वे दूसरे प्रान्तों को 150 रुपया क्विंटल के हिसाब से दूसरे प्रान्तों को भेज सकें। पिछले दफा किसी किसान ने अपना गेहूँ 125 रुपया क्विंटल से कम भाव पर नहीं बेचा था। आज आप उसको मजबूर करना चाहते हैं, जहां भी गेहूँ पैदा हुआ है वहां के किसान को आप मजबूर करना चाहते हैं कि वह अपना गेहूँ 105 रुपया क्विंटल के हिसाब से बेचे और उसको इससे ज्यादा दाम नहीं मिलें।

मैं यह बात जानता हूँ कि आप खाद्य निगम के चेयरमैन भी रह चुके हैं। यह जो किसानों के साथ साजिश की जा रही है, वह खाद्य निगम वालों को अच्छी तरह से मालूम है। 1968 में जब देश में गेहूँ की पैदावार खूब हुई थी, उस समय पंजाब में स्कूलों को बन्द करवा कर उनमें गेहूँ भरवा दिया गया था। आज भी पंजाब और हरियाणा में गेहूँ ज्यादा पैदा हुआ है और आपका खाद्य निगम पंजाब और हरियाणा के साथ गेहूँ की खरीद के मामले में खिलवाड़ कर रहा है।

हिन्दुस्तान का 700 करोड़ रुपया दूसरे देशों को साजिश करके देने की तैयारी की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो आपने नीति बनाई है कि हाईकोर्ट फैसला करेगा, तो क्या आप अपनी इस नीति से किसानों को बढ़ावा देना चाहते हैं कि वे भी अपनी बात का फैसला करवाने के लिये हाईकोर्ट में जाएं, उनको भी उनके गेहूँ का उतना ही पैसा दिया जाये जितना कि बम्बई में दिया जा रहा है या दूसरी जगहों पर दिया जा रहा है। जो अधिकार आपने पिछले दफा व्यापारियों को दिये थे, वही अधिकार उनकी सरकारों को भी हासिल हों ?

उनसे यह एक निवेदन करना चाहता हूँ कि, जैसा बतलाया कि उन्हें कोई गिला नहीं है। आपको भी इस बारे में तजुर्बा है और मुझे भी किसान होने के नाते तजुर्बा है कि खाद्य निगम के जो अधिकारी हैं वे किसानों के गेहूँ को स्टैन्डर्ड से नीचा बतलाकर उसको 75 रुपये क्विन्टल के हिसाब से खरीदते हैं। उसी गेहूँ को उनसे मिले हुए व्यापारी से 76 रुपया क्विंटल के हिसाब से खरीदते थे। आप इसके चेयरमैन रह चुके हैं और आपके पास इस तरह की शिकायत बहुत आई होंगी। जो शिकायत की गई है कि इसमें वजन कम होता है और जौ मिला होता है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां जौ को मिलाने का सवाल है, जौ के भाव गेहूँ के भावों से मंहगे हैं और कौन किसान इतना बेवकूफ होगाा जो सस्ते गेहूँ में महंगा जौ मिलावेगा और उसको फिर सस्ते भाव पर बेचेगा ? यह उसकी मजबूरी है कि गेहूँ के साथ कभी इस तरह के जौ के भी दाने शामिल हो जाते हैं। अगर वह इस तरह से साफ करने लगे तो उसको दो, तीन रुपया खर्च फी क्विंटल आ जाता है।

आपका जो खाद्य निगम है वह हिन्दुस्तान में इतना अनाज खरीदता है और उसे इसबात का इंतजाम करवाना चाहिये कि हर मंडी में, जहां गेहूँ खरीदा जाता है वहां पर, गेहूँ को सरकारी झरनों से साफ भी कराया जाये और वह गेहूँ साफ करवा कर ले। उसमें से जो जौ बच जाता है उसको ऊंचे भाव पर बेचा जा सकेगा। किसान उसको अलग नहीं कर सकता। आपके पास बड़ी मशीनरी है।

देश ने करोड़ों रुपया खाद्य निगम को दिया और इसलिए दिया कि वह किसान और अनाज का इस्तेमाल करने वाले, दोनों के हित में चले, इसलिये नहीं कि गेहूँ में पत्थर डाले, गेहूँ की तौल को कम बताये। गेहूँ में मिट्टी नहीं है, फिर भी मिट्टी बताते हैं। आप हमें बताएं कि खाद्य निगम पंजाब और हरियाणा की मंडियों में सफाई का इन्तजाम करने के लिए तैयार है या नहीं ? कहीं गेहूँ सड़ न जाये। बरसात आ रही

है। इस 15 करोड़ के झगड़े में हिन्दुस्तान को विदेश से फिर 700 करोड़ रुपए का अनाज लेना तो नहीं पड़ेगा? कहीं अदालत का फैसला हमें उस नतीजे पर न ले आए। इसलिए, मैं मांग करता हूँ कि आप अदालत के फैसले का इन्तजार न करके, आज ऐलान करिए कि पंजाब का जितना सेल्स टैक्स का बकाया है, वह दे दिया जायेगा। हरियाणा का जितना सेल्स टैक्स का बकाया है, वह दे दिया जायेगा।

जिस वक्त हिन्दुस्तान में बाहर का आया हुआ 250 रुपया क्विंटल गेहूँ बिक रहा था, उस वक्त भी आपके कानूनी सलाहकार थे और आज उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। इस 15 करोड़ के झगड़े में ही कानूनी सलाहकार आ गए हैं। आप इस कानूनी सलाहाकारों की फीस बन्द करिए और फैसला दीजिए।

श्री देवराज पाटिल : माननीय सदस्य ने जो कहा है किसान के नाते शाहनवाज खां उसे समझ रहे हैं। लेकिन, मंत्री के नाते उन्हें समझना चाहिए।

श्री शाहनवाज खां : मैं यह नहीं कहता कि फूड कारपोरेशन एक परफेक्ट आर्गेनाइजेशन है, जिसमें कोई खामी नहीं है। हर आर्गेनाइजेशन में त्रुटियां होती हैं। मेरे मोहतरिम दोस्त चौधरी रणबीर सिंह साहब ने 68-69 का जिक्र किया। उन्हें याद होगा कि जिस एक साल बहुत गेहूँ हुआ था और बारिश शुरू हो गई थी खलिहानों में गेहूँ भीग गया था, जब किसान वह गेहूँ लेकर मंडियों में जाता था तो उसको कहा जाता था कि 40 रुपये क्विंटल दे दो। उस वक्त फूड कारपोरेशन ने कहा था कि हम किसान के खादिम हैं। जब मंडियों में 40 रुपयए क्विंटल का भाव था, फूड कारपोरेशन ने 75 रुपए क्विंटल दिया था। वही फूड कारपोरेशन अब भी है। वह हमेशा किसानों की खिदमत के लिए तैयार है। अगर कोई खामी है तो हमें बताइए हम उन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करेंगे।

राज्य सभा

मंगलवार, 6 मई, 1975 ई.*

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री भूपेश गुप्त (पश्चिम बंगाल) : समर्थन करने के लिए आप बैठा भी तो हुआ था।

श्री रणबीर सिंह : अभी माननीय भूपेश गुप्त जी ने कहा कि समर्थन बैठे-बैठे भी हो सकता है। बात तो उनकी सही है। लेकिन, कभी समर्थन करने के लिए अपनी भावना भी प्रकट करनी पड़ती है।

मैं वित्त मंत्रालय और वित्तमंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूँ कि महंगाई का भूत जो व्हाइट-कालर्ड क्लास ने देश पर चढ़ाया था वह कुछ कम हुआ। लेकिन, कम करने की देश को क्या कीमत अदा करनी पड़ी है, यह सोचने की बात है। मैं अपने प्रदेश के बारे में जानता हूँ। हमारे प्रदेश में पानीपत में बिजली घर बनने जा रहा था। भाप का बिजली घर बनाने के लिए हमारे स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पंजाब नेशनल बैंक से कर्जा लेने की बात तय की और पंजाब नेशनल बैंक ने उसको 12 करोड़ रुपया कर्ज देना कबूल किया। उससे हमारे देश प्रदेश में इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बढ़ती और वह देश के हित में कितनी थी या उससे महंगाई दूर करने में हम कितनी

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 6th May, 1975, Page 165-171*

मदद दे सकते थे, इस बात का आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा कारखाना, साइकिल बनाने का है और उससे बड़ा कारखाना सेनीटरी वेयर्स का है। मोटरों के टायर और दूसरे टायर बनाने का भी सबसे बड़ा कारखाना हरियाणा में है। इसी तरह के और भी कई बड़े और छोटे कारखाने वहां हैं। कारखानों की इस पैदावार को हम कायम नहीं रख सके इसलिये कि बिजली हमारे पास नहीं थी। इसलिये, 60 प्रतिशत बिजली उनकी काटी गयी और उससे उनकी पैदावार घटी। यही नहीं, खेत की पैदावार में भी कमी हुई। लेकिन, वह पैसा न दिया जाये यह सलाह रिजर्व बैंक के विशेषज्ञों ने पंजाब नेशनल बैंक को दी। वह सलाह कितनी सही थी यह सोचने वाली बात है।

इसी तरह से उपसभापति जी आप जानते हैं और आप को भी तजुर्बा है कि हमारे देश में जितने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है वह सारे बोर्डस अपने कर्ज का ब्याज भी अदा नहीं कर सकते। जितना रुपया उनपर लगा हुआ है, उसका वह ब्याज भी अदा नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यह तरीका हिसाब-किताब रखने का सही नहीं है।

उसके साथ-साथ उसका एक और कारण भी है। जितनी ज्यादा बिजली बोर्ड खर्च करता है उसकी दर उतनी ही कम है। गरीब आदमी बिजली कम खर्च करता है। छोटे कारखाने वाले बिजली कम खर्च करते हैं, तो उनकी बिजली की दर अधिक है। जो आदमी 5 यूनिट तक बिजली खर्च करता है। उसकी दर कहीं 45 और कहीं 35 नया पैसा है। जो आदमी मकान को ठंडा करता है, पानी को गर्म करता है, बिजली से बर्तन साफ करता है और बिजली से खाना पकाता है उसकी दर उसके लिये 8 या 9 पैसा फी यूनिट है। कहा जाता है कि चूंकि बिजली देहातों को भेज दी गयी है, इसलिये स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता। कहने वाले वही लोग हैं जिनके हाथ में अख्तियार है। उन्हीं के हाथ में भाषा है, कायदा भी। इसके अलावा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से भी वही लोग बोलते हैं।

मुझे याद है पंजाब में जब सिंचाई व बिजली विभाग मेरे पास था तो एक बार प्रश्न उठा और उस वक्त मैंने देखा कि जो भाई 40 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे उनको बिजली 6 नया पैसा के हिसाब से दी जाती थी। जो 15 यूनिट तक इस्तेमाल करते थे उनके लिए 34 पैसे की दर थी। हमारे प्रदेश में यह सवाल पैदा हुआ कि आमदनी बढ़ाई जाए। उस समय के हमारे मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों थे। मैंने उनसे कहा कि यह आसानी से हो सकता है। उस पर जो हम पैसा लगायेंगे या लेंगे

उससे न खेती की पैदावार पर असर पड़ेगा, न इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। लेकिन, उससे असर होगा जो बड़े-बड़े भाई हैं। मैंने सुझाव दिया था कि जो भाई 6 पैसे की दर पर बिजली इस्तेमाल करते हैं उनकी दर बढ़ाई जाए। उनको छोटे आदमी के बराबर कर दिया जाए, चूंकि हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। समाजवाद तभी आ सकता है यदि हम जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उनकी सहायता करें। जो आर्थिक तौर पर शक्तिशाली हैं उनको कुछ नीचा करें। उस समय हमने एक दर की।

आज भी हमको याद है कि हमारे प्रदेश के उस समय के वित्त सचिव कैबिनेट में यह प्रश्न उठाते थे कि इससे मर जायेंगे। मैंने उनसे कहा कि कौन मर जाएगा? ये जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर असर पड़ेगा। मैंने देखा कि देहात में लोग 15 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली खर्च होती है 15 यूनिट से ज्यादा या 40 यूनिट से जयादा वह केवल 6 पैसे की दर देते थे और वह बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले थे। वह मंत्रालय के सचिव या कारखानेदार थे जो अपने मकानों को ठंडा या गर्म करते थे। तमाम प्रदेश के अखबारों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई।

हमें उसमें इतनी कामयाबी मिली कि 6 पैसे की बजाये 12 पैसे तक हम उसकी दर ले गये। जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का हम घाटा पूरा करते हैं उसका एक ही तरीका है कि जो भाई बिजली कम खर्च करते हैं उनकी दर कम हो और जो कूलर चलाते हैं, मकान को ठंडा या गर्म करते हैं उनके लिये दर ज्यादा हो। उस समय यह कहा जाता था कि ये बिजली खर्च नहीं होगी। जब हमने पंजाब में यह फैसला किया तो हम पर यह इल्जाम लगाया गया कि यह बिजली जो पैदा हो रही है उसकी खपत नहीं हो सकेगी, बिजली बची रहेगी।

लेकिन, आज तो देश में हमारे प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जितनी बिजली है उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा बचाकर खेती व कारखाने में खपाया जाए, वह देश के हित में है। यह हवाइट कालर्ड के हित में नहीं है। क्यों हिसाब-किताब इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का गड़बड़ है? उसका कारण यह है कि सरकार के मुलाजिम स्ट्राइक करते हैं। उनको मंहगाई भत्ता भी मिलता है।

उधर, विरोधी दल के भाई जो देहात से आते हैं या शहर से आते हैं, चाहे उनके भाई मुलाजिम हैं या नहीं हैं। लेकिन, तमाम उनकी बातों की मदद करने और समर्थन करते हैं। जैसे अभी भूपेश जी ने कहा कि तनख्वाह बढ़ाने के लिए समर्थन

और गेहूँ का भाव घटाने के लिए समर्थन करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो सस्ता अनाज खाना चाहते हैं, सस्ता आलू खाना चाहते हैं, सस्ती चीजें खाना चाहते हैं क्या वह इस ढ़ंग से चला सकते हैं ? जो पैदा करते हैं, उनका खर्चा पूरा न किया जाए तो फिर सस्ता मिल सकेगा ?

पिछले साल का हिसाब खाता देखें तो हमारे देश में विदेशों से ढ़ाई सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूँ बाहर से मंगाया गया और 700 करोड़ रुपये का गेहूँ खर्च किया गया। मैं मानता हूँ कि अनाज की कमी से लोगों को भूखे नहीं मरने दिया जाना चाहिए। लेकिन, प्रश्न यह है कि आया हम इतनी पैदावार बढ़ा सकते थे या नहीं ? मुझे याद है कि अभी कुछ पहले भाषणों में गोरे जी ने एक सवाल किया था अपने प्रदेश के बारे में कि डेढ़ सौ रुपया खर्च हो गया। लेकिन, पैदा कुछ नहीं हुआ।

अगर कोई भी हमारे देश में सेक्टर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फीसदी पैसा ठीक इस्तेमाल होता है तो वह खेती का सैक्टर है। अगर, आप माइनर ईरीगेशन के सैक्टर को देखें तो इसकी जानकारी श्री टी.एन. सिंह जी ने दी थी, जब वे एक कमेटी के सदर थे, शुरु में। उस वक्त भी देखा गया था कि कुओं के लिए जो पैसा दिया गया है उसका 85-90 फीसदी सही इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से आज भी अगर जानकारी ली जाए तो मैं मानता हूँ कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए जितना पैसा दिया गया है वह सही इस्तेमाल हुआ है। छोटी सिंचाई योजनाओं की तीन प्रदेशों में तरक्की हुई। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हुई है। आपके यहां भी कोई दो लाख के करीब पम्पिंग सैट्स लगे हैं। आन्ध्र प्रदेश में हरियाणा और पंजाब में। जब तमिलनाडु बना था तो मद्रास प्रदेश बंटा था। आपके प्रदेश आन्ध्र प्रदेश के भाई यह समझा करते थे कि मद्रास भूखा मरेगा। मद्रास आन्ध्र के कदमों में गिरेगा। जो कुछ वहां हुआ, वह सब आपने देखा। छोटी सिंचाई योजना की वजह से वे अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं। दूसरी तरफ, हमारा पंजाब प्रदेश है, हरियाणा है जिसका पानी, जमीन के नीचे बहुत स्थानों पर खारा है। वित्तमंत्री जी प्रदेश का पानी, जमीन के नीचे मीठा है। इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के प्रदेश में भी जमीन के नीचे पानी मीठा है। अगर 700 करोड़ रुपये के ट्यूबवेल वहां गाड़ देते और छोटी सिंचाई की योजना को बढ़ावा देते तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में कम से कम 2-4 साल के बाद अनाज का कभी घाटा नहीं रहता।

अभी आपने देखा कि कपास के भाव बाजार में गिरे। यहां तक गिरे कि

कपास के लिए सरकारी जो कौटन कारपोरेशन है उसको कपास खरीदने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये चाहिये थे। दिए गए सिर्फ 10 करोड़ रुपये। नतीजा यह हुआ कि जो साहूकार मिडलमैन थे, उसने कपास खरीदा। हालांकि 104 सरकारी कारखाने हैं और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए कपास चाहिए थी। वह भी सरकारी अदारा है, उसको भी सरकार ने, रिजर्व बैंक ने पैसा देना ठीक नहीं समझा। उन्होंने समझा कि यहां पैसे का प्रसार हो जाएगा। पैसे का प्रसार नहीं हुआ, बल्कि साहूकार की जेबों का प्रसार जरूर हो गया। वह भाई जिसने सस्ती कपास खरीदी थी, अब मंहगी बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। जो हमारे वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञ हैं वे देश को क्या इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? अभी हाल की बात है, आलू का भाव गिरा 18 रुपये क्विंटल तक। उत्तर प्रदेश के भाव रहे, और दूसरी तरफ गुजरात में लोग भूख से मरते रहे। फूड कारपोरेशन है जिसको 1 हजार करोड़ रुपया दिया गया, अगर वह 10 करोड़ रुपये के आलू खरीद कर गुजरात में भेजता तो गुजरात में भूखे लोग जो हैं उनको राहत मिलती। जो भाई आलू पैदा करते थे उनको मदद मिलती। लेकिन, वह नहीं किया।

उपसभाध्यक्ष जी, उसी तरह से आप जानते हैं कि सरसों के भाव गिरे। सरसों के तेल को वनस्पति के कारखाने इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह कहा गया। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कि सरसों के तेल से जो वनस्पति बनेगा कोई नुकसानदेह होगा, बल्कि इसलिए सस्ते भाव पर कुछ भाई तेल खा सकेंगे। इस प्रकार से जो भाई सरसों पैदा करते हैं, वे तो भूखो मर जायें। लेकिन, दूसरे लोगों को फायदा मिलता रहे, यह ठीक बात नहीं है। एक तरफ सरसों पैदा करने वालों को पूरी कीमत न मिले, और वह साढ़े तीन सौ रुपये के भाव गिर कर दो सौ रुपये क्विंटल तक जाए और दूसरी तरफ लोग वनस्पति घी भी न बना सकें तो यह बात समझ में नहीं आती कि यह किस प्रकार की योजना है, कौन-सी सोच या विचार है।

आज हमारे देश में इस प्रकार की हालत पेदा हो गई है। जो भाई खेतों में काम करते हैं या जो मजदूरी करते हैं उनको राशन की चीनी नहीं मिल सकती है और उनको राशन का सस्ता अनाज नहीं मिलता है। लेकिन, हमारे मंत्रालयों के जो सचिव हैं या जो बहुत बड़ी तनख्वाह लेते हैं, उनको राशन पर सस्ती चीनी मिलती है, राशन का सस्ता अनाज मिलता है।

यद्यपि, हमारे देश को आजाद हुये 27 साल हो गये। लेकिन, आज भी ऐसा

लगता है कि कुछ भाइयों को मत देने का अधिकार नहीं है। यद्यपि हमने उनको मत देने का अधिकार विधान में दिया हुआ है। हमने ग्रामीण मजदूर को मत देने का अधिकार दिया है। लेकिन, हम उसको सस्ता राशन नहीं देते हैं। एक किसान और मजदूर जो स्वयं खेतों में काम करते हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। लेकिन, उनसे देहात के आम आदमी को फायदा नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार की नीति कब तक चलेगी ?

आज अन्य लोगों की तरफ से तनख्वाह बढ़ाने की मांग की जाती है। बैंकों और एल.आई.सी. के चपरासी को भी छः सौ और सात सौ रुपये तनख्वाह मिलती है। यह ठीक है कि जो लोग सरकार का कामकाज करते हैं उनको रहन-सहन के लिये तनख्वाह मिलनी चाहिये। लेकिन, यह बात भी सही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिये।

मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि जिस चीज से हमारी जेबों पर असर पड़ता है उसका हम विरोध करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं और उनकी दर हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि वे सरकार को रुपया दे सकें। जब उन्होंने बिजली की दर को महंगा किया उनके लिये जो थोड़ी बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनको उचित पैसा नहीं मिल सका। अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले की दर बढ़ायी नहीं जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो भेदभाव की नीति है, इसको वित्त मंत्रालय जल्दी समाप्त करे।

मैं यह भी मानता हूँ कि पिछले 27 सालों में बहुत से काम हुए हैं। देहातों की भी उन्नति हुई है, किसानों की स्थिति भी बदली है और मजदूरों की स्थिति भी बदली है। लेकिन, जितनी तेजी से उन्नति होनी चाहिये उतनी नहीं हुई है। यह इसलिये कि हमारे नीति निर्धारित करने वाले भाई हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, वे अपने पेट के और जेबों के ही फे र में रहे हैं। इसलिए, वित्तीय अवस्था नहीं सुधरी है।

राज्य सभा

मंगलवार, 25 जुलाई, 1975 ई.*

विदेशी मुद्रा तस्करी और तस्करी रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपाध्यक्ष जी, अभी जब मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आपातकालीन स्थिति के हट जाने के बाद देश में पुरानी हालत पैदा हो जाएगी। मैं इस बात को मानता हूँ कि नजरबंदी से तस्करों का सही इलाज नहीं होता है। तस्कर तस्करी करते हैं अपनी जायेदाद बनाने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में राजाओं की रियासतें छीन ली गई हैं, जागीरदारों की जमीनें छीन ली गई हैं और जो खुद खेती करते हैं, 100 एकड़ में, 50 एकड़ में, जो बहुत बड़ी जमीन नहीं, क्योंकि कनाडा से मेरे पास एक पत्र आया है जिसमें लिखा है कि वहां पर साढ़े पांच सौ एकड़, दो हजार एकड़ के फार्म होते हैं। लेकिन, हमने अपने देश की आर्थिक हालत को देखते हुए यह कबूल किया है कि केवल साढ़े बारह एकड़ या अठारह एकड़ और अगर खुश्क भूमि है तो 54 एकड़ जमीन में खेती करने वाला भाई अपनी खेती कर सकता है। खेती करने वाले भाईयों ने इस देश की कितनी सेवा की है? अगर देखा जाये तो अनाज पैदा करने वालों ने खेती की पैदावार में, हर चीज में दुगनी पैदावार की है। लेकिन, जो भाई शहरों में रहते

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 25th July, 1975, Page 78-84*

हैं, उन्होंने क्या किया? किसी ने जायेदाद बनाई और किसी ने बच्चे पैदा किये। लेकिन, किसी ने मेहनत का काम नहीं किया। सब तस्करी करने वालों ने इस देश में बच्चे पैदा किये और इसका नतीजा यह हुआ कि जो खेत में पैदा करने वाला है...

एक माननीय सदस्य : बच्चों से क्या शिकायत है?

श्री रणबीर सिंह : बच्चों से तो कोई शिकायत नहीं है और एक ही शिकायत है कि जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, जो देश की आमदनी बढ़ाते हैं उसकी औसत आमदनी घट गई है, इन बच्चों के पैदा होने से। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो लोग तस्करी करते हैं और जो नजरबन्दी हैं, उनकी जायेदाद को जब्त किया जाना चाहिये।

मेरे भाई सदस्य ने अभी कहा कि जो तस्करी करते हैं, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। उनको इस बात का तजुर्बा होगा कि इस तरह के तस्करों के ऊपर जो मुकदमे चलाये गये थे उनमें कितने छूट गये थे। अभी मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं कि पहले कितने नजरबन्द थे और उसके बाद नजरबन्दी के कितने हुक्म निकाले गये और फिर छोड़ दिये गये। अगर, 500 के खिलाफ हुक्म थे तो 700 नहीं हुए। उन्होंने हिसाब दिया कि 700, 800 और 900 का। मैं कहना चाहता हूँ कि 1200 नहीं हुए। मैं इस समय नम्बरों के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने नाजायेज तरीके से जायेदाद बना ली है, इस आपात्कालीन स्थिति में उनकी जायेदादों को जब्त कर लिया जाना चाहिये। अगर वित्तमंत्री जी इस तरह का कदम उठायेंगे, तो सारा देश इस चीज का स्वागत करेगा। देश मानेगा कि आपात्कालीन स्थिति का सही इस्तेमाल किया गया है।

जैसा अभी जिक्र किया गया कि आपके महकमे में जितने आफिसर हैं, चाहे वे एक्साइज ड्यूटी से सम्बन्ध रखते हों, चाहे कस्टम ड्यूटी से सम्बन्ध रखने वाले हो या तस्करी से सम्बन्ध रखने वाले हों, अगर उन्होंने या उनके रिश्तेदारों ने अपनी आय से ज्यादा जायेदाद बना ली है, जो जायेदाद कायदे कानून के खिलाफ आती हो, उसको भी जब्त किया जाना चाहिये। इसलिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह के आफिसरों की तथा उनके रिश्तेदारों की जायेदाद को भी देखा जाना चाहिये। 100 में से 80 प्रतिशत आफिसर ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की जायेदाद आपके महकमें में रहते हुए बना ली है। इस तरह के जो आफिसर गैर-कानूनी जायेदाद बनाने के दोषी पाये जायें, उनकी जायेदादों को भी जब्द किया जाना चाहिए।

हम सीलिंग के मातहत दूसरे लोगों की जमीनों को ले रहे हैं। इसलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के साथ रियायत करना और कुछ लोगों के साथ सख्ती करना ठीक नहीं है। हमें सभी के साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए। इसलिए, मैं मानता हूँ कि जिन लोगों को इस बात के लिए दोषी पाया जाता है, जिन लोगों ने बड़े-बड़े महल खड़े कर दिये हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीकों से आमदनी बढ़ा ली है, रिश्वत ली है, उन सबकी जायेदादों को आपात्कालीन स्थिति में जब्त कर लिया जाना चाहिए। अगर, यह बात हुई तो देश आपके मंत्रालय की वाह-वाह करेगा।

अगर आज हमारे देश में देखा जाये तो बहुत ज्यादा नाजायेज रुपया कमाने का जरिया आपके महकमे से ही पैदा होता है। वह इंस्पेक्टीरेट हैं, वह आफिसर्स हैं। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि हमारे यहां के एक महंत हैं श्रेयोनाथ। उनके खिलाफ आयकर के अफसरों ने निकाला कि उनको 2 लाख रुपया इन्कम टैक्स का देना है। लेकिन, वह जीरो हो गया। हमारे प्रदेश का हर आदमी यकीन करता है कि वहां शायद मनों सोना होगा। लेकिन, कोई पूछने वाला नहीं। इन्कम टैक्स सारा माफ हो गया।

आज मुश्किल यह है कि गरीब के लिये तो सब कानून हैं। देहात में अगर कोई आदमी 50 रुपया चोरी कर ले तो, उसके साथ इस देश में सारी आजादी होते हुए भी क्या सलूक होता है, वह आप किसी पुलिस स्टेशन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन, जो पैसे वाले भाई हैं, जो नाजायेज पैसा कमाते हैं, जिन्होंने लाखों, करोड़ों रुपया बना लिया है, उनके साथ वहां क्या सलूक होता है, यह देखने की बात है। उनको अच्छे क्लास में रखा जाता है। उनको कोई थप्पड़ नहीं लगा सकता। उनको कोई तंग नहीं कर सकता। लेकिन, 50 रुपये चोरी करने वाले को तो थाने में पहुँचते ही चार थप्पड़ फौरन लगा दिये जाते हैं।

जिन्होंने इस देश के साथ अन्याय किया, इस देश को गरीबी की तरफ जाने के लिए मजबूर किया, उनके साथ आज सख्ती करने की आवश्यकता है। उतनी ही सख्ती करने की आवश्यकता है, जितनी कि देहात के 25 या 50 रुपये चोरी करने वाले के साथ होती है। जो लाखों रुपयों की रिश्वत लेते हैं, उनके साथ भी आपको उतनी ही सख्ती करनी चाहिए। अगर यह सख्ती हुई और आपके मंत्रालय ने यह काम किया, तो अच्छा होगा।

शहरों में जो बड़े-बड़े महल बने हुए हैं, उनमें से ज्यादातर ने या तो यह पैसा टैक्स से चोरी किया हुआ है या उन लोगों ने तस्करी की है। उनमें से मुश्किल से दस,

पांच फीसदी मकान ऐसे होंगे जो ईमानदारी के रुपये से बने हों। जिन भाईयों ने यह चोरी की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। आपने बाप दादों की जायेदादों को छीना है लेकिन, दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ अगर आप रियायत करते हैं तो उससे इस आपातकालीन स्थिति को लागू करने का पूरा फायदा इस देश को नहीं पहुंचेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात को छोड़ दें कि आपात्कालीन स्थिति समाप्त होने के बाद हमें संविधान में तब्दीली करने की आवश्यकता होगी या नहीं। अगर आप तस्करों की जायेदाद जब्त करने लगें, रिश्वतखोरों की जायेदाद को जब्त करें तो बहुत अच्छा होगा।

आपने आंकड़े दिये कि हमने ऐसे लोगों को पहले रिटायर कर दिया। यह क्या सजा है? जिस आदमी ने लाखों रुपये की रिश्वत ली हो, जो देश को तरक्की के रास्ते में रोड़ा बना, उसको आप कुछ पहले रिटायर कर दें, यह कोई सजा नहीं है। उसकी सजा तो अगर आप मुझसे पूछें तो यह है कि उसको बाजार में खड़े करके बेंत मारे जाने चाहिएं। यह उसकी ठीक सजा है। उसकी जायेदाद जब्त की जानी चाहिए, यह उसकी ठीक सजा है। तभी लोगों को पता चलेगा कि हम यह आपात्कालीन स्थिति किस लिये लाये हैं।

हममें से कुछ भाइयों को गिला है कि हमने इस आपात्कालीन स्थिति की घोषणा इसलिये की कि हमारे पास शक्ति रहे। लेकिन, वह लोग भी इस बात को मानेंगे कि यह स्थिति दरअसल किसी पार्टी, कुछ व्यक्तियों की शक्ति को कायम रखने के लिये नहीं लागू की गयी है, बल्कि यह देश की आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए, देश की आर्थिक बिमारियों का इलाज करने के लिए लागू की गयी है। मैं फिर दुबारा निवेदन करना चाहात हूँ कि ऐसे अफसरों को पेंशन पाने के पहले ही उनको रिटायर करके घर भेज देना, उनकी यह कोई सजा नहीं है।

इसको सजा के काबिल न समझिए। उनको तो एक दिन भी रहने का हक नहीं था। उनसे तो वसूल करना चाहिए कि जितनी नालायकी से उन्होंने काम किया, उनकी जायेदाद जब्त करके उनसे वसूल किया जाए, तो वह सजा है। दो साल पहले उसको रिटायर कर दें, यह कोई सजा है? जिसने बेईमारी करके लाखों रुपया लिया, उसको आपने रिटायर कर दिया। यह कोई सजा है? आपात्कालीन स्थिति में यह लोग इस सजा को सजा मानेंगे, यह सोचने की बात है। हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को सख्त सजा दें।

इसके साथ ही, हमारी सरकार को बहुत तेजी से कदम उठाने चाहिएं। खासतौर पर कम्युनिस्ट भाइयों और दूसरे भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि वह समाजवाद के लिए, साजवाद लाने के लिए देहातों में हवाई जहाजों से चलना चाहते हैं तो शहरों में समाजवाद लाने के लिए कीड़ी-रफ्तार से नहीं चलना चाहिए। अगर वह कीड़ी की रफ्तार से समाजवाद लाते हैं तो आगे आने वाले जमाने में उनका जीवन भी लोग शायद न छोड़ें। देहात में आप समाजवाद लायें। उनको गिला हो। लेकिन, शहरों में आप ईनाम रखें। उनको रियायत दें तो इस रियायत को देश की जनता कबूल नहीं करेगी। इसलिए, आर्थिक न्याय देने के लिए जितनी आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ गृह मंत्रालय की नहीं है। आपको जितनी शक्ति मिली है, यह गृह मंत्रालय को नहीं है। थानेदार तो केवल गिरफ्तार कर सकता है, आपको हक है जायेदाद जब्त करने का। जो लोग लाखों करोड़ों रुपया हेर-फे र करके इकट्ठा किये है, उसको वापस लेने का आपको अधिकार है। आप हौंसला करें। आपात्कालीन स्थिति का पूरा फायदा उठायें, ताकि देश आगे बढ़े और लोगों को विश्वास हो कि हमारी पार्टी के ऊपर और हमारी नीतियो ंपर, धन्यवाद।

Shri Pranab Mukherjee : I am grateful to the hon. Member for his forceful arguments, but unfortunately neither am I to bring socialism through this piece of legislation nor am I responsible for land ceiling and all these things. The only relevant point with which I am concerned is that he has mentioned particularly about some officers of Rohtak. I would like to have the details. If he can kindly give it to me. I would look into it. Regarding attachment of property or confiscation of property, I have already explained what steps we are going to take.

राज्य सभा

बुधवार, 30 जुलाई, 1975 ई.*

विनियोग विधेयक, 1975

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, मैं विनियोग विधेयक संख्या 3 और 4 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं विनियोग विधेयक के बारे में कुछ निवेदन करूं, कल भी भूपेश गुप्त जी ने गिला किया और प्रश्न उठाया कि मैं जो बोल रहा हूँ वह कोई छपने वाला नहीं है। आज भी कहा। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ आपकी मार्फत् कि सदन की कार्यवाही का एक-एक शब्द लिखा जाता है। मैं मानता हूँ कि उस लिखित कार्यवाही पर कार्यवाही भी होती है। यह भी कल उन्होंने कहा था कि हमको जयप्रकाश के बराबर किया जा रहा है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जयप्रकाश के बराबर आपको नहीं किया जा रहा है। आपको तो हमारे बराबर किया जा रहा है। पहले आपके जो भाषण थे, वह अखबारों में छपते थे। अगर कांग्रेस के सदस्य बोलते थे तो जिस तरह घोड़ों की (दौड़, रेस) होती है, उसमें वह एक घोड़ा भी दौड़ा, यह लिख दिया जाता है। उसी तरह की बात हमारे साथ होती थी। आज तो आप हमारे बराबर हुए। जयप्रकाश के बराबर होते तो आपको कहीं और जाना होता, आप सदन में नहीं बैठते। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह अखबारों में छपे, यह अखबार की आजादी जो है, वह कितने आदमियों के लिये है? वह देश की आजादी नहीं है। चन्द सैकड़े, या हजार

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 30th July, 1975, Page 43-54*

आदमी हैं, उनकी आजादी है। जो कहें वह रोडियो भी बोले, वह भी चन्द हजारों या सैंकड़ों की आज़ादी हो सकती है। यह जो देश की आजादी, हमने हासिल की है, करोड़ों आदमियों के लिए, जितने इस देश में बसते हैं, इन सबके लिए आजादी हासिल की है। जितनी आजादी सबकी है उतनी सदस्यों को रहे। इसीलिए, आपात्कालीन स्थिति में कुछ कार्यवाही की गई है। इसलिए की गई है कि कुछ समता का भाव आये कि जिस तरह से किसान खेती करता है, देश के लिए अनाज पैदा करता है, उसकी कोई कहानी नहीं छापता, उसकी कोई तकलीफ नहीं छापता।

परसों, मेरे एक साथी ने, खेत पैदावार का जिक्र करते हुए, जगदीशचन्द्र जी ने कहा कि उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं होने चाहिए। उनको ट्रैक्टर भी नहीं देने चाहिए। वह इस बात को भूल गये कि हिन्दुस्तान की सरकार ने सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन बनाया। हर प्रदेश का ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन बनाया गया। वह सारे ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन का काम इस देश में फै ला हुआ है। वह क्या चाहते हैं कि उनके पास ट्रैक्टर भी न हो और वह ट्रैक्टर किसी और के पास हो जो चला न सके, तो देश को भूखा मारने की साजिश है, क्या?

कल वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जापान में दो हैक्टेयर के किसानों के पास उन्होंने कार देखी है। यहां तो 8 करोड़ के करीब दो हैक्टेयर या उससे कम के किसान होंगे। हमने तो किसी के पास कार नहीं देखी। वह जिस देश का जिक्र कर रहे थे, उस देश के विशेषज्ञों को खेती सिखाने के लिए यहां लाया गया। वह भी देश को कुछ आगे नहीं बढ़ा सके। जापानी ढ़ंग की खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। लेकिन, वह वही की वहीं रह गई।

यह ठीक है कि खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छे बीज चाहिएं। यह भी सही है कि खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद जरूरी है। यह ठीक है कि जो विरोधी दल के सदस्य थे, उन्होंने देश की राजनीतिक आबहवा को खराब किया, जिसका असर आर्थिक स्थिति के ऊपर भी पड़ा। कहीं स्ट्राइक हुई। अनाज पैदा हुआ पंजाब और हरियाणा में, तो वह अनाज बम्बई न पहुंच सके और वह लोग भूख से मर जायें। भूख से मरते हुए देश की राजनीति को, इंतजाम को दरहम-बरहम करें, इसलिए रेल की स्ट्राइक का यहां पर काम शुरू हुआ। वह रेल की स्ट्राइक करते हुए एक बहुत बहादुर नेता की जान को लिया गया। श्री ललित नारायण मिश्र जी की कुरबानी हुई। उस कुरबानी से हमको सबक सीखना चाहिये। मैं मानता हूँ कि आपात्कालीन स्थिति में सुधार के लिए वित्तीय व्यवस्था है, वित्त मंत्रालय के काम

करने का जो तरीका है वह बदलना चाहिए।

कल वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि अगर बैंक वाले भाई जो करते हैं अगर वह देहात में भी जायें। मंझोले किसानों का उन्होंने जिक्र किया कि उसके बराबर वहां के चपरासी की तनख्वाह भी नहीं है, तो आप किसका सुधार करने जा रहे हैं? आप हौसला दिखाते हैं, आपके वित्त मंत्रालय में जो संस्थान है उनकी तनख्वाहों में कितना अन्तर है? जहां एक चपरासी बीमा निगम का हो या उस का चाहे कोई हेड क्लर्क हो या सुपरिन्टेंडेंट हो, उसको 1700 या 1800 रुपये तनख्वाह मिलती है जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नहीं मिलती है। अगर हम उनके काम को भी दुरुस्त नहीं कर सकेंगे, तो आपात्कालीन स्थिति में हम क्या कर सकेंगे? आज जो देश के संस्थान हैं, देश में जो सारे पब्लिक सैक्टर हैं और सरकार के दूसरे जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों में और देश के आम आदमी की तनख्वाह में कितना अन्तर है? उसको आज भी अगर हम दुरुस्त नहीं कर सकते, तो मैं मानता हूँ कि फिर कभी कोई समय नहीं आएगा, इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिये। वित्त मंत्रालय में तेजी आए और उसका तरीका काम करने का बदले, यह बहुत आवश्यक है।

उपसभापति जी, आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक हिन्दुस्तान के 60 करोड़ लोगों का रिजर्व बैंक है। लेकिन, हिन्दुस्तान के 36-45 करोड़ भाई जो खेती करते हैं या खेत में मजदूरी करते हैं या देहात में रहते हैं, उनको ऋण प्राप्त करने का हकदार ये नहीं समझते हैं। अभी पिछले दिनों स्टेट बैंक के जो हमारे बड़े अफसर हैं, उन्होंने भाषण दिया था हिस्सेदारी के बीच में, आप जरा उसको पढ़ें। उसकी भावनाओं को पढ़ें। जैसा हम ऐलान करते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं वह मेल नहीं खाता। आज जरूरत है इस बात की कि वित्त मंत्रालय में अनुशासन हो। वित्त मंत्रालय के अफसर यह मानें कि हिन्दुस्तान के 60 करोड़ भाई जो हैं ये, उनके बैंक्स या जो उनके संस्थान हैं, उनके हिस्सेदार हैं और उनका इनमें बराबर का हिस्सा है। आप जानते हैं कि हमारी स्थिति बिगड़ी है। जहां यह कुछ राजनीतिक तत्वों के बिना पर बिगड़ी, उसके साथ-साथ बिगड़ने का एक कारण यह भी था कि पिछले 2-3 सालों में खेती की पैदावार घटी और खेती की पैदावार घटने की वजह से देश में एक हवा फैली जिसमें राजनीतिक तत्वों ने लोगों को बरगलाना शुरू किया। क्योंकि, दुखिया की कोई कहानी आप कहें, उसके दु:ख को याद दिलायें तो वह समझ खो देता है। आप आज अगर देखें कि हमारे देश की क्या जरूरत है और क्या वित्तीय नीति उसके मुताबिक है? योजना आयोग जो है उसकी क्या सोच है। हम इनको देश की जरूरत

के मुताबिक नहीं पायेंगे।

आज हमारे देश में इतनी सीमेंट है कि उससे हिन्दुस्तान में डैम बन सकते हैं और डैम को बनाकर पानी रोका जा सकता है, जिससे खेती की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। लेकिन, आप जानते हैं कि डैम के लिये सीमेंट नहीं मिलता है। सीमेंट दुमंजिले, तीन मंजिले और छः मंजिले होटलों को बनाने के लिये मिलता है। शहरों में ऐशो-आराम की इमारतें बनाने के लिये मिलता है। डैम के लिये सरकारों को सीमेंट नहीं मिलता है। इस वित्तीय नीति को आप जरा गौर से देखें तो आप पायेंगे कि एक तरफ जो हमारे देश का इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वह सरकारी है। दूसरी तरफ बिजली के जैनरेटर पैदा करने वाले कारखाने भी सरकारी हैं। हरिद्वार में बिजली के जेनरेटर पैदा करने वाला कारखाना है या दूसरी जगहें कारखाने हैं, उनके सामान कोई नहीं खरीदते हैं। जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके पास पैसा नहीं है, जिससे वह उनको खरीद सके। रिजर्व बैंक ने पाबन्दी लगा रखी है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्जा नहीं मिले। इससे लगता है कि उनके मन में है कि बनिये के खाते में ब्याज पूरा नहीं आएगा। इसका क्या नतीजा निकलेगा? बिजली पैदा नहीं होगी। बिजली पैदा नहीं होगी तो आप अन्दाजा लगायें कि देश कहां जाएगा?

मुझे याद है जब भाखड़ा की योजना बनी थी। भाखड़ा की योजना की वजह से हमारे देश के प्रदेश उतना अनाज पैदा नहीं कर पा रहे हैं जितने की जरूरत है। दूसरे प्रदेशों में भी अनाज हरियाणा और पंजाब से भेजा जाता है। दूसरे प्रदेशों से जो अनाज इकट्ठा होता है, चाहे गेहूँ हो या चावल, वह हमारे प्रदेश के मुकाबले में 10, 15 फीसदी ही है। मैं बताना चाहूँगा कि वित्त मंत्रालय की सोच इस योजना की घाटे की योजना मानती है। भाखड़ा डैम की योजना भी इनके सूत्र के ऊपर नहीं आती है। उसके मुताबिक घाटे का सौदा है। मेरा कहना है कि आपको यह सोच बदलनी होगी। इस देश में 28 करोड़ रुपये के ट्यूबवैलों की बात इस विधेयक में भी आई है।

अगर हमने स्वाधीन होना है और प्रत्येक वर्ष हम जो ढ़ाई सौ करोड़ रुपयों से लेकर सात सौ करोड़ रुपयों का अनाज बाहर से मंगाते हैं, यदि ये ढ़ाई सौ करोड़ रुपये किसानों को टयूबवैल बनाने के लिए दे दिये जायें तो इससे खेती की पैदावार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जा सकती है। लेकिन, इस वक्त हमारे देश में यह स्थिति है कि ढ़ाई सौ करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रुप में विदेशों को देने में तो मंजूरी दे दी जाती है। लेकिन, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उप-सभापति जी, आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहेल हमारे कृषि मंत्रालय ने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों

और कृषि मंत्रियों को बुलाकर बातचीत की। उस बातचीत में हमारे प्रदेश की बात भी आई। कृषि मंत्रालय ने एक योजना निकाली कि गोबर गैस प्लान्ट ज्यादा से ज्यादा लगाए जायें। इसके लिए उन्होंने पांच हजार के आंकड़े हमारे प्रदेश के लिये दिये। लेकिन, हमारे प्रदेश ने पांच हजार के बजाये सात हजार लगा दिये। अब कृषि मंत्रालय के अफसर कहते हैं कि इसकी उनको सजा दी जानी चाहिए। इस काम के लिए जो 25 फीसदी का अनुदान मिलता है, वह नहीं मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की सोच हमारे कृषि व वित्त मंत्रालय में चलती है। क्या इस ढ़ंग से हमारे देश की समस्याएं हल हो सकती हैं? आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार के कामों में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ें।

उप-सभापति जी, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश और श्री कमलापति जी के प्रदेश के बीच से होकर यमुना नदी गुजरती है .... *(Interruptions)* जमुना का पानी हमारे प्रदेश के बीच में ढ़ाई सौ फुट ऊंचा चढ़ाया जाता है और उत्तर प्रदेश में 10 फुट भी नहीं चढ़ाया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए हमें अफसरों को बाहर के देशों में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान का जो कृषि मंत्रालय है या जो सिंचाई मंत्रालय है या दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार के विभाग हैं, उनको हरियाणा भेजा जाये। मुझे याद है, हमारे योजना आयोग वाले जो योजनाएं बनाते हैं उनमें घाटा भी होता है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा था जहां पर तीन साल तक कहत पड़ता रहा। वहां के लोगों के लिए बाहर से अनाज मंगाना पड़ा। वहां के लोगों की इमदाद के लिए अगर कोई योजना बनाई जाती तो उस योजना की आसानी से मंजूर नहीं किया जाता है। अगर कोई ऐसी योजना बनाई जाती है कि जिसमें लोगों से ब्याज न लिया जाये तो वह मंजूर नहीं होती है......... (time bell rings) उप-सभापति जी, उधर के लोग तो अभी पौन घंटे बोले हैं। हमारी पार्टी तो बहुत बड़ी है, हमको और ज्यादा वक्त मिलना चाहिए।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं या जो सिंचाई विभाग हैं, वे ब्याज का रुपया पूरा नहीं दे सकते हैं। अमेरिका में जो पैसा सिंचाई विभाग पर लगाया जाता है उस पर ब्याज नहीं लगाया जाता है। रूस में तो उसके लिए खाता भी नहीं होता है। आप जानते हैं कि वित्त मंत्रालय पहले नोट सोने का हिसाब रखकर छापता था और सोना सेक्योरिटी रूप में देखा जाता था। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में भाखड़ा डैम की भांति जो बड़े-बड़े डैम हैं, उनसे बड़ी सिक्योरिटी

और क्या हो सकती है? चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई प्रदेश हो, इसमें किसी का कोई झगड़ा नहीं है। रिजर्व बैंक जब कागज की सिक्योरिटी को रखकर के नोट छाप सकता है तो, हिन्दुस्तान की जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, जो बड़े-बड़े डैम बनाये गये हैं, कारखाने बनाये गये हैं, उनको ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता है? मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में जितने भी बड़े-बड़े डैम हैं, उनके नाम से नोट छापे जायें और उनके हिसाब के मुताबिक ही नोट छापे जायें। इसमें न तो ब्याज का झगड़ा है और न ही प्रदेश का झगड़ा है।

स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बिजली के सम्बन्ध में कानून है, वह केन्द्रीय कानून है। उस केन्द्रीय कानून के मुताबिक यह व्यवस्था है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो भी कर्जा दिया जायेगा, वह स्टेट की जमानत पर दिया जायेगा। प्रदेश की सरकार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से रुपया वापस नहीं ले सकती है। जो रुपया दिया गया है, वह वापस नहीं लिया जा सकता है। बल्कि, उसका ब्याज लिया जा सकता है। यह बात तो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के कानून के मुताबिक है। जो रुपया पानी पर लगाया जाता है और जो रुपया बिजली संस्थान बनाने पर लगाया जाता है, क्या उसको वापस लिया जा सकता है? आप जो लोहे के कारखाने देश में लगा रहे हैं और जो रुपया उसमें लगाया जा रहा है, क्या वह रुपया वापस लिया जा रहा है? हमारे देश में जो लोहे के कारखाने और बिजली के कारखाने बनाये जा रहे हैं, वे इस देश में बनाये जा रहे हैं। बिजली के संस्थान पाकिस्तान में नहीं बनाये जा रहे हैं। इस तरह से जो रुपया पानी और बिजली के संस्थानों के लिए दिया जाता है और जिनके द्वारा जनता की भलाई होती है, क्या वह रुपया वापस दिया जाना चाहिये? यह कौनसी नीति है और यह कौनसी समझ की नीति है? मैं मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है इस आपातकालीन समय में वित्त मंत्रालय को अपनी सोच अपनी नीति के संबंध में, तबदीली करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिये कि जो भाई खेती के काम करते हैं, जो इस देश की हालत को जानते हैं, जो जनता के दु:ख दर्द को समझते हैं, उन्हें ही सलाह के काम पर लगाया जाना चाहिये, क्योंकि वे ही सही नीति तय कर सकते हैं।

हमारे देश में जो कृषि में काम करता है, वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि पांच साल में तीन साल तो खेती की पैदावार से घाटा होता है। सिर्फ दो ही साल ऐसे होते हैं जिसमें किसान कुछ कमा सकता है। किसान को जो कर्जा दिया जाता है अगर वह 9 महीने में उसको वापस नहीं करता है तो वह डिफाल्टर हो

जायेगा। इसी तरह से जो विदेशी कर्जा है, अगर उस कर्जे को किसान प्रोग्राम के मुताबिक नहीं देता है तो वह डिफाल्टर हो जाता है। इस तरह की क्या हमारी कोई सोच है? आज इस तरह देश की हालत हो गई है। इस हालत को देखते हुए हम यह सोचते हैं कि क्या ऐसी हालत में हमारा देश तरक्की कर सकता है?

मैं इस बात को मानता हूँ कि वित्तमंत्री महोदय को प्रदेश की सरकार के मंत्री के तौर पर चलाने का मौका मिला है। श्री कमलापति त्रिपाठी जी को, मुख्यमंत्री रह कर प्रदेश की सरकार को चलाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे श्री रेड्डी साहब वित्त आयोग के प्रधान रह चुके हैं। आज वे गृह मंत्री है। उन्हें भी पहले मुख्यमंत्री रहने का अवसर प्राप्त हो चुका है। इसलिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्कता है। हमें ऐसी सोच करनी चाहिये जिससे देश आगे बढ़े, उन्नति करे और पीछे को न बढ़े।

हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12 करोड़ रुपये के बारे में एक समझौता हो गया था और पंजाब नेशनल बैंक ने इतना रुपया कर्ज के तौर पर देने का वादा कर लिया था। हरियाणा में बिजली की कमी की वजह से ट्यूबवैल्स को बिजली नहीं मिल पाई, कारखानों को 60–70 प्रतिशत बिजली की खपत पर कटौती लगानी पड़ी, क्योंकि बिजली की पैदावार कम थी। इस तरह से जिन कारखानों में माल तैयार होता था, जिस कारखानों में अल्यूमिनियम के तार बनते थे, उन कारखानों में बिजली की कमी की वजह से कटौती करनी पड़ी। बिजली की खपत बढ़ाने के लिए बैंक ने कर्ज देने की बात मान ली थी। लेकिन, रिजर्व बैंक ने सलाह दी कि हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्ज नहीं दिया जा सकता है। एक तरफ तो यह बात है और दूसरी तरफ जैनरेटर पड़े हुए हैं और उनको कोई उठा नहीं सकता है। श्री प्रणव मुखर्जी मुझे बतलायें कि क्या यह सोच ठीक है और कोई समझ की सोच है? आज सड़कों में काम बन्द पड़ा हुआ है, जबकि रोलर खड़े हैं। सड़क बनाने वाले आफिसरों को तनख्वाह मिलती है। सड़कों के किनारे रोड़ी, मिट्टी और ईंटें पड़ी हुई हैं। मिट्टी तो वर्षा की वजह से बह जाती है, रोड़ी लोग उठा ले जाते हैं और ईंटों की चोरी हो जाती है। लेकिन, मंजूरी न होने के कारण काम नहीं चल सकता। इस तरह की सोच, क्या कोई समझदारी की बात है? यह कोई योजना है? अगर यह योजना आपातकालीन वक्त में नहीं बदल सकती है, तो मैं यह समझूंगा कि इस देश का भविष्य अच्छा नहीं है। इसलिये, मैं मानता हूँ कि हमारे वित्त मंत्रालय की सोच बदलनी चाहिये, इस देश के हित के लिये।

आपने कर्जा लिया विदेशी मुद्रा में, ताकि खाद विदेशों से मंगाई जाये। हमारे देश में जो खाद की पैदावार है, उसकी कीमत 12 सौ रुपए टन पड़ती है। चूंकि विदेशी खाद आयेगी, इसलिये हमें उसकी कीमत 2400 या 2200 रुपया टन के हिसाब से देनी पड़े, यह कौन सी समझ की बात है। खाद के लिये जितना रुपया दिया उतने रुपये से अनाज कितना पैदा होता? 700 करोड़ रुपए की खाद आई, 600 करोड़ रुपए का अनाज बाहर से आया। अगर यही 1300 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को कर्ज दे देते, ताकि मीठा पानी निकाला जा सकता, लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता तो खर्चा उतना ही रहता और विदेशी मुद्रा कर्ज में भी नहीं पड़ती। आज कितना विदेशी कर्जा इस देश के ऊपर बकाया है? इस देश में कितना अनाज बाहर से आया है? अगर दोनों को देखें तो तकरीबन बराबर हो जाता है। बजाये बाहर से अनाज मंगाने के, इस देश के किसानों की लघु सिंचाई के लिये पैसा देते तो क्या घाटा रहता? वह तो मुनाफे की बात थी। लेकिन, यहां तो बड़े विशेषज्ञों की सोच है, आम आदमी की सोच वहां चलती नहीं है।

मेरे गाँव में स्टेट बैंक खुला। उसमें कितनी तनख्वाह दे दी, उसका हिसाब नहीं। लेकिन, जितनी तनख्वाह दी, उसका एक-चौथाई भी कर्ज नहीं दिया किसानों को। क्या यही बैंक की नीति है? क्या यही हमारे वित्त मंत्रालय की देश को बढ़ाने की नीति है? यह सोचने की बात है। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि साढ़े 12 एकड़ से कम जिसकी भूमि है उसको कर्जा नहीं दिया जा सकता। मैंने स्टेट बैंक वालों से मजाक किया कि जो आपकी नीति है उससे जो नीति निर्धारण करती है प्रधानमंत्री, उनके प्रदेश को कुछ कर्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो 1950 में ही हदबन्दी लागू कर दी गई थी कि साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के नाम नहीं हो सकती। अगर यही नीति रही तो किसी को कर्जा नहीं मिलेगा, ट्यूबवेल के लिये नहीं मिलेगा। यह कोई नीति है (Time bell rings) 15 मिनट और दे दीजिये।

श्री उपसभापति : आपका एक मिनट और रह गया।

श्री रणबीर सिंह : मेरे साथ क्यों अन्याय करते हो? जितना दूसरों को समय मिला उतना न सही।

श्री उपसभापति : इसके लिये जितना एलेटेड टाइम था...........

श्री रणबीर सिंह : उसके मुताबिक तो सेशन आज ही खत्म हो जाना

चाहिये था। उप-सभापति जी, मैं आपकी मार्फत् यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए यह बहुत जरूरी है कि खेती की पैदावार बढ़े और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि खेती के बारे में सोच सही हो। खेती के लिये जितने पैसे की जरूरत हो उसका इन्तजाम किया जाये। इस बारे में कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। जितना पैसा प्रदेश सरकारें खर्च कर सकती हों, उन्हें मिलना चाहिए। बैंकों को खुली छूट होनी चाहिए। सोचना यह चाहिए कि जो कर्जा मिला है उससे ट्यूबवैल बना है या नहीं। अगर ट्यूबवैल नहीं बनाता है तो उसको बेशक जेल भेज दें। उसकी कड़ी से कड़ी सजा दें। भले ही ब्याज बढ़ा दें। लेकिन, कर्ज मिले। एक आदमी के पास 5-6 एकड़ जमीन भी है तो उसमें ट्यूबवैल लग सके, ऐसा होना चाहिए। पहले जो जमीन की कीमत थी, ट्यूबवैल को मिलाकर उससे ज्यादा हो ही जाएगी। वह घाटे का सौदा नहीं हो सकता।

उप-सभापति जी, हमारे देश में जो वित्तीय नीति रही है उसके मुताबिक उन आदमियों को तो विश्वास के योग्य माना है जो लाखों लाख रुपया रखकर दिवालिया हो जाते हैं। लेकिन, दूसरी ओर वह आदमी विश्वास लायक नहीं है जिसके दादा ने कर्ज लिया और वह अब भी उसके ऊपर है, जब तक जमीन रहेगी कर्ज उसके ऊपर रहेगा। सोसायटी का लिया हुआ कर्ज उसके ऊपर रहेगा। यह नीति देश के लिये है या चन्द आदमियों के लिये है?

मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय एक समिति बनाये और उस समिति में बैंक वाले--उसमें वांचू-फांचू की जरूरत नहीं है, वांचू-फांचू तो इस देश को तबाह करेंगे। वे सिर्फ तनख्वाहदारों के बारे में सोच सकते हैं, इस देश के बारे में सोच नहीं सकते। किसान हो, खेतिहर, मजदूर हों और वह वित्त मंत्रालय को बनायें कि क्या सोच होनी चाहिए।

राज्य सभा

बुधवार, 30 जुलाई, 1975 ई.*

कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभापति जी, मैं कराधान संबंधी संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा देश अनपढ़ों का देश है। इसमें थोड़े लोग ही पढ़े लिखे हैं। ये जो हम रोजाना कराधान में तबदीली करते रहते हैं, उसके जाल में अनपढ़ आदमी ही ज्यादा फंसते हैं। पढ़े लिखे आदमी कम फंसते हैं। इस तरह के कानूनों में जो पेचीदगियां होती हैं, उसका नतीजा यह होता है कि जो साधारण आदमी होता है वह आपके जाल में फंस जाता है और जो बड़े-बड़े आदमी होते हैं वे आपके जाल से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति और पैसा होता है। आप जितनी भी कानूनों में पेचीदगी रखेंगे उनका इलाज क्या है? वित्तमंत्री जी ने लोकसभा में ठीक ही कहा था कि इस कानून से जो लोग बच निकलते थे, उन रास्तों को हम बन्द कर देना चाहते हैं। लेकिन, इन्सान की बुद्धि की कोई हद नहीं है। वह बुद्धि कोई नया लूपहोल निकालने में कामयाब होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं इससे भी ज्यादा कहता हूँ कि जितना आप कानून को पेचीदा बनाये जाते हैं उतना होशियार के लिए वह आसान बनता जाता है, साहूकार के लिए आसान बनता जाता है। अगर आप सरकार के आंकड़े पढ़ें कि जायेदाद, सम्पत्ति बढ़ती है किसकी? पता चलेगा कि टाटा की, बिड़ला की। लेकिन, सम्पत्ति कर लगता है सिर्फ कुछ सैकड़े। यह सम्पत्ति कर क्या

Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 30th July, 1975, Page 118-126

हुआ ? उसका नाम तो गरीबी कर रखें, तो ज्यादा अच्छा है। एक किसान के पास पांच एकड़ जमीन है, अगर इंसपेक्टर साहब नाराज होकर उसकी कीमत 30 हजार रुपया एकड़ लिख दें तो 5 एकड़ के ऊपर बहुत लगेगा। इस देश में खेती करने वाले आदमी अनपढ़ हैं। कानून की पेचीदगियों को नहीं समझते हैं। मैं समझता हूँ कि देश की तरक्की के लिए पैसा चाहिए। देश की तरक्की के लिए साधन चाहिएं। साधन जुटाने चाहिएं। लेकिन, साधन जुटाने का तरीका सीधा हो। समझ में आने वाला हो। पेचीदा न हो। जितना पेचीदा होगा उतना ही बेईमानी के लिए रास्ता खुलता है। खेत में काम करने वाले से पैसा लेना चाहते हों तो उसका सीधा तरीका है कि आप लैंड रेवरू बढ़ा दें, फी एकड़ शेयर को ज्यादा कर दें। वह अपने घर में तो कुछ रख नहीं सकता। हरियाणा में, पंजाब में एक-एक मन का हिसाब रखा जाता है मंडी में। कोई छिपा नहीं सकता। कोई ऐसा तरीका निकालें जो समझ में आए।

अभी बहन चूंडावत जी ने कहा कि बहनें जो काम करती हैं--उनका साल है-- उनकी आमदनी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। बात तो बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन, जब जमीन का सवाल आता है तो जमीन में काम करते वक्त पसीना आता है। टीका लगाने में पसीना नहीं आता। दूसरे के कागज लिखने में किसी को पसीना नहीं आता। गर्मी में, सर्दी में, बुरे हालात में काम करना होता है। उसकी आमदनी इकट्ठी हो। लेकिन, जो पढ़े लिखे हैं, डाक्टर हैं, वकील हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, आई.ए.एस. मियां-बीबी हैं, उनको आजादी रहनी चाहिए। आजादी से हमें खुशी है। लेकिन, एक हिस्से की आजादी को बन्द करो और दूसरे हिस्से की आजादी को खोलो, यह तरीका बहुत दिन चलने वाला नहीं है। यह ठीक है कि हमारे देश का अवाम पढ़ा-लिखा नहीं है। लेकिन, अपने मतलब की बात समझ लेता है।

जैसा मैंने कहा, हमारा कराधान का तरीका अजीब है। एक तरफ हम चाहते हैं कि जायेदाद के ऊपर हदबन्दी हो। दूसरी तरफ, इस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को एक भाई ने गोली से मारा, उस मकान को सरकार ने लिया। उस मकान की-- मैंने बहीखाता उसका नहीं देखा। लेकिन, मैं सोचता जरूर हूँ- कीमत आंकते हैं 56 लाख। पहले जब बना होगा तो 5-6 लाख में बना होगा। उसमें वे लोग आराम से रहे भी। उनको मुआवजा मिले 50-60 लाख और वे दावा भी दायर कर सकें, शायद 80 लाख हो, 1 करोड़ हो। मुआवजा देने में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन, एक बात मैं चाहता हूँ कि जो बड़े-बड़े भाई हैं उनको रकम नकदी की शक्ल में न दी जाये। उनको बांड्स दिए जायें। बांड्स भी यह कह कर दिए जायें कि बांड्स का पैसा तभी

मिल सकता है जब वे देहातों में जाकर छोटे-बड़े कारखाने लगायेंगे, ताकि देश के देहात आगे बढ़ सकें। आप जानते हैं कि देहातों में कारखाने ज्यादा बढ़ सकें, इसके लिए कर नीति में कुछ रियायतें भी दी जाती हैं। लेकिन, जो बड़े तजुर्बेकार हैं वह वहां कारखाना लगाना नहीं चाहते और नातजुर्बेकार वहां कारखाना लगायें तो घाटा खाते हैं। इसलिए, बावजूद इसके कि कई साल से हमने उनको रियायतें दीं कि जो देहातों में कारखाना लगावेगा उसको हम कर में छूट देंगे, देहातों में कोई भी कारखाना नहीं लगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कारखाना लगाने में माहिर हैं, जो कारखाने चलाना जानते हैं, उनको हम इजाजत नहीं देते। मैं समझता हूँ कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे बिरला और टाटा करोड़पति हो जायें। लेकिन, मुझे इसमें आपत्ति है कि वह शहरों में कारखाने लगा कर करोड़पति हों। हिन्दुस्तान, देहात का देश है, शहरों का नहीं है। शहरों में कारखाने बढ़े और जहां रोजाना लड़ाई हो कि उनकी मजदूरी 7 रुपये हो जाये, दस रुपये हो जायें और अगर हम 5 हजार रुपया महीना देते हैं, हवाई जहाज के चालक को तो भी वह कहता है कि वह हवाई जहाज नहीं चलायेगा और जो रेल का चालक है उसको 1700 रुपया तलख्वाह देने पर भी वह कहता है कि वह रेल नहीं चलायेगा और बीमा के चपरासी को 700 रुपया मासिक देते हैं तो भी वह कहता है कि वह काम नहीं करेगा और वह हड़ताल करता है तो उसे सारे विरोधी दल वाले समर्थन देते हैं तो, यह नहीं चलना चाहिए। आज क्लर्क को हजार और 1200 रुपया आप देते हैं उसके बाद भी वह काम नहीं करते तो, इस नीति में तबदीली करने की आवश्यकता है।

इसी वजह से बहुत सारी खराबियां आती जा रही हैं। जैसा आपने अभी कहा कि हमारी आमदनियों में जो फर्क है देश के आजाद होने के बाद वह घटा है या बढ़ा है इसको हम देखें। हमें याद करना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने कराची सेशन में कहा था कि कम से कम हर हिन्दुस्तानी की आमदनी 50 रुपया हो और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये हो। दस गुने से ज्यादा का अंतर उनमें न रहे। आज कितना अंतर है? मुझे खुशी है कि 8000 रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्स में छूट आपने दी है और उससे मैं भी फायदे में हूँ, क्योंकि अब खेती का हिसाब उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह गयी। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं *(Interruptions)* लेकिन, दूसरी तरफ उपसभापति जी, जो अनाज पैदा करता है उसको अगर घाटा होता है तो, यह ठीक नहीं है। एक एकड़ जमीन के मालिक को कहते हैं कि बड़ा खेतिहर है। आज बड़ा कौन रह गया? 18 एकड़ का तो आपने सबसे बड़ा बना रखा है। 18 एकड़ वाले की आमदनी क्या हो सकती है? एक एकड़ वाले, दो एकड़ वाले को तो उससे कोई

आमदनी नहीं होती है। उसको तो खेती में घाटा ही रहता है। उसके उपर भी टैक्स होगा। लैंड रेवेन्यू टैक्स है। लेंड रेवेन्यू रेंट नहीं है। वह जमाना चला गया। जमीन अगर सरकार की है तो, सरकार सबकी है। वह जमीन सबकी है। एक तरफ आप लैंड रेवेन्यू लगाते हों और दूसरी तरफ एक और दो एकड़ वाले को खेती में घाटा होता है तो भी उसको लैंड रेवेन्यू देना होता है, जबतक कि वह माफ न किया जाये। चाहे वहां कहत पड़ जाये, चाहे वहां ज्यादा पानी हो जाये या उसकी फसल तबाह हा जाये तो भी उसको लैंड रेवेन्यू देना होगा। बाप नहीं देता है तो, बेटे को देना होगा, जब तक कि उसके नाम वह जमीन चलेगी, वह देना जरूर पड़ेगा। लेकिन, दूसरे भाई जो लखपति हैं वह दीवाला निकालकर पैसा ले जाते हैं और उनको सबकुछ माफ हो जाता है। दूसरी जगह खोखा लगाकर वह फिर बैठ जाते हैं। उनकी आमदनी बरकरार रहती है। उससे वह कुछ वसूल नहीं कर सकते। उपसभापति जी, हमें कानून में तब्दीली करनी चाहिए। आज इसकी आवश्यकता है। तब्दीली क्या हो? यह नहीं कि जो कानून पहले था उससे वह कुछ और ज्यादा पेचीदा हो जाये। वह कानून हम चाहते हैं कि ऐसा हो जो समझदार व्यक्ति हो, मामूली समझ वाला भाई भी जिससे आप कर लेना चाहते हैं, वह समझ सके। जो ईमानदारी से देना चाहे, वह दे सके।

उप–सभापति जी, इस कर के मामले की एक मिसाल जो अपने साथ ही बीती है, वह मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं जब पंजाब में मंत्री था तो हमारी सरकार ने फैसला किया कि तनख्वाह हमको 1500 रुपया मिलती है, तो 1500 रुपया नहीं मिलेगा, हमको 800 रुपया महीना मिलेगा और 700 रुपया महीना सरकार में जमा होता रहेगा। टैक्स उस कम कटौती में से दिये जायें। इस तरह से जो कटौती हुई, वह 24 हजार रुपये की हुई। हमने समझा कि यह सरकार का काम है कि वह देखें कि जब हम 800 रुपये लेते हैं तो 700 से ज्यादा का टैक्स नहीं हो सकता। हमको उसका ख्याल था नहीं। खेती के अलावा कोई इनकम न थी। उसकी रिटर्न दाखिल नहीं हुई। जब मेरा केस आया तो हमने पूछा चीफ सेक्रेटरी से, उनको लिखा कि मेरा टैक्स कितना होता है, कितना पैसा कटा है। चीफ सेक्रेटरी, पंजाब ने कहा कि यह हमारे पास खाता नहीं है, ऐकाउटेंट जनरल के पास खाता है। ऐकाउटेंट जनरल ने कहा कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं आई। पूछो, सरकार के खजाने से हमको पैसा मिला। सरकार के खजाने का हिसाब ठीक नहीं रखता है, तो वह कहां का खाता रखता था। अगर उसको यह मालूम नहीं है कि हमको तनख्वाह कितनी मिली है तो उसके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं होता? मैंने रिटर्न दाखिल की। मेरे ऊपर जुर्माना हो, कोई गिला नहीं। लेकिन, उसने जो सुस्ती की, उसको सज़ा नहीं मिली।

जब मैंने वित्तमंत्री जी से बात की, आज की नहीं बहुत पहले की बात है। राज्यसभा में आने से पहले की बात है, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने मजाक में कहा कि यह कानून गृह मंत्रालय ने बनाया था तो गृहमंत्री और पंजाब सरकार टैक्स लेने के लिए तैयार नहीं और आप भी लेने के लिए तैयार नहीं। मेरे अपने टैक्स का मामला होता तो मैं आपके पास नहीं आता। कैसे इंतजाम यह चल सकता है? एक सीधा सा केस हो और मंत्री जो बड़े से उस महकमे का हो, जो गाइड करे, वह न समझ सके कि यह बात ठीक है कि गलत है, तो कैसे काम चल सकता है? वह फैक्ट्स की रिपोर्ट को मांगे, उसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। अगर फैक्ट्स की रिपोर्ट हो, फिर भी मंत्री फैसला न कर सके, ऐसा चलेगा तो इस आपातकालीन स्थिति का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनमें जितने फंसे वे हैं जो साधारण भाई हैं, जिनके पास आमदनी कम थी, जिनके पास साधन ज्यादा नहीं थे। जो बड़ी-बड़ी मछलियां हैं, वह तो हमारे कानून से बिलकुल साफ बच जाती हैं। छोटी-मोटी मछलियां फंसती हैं। उनकी जायेदाद काफी नहीं होती तो वह टैक्स वसूल नहीं होता। जिसकी जायेदाद है वह निकल जाते हैं।

सम्पत्ति कर की बात ऐसी है कि सम्पत्ति बढ़े बिड़ला की, टाटा की और कर हमसे लिया जाए। हम जाकर पैसा वकील को देंगे। सरकार को भी इससे फायदा नहीं, हमको भी इससे फायदा नहीं है। वकील को फायदा हो सकता है। कानून बनाने में वह लोग बड़े होशियार होते हैं कि उनका धन्धा चले। लेकिन, इस तरह परेशान करने से क्या फायदा है? मैं इतना ही वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपातकालीन स्थिति देश में जो लागू की गई है उससे काफी सुधार होगा, हो रहा है। पैसा, टैक्स भी ज्यादा वसूल होगा। एक चीज आपके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। यहां कोई इस बात से इंकार नहीं करता। हमारे विरोधी भाई भी इस बात को चाहते हैं कि आपके कानून में कोई खामी न हो, जिससे कोई टैक्स देने वाला बच निकले और साथ ही कोई इससे परेशान भी न हो। उसमें जो तबदीली करना चाहे, हम उसके लिए हां करने के लिए तैयार हैं। शर्मा जी भी तैयार हैं। आप इस कानून को लाइये। पुरी साहब ने ठीक कहा कि कितनी क्लाजेज इसमें हैं वह पहले बिल में क्या थीं, ऐक्ट में क्या हैं, सेलेक्ट कमेटी में क्या दिया है, इसको कौन जान सकता है? कोई बहुत बड़े से बड़ा आदमी, जिसको असर होता है, वह भी नहीं समझ सकता है। पहले तो बिल मिला ही नहीं। अगर शाम को मिल गया तो आज ही पास कर देंगे या कल पास कर देंगे। यह एक निशानी है तेजी से काम करने की। स्टेट में तो ऐसा होता था कि जब मैं असेम्बली में था तो ऐसा होता था कि हम रात को 12-12 बजे तक

बैठकर कानून पास करते थे। यहां पार्लियामैन्ट में आकर भी तेजी से काम करते हैं, यह खुशी की बात है। इसका पूरा फायदा उठाना है। कई दफा मंत्री जी कहते हैं कि यह कानून की बात है, हम मजबूर हैं। मैं कहता हूँ कि कानून कोई खुदा नहीं बनाता। कानून आप बनवाते हैं। आप महकमें से सलाह लेकर कानून बनाते हैं। इसलिए, यह बात नहीं रहनी चाहिए कि कानून में खामी थी, इसलिए, चोर निकल गया। चोर को निकलने न दीजिए। जो टैक्स का चोर है, जो तस्करी करता है, उसकी जायेदाद को जब्त किया जाये।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा बड़ा अफसर नहीं है जिसका बड़ा मकान न हो। ऐसे अफसर बहुत कम हैं जो किराये पर नहीं हैं। वे सरकार की कोठी में 10 फीसदी किराया दे कर रहते हैं कि अगर पार्लियामैन्ट का मैम्बर 10 फीसदी भी किराया देगा तो उसका 50 रुपये ही किराया बैठता है, क्योंकि तनख्वाह सिर्फ 500 रुपये होती है। कोई आदमी छोटे से छोटे कमरे में भी रहे या बी.पी. हाउस में भी रहे तो उसको 50 रुपये देने ही पड़ते हैं। कई बड़े अफसर हैं जो 10 फिसदी किराया देकर कितनी ही बड़ी कोठी में रहते हैं। उनको सिर्फ 250 या 350 रुपये ही किराया देना पड़ता है, जबकि उनकी अपनी घर की कोठी है, उसका किराया 5000 रुपये आ रहा है। एक तरफ तो इन बड़े अफसरों ने अपनी घर की कोठी किराये पर दी हुई है और जबर्दस्त किराया हासिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्वयं सरकार की आलिशान कोठियों में 250-350 रुपये किराया देकर रह रहे हैं। यह है इनकी हालत।

यह जो खराबियां हैं, इन खराबियों को आपको दूर करना है। जो कर की चोरी करते हैं, तस्करी करते हैं, उन सबको जेल में बंद करें। यह जो आपने 8000 रुपये तक की इनकम पर टैक्स की छूट दी है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ जो छोटा-मोटा 10 रुपये का, 20 रुपये का, 40-50 रुपये का यानी 100 रुपये तक का टैक्स देने वाला कर्मचारी रहे, टैक्स में राहत पा सकेगा। उनको आपने राहत देकर बहुत बड़ा काम किया है। मैं साथ ही यह कहना चाहता हूँ कि जो ख्वामखा के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको आप पकड़ें। जो इस प्रकार टैक्स की चोरी करते हैं, उनको जाल से निकलने न दें। जो तस्करी करते हैं, वे आपके जाल से बच न पाएं ऐसी आप व्यवस्था करें। यही मेरा कहना है।

राज्य सभा

शुक्रवार, 1 अगस्त, 1975 ई.*

कृषि वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : सभापति जी, मैं कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा अभी माननीय सदस्य, श्री पुरी जी ने कहा कि वह एक साधारण-सा विधेयक है। मंत्री जी ने भी बताया कि कुछ तो इसका संबंध नाम की तबदीली के सिलसिले में है और कुछ इसका पूंजी की उस राशि से है जिसमें वह 25 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की बात कही गई है।

सभापति जी, पूंजी का अगर हिसाब देखा जाये तो पता चलेगा कि रिजर्व बैंक जब बनाया गया था तो पांच करोड़ की पूंजी से शुरू किया था। आज रिजर्व बैंक हमारे देश के सब बैंकों का बैंक बन गया है। जब पांच करोड़ की पूंजी से शुरू करके रिजर्व बैंक इतना बड़ा बैंक बन सकता है तो, कोई कारण नहीं है यह पुनर्वित्त निगम भी दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के पीछे यह भावना है कि खेती के काम के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बिल के संबंध में विचार करते समय हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे देश में किसान की क्या स्थिति है और वह कहां तक पहूँचा है ? मैं यह मानता हूँ कि इन बातों का जिक्र इसमें आना जरूरी है।

पांचसाला योजना की जो किताब छपी है, उसमें कृषि की जरूरत का भी जिक्र है और कहा गया है कि उसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। लेकिन, इन तीन हजार करोड़ रुपयों में उस कर्जे का जिक्र नहीं किया गया जिसकी

निगम को जरूरत होगी। यह एक सोचने वाली बात है।

सभापति जी, यादव जी ने जो सरकारी ट्यूबवैल के बारे में जिक्र किया है। इस बारे में मैं उनसे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता हूँ क्योंकि, मुझको उनके प्रदेश का ज्ञान है कि कहीं कोई एक ट्यूबवैल 50 एकड़ भूमि सिंचित करता है और कहीं 20 एकड़ भूमि सिंचित करता है। उतना ही पानी निकालने वाला अगर प्राइवेट ट्यूबवैल हो तो वह ढ़ाई सौ और तीन सौ एकड़ भूमि भी सिंचित करता है। सरकारी महकमें में जितनी छोटी चीज़ होगी उसमें उतनी ही सुस्ती से काम हो सकता है। लेकिन, बड़े काम में वह खप जाती है, उनमें पता नहीं लगता टोटे या नफे का। जैसा पुरी साहब ने बताया कि कई दफा किस कीमत पर किसको अदा किया जाता है? सभापति जी, किसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उस के लिए नीति-निर्धारण करने वाले भाई वे हैं, जो तनख्वाहदार हैं। जो वेतन लेने वाले भाई हैं उनको एक ही नीति है कि अगर पहली तारीख को मिलने वाली तनख्वाह 5 तारीख तक न मिले तो वे आवाज लगाकर आसमान और जमीन एक कर सकते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं कि कृषि की हालत क्या है। कृषि मंत्रालय में जाकर आप पूछें, कृषि के विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट्स से पूछें उनको पता है कि 5 साल में एक साल ऐसा आता है जब हिन्दुस्तान का किसान खेती में कुछ बचा सकता है। कई भाई हैं जो कृषि को छोटे-बड़े किसान के चक्कर में फंसा करके देश में एक गलत भावना पैदा करते हैं। जहां तक रुपए पैसे का संबंध है, जितना छोटा किसान है उसको उतना ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है: जो रिपोर्ट करेगा, बजाये इसके कि यह लिखे, यह बताए, कि कितना करोड़ रुपए चाहिए, तो वह इस चक्कर में फंसता है कि ये जो बड़े काश्तकार हैं वे इतने करोड़ रुपये लेंगे और जो छोटे काश्तकार हैं उनको इतने फीसदी मिला जबकि वे इतने फीसदी हैं। वे इस चक्कर में नहीं है कि वे सारे देश के लिए हमें योजना बनानी है। हिन्दुस्तान के सारे किसानों के लिए, छोटे हों, बड़े हों, सबके लिए आर्थिक मदद चाहिए। आज बड़े किसान के मायने क्या हैं? 18 एकड़ सिंचित भूमि और 54 एकड़ बारानी भूमि-यह बड़ा किसान है। और ये जो टाटा साहब हैं, कितने छोटे हैं? टाटा साहब को कितना कर्जा मिला हुआ है? उसको भी क्या कभी देखा है? वह हजारों की गिनती में नहीं है।

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 1st August, 1975, Page 17-29*

श्री श्याम लाल यादव : अरबों की।

श्री रणबीर सिंह : अरबों की गिनती में है। बिड़ला की फर्म को कितना कर्जा मिला हुआ है? वे कहते हैं 3 फीसदी है वे जिनको बड़ा किसान मानते हैं, जैसे 3 फीसदी के मायने 3 हों। वे इस बात को भूल जाते हैं कि जिनको वे 3 फीसदी कहते हैं, अगर उनमें कहीं कोई बात हो जाए या ख्याल हो जाए, तो हिन्दुस्तान के काम को बंद कर सकते हैं।

सभापति जी, मैं यह जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के हलके में जहां खेती करने वाले जो 3 परसेन्ट की बात करते हैं उनमें बहुत सारे 90 फिसदी, 95 फीसदी एक तरह से सोचते थे।

उत्तर प्रदेश की पुलिस आई, हरियाणा की पुलिस आई और सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस आई। लेकिन चुनाव में गरीबों की पर्ची नहीं डलवा सकी। वह ऐसा समझते हैं कि कागज में लिख दिया, कागज में पूरा कर दिया, तो वह सब तरह से पूरा हो जायेगा। उन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि देश की समस्या कितनी बड़ी है, हिन्दुस्तान की समस्याएं कितनी पेचीदा हैं और उनको ज्यादा पेचीदा करने से कितना नुकसान होगा?

सभापति जी, हमारी प्रधानमंत्री जी ने देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन, जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिड़ला, उन्हें ही ज्यादा रुपया अभी भी बैंकों से प्राप्त हो रहा है। जो बैंकों का सात प्रतिशत रुपया छोटे लोगों को प्राप्त होता है, उनकी संख्या 34 फीसदी है। आज भी 60 प्रतिशत रुपया इन बैंकों का बड़े-बड़े कारखानेदारों के काम में लगा हुआ है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जिस समय हमारे देश में कपास की पैदावार कम होती है और अनाज की पैदावार कम होती है, तो उस समय हिन्दुस्तान की आंख आसमान की तरफ देखने लगती है। किसान तो हमेशा ही भगवान की तरफ देखता आया है, क्योंकि उसको पैसा भी नहीं मिलता है और जो पैसा मिलता है, वह महंगा मिलता है।

अभी बहुत से प्रदेशों में किसानों और दूसरे गरीब गाँव के मजदूरों के ऊपर जो कर्जा है, उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ताकि उनका जो कर्जा बहुत समय से चला आ रहा है, माफ हो जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का जो कर्जा किसान और गाँव के कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है।

मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूँ जिस प्रदेश में आज से नहीं, 19वीं और बीसवीं सदी से नहीं बल्कि 1898 में, जब अंग्रेजों का राज्य था, उस समय एक कानून बना था, जिसको लैंड एलिनियेशन ऐक्ट कहा जाता था, जिसके द्वारा कोई साहूकार या जमींदार किसान से कर्ज के लिए जमीन की कुर्की नहीं करवा सकता था। उसके बाद 1913 में कोआपरेटिव का महकमा बना जबकि हरियाणा और पंजाब का प्रान्त और वैस्ट पंजाब का हिस्सा सब एक साथ थे। इससे भी किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही पढ़े लिखे भाईयों ने कहा कि ये लोग एतबार के लायक नहीं है, कहा कि किसान एतबार के लायक नहीं है। जो पैसा इन्हें कर्ज के रूप में दिया जायेगा, वह पैसा वापस होगा या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो भी इन कोआपरेटिव बैंकों द्वारा कर्ज लेते थे, अगर वे समय पर रुपया नहीं दे पाते थे, तो उन्हें डिफाल्टर करार दिया जाता था और उन लोगों के ऊपर तरह-तरह की लायबिलिटीज लाद दी जाती थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने इन बैंकों से कर्जा लेना बन्द कर दिया। वे लोग साहूकारों से 23 प्रतिशत ब्याज पर रुपया लेना अच्छा समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब हमारे पास रुपया होगा तो चार पांच साल बाद अदा कर देंगे। अगर, किसान इन बैंकों का कर्जा छः महीने में नहीं चुकाता है, तो उसको डिफाल्टर मान लिया जाता है। इस तरह से कागज में उनके लिए सुविधा दिखलाई जाती है, । मगर, उन्हें फायदा कुछ नहीं होता है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब वह विदेशों से कर्ज लेती है और जब वह समय पर उसको चुका नहीं पाती है, तो क्या वह टाइम नहीं मांगती है और वर्ल्ड बैंक से मदद नहीं लेती है ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कैसी सोच है ? यह सोच इसलिए है कि जो हमारे खेती के कर्णधार हैं, उन्हें देश की खेती का ज्ञान नहीं है। देश में खेती में क्या नुकसान और फायदा होता है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं है।

सभापति जी, पुरी साहब ने ठीक कहा कि आज से पांच साल पहले जो ट्रैक्टर 29 हजार रुपये में मिलता था, वह 1 लाख 15 हजार रुपये का हो गया।

सभापति जी, मेरे पास एक पत्र आया। ट्रैक्टर के लिए मुझे टायरों की आवश्यकता थी। ट्रैक्टर के टायरों की बहुत कमी है। एक भाई ने दिल्ली से चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की प्रतिलिपि मैंने टी.ए. पै साहब को भेजी है। वह लिखता है कि दो टायर हम आपको 5 महीने में दिला सकते हैं, अगर 9 हजार रुपया दो ट्रैक्टर के लिए अदा करो। उसमें से 33 फीसदी हमारे पास जमा करो। जब आपातकालीन

स्थिति आई और 10 दिन पहले कीमतों की लिस्टें लगने लगी, तो दिल्ली के बाजार में मैंने पता किया। मेरे लड़के को उसने बताया कि उस टायर की कीमत 1572 रुपया है, जिस टायर की कीमत वह 4500 रुपया मांगता है। उसका पैसा देने के लिए हम तैयार थे। दिल्ली हमारा बाजार था। लेकिन, कन्ट्रोल बीच में आ गया। हमको परमिट मिले तो टायर मिल सकता था। परमिट देने वाले अफसर से मैंने बात की। वह डिप्टी कमिश्नर मुझसे कहने लगा कि हम परमिट उसी को दे सकते हैं, जो दिल्ली में डीजल का राशन कार्ड हो और ट्रैक्टर दिल्ली में रजिस्टर्ड हो। वह यू.पी. में था। वैस्टर्न यू.पी. के लिए दिल्ली पहले भी बाजार था। नीति-निर्धारण करने वाले तनख्वाहदार को यह नहीं देखना है कि इसमें क्या मुश्किल है। फिर, वह आदमी मेरे लड़के से कहने लगा कि मैं ब्लैक नहीं करता, अगर 1572 रुपया और 4 हजार रुपया और देने के लिए तैयार हो तो यह ट्रैक्टर का टायर आपके खेत पर अपने आप पहुंच जाएगा। पैसे यहां दे जाओ, टायर वहां पहुंच जाएगा।

हमसे अनाज सस्ता चाहते हैं। लेकिन, इस देश में जो सीट कम्पनी के टायर बनते हैं वह हमको मिल नहीं सकते। पार्लियामेंट का सदस्य हूँ और कांग्रेस पार्टी का बहुत चलता सदस्य हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे टायर नहीं मिल सकता है। मैंने टी.ए. पै जी से प्रार्थना की कि मुझे टायर दिला दो, नहीं तो अगली फसल के लिए बीज हम नहीं बो सकेंगे। हमारा ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि इन्तजाम करेंगे। कल उनके प्राइवेट सैक्रेटरी से भी बात की। उन्होंने भी कहा कि इन्तजाम करेंगे। आखिर में, मेरे पुत्र को बगैर टायर के जाना पड़ा। यह हमारे देश का इन्तजाम है। यह इन्तजाम इसलिए है कि हमारे नीति-निर्धारण करने वालों को खेती का ज्ञान नहीं है। मैंने ट्रैक्टर की बात सुनाई। ट्रैक्टर के टायर की बात सुनाई।

अभी थोड़ा सा बाजार सस्ता हुआ है। क्या है सस्ता ? हमारे देश में खाद जो 1200 रुपये टन पड़ती है, वह हमको 2000 रुपए टन खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि विदेशी खाद इन्होंने महंगी खरीद ली। विदेशी खाद को सस्ता बेचेंगे, तो इनको घाटा हो जाएगा। वह घाटा हमसे ही पूरा हो, बावजूद इसके कि यह देश आजाद हो गया, बावजूद इसके कि किसान को वोट का हक मिल गया, बावजूद इसके कि 75 फीसदी राय की शक्ति किसान के पास है। लेकिन, वेतन लेने वालों के लिए ढाई सौ करोड़ रुपया हर साल हमने सबसिडी दी है, अनाज को सस्ता खिलाने के लिए, जिसको वे खाकर खाद भी नहीं बनने देते और जिसको वे पानी में बहा देते हैं, रोज सवेरे। लेकिन, हमको कुएं लगाने के लिए भी ऋण नहीं दिया जाता। ऋण देने का अधिकारी नहीं मानते। आज स्टेट बैंक 5 एकड़ से कम वाले किसान को

अधिकारी नहीं समझती कि वह कर्जा ले सकता है। एक तरफ यह कहानी कही जाती है और बड़े किसान और छोटे किसान को लड़ाने की बात कही जाती है।

श्रीमन् जी, कहानी बाद में कहना। पहले उनके कान पकड़ो। वित्त मंत्रालय की बड़ी–बड़ी नीतियां हैं; लेकिन वित्त मंत्रालय अपने चपरासी की तनख्वाह को सही नहीं कर सकता। एल.आई.सी. के चपरासी की तनख्वाह को वह घटा नहीं सकता। कोई कानून का रोड़ा नहीं है। आज वह स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्टेट बैंक के भाई, जिनको केवल नोट गिनना होता है और जिन्होंने अपनी तनख्वाह सबसे ज्यादा करा ली है, आज उनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन, उसके लिए कोई बिल नहीं आया। ऐसे भाई जिन्होंने बुरे हालात में अपनी ज्यादा तनख्वाह करा ली, उसकी आप घटा सकें ऐसी कोई योजना वित्त मंत्रालय की तरफ से नहीं रखी गयी।

सभापति जी, यह एक प्रदेश की नहीं, सारे प्रदेशों की बात है। यह भाई जो तनख्वाहदार हैं, बड़े–बड़े विशेषज्ञ हैं, आर्थिक विज्ञान के बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि देहात में बिजली फैलाना घाटे का सौदा है। वह कहते हैं कि नहरों का पानी ऊंचा उठाकर खेतों में पहुंचाना घाटे का सौदा है। वह कभी नहीं सोचते अगर आपको यहां पानी और बिजली की जरूरत है तो वह भी भारत की जनता ही है जो देहात में रहती है। उनको भी इनकी जरूरत है।

इस सबका नतीजा क्या होता है? आज हमारे जिम्मे जितना विदेशी कर्जा है, जो लगभग सात हजार करोड़ के हैं, उतना ही अनाज बाहर से आया है। क्या हमारे देश में इतनी शक्ति नहीं थी कि इतने अनाज को हम अपने देश में पैदा कर सकते? कर सकते थे। मुझे याद है कि 1954 में इस देश के किसानों ने इतना गेहूँ पैदा किया था कि उसको उठाने वाला कोई नहीं था। इस देश में गन्ना पैदा करने वालों ने गन्ना इतना पैदा किया कि आज उनका पैसा बकाया है सौ करोड़ रुपया। उनको पैसा नहीं मिल सकता। उसके लिए जो कारखाने को देना है उस कारखाने के प्रोनोट पर किसान को बैंक कर्ज भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार मैंने पूछा श्री डी.पी. चट्टोपाध्याय जी से कि जब हमारे देश में कपास की ज्यादा पैदावार हुई, अगर हमें देश की सारी कपास खरीदनी पड़े तो उसके लिए कितने करोड़ रुपया चाहिए। उसके जवाब में श्री चट्टोपाध्याय जी ने इसी सदन में कहा था कि हमको उसके लिए एक हजार करोड़ रुपया चाहिए। किन्तु, वित्त मंत्रालय ने कितना रुपया देने का वायदा किया? केवल दस करोड़। दस करोड़ में भी असल में कितना दिया? केवल डेढ़ या दो करोड़। यह देश के किसान के साथ खिलवाड़ नहीं, खेती के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है?

इसी का नतीजा है कि यह इतना पुराना देश, जिसमें खेती दुनियां के इतिहास में

सबसे पहले शुरू हुई, आज वह मंगता बना हुआ है अनाज के लिये। कभी हम कपास के लिए मांगने जाते हैं और कभी अनाज के लिए मांगने जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि किसान को जितना पैसा चाहिए, वह उसको कर्ज़ के रुप में नहीं मिलता। एक एकड़ वाले किसान को स्टेट बैंक कर्ज देता हो तो प्रणव जी हमको बता दें। एक एकड़ जमीन के मालिक को स्टेट बैंक कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। उसको वह पात्र नहीं मानता। उसको वह ईमानदार नहीं मानता। खेती में कर्ज की हालत यह है कि दादा का लिया हुआ कर्ज पोता अदा करता है। इसीलिए, किसान बनिये से कर्ज लेना पसन्द करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह बनिया कभी उसके पास मांगने नहीं आयेगा, जबकि वह अदा नहीं कर सकता। जिस साल फसल अच्छी होगी, पांचवे साल उस साल बनिया उसके पास आयेगा कर्ज वापस लेने। इस विधेयक में हमारे वित्तमंत्री ने और हमारे वित्त मंत्रालय ने भावना दिखाई है और किसान की मदद के लिए उन्होंने पूंजी बढ़ाई है।

किसानों की मद के लिए यह योजना आपने बनाई कि यह रिफाइनेन्स कारपोरेशन ही नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट कारपोरेशन भी है। डेवलपमेंट की भावना दिखाई है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इसलिए, मैं इस सिलसिले में दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ।

अमरीका में जो नहर के ऊपर सरमाया लगाया जाता है उसके लिए ब्याज नहीं लिया जाता है। रूस में नहीं लिया जाता है। हम आज कौनसी दुनियां में चल रहे हैं? इंगलैण्ड में तो हम हैं नहीं। फिर कौनसी दुनिया में हैं? इसीलिए, इस देश में अनाज पैदा नहीं होता। अनाज सस्ता लो। तो हमको सामान भी सस्ता दो।

सभापति जी, मैं वित्त मंत्रालय की बात करता हूँ। यहां पर ट्रैक्टर पहले 29 हजार का था, अब वह 1 लाख में क्यों बिकने लगा? उसका एक कारण यह है कि पहले कस्टम ड्यूटी मॉफ थी। अब इन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी। ऐक्साइज ड्यूटी लगा दी। उसके अलावा कुछ मंहगाई हो गई। नतीजा यह हुआ कि 29 हजार का 1 लाख हो गया। कस्टम ड्यूटी के लिए इनका ऐलान नहीं आया। सैन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी किन पर ले हैं? कल ही थोड़ी सी 20 रुपया फी क्विंटल की रियायत का ऐलान आया है। मैं पूछता हूँ कि जब आप सामान सस्ता करना चाहते हैं, तो सरकार को पहल भी करनी चाहिए कि जो कृषि में सामान लगता है, वह सस्ता मिले। पहले भी सरकार के अफसरों को तनख्वाहें मिलती थीं, जब ट्रैक्टर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी। कस्टम ड्यूटी नहीं थी। आज कम से कम, यही ऐलान कर दें, अभी

नहीं तो सलाह करके कर दें कि 25 परसेंट से ज्यादा ऐक्साइज ड्यूटी, 25 परसेंट से ज्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। उस वक्त तो यह था कि जिसके रिश्तेदार बाहर हैं अगर वह ट्रैक्टर भेजना चाहें, फारन एक्सचेंज दे दें तो वह ट्रैक्टर भेज सकते हैं। अगर विदेश का ट्रैक्टर आपके काबिल नहीं है और आप समझते हैं कि हमारे देश में बन सकता है तो ट्रैक्टर जो लोग लेना चाहते हैं, मैसे-फर्गुसन ट्रैक्टर उनको नहीं मिलता है। ट्रैक्टर मिलता है तो वह जिसको बाजार में कोई पूछता नहीं है। जो ट्रैक्टर किसान को चाहिए, जो पानी की मशीन चाहिए, खेत के लिए औजार चाहिए, वह उसको मिलना चाहिए।

मैं मानता हूँ कि सरकार ने यह जो कारपोरेशन बनाया है यह प्रदेश सरकारों को भी कर्जा दे, नहरें बनाने के लिए। हमारे प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कैनाल बनाई जा रही है। उस योजना पर काम शुरू है। उसके लिए 29 करोड़ रुपया चाहिए। अगर वह हमको कर्जा दे दे तो हम दो साल में यमुना का वह पानी जो दिल्ली को डुबोता है, उत्तर प्रदेश को डुबोता है और आखिर में कलकत्ता को डुबोता है, उसको ढ़ाई सौ फुट ऊंचे चढ़ाकर लहलहाती फसल पैदा करेंगे। उसके लिए हमको पैसा दो। उसके लिए ब्याज का चक्कर छोड़ो। ब्याज का चक्कर वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता है। ब्याज के चक्कर से हटो। मैं कहता हूँ कि नहर के लिए जो रुपया दिया जाए, उसका कोई ब्याज न हो। वह वापस न लिया जाए। अगर कोई चोरी करे तो उसको गिरफ्तार करो। चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करो। मिनिस्टर को गिरफ्तार करो। चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार करो।

यह रुपया जो आप लोहे के कारखाने पर लगाते हैं, उसको वापस नहीं लेते हैं तो उसका दबाव हमारे ऊपर क्यों डालते हैं कि हम ब्याज भी दें और पैसा भी वापस करें? यह कार्य आप करते तो विदेशी कर्जा आज 7 हजार करोड़ का हमारे नाम न खड़ा होता। इस देश में अनाज पैदा होता और होगा अगर आप नीति बदलें। मै निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भावना इसमें है दो सौ करोड़ रुपया, 5 करोड़ या जो भी उसकी पूंजी है, उसकी मुझे फिक्र नहीं है। मैं तो एक ही मांग करता हूँ कि जितना इस देश के किसान को खेती की बढ़ोतरी के लिए पैसा चाहिए, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा मुद्दत के लिए चाहिए, चाहे मीडियम टर्म लोन चाहिए, पार्ट टर्म लोन चाहिए, लांग टर्म लोन चाहिए, उसको आप देने का वायदा करें। हर एक को जितना चाहिए, उतना मिले। उसमें कोई गलती करे तो उसको पकड़ें, उसको गलती न करने दें। इस देश का वह धंधा जो आप चाहते हैं वह आपका

भविष्य अच्छा बनायेगा और यह जैसे आपका हो रहा है कि विदेशों के अनाज का भाव महंगा और हमारी चीज का सस्ता, यह बहुत दिन रहने वाला नहीं है।

लोग भी अपने हिसाब से खेती करते हैं। किसान के पास भी रेडियो है। वह भी हिसाब लगाता है। वह आपकी योजना को अपनी योजना तभी समझेगा जब उसका फायदा हो। आप अपनी सारी योजनाओं को किसान के और खेती के हित में बनायें तभी देश आगे बढ़ेगा। तभी महंगाई जो कम हो गई है थोड़े से अर्से के बाद बढ़ नहीं पाएगी।

राज्य सभा

सोमवार, 4 अगस्त, 1975 ई.*

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर जो चर्चा शुरु हुई, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जबसे यह आयोग बना, तब से देश में विश्वविद्यालयों की तादाद बढ़ी। देश में महाविद्यालयों की भी तादाद बढ़ी और उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों की भी तादाद बढ़ी। लेकिन, मंत्री जी मैं यह कहूँगा कि जो शिक्षा उन्हें मिली, वह शिक्षा कैसी है?

जिन विश्वविद्यालयों को हम अनुदान दे रहे हैं वे हिन्दुस्तान में कैसे नौजवान पैदा कर रहे हैं? आया उनके जीवन में हिन्दुस्तान की सभ्यता का कोई नामोनिशान बाकी रह गया है या सब हिप्पी बन गए हैं। अनुशासन जैसी चीज, जो भारत की सभ्यता में थी वह बाकी रही है या नहीं? अगर अनुशासनहीन स्नातिका, स्नातक पैदा किए तो वह देश की सेवा सही नहीं कर पायेंगे। वे देश के हितों के खिलाफ जायेंगे। बेकारों की तादाद तो बढ़ी ही है। मुझे याद है कि आज बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्री बोले और पहले भी बोलते रहे हैं। आप जानते हैं कि हमेशा शिक्षा शास्त्री इस बात के ऊपर जोर देते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के इंतजाम में वह खुद मुख्तियार रहना चाहिए। विश्वविद्यालय के इंतजाम में सरकार की दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, वे यह भी मानते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में कोई कानून के खिलाफ बात हो तो भी

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 4th August, 1975, Page 97-103*

पुलिस हस्तक्षेप न करे। वह प्रवेश तब करे, जब वाइस–चांसलर उन्हें इस बात की इजाजत दें। लेकिन, उस वक्त तक पुलिस विश्वविद्यालय में नहीं आ सकती है। इस प्रकार की स्थिति हिन्दुस्तान में चल रही थी।

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान पुराने जमाने में एक ऐसा देश था, जहां पर शिक्षा का सबसे अधिक प्रसार था। पुराने जमाने में दरखत या वृक्ष के नीचे बैठकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस जमाने में हिन्दुस्तान की सभ्यता के मुताबिक स्नातक पैदा किए जाते थे। उन दिनों के विश्वविद्यालय भूखे लोगों को नहीं पैदा करते थे, अनुशासनहीन लोगों को नहीं पैदा करते थे। पुराने जमाने के शिक्षक विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाते थे। लेकिन, आज हमारे स्नातकों को अनुशासनहीनता सिखाई जा रही है। जो बच्चे जब तक कालेज या विश्वविद्यालय में नहीं जाते हैं तब तक अपने माता–पिता का हुक्म मानते हैं। लेकिन, जैसे ही बच्चे यहां विद्यालय, विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं वे अपने मां–बाप का हुक्म नहीं मानते हैं।

आज हम अपने विश्वविद्यालयों को लाखों करोड़ों रुपए अनुदान के रूप में देते हैं। हमारे अन्दर यह भावना चल गई है कि विश्वविद्यालय में किसी किस्म की दखल–अन्दाजी न की जाये। क्या यह सही विचार है ? अगर हम हिन्दुस्तान के पिछले 29–30 साल का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि यह भावना बिलकुल गलत है। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यही कारण है कि जिस तरह से हमारे देश के मुख्तलिफ हिस्सों में आपातकालीन स्थिति में तबदीली आ रही है, जिस तरह तेजी से उनमें कई मामलों में परिवर्तन आया है, उस तरह की तबदीली या परिवर्तन हमारी शिक्षा संस्थाओं में नहीं आया है। अभी सम्मानित सदस्य, गोस्वामी जी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में यूनियनें बनाई जाती हैं। इसी तरह की बात चौधरी साहब भी कह रहे थे कि विश्वविद्यालयों में अनेक किस्म की पार्टीबाजी चलती है।

हमारे देश में होना तो यह चाहिए था कि जो लड़के–लड़कियां विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जायें, वे किसी प्रकार की राजनीति में न पड़ें और सुयोग्य और लायक नागरिक बनें। लेकिन, वे लोग यूनियनों के झगड़ों में पड़ जाते हैं। आज हालत हमारे देश में यह हो गई है कि जिसने भी इसकी मुखालफत की, जिसने भी यूनियनों के बारे में खिलाफ बात कही, उसको इस देश में प्रोग्रेसिव नहीं माना गया। इस देश में प्रोग्रेसिव वही है जो स्टूडन्ट्स यूनियन की आवाज उठाता है, स्टूडेन्ट्स यूनियन की बात की ताईद करता है। आप दिल्ली की स्टूडेन्ट्स यूनियन की बात भी जानते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले जो उपकुलपति थे, वे मेरे गाँव के रहने वाले थे। मैंने एक दफा उनसे मजाक में कहा कि डाक्टर साहब आप तो पहले कहा करते थे कि राजनीतिक लोग ही विश्वविद्यालयों में झगड़ा खड़ा करते हैं। मुझे बताइये कि सन् 1966 के बाद हमारे विश्वविद्यालयों में जो कुछ हो रहा है और जो आपके शिक्षा शास्त्री हैं उनकी अक्ल के दिवालियेपन का क्या कारण है? उन्होंने कहा कि मैं अपने शिक्षकों से कहता हूँ कि जिस रोज उन्हें मां-बहन की गाली मिले, उस रोज वे भगवान् का शुक्र करें कि इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन, जिस रोज सिर पर जूते पड़ जायें तो उस रोज समझें कि आज कुछ-कुछ हुआ है।

यह उस हिन्दुस्तान की स्थिति है जहां पर गुरु की पूजा होती थी। पढ़ने के वक्त ही नहीं, पढ़ने के बाद भी जब वह बूढ़े हो जाते थे, तब तक भी गुरु के चरण छूते थे। आज विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में इतना पैसा दिया जा रहा है। लेकिन, हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्यार्थी बनाये जा रहे हैं जो शिक्षकों को जूता मारते हैं। इसलिए, मैं कहता हूँ कि हमारी जो आजकल की शिक्षा पद्धति है, वह सही शिक्षा-पद्धति नहीं है।

मैं आपको याददिहानी कराना चाहता हूँ कि 1966 में हिन्दुस्तान के बच्चों में किस तरह से अनुशासनहीनता आई थी? वह अनुशासनहीनता वकालत के इम्तिहान के झगड़े पर आई थी। यह बात दिल्ली से शुरू हुई। आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी केवल मैट्रिक पास थे। उन्होंने विलायत में बैरिस्टरी पढ़ी थी। उन्होंने तीन साल का कोर्स नहीं पढ़ा था। जैसा उन्होंने हिसाब लगाया कि 14 साल तो बी.ए. तक लग जाता है और इसके बाद तीन साल वकालत पढ़ने में लग जाते हैं। इस तरह से 17 साल के बाद एक लड़का वकील बनकर आता है। हमारे पूज्य नेता सरदार पटेल भी मैट्रिक तक पढ़े थे। उन्होंने भी बैरिस्टरी पास की थी। वे भी विलायत से ही पढ़कर आये थे। आजकल जो लड़के 17 साल तक पढ़ने के बाद, वकालत करते हैं, उनमें कुछ भी लियाकत नहीं होती है। वे लोग मां-बाप का इतना पैसा खर्च करते हैं, खाने-पीने में काफी पैसा उड़ाते हैं और स्कूलों से क्या सीख कर आते हैं? यह आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। किसी तरह की कोई अर्जी देनी आती है, न कोई पत्र लिखना आता है। जो वकालत पास करके आते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं आता है। यह कोई पढ़ाई का तरीका है? इस तरह का सिलसिला आजकल हमारे देश में चल रहा है। इन लड़कों ने तीन साल की पढ़ाई की बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। यह सिलसिला और विश्वविद्यालयों में भी शुरू हो गया। हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञ जो

सस्ती राजनीति में यकीन करते हैं, उन्होंने समझा कि यह हम लोगों को एक अच्छा साधन मिल गया है और इसी वजह से वे लोग यूनियनों में घुस गए। इस तरह से उन्होंने वहां जाकर राजनीति को बढ़ाया और हिन्दुस्तान की सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की।

मैं आज शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि इम्तहान का जो यह तरीका है, क्या यह सही तरीका है? दसवें दर्जे का बच्चा किताब देखकर इम्तहान नहीं दे सकता है। अगर किताब देखता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। जो डाक्टरी का इम्तहान देता है, वह किताब से नकल करता है। यह सोचने की बात है कि पैसा देकर डाक्टरी थीसिस लिखने वाला क्या डाक्टर हो सकता है?

हमारे देश में जो शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं, वे पुराने जमाने की सोच के चले आ रहे हैं। अब देश की शिक्षा की बागडोर उन शिक्षा शास्त्रियों के हाथों में सौंप देनी चाहिये जो देश को आगे ले जा सकते हैं और बदलते हुए जमाने के साथ देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो एक रामजस कालेज था जो पहाड़ी के पास था। दूसरा कश्मीरी गेट के पास हिन्दू व मिशन कालेज था। अब पता नहीं किस समझदार आदमी ने दिल्ली के सब कालेजों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज कालेजों में जाने के लिए लड़कों को बसों में जगह नहीं मिलती है। उन्हें काफी समय तक के लिए बसों का इन्तजार करना पड़ता है, जिसके कारण बसें जलाई जाती हैं।

हमारा देश गरीब है और मां-बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। एक जगह पर जब कालेजों के होने का नतीजा यह हो रहा है कि किसी ने कोई चिन्गारी फूंक दी तो सारा देश जल उठता है। इस तरह से जिस आदमी ने भी एक जगह पर कालेजों को रखने की सलाह दी है, वह गलत दी है। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस सारी चीज के सम्बन्ध में जांच होनी चाहिये। इसके बारे में पता लगाया जाना चाहिये कि किस समझदार शिक्षा शास्त्री ने सारे कालेजों को एक ही जगह पर रखने की सलाह दी है?

इसी तरह से जो हमारे सेक्रेटेरिएट का कम्पलेक्स है, उसको भी एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। किस समझदार आदमी ने इस तरह की सलाह दी कि सारे कम्पलेक्स को एक जगह पर रख दिया। यह तो देश को तबाह करने वाली सलाह है।

जब पांच बजे दफ्तर खत्म होता है तो सात बजे तक लोगों की बसों के लिये लाइन लगी रहती है। बसों की इन्तजार में लोग खड़े रहते हैं। अगर यह कम्पलेक्स जगह-जगह पर बना दिया जाता, तो सिर्फ डाकखाने का ही खर्च ज्यादा होता। सरकार का और जनता का खर्चा तो इतना नहीं होता। अगर इसके कुछ हिस्सों को रोहतक ले जायेा जाता तो उसमें किस तरह से सरकार को घाटा होता? किसी दूसरे को और जगह ले जायें। यहां एक फौज की छावनी खड़ी कर रखी है और उसका परिणाम है कि जब भी एक नारा दिया गया, सब एक जगह आ जाते हैं। आज वेतन पाने वालों का एक युग आ गया। चाहे वह बीमा कम्पनी के हों या किसी दूसरी जगह के हों, चाहे कहीं काम करते हों। जब तक यह आपात्कालीन स्थिति नहीं आयी थी, तब तक उनको पता नहीं लगा कि उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने इस देश की ईंट से ईंट भिड़ाने की कोशिश की है। यह एक समस्या थी जो हमारे सलाहकारों की वजह से खड़ी हुई। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे सलाहकारों की वह छुट्टी कर दें। देश की हालत को जो समझते हों ऐसे शिक्षा शास्त्रियों को वह साथ रखें। विश्वविद्यालय बनें तो शहरों में नहीं, जितने गाँव हैं उनमें विश्वविद्यालय बनें। गाँव-गाँव में विश्वविद्यालय बनें तो इसमें मुझे एतराज नहीं। लेकिन, वह दिल्ली और दूसरे शहरों में न बनें। जो इकट्ठा एक छावनी बनायी जाती है, इस ख्याल को हम छोड़ें। अनुदान का तरीका बदलें। जिस कालेज में हिप्पी बच्चों की ज्यादा तादाद हो, उसको कोई अनुदान न दिया जाये। जो अनुदान देने वाले हों, वह कालेज की बिल्डिंग देखकर अनुदान न दें, बल्कि यह देखें कि उस कालेज के बच्चे कैसे हैं। वह कालेज हिप्पी बच्चे तो नहीं बना रहा है? अगर कोई कालेज या स्कूल हिप्पी बच्चे बना रहा है, तो उसको अनुदान की फूटी कौड़ी नहीं देनी चाहिए। हमारा हिन्दुस्तान गलत रास्ते पर चला गया था, उसे छोड़कर जब हम सही रास्ते पर आयेंगे तभी हम देश को आगे ले जा सकेंगे।

राज्य सभा

मंगलवार, 5 अगस्त, 1975 ई.*

संसद (अयोग्यता निवारण) विधेयक, 1974

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभाध्यक्ष जी, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इस विधेयक का समर्थन करूं या मंत्री महोदया से निवेदन करूं कि यह विधेयक 1973 का विधेयक है और आज हम 1975 में बैठे हैं। तब से भारत में बहुत तबदीली आई। आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए सदन ने आपातकालीन स्थिति मंजूर की है। आर्थिक हालत कैसे ठीक होगी ? अगर यह अफसरों से ठीक होती, आई.ए.एस. और दूसरों से, तो अब तक ठीक हो जाती। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप उनसे क्या कराना चाहते हैं ?

उप-सभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री ने देश की नीति साफ शब्दों में बताई कि 20 नुक्ता प्रोग्राम कामयाब हो। वह कोई हवा से तो कामयाब हो नहीं सकता। खाली बोलने से कामयाब नहीं हो सकता। यह इस तरीके से कामयाब होगी कि देखें कोई काम करता है कि नहीं। उप-सभाध्यक्ष जी, जहां इसमें कुछ खराबियां हैं, वह तो मैं बाद में बताऊंगा, इसमें दिया है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेश का तो पार्लियामैंट का मैम्बर सदस्य बन सकता है जो हिन्दुस्तान भर के लिए है। लेकिन, असम का नहीं हो सकता। यह कौन सी समझ की बात है ? किसने यह आंकड़ा लिख दिया कि सारे हिन्दुस्तान का बन सकता है लेकिन, असम का नहीं बन सकता ? *(Interruptions)*

The Vice-Chairman (Shri V.B. Raju) : There was a Committee which did it.

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 5th August, 1975, Page 41-48*

श्री रणबीर सिंह : उप–सभाध्यक्ष जी, कमेटी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कमेटी जिन हालात में बैठी थी वह बदल गये। मंत्री महोदय को इस बिल में तब्दीली करनी चाहिए। वह मामूली सी बात है। उसमें लिखा है मैम्बर न बने। मैम्बर हटा दो, एक शब्द हटा दो 'मैम्बर' का काफी काम चल सकता है। मैं इस बात पर भी सहमत नहीं हूँ कि उनको चेयरमैन न बनाओ। हमारे देवराव पाटिल जी मैम्बर नहीं थे तो वह नेशनल सीड्स कारपोरेशन के चेयरमैन बनने के लायक थे। अब मैम्बर बन गये, तो ये ना–अहल हो गये। यह कोई समझ की बात है?

एक मिनिस्टर सारे हिन्दुस्तान का काम चला सकता है। लेकिन, मैम्बर हो जाए तो वह ना–अहल हो जाता है। यह कोई समझ नहीं है। आज के मुताबिक यह समझ नहीं है। यह भूमिका बदल गई। यह 1973 का बिल काहे को ले आई बहन, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि 1975 में आप चल रही हैं। आपातकालीन स्थिति में इस बिल को लाई हैं, तो आपातकालीन स्थिति का एक ही फायदा है कि जो आपने इसमें सेकिंड शैडूल रख दिया है, उसको हटा दें। उसमें एकाध चीज रखनी है तो वह रख दें।

उप–सभाध्यक्ष जी, क्या चीज है सैंकिंड शैडूल में? इसपर आप जरा गौर करें। नम्बर एक आइटम में एग्रिकल्चरल प्राइसेज कमीशन है। इन्होंने बताया कि हमने उन चीजों का मैम्बर बनने नहीं दिया है, जिसमें फाइनेन्शल कोई अख्तियार हो, जिसमें ऐक्जीक्यूटिव अख्तियार हो। कौन से अख्तियार एग्रिकल्चरल प्राइसेज कमीशन को है? क्योंकि, अगर कोई मैम्बर बनेगा तो वह किसानों की बात के खिलाफ नहीं जा सकते। देश के 75 फीसदी हैं उनके हित में लिखना होगा, बोलना होगा। अगर कोई उनके बाहर जाएगा, तो उसको नानी याद आ जाएगी। इसलिए, वह वहां मैम्बर नहीं बन सकता है। यहां तो तनख्वाहदारों का राज चलाना है, इसी सोच के ऊपर यह बिल बन रहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे सदस्य भी कई दफा गलत सोच–विचार में फंसे हुए होते हैं। उनके विचार भी मुखतलिफ होते हैं। आपके और मेरे विचार तो समान हो सकते हैं। सोचना हमें यह है कि हम किस हवा में पैदा हुए, किस हालात में पैदा हुये? हमको देहात का पूरा ज्ञान है। लेकिन, शहरों का ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता। हमको खेत मजदूरों की समस्याओं का ज्ञान हो सकता है। ऐसी ही दूसरी बातों का ज्ञान हो सकता है। लेकिन, हर ज्ञान, हर भाई को नहीं हो सकता। इसलिये, दोनों सदनों की समिति ने जो सिफारिश की है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह इस समय के लिये नहीं है। आपातकालीन स्थिति के पहले यह सिफारिश हो तो मैं मान सकता हूँ। मेरा कहना है कि अब भूमिका बदल गई है। इसको पहली वाली स्थिति में आने दीजिये। आपातस्थिति में इधर–उधर करना अच्छा नहीं है।

मैं इसके बारे में एक-दो सुझाव देना चाहता हूँ। पहला तो मेरा यह निवेदन है कि शैड्यूल एक और शैड्यूल दो में जो भिन्नता है वह नहीं होनी चाहिये। दूसरे मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में भूमिका कितनी बदली है। आज हमारे देश में जितने कारखाने हैं, उन सारे कारखानों में जो पूंजी लगी हुई है, वह 5 हजार 3 सौ करोड़ है। पांच हजार तीन सौ करोड़ की पूंजी में से जो सरकारी कारखानों की पूंजी है वह 3 हजार 2 सौ करोड़ के करीब है। आज वह हालत बदल गई। जब हमने संविधान बनाया था, संविधान बनाने वालों में मैं भी था, यह उस वक्त की देश की हालत को देखकर बनाया था। मैम्बर के ऊपर पाबन्दी जो हमने लगायी थी, सन् 1947 में, वह उस वक्त की सोच की बात थी। अगर वही सोच चलती रहे, तो समझ के बाहर की बात हो जायेगी।

मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आई.ए.एस. आफिसर से एक मैम्बर ज्यादा अच्छा है। मैं जब इरीगेशन मिनिस्टर था, चेयरमैन को हटा सकता था और रख भी सकता था। लेकिन, अब मैं यहां मैम्बर बनकर आ गया हूँ। तो क्या मैं पागल हो गया हूँ जो मुझे किसी बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता ? जो ज्ञान मेरे में पहले था, क्या मेरा वह ज्ञान कम हो गया है ? आप जानते हैं कि एक जमाना था जब लोग समझा करते थे कि कोई वजारत आएगी, जो मैम्बरों को खरीद कर राज चलायेगी। मेरा कहना है कि आज यह मैम्बरों की खरीद नहीं है। मैम्बरों को सरकारी योजनाओं को कार्यरूप लाने में लगाया जाए तो यह कोई खरीद नहीं है। हम यह मान सकते हैं कि अगर कोई मैम्बर रहता है, उस वक्त तक उसको 51 रुपये मिलें। मैं अपने प्रदेश की सरकार को जानता हूँ। वह बहुत समझदार है। हमारे यहां यह नहीं है कि जब डिस्क्वालिफिकेशन हटाते हैं, तो उस वक्त यह नहीं कहा जाता कि मैम्बर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। एक आदमी जो होल टाइम काम करता है, तो उसकी तनख्वाह क्यों नहीं मिलेगी ? यह कहां की सोच है कि एक मिनिस्टर बनकर तनख्वाह पा सकता है, तो मैम्बर चेयरमैन बने तो मैम्बर की तनख्वाह क्यों न मिले ? यह कहां की सोच है ? आज बदलने का वक्त आ गया है। हमारे दोनों सदनों की समितियों ने और क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, यह मैं अब नहीं कह सकता, क्योंकि भूमिका बदली हुई हैं। आज की हालत को देखते हुए यह सोच भी ठीक नहीं है। दिल्ली में या हरियाणा में अगर कोई भाई किसी समिति का प्रधान बन जाता है या हौल टाइम काम करने लग जाता है, तो इसमें कौन-सी गलती हो गई ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, कि कोई भी मैम्बर जो संसद् या विधानसभाओं का सदस्य है, इन संस्थाओं में काम नहीं कर सकता है। इन संस्थाओं का मैम्बर भी नहीं बन सकता है।

असल में आज जरूरत इस बात की है कि हर मैम्बर को काम दिया जाये। मैं इस बात को भी देखता हूँ कि आज एक वजीर को जितनी तनख्वाह दी जाती है उससे ज्यादा तनख्वाह तो एल.आई.सी. के क्लर्क को नहीं। लेकिन, सुपरिन्टेन्डेंट को अवश्य मिलती है। ऐसी हालत में, मैं जानना चाहता हूँ कि आज हमारे मंत्रालय में यह किस तरह की सोच चल रही है। आप खाली बैठे एक मैम्बर को एक हजार रुपये माहवार तनख्वाह देते जायें, क्या यह देश की भलाई की सोच है?

अभी बाहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरुआ से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जब वे बिहार के गवर्नर थे तो उस वक्त बिहार में एक लोहे का प्लान्ट लग रहा था। चूंकि, वे संसद् के भी सदस्य रहे थे, इसलिए वे जानते थे कि जनता की दिक्कतें क्या होती हैं। उन्होंने उस प्लान्ट में बिहार के आदिवासी क्षेत्रों के 12सौ आदमियों को नौकरी दिलवाई। हमारे पानीपत में भारत सरकार का एक खाद का कारखाना बन रहा है। जमीन पानीपत के लोगों की है। लेकिन, वहां पर नौकरी करने के लिए आएंगे बिहार के लोग, मद्रास के लोग और बंगाल के लोग। वहां पर पानीपत के लोगों को चपरासी के पद पर भी नहीं रखा जाएगा।

इस प्रकार के काम इसलिए होते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों का जिन कामों में सहयोग नही लिया जाता है, वहां पर जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। मैं यह जानना चाहूँगा कि जिन संस्थाओं में संसद् के सदस्य मैम्बर नहीं रह सकते हैं या उनके चेयरमैन नहीं रह सकते हैं, उनके बारे में यह बात क्यों सोची गई? एक मिनिस्टर के नाते श्रीमती महिषी जी सबकुछ कर सकती हैं। लेकिन, मैम्बर के नाते वे कुछ नहीं कर सकती हैं, यह किस प्रकार की सोच है। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत पुरानी सोच है। इस सोच से जितनी जल्दी हम अपना पिण्ड छुड़ायें, उतना ही देश के हित में है। अगर माननीय मंत्री महोदया मेरी बात नहीं मानती हैं, तो यह दूसरी बात है। लेकिन, मैं यह जानना चाहूँगा कि एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन में कौनसी पैसे के वितरण की बात है? इसी प्रकार से आसाम स्माल स्कैल इंडस्ट्रीज कारपोरेश का भी कोई सदस्य नहीं हो सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन संस्थाओं में पार्लियामेंट के मैम्बर के जाने से कोई गड़बड़ हो जाएगी? इसी प्रकार से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स आफ आसाम फाइनेंशियल कारपोरेशन, प्लानिंग बोर्ड फार दी हिल्स एरियाज, आसाम और भारत एल्यूमिनियम कम्पनी में भी सदस्य नहीं हो सकता है। ध्यान देने की बात है कि आसाम के हिल्स एरियाज के विकास के लिए जो बोर्ड बनेगा, उसमें भी पर्लियामेंट के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स आफ अर्थ मूवर लिमिटेड, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, भारत इलेक्ट्रानिक्स, लिमिटेड, बोर्ड

आफ डायरेक्टर्स आफ डिपोजिट इंन्सुरेन्स कारपोरेशन, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स आफ एक्सपोर्ट गारन्टी कारपोरेशन, बम्बई और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स आफ फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन, बम्बई का सदस्य कोई पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं हो सकता है। मेरी समझ में बात नहीं आती कि अगर हम लोग इन संस्थाओं के मैम्बर हो जायें तो इसमें सरकार का क्या नुकसान होता है?

जो फिल्म बनाने वाले होते हैं, जो इस संस्था में काम करते हैं, वे लम्बे बाल रखते हैं। उनको भारत की सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं है। जिस तरह के वहां के लोग होंगे और जिस तरह से इस संस्था का चेयरमैन होगा, उसी तरह की फिल्म भी वे बनायेंगे। उसी तरह का देश भी बनेगा। असल भारत तो वहां के जो मैम्बर है, उनमें संसद के सदस्यों को रखा जाना चाहिये, ताकि वे लम्बे बाल रखने वालों के बाल कटवा सकें और अच्छी फिल्में बनवा सकें।

श्रीमती सविता बहन : सही फिल्में बनेंगी।

श्री रणबीर सिंह : मेम्बरों के जाने से वहां पर अच्छी फिल्में बनने लगेंगी, क्योंकि उन्हें हिन्दुस्तान की सभ्यता का ज्ञान रहता है, लोगों की भावना का ज्ञान रहता है। वे ही उनको सही रूप में जनता के सामने ला सकते हैं। लेकिन, आज तो देश में हम एक दूसरी ही हवा देख रहे हैं। आज कोई भी आदमी टाइम पर काम नहीं करता। इसमें सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है। फिल्म कारपोरेशन का बड़ा हाथ है। अगर मेम्बर बोर्ड में होंगे तो बन्दूक की नोक पर लड़की को उठा ले जाने की बातें नहीं दिखलाई जायेंगी।

इसी तरह से, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में संसद के सदस्य उसके मेम्बर हो जायेंगे, तो वे हवाई जहाज को नहीं उठा ले जायेंगे। क्या सरकार को इन लोगों से बहुत बड़ा खतरा है कि वे वहां पर जाकर जहाजों को खराब कर देंगे? मेरी समझ में यह बात नहीं आई है। इसी तरह से हिन्दुस्तान-एन्टी-बायोटिक्स लिमिटेड है, जहां पर दवाईयां बनती हैं। अगर इसके बोर्ड में संसद के सदस्य होंगे तो क्या वे दवाईयों की चोरी कर ले जोयंगे? इसी तरह से हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड है। अगर इसके बोर्ड से संसद् के सदस्य हो जायेंगे तो वे केबिल उठाकर अपने घर ले जायेंगे? इनके बोर्डों के जो चेयरमैन हैं वे आई.ए.एस. लगे हुए हैं। उनकी आप कोठी देखेंगे तो उस तरह की कोठी आप किसी भी पार्लियामेंट के मेम्बर की नहीं पायेंगे। आज आप देखेंगे कि इस तरह के बोर्डों के जितने भी चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने बड़े-बड़े मकान बना लिये हैं जहां पर सब तरह की सुविधायें मौजूद हैं। इसी तरह से हिन्दुस्तान ईंक्टीसाइड लिमिटेड है।

उपसभापति (श्री वी.बी. राजू) : आपने तो सारा शिड्यूल बोल दिया है।

श्री रणबीर सिंह : मैं मंत्री जी से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरकार यह जो संशोधन लाई है, इसमें हम आपातकाल में संशोधन नहीं ला सकते हैं क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से निकाल दिये जायेंगे। हम तो इस बारे में प्रार्थना ही कर सकते हैं, मंत्री जी से। अपील कर सकते हैं। हाथ जोड़कर कह सकते हैं कि सेकेन्ड शिड्यूल्ड में जो 'डाइरेक्टर और मेम्बर' शब्द लिखा है, इसमें से 'और मेम्बर' को हटा दिया जाये। इसमें 'मेम्बर' शब्द को हटा दिया जाये और 'डाइरेक्टर' शब्द को रहने दिया जाये।

इसी तरह से पहले इसमें 'सेक्रेटरी' शब्द नहीं था। लेकिन, पहले शिड्यूल्ड में यह शब्द दाखिल कर दिया गया है। इसलिए इस शब्द को भी हटा दिया जाये। इस तरह से जो चेयरमैन और सेक्रेटरी के लिए डिसक्वालिफिकेशन्स लगा दी गई थी, इसको हटा दिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ, मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूँ कि एग्रिकल्चर प्राइस कमीशन का जो चेयरमैन होता है, वह भी संसद् का मेम्बर होना चाहिये। संसद् के सदस्य की हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों की जिन्दगी के बारे में मालूम रहता है कि वह जिस तरह से कड़कती धूप और सर्दी के मौसम में खेत में काम करता है। जिस जगह पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है, कड़कती धूप और सर्दी के मौसम में, वह बेचारा खेत में काम करता है। झौंपड़ी में रहता है। लेकिन, जब उसको अपने अनाज के दाम मिलने हैं तो उसके मेहनत के मुताबिक नहीं मिलते हैं। इसलिए, मैं आपकी मार्फत् यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एग्रिकल्चर प्राइस कमीशन में सारे मेम्बर संसद् के सदस्य होने चाहिये और सरकारी आफिसर नहीं होने चाहिये। उसमें लेबर का भी प्रतिनिधि होना चाहिये। हम लोगोँ के पास कोई काम नहीं रहता है। हम इसमें अपना पूरा समय अच्छी तरह से लगा सकते हैं। मेरी समझ में यह बात अभी तक नहीं आई है कि संसद् के सदस्य इन संस्थाओं के मेम्बर क्यों नहीं बन सकते हैं?

मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एग्रिकल्चर प्राइस कमीशन में, खासतौर पर संसद् के सदस्यों को रखना चाहिये, क्योंकि यह कमीशन हिन्दुस्तान की 75 प्रतिशत आबादी की किस्मत का फैसला करती है। उसकी किस्मत के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिये। इसलिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके सारे मेम्बर संसद् के सदस्य होने चाहियें और उनपर किसी तरह की पाबन्दी नहीं लगाई जानी चाहिये।

1976

राज्य सभा

वीरवार, 8 जनवरी, 1976 ई.*

राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर बहस आपातकालीन स्थिति की बहस हो गई है। उस पर बोलते हुए माननीय सदस्य कृष्णकान्त जी ने कई बातें कही। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मित्रता का दावा किया। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी के आज साथी है, वे सब साजिशी है, वे साजिश करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्री जय प्रकाश नारायण को जेल में बीमारी ऐसी करा दी गई, जो हमेशा उनके जीवन भर रहेगी। इसी के साथ-साथ उन्होंने गाँधीवाद का दावा किया, गाँधीवादी होने का दावा किया। जब कृष्णकान्त जी बोल रहे थे तो मुझे लाला अचिंत राम जी की याद आ रही थी। वे गाँधीवादी थे। कभी उन्होंने महात्मा गाँधी को, गाँधी नहीं कहा। लेकिन, जब कृष्णकांत जी बोल रहे थे, राष्ट्रपिता को गाँधी कह रहे थे। यह उनकी गाँधी विवाद में आस्था का सबूत है और में बहुत सोचता था, मुझे शक होता जाता था कि लाला अंचिंत राम के सुपुत्र बोल रहे हैं। या किसी अंग्रेज के सुपुत्र बोल रहे हैं। उनको मित्रता का दावा है प्रधानमंत्री जी से। उपसभापति जी, कृष्णकात जी एक सरकारी मुलाजिम थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे के फौरन बाद उनको राज्य सभा का सदस्य, प्रधानमंत्री जी की कृपा से बनाया गया और उसके बाद में कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में लाला अंचित राम जो उनके पिता थे, उनसे पहले में सदस्य बना था। मेरे मुकाबले मैं श्री कृष्णकांत को

**Rajya Sabha, Motion of Thanks on President's Address, Vol. II, 8th January. 1976, Page 151-157*

मेंम्बर बना दिया गया और मुझसे कहा गया कि विरोधी दल की राय लेकर सदन में मेंबर बन कर आओ और उनकी मित्रता का दावा किया था। प्रधान मंत्री जी ने तो कितना उनके पिता का और कितना उनका लिहाज किया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी (कृष्णकान्त) मित्रता कैसी थी कि जिस वक्त प्रधानमंत्री जी के ऊपर हिन्दूस्तान के उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए यह कह दिया था कि वे प्रधानमंत्री रह सकती है। लेकिन, उसके बावजूद प्रो. शेर सिंह के मकान में बैठ कर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सलाह दी कि वे इस्तीफा दे दे। उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। इस पर वे अपने आपको प्रधानमंत्री जी का मित्र होने का दावा करते हैं।

एक और वक्त आया था--मुझको वह भी याद है--जिस वक्त उन्होंने इस सदन में मेंम्बरर्स में ललित नारायण मिश्र जी के खिलाफ सवाल उठाया था और जब मंत्री महोदय उसका जवाब दे रहे थे तो यहां यह कहते सुनाई दिए थे--मैं उनके करीब था--जब उन्होंने कहा था कि कितनी ही छुपाने की कोशिश की जाए, हम ललित नारायण मिश्र को नंगा करके छोड़ेंगे। यह उनकी कांग्रेस के प्रति वफादारी थी, यह उनकी प्रधानमंत्री जी की दोस्ती थी। जहां तक मेरे लायक दोस्त चन्द्र शेखर या मोहन धारिया जी का सम्बन्ध है, में उनके बारे में समझ सकता हूँ कि उन्होंने आखिर अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया था जय प्रकाश के नेतृत्व में। उनकी पार्टी में शामिल होकर आये थे। उनके बारे मैं तो समझ में आ सकता है। क्योंकि, प्यार भी कुछ हो, चाहे उनके नेता गलती भी करें तो भी उनको प्यार दिखाना चाहिए, दिल में प्यार उमड़ सकता है। लेकिन, मेरी समझ में नहीं आया कि कृष्णकांत जी को कैसे दिखायी देता है कि प्रधानमंत्री जी गलत रास्ते पर जा रही है? उन्होंने सलाह दी थी कि श्री जय प्रकाश नारायण जी प्रधानमंत्री जी से बात करे। हमारे जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते थे? वे कहते थे कि एक साल के लिए बच्चे अपनी परीक्षाएं न दे और पढ़ना छोड़ दे। असेम्बलियों के सदस्यों को पीटा जाये, उनका घेराव किया जाये और उनको मजबूर किया जाये कि वे असेम्बलियां छोड़ दे। सारी असेम्बलियां टूट जाये और जितने लोग असेम्बलियों से चुने गये है या पंचायतों से चुने गये है, उनके स्थान खाली घोषित किये जाये। इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सलाह दी थी कि वे जयप्रकाश नारायण से सलाह करे। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि वे किस बारे में सलाह करने के लिए कह रहे थे। उनकी आठ मांगे थी। जो इस प्रकार से थीं:

1. एक वर्ष के लिए स्कूलों, कॉलेजो और परीक्षाओं का बहिष्कार करना।
2. विधानसभा सदस्यों का घेराव करना और उन्हें सदस्यता से त्याग पत्र देने

के लिये बाध्य करना।

3. विधानसभा सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार करना।

4. समानान्तर विधानसभा का निर्माण करना।

5. सरकारी कार्यालयों में काम ठप्प करना।

6. कर न देने का अभियान चलाना।

7. अदालतों का बहिष्कार करना।

8. समानान्तर सरकारों और अदालतों की स्थापना--जनता सरकारे और जनता अदालते। सशस्त्र सेनाओ। पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को उकसाना।

इन मांगों के बारे में कोई भी समझदार आदमी यह कह सकता है कि प्रधानमंत्री जी किस बारे में श्री जय प्रकाश नारायण से सलाह करे? वे इस बात को भूल गये कि इन मांगों के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने श्री जयप्रकाश नारायण को दावतनामा दिया था। श्री कृष्णकान्त जी सत्य से बहुत दूर हैं। श्री जयप्रकाश नारायण अपने को गाँधीवादी कहने का दावा करते हैं। लेकिन, मैं यह बात मानता हूँ कि वे आज भी इस देश को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और तथ्यों से बचना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री जी ने श्री जयप्रकाश नारायण को अपने निवास स्थान पर बुलाया और उसके बाद श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जायेंगी तब तक हम आगे कोई बात नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने चुनकर यहां पर भेजा है और उनके ऊपर लोगों का पूर्ण विश्वास है, क्योंकि, वे सारे भारतवर्ष की जनता की नेता है। वे इस पार्लियामेंट की नेता है और कोई डिक्टेटर नहीं है। इन सब बातों के बावजूद भी मेरी समझ में नहीं आया कि वे क्या चाहते थे?

श्री कृष्णकान्त हमारे बारे में कहते हैं कि हम लोग साजिश कर रहे हैं और हम लोगों से ही खतरा है। उन्होंने इस बारे में बंगलादेश में मुजीबुर्रहमान और एलेन्डे की हत्या का जिक्र किया और कहा कि उनके ही समर्थकों ने उनकी हत्या करवाई। लेकिन, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि वे कल तक तो हमारे साथ थे और जब कठिन समय आया तो क्यों भागना चाहते हैं? अगर, वे इतने ही सत्यवादी है तो उन्हें अपनी जगह से इस्तीफा दे देना चाहिये, क्योंकि,, वे यहां पर प्रधानमंत्री जी की कृपा से ही आये है और इस सदन के सदस्य है। वे पहले अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे और फिर से इस सदन में आयें तब ही उनकी बात पर विचार किया जा सकता है। वे

कभी भी मेंदान में नहीं आये और दूसरे दोस्तों की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिये।

मोहन धारिया जी मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद भी वे उलट-पुलट बोलते थे। चन्द्र शेखर के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्हें इस बात का गिला था कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसी तरह से कृष्णकांत जी को भी प्रधानमंत्री जी से गिला हो सकता है कि उन्हें भी मंत्रीमण्डल का सदस्य बनाया जा सकता है। क्या यही वफादारी है? क्या यही दोस्ती है? क्या यही कांग्रेस पार्टी के सदस्य के नाते हमने जो कसम खाई है, उस कसम के प्रति यही हमारी निष्ठा है? जो अपने को गाँधीवादी होने का दावा करते हैं। क्या वे भूल गये है कि सबसे पहले हिन्दुस्तान में महात्मा गान्धी जी ने श्री विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना था और उन्होंने ही सबसे पहले सत्याग्रह किया था। श्री विनोबा भावे जी ने श्री जयप्रकाश नारायण को सलाह दी थी कि वे राजनीति का झगड़ा छोड़ दे। नहीं तो सर्वोदय की हानि होगी। विनोबा जी कांग्रेसी नहीं है।

किसी राजनीतिक पार्टी से उनका संबन्ध नहीं है। उनकी सलाह क्यों नहीं मानते? श्री कृष्णकान्त के दिल में तो महात्मा गाँधी के लिए, राष्ट्रपिता के लिए कोई श्रद्धा नहीं रह गई है। कल का बच्चा महात्मा गाँधी को गाँधी कह कर बोलता है। पहले अंग्रेज कहता था। लेकिन, कोई हमारे सामने कहता तो हम उसे दिन में तारे दिखा सकते थे। आज लाला अचिन्तराम का सपूत महात्मा गाँधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को गाँधी कह कर बोलता है। यह शर्म की बात है

उपसभापित जी, इसके साथ-साथ मैंऔर भी निवेदन करना चाहता हूँ। जहां तक बीस-सूत्री प्रोग्राम का सम्बन्ध है, उन्हें वह भी दिखाई नहीं देता। 70 लाख बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन दी गई और भूमिहीनों को खेती के लिए भूमि दी जा रही है। जबरदस्ती जो लोगों से काम लिया जाता था, उसको बन्द किया गया। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री बने के बाद जो कार्य किया, वह दुनियां जानती है। उनके नेतृत्व में इस देश ने सबसे पहले जीत हासिल करके दिखाई, पाकिस्तान को हराकर दिखाया। आर्य भट्ट को आसमान पर चढ़ाकर दिखाया, एटम का विस्फोट जमीन में करके दिखाया, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ साथ दूसरा, विस्फोट हुआ। जो धन को चोरी किए हुए थे, गैरकानूनी दौलत इकट्ठा किए हुए थे, 1500 करोड़ रूपये से ज्यादा उनसे बाहर निकलवाकर दिखाया। इनको वह दिखाई नहीं देता। वे कहते हैं कि जनता के लाखों आदमी अन्दर है। पता नहीं। इनको यह संख्या कहां से मिलती है? कोई हिन्दुस्तान के सुपर इंस्पेक्टर जनरल है। हमें जो

सूचना है, उसके अनुसार कोई सौ दो सौ भाई एक-एक प्रदेश में जेलों में होंगे। अगर, वे सभी कैदियों की गिनती अपने साथ कर लें तो समझ में आ सकता है। वरना इस देश में ऐसा नहीं है।

उपसभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने देश के पंचायत सेमिनार के सिलसिले में कहा था कि उनके प्रदेश में बीस-सूत्री प्रोग्राम को ऐसे ढ़ंग से लागू किया जा रहा है, जिससे आपस में बिगाड़ हो। हमने हमेशा सीलिंग के कानून का समर्थन किया है। हमारे नेता कमलापति जी बैठे है, वे जानते हैं कि उनके उत्तर प्रदेश में उन भाईयों ने, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी को कायम रखने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर जवान तक काम किया। तराई के घने जंगलों को, जहां शेर रहते थे, जहां हाथी रहते थे, जहां एक तोला अनाज भी पैदा नहीं होता था, आबाद किया और उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया इलाका बनाया। उन्हें कोई गिला नहीं है। जो कानून सीलिंग का बना है, उसको ईमानदारी से लागू किया जाये।

हमारा प्लानिंग कमीशन और उत्तर प्रदेश का सीलिंग का कानून यह मानता है कि सिर्फ पिता, उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चे की जमीन इक्कठी करनी है। कहीं कानून मैं यह नहीं लिखा है कि जो जवान खेती करते हैं। जो वयस्क है, उनकी जमीन भी उनके पिता की जमीन के साथ जोड़ी जाये। सबकी जमीन जोड़ी जा रही है बहुत से भाई फौज में है। अभी तक तो इससे उत्तर प्रदेश की सरकार का संबंध था। अब बाबू जगजीवन राम जी का सीधा संबंध है, वे हमेशा कामयाब हुए है। पहली दफा जब वे कृषि मंत्री बने थे तो उन्होंने इजाजत दी थी कि कोई भाई विदेश से ट्रैक्टर मंगा सकता है। उसके ऊपर सीमा-शुल्क नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि जिन किसानों ने देश को अनाज के लिये स्वावलम्बी बनाया। इन्दिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी थीं, तब 70 लाख टन अनाज पैदा होता था, आज 114 लाख टन अनाज पैदा होता है। उन किसानों की बात भी सुनी जाये वे जागीरदारों के बेटे नहीं है। वे जमींदारों के बेटे नहीं है। वे राजाओं के बेटे नहीं है। वे धरती के सपूत है, वे किसान है, जो देश की लड़ाई के वक्त रक्षा करते हैं। दुश्मनों से और अमन के वक्त देश के लिए अनाज पैदा करते हैं। उनकी मांगों का भी ख्याल किया जाये। एक्साइज ड्यूटी घटाई जाये। ताज्जुब की बात है कि अनाज की कीमत गिरी और जो चीजें अनाज पैदा करने के काम आती थी, उनकी कीमत बढ़ी। चाहे वह डीजल है, उसकी कीमत बढ़ी है, बिजली के दाम बढ़े है, सिंचाई की दर बढ़ी है और जो दूसरी चीजें है, इनपुट्स है उनकी कीमत बढ़ी है।

बाबू जगजीवनराम जी बड़े न्यायकारी हैं और हमें पूरा यकीन है कि जिन भाईयों ने उनका नाम ऊंचा किया--जब वे डिफेंस मिनिस्टर थे और कृषि मंत्री थे, उस वक्त उन किसान पुत्रों के हितों की वे रक्षा करेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हिदायत करेंगे कि इन भाईयों को जो चोरी से पैसा इकट्ठा नहीं करते, जो स्मगलिंग नहीं करते, जो रिश्वत नहीं लेते, जो मेहनत की, खून-पसीने की कमाई से अपना गुजारा करते हैं। उनको गैरकानूनी तरीके से तंग न किया जाये। इसके साथ-साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसान के जो पूत है, वे बीस-सूत्री प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहेंगे, जिस तरह वे देश की रक्षा में आगे रहे हैं। जो आर्थिक प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने बनाया है, उसमें भी वे सबसे आगे रहेंगे। धन्यवाद।

राज्य सभा

शुक्रवार, 9 जनवरी, 1976 ई.*

केन्द्रीय समन्वय एजेंसी की स्थापना

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : सभाध्यक्ष जी, अभी मुझसे पहले वक्ता श्री विश्वनाथ मेंनन जी ने इस बात पर हमारा ध्यान दिलाया कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? उन्होंने इस बात के ऊपर चर्चा नहीं की कि 20 सूत्री प्रोग्राम कैसे जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जा सकता है। हमारे प्रस्तावक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा, उसमें उन्होंने यह रखा है कि ''प्रधानमंत्री के 20 सूत्री प्रोग्राम की प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण कार्यान्विति के लिए एक केन्द्रीय समन्वय अधिकरण की स्थापना करे।'' सभाध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूँ कि शायद कोई नयी समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, हमारे देश में प्लानिंग कमीशन पहले ही मौजूद है।

योजना आयोग का काम यही है कि सारे प्रदेशों में जो तरक्की हो रही है, उसका समन्वय करे और यह काम वह बड़ी तेजी के साथ कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है और क्यों लागू किया गया है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि जब सन् 1971 में चुनाव हुए तो विरोधी दल वालों ने यह नारा लगाया था कि इन्दिरा हटाओ। लेकिन, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी ने नारा लगाया था कि गरीबी हटाओ। चार साल तक ये लोग प्रधानमंत्री को हटाने की बात कहते रहे और इन लोगों ने रेल का पहिया रोका। आजादी के आन्दोलन में हम भी नजरबन्द हुए थे।

Rajya Sabha, Re. setting up of a Central Co-ordination Agency, Vol. II, 9th January. 1976, Page 117-124

अंग्रेजों के राज में हम लोगों को जो सुविधा मिलती थी, उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं आज जेलों में मिल रही है रोहतक जेल में बहुत सारे नेतागण मौजूद है। वहां पर टेलीविजन देखने की भी सुविधा है। लेकिन, आप जानते हैं कि देश की तरक्की का नाम श्रीमती इन्दिरा गाँधी की तस्वीर है और श्रीमती इन्दिरा गाँधी की तस्वीर देखना और देश की तरक्की को देखना इनकी आंखों को पसन्द नहीं है। इसलिए, ये लोग समझते हैं कि कोई सुविधा नहीं है। इसके साथ साथ अगर, आप रेडियो सुनें तो उसमें देश की तरक्की के साथ श्रीमती इंदिरा गाँधी का नाम भी जुड़ा होता है। रेडियो सुनने में भी इनके कान बहरे हो जाते हैं। इनकी आंखें देखती नहीं और कान सुनते नहीं।

इन चार सालों में जब हमने संविधान को बदलने की कोशिश की या गरीबों के हित के लिए कोई बिल पेश किया तो हर चीज को ये लोग चेलेन्ज करते चले गये। इन लोगों ने इस बात की भी कोशिश की कि हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी हिन्दुस्तान से गरीबी को हटाने के लिए जो लड़ाई शुरू करना चाहती थी, उसको वह न कर सके। जो इमरजेन्सी या आपातकाल की घोषणा की गई है और जिसके संबंध में इन लोगों को गिला है, वह भी मैं मानता हूँ कि गरीबी हटाने की एक योजना है। इस देश में गरीबी हटाने के लिए इतिहास लिखने वाले इस बात को साबित करेंगे कि देश की स्थिति को देखते हुए इमरजैन्सी लागू करना आवश्यक था और जो लोग देश की गरीबी हटाने में रोड़े बनकर सामने आ रहे थे, उनको जेल में रखना आवश्यक था। हमारे जो भाई जेलों में भेजे गये है, जो कार्यवाई कर रहे थे, वे देश के हित के लिए नहीं कर रहे थे। देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। यह बात अब साफ हो चुकी है कि देश की जनता का समर्थन इनको प्राप्त नहीं है। हमारी तादाद ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जब हम अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमारे देश के जो भाई जेल में नहीं गये थे और वे लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते थे। लेकिन, उनकी हमदर्दी हमारे साथ थी। हमारे जो राजनैतिक मुखालिफ थे वे भी हमारे साथ थे। आज ये लोग आह्वान करते हैं कि अभी चुनाव होने चाहिए। हम यह जानते हैं कि अगर, ये लोग इस बात का आह्वान पहले करते तो इनको वास्तविक स्थिति का पता चल जाता। हमारे देश की गरीबी को हटाने के लिए चूंकि कुछ वक्त लगना था। इसलिए, इस बारे में हमारी योजना भी आगे चलती रही। हमने इसके लिए कोई ज्यादा समय की बात नहीं कही है। जनता ने हमारी प्रधानमंत्री को और कांग्रेस दल को पांच साल का समय दिया था।

उन्होंने हमारे साढ़े चार साल हाथ पांव खींचने में लगा दिए। देश की जो क्षमता थी लोहा पैदा करने की, बिजली पैदा करने की, रेल में सामान ढ़ोने की,

सीमेंट बनाने की, उन सबको इन्होंने पीछे खींचा और सब मजदूरों की दुहाई देते हैं। मजदूरों के साथ हमको भी हमदर्दी है और जो मजदूरों के साथ हमदर्दी रखता है, वह यह चाहेगा कि देश में पैदावार बढ़े। क्योंकि, देश की पैदावार बढ़ेगी तभी मजदूर को कुछ मिलेगा। लेकिन, इन्होंने तो देश की पैदावार खत्म करने की कोशिश की। आज फर्नांडेस की भी मुझ याद है--मेंनन साहब भूल गए होंगे--1974 में मेंनन साहब के करीब उठते हुए डा. कुरियन ने कहा था, इस सदन में फिर दोबारा हम नहीं बैठेंगे। मेंनन साहब, आपका चैलेन्ज हुआ, साल ढेड़ साल बीत गए, यह सदन बैठा हुआ है, यह सदन की कार्यवाही शांति से चलती है। आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि अभी छः महीने में यही नहीं, बताया कि कौन कमेटी (समिति) बने। जैसा मैंने कहा, समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है और अभी कल परसों हमें सारे सदन के मेंम्बरों को, जो कागज दिया है, उससे यह साबित होता है कि कोयले की पैदावार 1974 में 56,690 हजार टन थी और वह 11.6 परसेन्ट बढ़कर 63,244 हजार टन हुई। इसी तरह से पेट्रोलियम की पैदावार जो 5,0570 हजार टन हुई, जो 10 परसेन्ट बढ़ी और तांबा जिसकी पैदावार 6.4 हजार टन थी, आज वह 12.9 हजार टन है, जो 101.6 परसेन्ट बढ़ी और एल्यूमिनियम की पैदावार 81 हजार टन से 118 हजार टन हुई, जो पिछले साल के मुकाबले में 42 परसेन्ट अधिक है इसी तरह से फौलाद-लोहे की पैदावार 3114 हजार टन हुई, जो 16.4 परसेन्ट अधिक है और पटसन की 2.6 हजार टन थी, अब 3.3 हजार टन है, जो 26.9 फीसदी ज्यादा है। इसी तरह से सीमेंट है, बिजली है। आप जानते हैं कि 1974 में और 1975 के पहले छः महीनों में इस सदन के सदस्यों को भी साबुन नहीं मिलता था, इस सदन के सदस्यों को रेजर के लिए ब्लेड नहीं मिलता था, देश में सीमेंट नहीं मिलती थी, लोहा नहीं मिलता था, ब्लैक में भी नहीं मिलता था और आज यह 20 सूत्री कार्यक्रम की योजना की करामात है मेंनन साहब कि हर चीज आज आपके पीछे हम बांध सकते हैं।

आपकी पार्टी सी.पी.एम. जितना अनाज उठाना चाहती है, उतना हम आज दे सकते हैं। आज अनाज की कोई कमी नहीं है। सीमेंट की कोई कमी नहीं है। बिजली की कोई कमी नहीं। क्यों नहीं है? वह इसलिए, कि हमारे जो विरोधी पार्टी के भाई लोग थे, वे मजदूरों को बहकाते थे और काम पर जाने से रोकते थे। अब हालत यह है कि आज वे उन्हें काम पर जाने से रोक नहीं सकते हैं। यही आपको आज गिला है

कि जिन लोगों को आप काम पर जाने से रोक देते थे, उनको अब नहीं रोक सकेंगे। यही आपातकालीन स्थिति है।

इस सदन में हमने देखा था कि जब श्री कृष्णकान्त इधर बैठते थे और बोलते थे, तो बोलते समय सभापति या उप-सभापति की तरफ नहीं देखते थे। इसी तरह से मेंथ्यू कूरियन साहब जब सदन में बोलते थे तो सभापति या उप-सभापति की तरफ देखकर नहीं बोलते थे, बल्कि प्रेस की तरफ देखते थे। इसी तरह से जितने भी हमारे ऐसे भाई थे, जो देश में इस तरह की फिजा पैदा करना चाहते थे, जिससे देश की पैदावार घट जाये, वे मजदूरों को बहकाते थे। ये ही सारे भाई और पार्टियां मिलकर करनाल गई। इन लोगों ने हरियाणा के करनाल में किसानों को कहा कि आप लोग और पंजाब के लोग गेहूं पैदा करते हो। लेकिन, आप लोगों को गेहूं के उचित दाम नहीं मिलते। जब ये भाई लोग दिल्ली में आते हैं। तो फिर महंगाई की बात करते हैं।

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu) : If he talks very loud, we cannot get the translation. This is my humble requesat.

श्री रणबीर सिंह : अगर, मेरी आवाज मोटी है और ट्रान्सलेशन नहीं हो रहा है तो यह बात समझ में नहीं आती है। हाँ, अगर, मेरी स्पीड ज्यादा है और आपको ट्रान्सलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो यह बात समझ में आ सकती है और में आगे कम रफ्तार से बोलूंगा।

इस समय में ज्यादा तेजी या जोर से नहीं कहूंगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हमारे ये भाई कहते हैं कि कांग्रेस ने यह 20 सूत्री तमाशा किया है। लेकिन, मैं अपने भाईयों से कहना चाहता हूँ कि वे जो तमाशा कराना चाहते थे, वे अब नहीं कर सकेंगे और इस तरह की कोई बात आपातकालीन स्थिति में नहीं की जा सकती है।

यह कहते हैं कि हम आपातकालीन स्थिति में कोई खास बात नहीं कर रहे हैं। हमारे भाई पहले लोगों को बहकाते थे, उनको काम में जाने से रोकते थे और ये सब बात पहले रेडियो, टेलीविजन और अखबारों में आती थी। लेकिन, अब हमारे भाई लोगों की कोई खबर नहीं आ रही है और न ही कोई खबर अखबारों मैं इस तरह की छापी जाती है। हमारे देश ने इस बीच काफी तरक्की कर ली है और हमारे विरोधी भाईयों को वह नजर नहीं आता है। हमारे विरोधी दल के भाईयों को यह गिला है कि आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर एक पंचायती राज्य में अपने-अपने सुझाव देकर इक्ट्ठा मिलकर समस्याओं का हल किया

जा सकता है और उनको कार्यान्वित किया जा सकता है।

उप-सभाध्यक्ष महोदय, 1966 में हमारी प्रधानमंत्री जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी। चाहे इंस्टीट्यूशन्स हो। चाहे दूसरी कंपनियां हो। चाहे डिफे न्स सर्विसेज इंवैस्टमेंट से सम्बन्ध हो और चाहे इंवैस्टमेंट फाइनेंस से सम्बन्ध रखता हो या खेती की तरक्की से सम्बन्ध रखता हो, इन सबमें हिन्दुस्तान में 6584.65 करोड़ रूपया लगा हुआ था। 1975-76 में यानी इस साल तक इस मद में 16203.57 करोड़ रूपया लगाया जा चुका है

इसी तरह से, उपसभापित जी, इस देश में बिजली से पहले चलने वाले पम्पों की तादाद दस लाख थी। अब प्रधानमंत्री के जमाने में 25 लाख हुई। लेकिन, हिन्दुस्तान के लोगों का हौसला तोड़ने वाली बातें है, वे तो देश में दुश्मन ही किया करते हैं। आज हथियार से आदमी नहीं मारे जाते, हौंसला तोड़ कर हराया जाता है। हमने पाकिस्तान की फौज को मार कर नहीं हराया, उनका हौंसला तोड़कर 90 हजार फौजियों को कैद किया था। ये हमको कहते हैं कि हम बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनियों का रूपया यहां मंगाकर इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। बीस-सूत्री प्रोग्राम आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए शुरू किया गया है और गरीब भाईयों को 70 लाख मकान बनाने की जगहै दी गई है, जिनके पास मकान नहीं थे। पंजाब, जिस प्रदेश से में पहले आता था, में 1954 में जमीन बांटने के लिए किसानों ने जमीन दी। लेकिन, सरकारी महकमों ने 21 वर्षों तक उसको बांटने नहीं दिया और वह अब चन्द महीनों में बंटी है। इसी तरह से जो भाई बेगार लेते थे, वे अब बेगार नहीं ले सकेंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि कुछ भाई है जो बीस-सूत्री प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के नाम पर उलटी गाड़ी चलाना चाहते हैं। , ऐसे सरकारी अफसर या जो ऐसे भाई है, उनसे बचना चाहिए।

(समय पूरा होने की घंटी बजी।)

उपसभाध्यक्ष ; श्री वी.वी. राजूद्धः रूल के मुताबिक 15 मिनट है, 17 मिनट हो गए।

श्री रणबीर सिंह : दो मिनट में खत्म कर दूंगा। भाव तभी गिरेंगे, जब किसान पैदावार बढ़ा सकेंगे। मुद्रास्फीति की बात की जाती है। यह पता नहीं किसके लिए हैं कपास पैदा करते हैं। पिछले साल की कपास का पैसा आज तक नहीं मिला। गन्ना पैदा करते हैं। गन्ने की कीमत नहीं मिलती। गन्ने का भाव 14, साढ़े 14 रूपये

क्विन्टल पिछले साल मिला था। लेकिन, आज 11 रूपए देने का प्रस्ताव है जो भाई बीस-सूत्री प्रोग्राम के नाम से किसान-विरोधी बात करते हैं, उनसे बचना चाहिए। ये बड़े पढ़े-लिखे हो सकते हैं। बड़े विशेषज्ञ हो सकते हैं। लेकिन, ये हिन्दुस्तान की नब्ज समझ कर बीमारी समझनी होगी और बीमारी समझ कर उसके लिए योजना बनानी होगी। में गुजराल साहब से प्रार्थना करता हूँ कि किसान को जितना रूपया आज देंगे, वह छिपायेगा नहीं। वह चोरी नहीं करेगा, चोरी से जायेदाद नहीं बनायेगा, वह हिन्दुसतान के लिए उत्पादन करेगा।

बिजली पैदा करने की बात है। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पानीपत में थर्मल प्लान्ट लगना है, जितना रूपया चाहिए, वह नहीं मिलता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की योजना है, उस पर जितना रूपया साल में खर्च कर सकते हैं। वह नहीं मिलता। मुद्रास्फीति कहां जाती है। हमें नहीं मालूम। तनखादारों की तनख्वाह या भत्ता पांच तारीख के बाद दें तो झगड़ा उठता है। जिससे देश की पैदावार बढ़ती है। मुद्रास्फीति के नाम से उन पर रोक लगाना यह इस योजना और बीस-सूत्री प्रोग्राम के विरूद्ध है। इसलिये, में गुजराल साहब से प्रार्थना करता हूँ कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये, बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए, वे अपने खजाने का मुंह खोल दें। जितना रूपया जो प्रदेश भी खर्च कर सकता है, वह उसे करने दे। अगर, बाढ़ का पानी इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रदेश पैसा मांगे तो वह उसको दे। यही मेरा आखिरी निवेदन है।

राज्य सभा

सोमवार, 12 जनवरी, 1976 ई.*

बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) विधेयक 1976

श्री रणबीर सिंह : उप सभाध्यक्ष महोदय, में बन्धित श्रम पद्धति (उन्मूलन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल का समर्थन करते हुए जैसा कि कई एक सदस्यों ने प्रश्न किया कि यह प्रथा भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग-अलग रूप मैं इस समय मौजूद है, यह बात मैं भी मानता हूँ।। मगर,, जिस तरह से इसमें उल्लेख किया गया है कि बाप का कर्जा बेटे तक पहुंचता है तो उसका बेटा भी बन्धक श्रम मजदूर रहता है। मैं यह भी मानता हूँ कि इस तरह की बातें बहुत से प्रदेशों में नहीं है। जो उधार रूपया दिया जाता है। वह किसी हद तक दे दिया जाता है। मैं पंजाब और हरियाणा के बारे मैं जानता हूँ और जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि बाप के कर्जे से बेटे को मजदूरों का काम करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि मजदूर जो है, वह एक गरीब आदमी है वह साल भर मजदूरी करने के लिये पहले पैसा उधार लेता है। इस बारे में प्रदेश सरकारों के समझने में फर्क है।

हम यह जो कानून बना रहे हैं। मैं मानता हूँ और जैसा इसमें लिखा है कि अगर, किसी मजदूर की मजदूरी दर, निर्धारित मजदूरी दर से कम है तो उसको बन्धक मजदूर माना जाये। जहां पर ईंट के भट्ठे होते हैं। उसमें जो मजदूर काम करते हैं। वे पहले पैसा उधार ले लेते हैं। और उधार पैसा मजदूरी की शक्ल में पूरा करते हैं। जब तक वह मजदूर अपना पूरा रूपया मजदूरी के रूप में अदा नहीं कर देता है। तब

**Rajya Sabha, Bonded Lahour System (Abolition) Bill 1976, Vol. II, 12th January. 1976, Page 140-143*

तक वह जा नहीं सकता। अगर, वह मजदूर जाना चाहता है तो उसके ऊपर जो पैसा रह जाता है, वह उसको वापस करके ही जा सकता है। मालिक उसको पूरा होने पर ही जाने देता है।

इसी तरह से खेती में प्रथा है, जिसे शीरी कहे या साल भर का मजदूर कहे। वह पहले साल भर की मजदूरी के तौर पर उधार लेता है और जब तक वह साल पूरा नहीं हो जाता या बकाया पैसा अदा नहीं करता, उस वक्त तक उसे मजदूरी करनी पड़ती है। इसे भी श्रम बन्धित मजदूर प्रथा के तहत माना जाये तो मैं समझता हूँ कि सारे प्रदेशों में है। लेकिन, बाप के कर्जें में बेटा मुफ्त काम करता रहे, जिसे पहले बेगार कहते थे, वह बहुत सारे प्रदेशों में खत्म हो चुकी है।

धाबे जी को मैं बताना चाहता हूँ, कुलक्स से उनको बहुत गिला है। वे कुलक्स से क्या मानते हैं, मुझको नहीं मालूम। अगर, जमीन के मालिकों का जहां राजकाज में दखल हो, उनको कुलक कहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वह सही नाम नहीं है। सरदार प्रताप सिंह की केबिनेट में मैं भी वजीर था 1962 में। हमने सबके ऊपर टैक्स लगाया था। भू-मालिकों पर ही नहीं। जो भी टैक्स देता था, उसके ऊपर टैक्स लगाया। हरिजन कल्याण के नाम से वह टैक्स लगा था। कोई 5 करोड़ के करीब रूपया इक्ट्ठा हुआ था ताकि गरीब हरिजनों पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज से दबे हुए थे, उनके कर्ज को अदा किया जा सके और उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा किया जा सके। आज कोई जागीरदार नहीं है। अगर, सीलिंग का कानून ईमानदारी से लागू होता है तो 17-18 एकड़ का आदमी कुलक नहीं है। अगर, वह कुलक है तो यहां की विधान सभा के सदस्य या पार्लियामेंट के सदस्य कुलक से ज्यादा है। उनको सहूलियतें उनसे ज्यादा है, मेहनत वे कम करते हैं। ऐसे शब्द वे उनके लिए इस्तेमाल करें, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर, कभी अकाल पड़ जाता है तो देश भिखारी बनता है। इसलिए, वह भाषा हमको छोड़नी चाहिए।

अगर, कहीं सीलिंग का कानून पूरे तौर पर लागू नहीं होता है तो उसको लागू करे। जहां पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है। वहां वह दिलवाएं। इस बात से मैं सहमत हूँ कि कोई न कोई टैक्स सबके ऊपर लगाया जाये, किसी को छूट न दी जाये ताकि जो गरीब भाई है, अति गरीब है, उनकी आर्थिक स्थिति ऊंची हो सके। इसके लिए टैक्स लगाकर हर प्रदेश में पैसा इक्ट्ठा किया जाये, जैसे पंजाब में 1962 में किया गया था। उस ढ़ंग की कोई कार्यवाही की जाती है तो हम सब सहमत है। लेकिन, अगर, किसी जाति भेद या व्यवसाय भेद के ऊपर टैक्स लगता है तो वह सही बात नहीं है। एक तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि वे यह बताएं कि जैसे आज प्रश्न है कि एक तरफ

सदस्य समझते हैं कि उनके प्रदेश में बंधक मजदूर की प्रथा है, दूसरी तरफ 15 राज्य सरकारें कहती है कि ऐसा नहीं है तो उनकी राय क्या है और वे किसको बन्धक मजदूर मानते हैं, ताकि जो कमेटी बने वह अपना काम ठीक तौपर कर सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोक नाथ मिश्र) : मिनिस्टिर साहब बोलेंगे तब वह यह बता देंगे।

श्री रणबीर सिंह : मैं प्रश्न तो कर दूं। केन्द्र या प्रदेश के स्तर पर समिति बनेगी। मुझको यह समझ नहीं आया। अगर, वह पैसा देने वाली समिति है तो ठीक है।

पैसा देने वाली समिति हो और वह पैसा दिला सकते हैं, तो वह सही है। यह कानून तो गाँवों में लागू होना है। गाँव के स्तर पर कोई समिति बने तो वह उनको मदद करेगी। लेकिन, दिल्ली में बैठ कर कोई समिति बना ली जाये तो वह कैसे उनकी मदद करेगी? मैं मानता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर, सब डिवीजनल अधिकारी उसका चेयरमैन हो या वह समिति का सेक्रेटरी हो और कोई नान-आफिशियल चेयरमैन हो तो वह अच्छा होगा और ऐसा होने से वह पूरे तौर से गरीब के भले के लिये काम कर सकेगी।

राज्य सभा

वीरवार, 15 जनवरी, 1976 ई.*

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, दिल्ली विकास अधिनियम में संशोधन करने के लिए जो विधेयक रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, विधेयक तो बहुत साधारण है, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। जैसा कि अन्य सदस्यों ने डी.डी.ए. का काम किस प्रकार चला, उसके बारे में अपने विचार रखे है, वैसे ही मैं भी आपकी आज्ञा से वही रास्ता तय करना चाहता हूँ।

आप जानते हैं कि जिस सदन में हम लोग बैठे है या जहां पर डी.डी.ए. के उद्यान बन रहे हैं, वहां पर कभी लहलहाते खेत हुआ करते थे। ये स्थान किसानों के खेत थे। यह उनके रहने की जगह नहीं थी, खेती उनका धन्धा था, पेशा था। सरकार द्वारा उन लोगों के खेत ले लिये गये और आज श्री सरदेसाई जी उन लोगों की हमदर्दी कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ जाते हैं या जिन्होंने जोर'जबर्दस्ती करके सरकार की जमीन हथियाई हुई है उन लोगों के प्रति हमदर्दी कोई नहीं दिखाता, जिनको कानून से बेदखल किया गया और वह काम इसलिए, किया गया कि हमारे देश की राजधानी बनेगी।

डी.डी.ए. से यह आशा की गई कि वह एक अच्छी और सुन्दर राजधानी बनाकर देगा, जिससे भारत का नाम ऊंचा होगा। पिछले 25 साल के इतिहास में हमने

**Rajya Sabha, Delhi Development (Amdt.) Bill 1976, Vol. II, 15th January. 1976, Page 305-311*

देखा कि अपना झण्डा ऊंचा करके जिन लोगों ने कानून को तोड़ा और किसी सदस्य के पास जा करके बैठ गये, उनको बहुत बड़ी छूट मिलती रही। मैं समझता हूँ कि आपात काल की घोषणा के बाद एक चीज यह जरूर हुई है कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा था, उनका कुछ इलाज होने की संभावना हुई है। कुछ का इलाज हुआ भी है। कुछ का इलाज होना बाकी है। आज स्थिति यह है कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, उनके प्रति हमदर्दी दिखाई जाती है। इस बात को भी हम जानते हैं कि इस विभाग के वर्तमान राज्य मंत्री महोदय दिल्ली के इस इलाके से ही चुन कर आए है और उनके दिल में दिल्ली के लोगों के लिए हमदर्दी है। लेकिन, दिल्ली तो सबकी है। दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है और हिन्दुस्तान के दिल में कुछ सड़कों पर लोगों ने दुकानें भी बना दी हैं, किसी भी स्थान को खाली नहीं छोड़ा गया है। जामा मस्जिद, जो एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, उसके चारों तरफ जो घेराव किया गया, वह किसी दूसरे धर्म वालों ने नहीं किया है, बल्कि इस्लाम धर्म को मानने वालों ने किया है वे लोग वहां पर किसी को दाखिल नहीं होने देते थे।

दिल्ली में एक ऐसा समय गुजरा और उस समय जो कार्यवाई हुई, उसके संबंध में हमदर्दी जाहिर करना, मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान के कानून के खिलाफ हमदर्दी करना है और जो लोग कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। उनके साथ हमदर्दी नहीं करने के बराबर है। इसलिये, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला स्थान उन लोगों को दिया जाये, जिनकी जमीन ली गई है, जिनका पेशा छीना गया है, उन लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और उनको सस्ते दाम पर मकान और जमीन दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन लोगों से एक रूपये गज के हिसाब से जमीन ले और फिर उनको 40 रूपये या 45 रूपये गज के हिसाब से दे। यह उनके साथ बहुत अन्याय है।

उसके बाद मैं मानता हूँ कि यह जैसा हिन्दुस्तान का दिल है---यहां बहुत सारे भाई है, जो पटरियों पर सोते हैं। मैं मानता हूँ डी.डी.ए. के लिए यह शर्म की बात है। बाकी देश के लिए भी शर्म की बात है कि हिन्दुस्तान की कैपिटल में कोई भाई सरदी में टोकरी के नीचे सोए, उसके लिए हमें ठहरने का इंतजाम करना चाहिए। उनको पहले हम स्थान दे। मकान बनाकर दे। उसके बाद झुग्गी झोंपड़ी वालों का नम्बर है। वैसे अभी चन्द ही महीने में काफी काम हुआ। 29-30 हजार भाई जो झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, उनको स्थान दिया गया। बहुत सारे भाई है, जिनको जगह देनी है।

आप जानते हैं। यह देश देवताओं का देश है, जहां गंगा और जमुना बहती है। तो जिन भाईयों के जिम्में यह कार्य भार लगाए जाते हैं। वे उनको स्थान दे। कायदे और कानून की बात रखी जाए तो भी कुछ कर्मचारी नहीं मानते। मुझे तजुर्बा हुआ। एक भाई-कोई बहुत बड़ा अफसर नहीं था--उसके पास एक जो माली लगा हुआ था, वह गया, उसने कहा साहब, मेरे पास राशन कार्ड है और मुझे जगह नहीं मिलती है, जिसके पास राशन-कार्ड है, उसे जगह मिलती है। मेरी कहां झुग्गी-झोंपड़ी है और मेरा ऊपर उसके राशन कार्ड बना है। मैंने उसको चिट्ठी लिखकर भेजा। उस महाशय को इतना भी नहीं खयाल आया कि अगर, वह आवेदन पत्र बेकायदा था तो जवाब तो देता और कायदे से था तो जगह देता। लेकिन, जैसे मैंने मंत्री महोदय से बात की, उन्होंने बताया कि जो हिदायतें दी है, आवेदन पत्र उसके मुताबिक था। जहां एक भाई जिनके जिम्में हम यह करते हैं। और हम इल्जाम लगाते हैं। क्या वह ठीक तौरपर कार्य करते हैं ? कोई ज्यादती तो नहीं करते ? कोई कमी तो नहीं करते ? कोई पैसा तो ऐंठने की बात नहीं करते ? इसका भी डी.डी.ए. को ध्यान करना चाहिए।

इसके अलावा, तीसरे नम्बर पर, जैसा मैंनें जिक्र किया, मैं उन भाईयों का नाम लूंगा, जिन्होंने देश की आजादी के लिये कुर्बानी की, जेल काटी और फौज में लड़े, आजाद हिन्द फौज में अपनी जान का जोखिम उठाया, वे भाई दिल्ली में डी.डी.ए. से कोई मकान मांगें या कोई पलाट मांगे, तो उनको प्रथमिकता देनी चाहिए। उनको पैसा देने में भी रियायत करनी चाहिये। क्योंकि, हमको वह दिन, जिससे कि यह दिल्ली नगर एक शानदार नगर बन सके, दुनियां ने उसको शानदार नगर की नजर से देखा, वह दिन हमको उनकी कृपा से मिला, जिन्होंने कुर्बानी की। जनरल शाह नवाज खां जा रहे हैं।--वह भी था जब ये लाल किला में मुलजिम बने खड़े थे और यह पता नहीं था कि गोली के शिकार होंगे या कुर्सी मिलेगी। आज तो वे हमारे मंत्री जी है, हमें खुशी है ऐसे बहुत सारे भाई है, जिनको न मंत्री पद मिला और न ही वे मेंम्बर बन सके।

इनके अलावा ऐसे भी भाई है--आज ही, उपसभाध्यक्ष जी, सबेरे मुझे टेलीफोन मिला। मेरे एक माननीय साथी का, जो हमारे साथ कांस्टीट्यूएंट एसेम्बली में हमारे ही बेंच पर बैठते थे, जो हिन्दुस्तान में वजीर भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, वित्तमंत्री भी रहे, मेरा मतलब श्री महावीर त्यागी से है, उन्होंने कहा कि मेरे तीन-चार महीने बाकी है, मेरे पास कोई जगह नहीं है और जिस जगह पर मैं रहता हूँ, अब वहां से हमको जल्दी निकाल दिया जायेगा, 25-30 साल में दिल्ली में रहा, सामान भी है,

कहां जाये। एक फिक्र है बुढ़ापे में? मैं मानता हूँ, मैंने सुना है कि पार्लियामेंट के मेंम्बरों के लिये थोड़ी बहुत रियासत रखी जाती है। प्राथमिकता मिलती है। जब तक वह पार्लियामेंट का मेंम्बर रहता है। वह प्राथमिकता मिलनी चाहिये। जब कोई सदस्य न रहे तो सरकार को इस बात की जिम्मेंदारी लेनी चाहिये कि उसको प्राथमिकता मिले। जैसा अभी मैंने त्यागी जी का जिक्र किया, उन्होंने देश की आजादी के लिये सालों साल जेल की कोठरियों में बिताये.....जिन्होंने देश के विधान बनाने में योगदान दिया, जो मंत्री रहे और दिल्ली में कोठी नहीं बना सके, मकान नहीं बना सके। इस तरह के भाईयों को बुढ़ापे का जीवन व्यतीत करने के लिये मकान बनाने के लिये जमीन या मकान की व्यवस्था की जाये।

मैं यह बात मानता हूँ कि जो डी.डी.ए. की स्थापना हुई है, वह एक न्यायसंगत बात हुई है। इसलिए, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और खास तौरपर यह कहना चाहता हूँ कि जो संसद सदस्य है, जब वे अवकाश ग्रहण करते हैं। तो जिनके पास खुद का अपना मकान दिल्ली में न हो, उन्हें मकान देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। माननीय मंत्री जी के पास दोनों ही महकमें है। इसलिये, जब तक इस तरह के संसद सदस्यों को मकान नहीं दे दिया जाता है। तब तक उनको मकान से नहीं निकाला जाना चाहिये।

आप इस तरह के संसद सदस्यों को मकान देते हैं, जो 25 प्रतिशत किराये में रियायत देते हैं। वे चाहे न दे, लेकिन, उन्हें मकान अवश्य दिया जाना चाहिये। चाहे वह मकान एक कमरे का हो या दो कमरे का हो।

उप-सभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक मेरा सम्बंध है, मैं उन्हें मकान के सम्बन्ध में मुश्किल में नहीं डालूंगा। मैं तो अपने खेत पर जाऊंगा। लेकिन, जो भाई यहां रहते हैं। जिनके खेत बिक गये है, देश की आजादी की लड़ाई में। उन्हें अवश्य मकान दिया जाना चाहिये। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित अवश्य करेंगे।

अभी सरदेसाई जी ने अपने भाषण में उस जमाने की बात की जब सरकार दबती थी और जब सरकार के विरूद्ध घेराव होते थे और तरह-तरह की बातें की जाती थी, ताकि सरकार अपने फैसलों को बदल दे। अब इस आपातकालीन समय में हम पुरानी खराबियों को दूर न कर सके तो फिर कभी भी नहीं कर पायेंगे और न फिर इस तरह का समय आने वाला है। डी.डी.ए. के जो अधिकारी है, उन्हें यह देखना

चाहिए कि कानून के मुताबिक जो कार्य किया गया है, शहर का स्वास्थ्य अगर, खराब न होता हो तो वहां पर ऐसे कार्यों की इजाजत दी जा सकती है। जहां पर कानून के खिलाफ कार्यवाही की गई हो और अनुचित ढ़ंग से मकान बनाये गये हो। प्रजातंत्र का गलत फायदा उठाकर कार्य किया गया हो, वहां पर अवश्य कदम उठाने चाहिये और लोगों को उचित दण्ड दिया जाना चाहिये। जो लोग अनुचित कार्यवाही पहले कर चुके है, उन्हीं के लिये यह आपातकालीन स्थिति आई है और ऐसे लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

श्री कल्याण राय और सरदेसाई जी ने आज जो भाषण दिये है, उससे यह मतलब निकलता है कि उन्होंने आपातकालीन स्थिति का जो समर्थन किया, कहीं उससे उन्हें नुकसान न हो जाये। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी को भी इस स्थिति से कोई फायदा न होगा। उसकी वजह से देश की जनता को जरूर फायदा होगा और इसीलिये, हम सब लोगों को फायदा होगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आफिसर ठीक तरह से प्रशासन चलाते हैं। उनकी तो सराहना की जानी चाहिये और जो ज्यादती करते हैं, चाहे वे बड़े आफिसर हों या छोटे आफिसर हों, उनके साथ कभी भी नरमी नहीं दिखलाई जानी चाहिये। डी.डी.ए. का कोई भी छोटा या बड़ा आफिसर बेकायदा और खराब काम करता है तो उसको सजा दी जानी चाहिये। सरकार को कायदे से दिल्ली के नागरिकों को हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिये और दिल्ली नगर की तरक्की करनी चाहिये। जिन भाईयों को मकान से हटाया जा रहा है, उन्हें दुबारा मकान दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

राज्य सभा

वीरवार, 16 जनवरी, 1976 ई.*

लाटरी रोकथाम विधेयक, 1971

श्री रणबीर सिंह : ....इसलिये, संविधान में जो रखा गया, उसके मायने यह नहीं थे कि वह हर चीज का विरोध करेंगे, कल को वह अपने खाने का भी विरोध करेंगे तो हम क्या करेंगे? मर जायेंगे तो कहेगे कि हमको भूखा मार दिया। किसी को जेल में न रखें तो कहेगे कि इंतजाम अच्छा नहीं है और अगर, किसी को जेल में रखें तो कहेगे कि जेल में क्यों रख दिया? संविधान में जो रखा उसके पीछे विचार था कि दो पहिए से प्रजातंत्र का रथ चलेगा। देश की एक बहुमत वाली पार्टी होगी और एक अल्पमत की पार्टी होगी। लेकिन, उनको तो विरोध करना है। विरोध करना चाहिए, लेकिन, सही बात के लिये। जो बहुमत की पार्टी है वह अगर, गलती करती है तो उसका आप विरोध करे। वह सही होगा। लेकिन, रेल का पहिया चले नहीं इसके लिये अगर, आप हड़ताल की मदद करें तो वह अच्छी बात नहीं है। उसका विरोध करना ही अच्छा है। उसकी हिमायत करना अच्छा नहीं है। देश में काम रूके, हड़ताल हो, उसका विरोध करना अच्छी बात है हड़ताल की मदद करना देश के हित की बात नहीं है। इसी तरह से आप जानते हैं कि हमारे प्रदेशों में, बहुत सारे प्रदेशों में इस लाटरी के जरिये से काफी आमदनी होती है और आमदनी करके वह उस पैसे का दुरूपयोग नहीं करते। देहात में जहां सड़कें नहीं हैं, वहां उससे सड़कें बनायी जाती है। जहां स्कूल नहीं हैं, वहां स्कूल खोले जाते हैं। उससे गरीबों को दवा

Rajya Sabha, Prevention of Lotteries Bill 1971, Vol. II, 16th January. 1976, Page 111-115

पहुंचाई जाती है तो इसमें काहे का विरोध हो ? लाटरी में जो एक दो रूपया लगायेगा वह वही आदमी लगायेगा जिसके पल्ले कुछ हो। इसमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं। जबरदस्ती के खिलाफ भी विरोध और जबरदस्ती न करनी पड़े, न की जाये, वहां भी विरोध, यह बात अच्छी नहीं है। इसलिये, मैं मानता हूँ कि जो माननीय सदस्य यह विधेयक लाये है और उसके जरिये यह लाटरी को बंद करना चाहते हैं, यह देश के हित की बात नहीं है। देश का हित तो आज इसमें है कि देश की पैदावार बढ़े, देश आगे बढ़े, देश मजबूत हो और उसके लिये देश का कामकाज चलाने के लिये पैसा काफी इकट्ठा करने की आवश्यकता है।

हमारे प्रदेश में आज काफी पैसा लाटरी के जरिये इकट्ठा न करें तो गाँवों में बिजली नहीं पहुंच सकती, गाँवों में सड़कें नहीं बन सकती। वहां स्कूल नहीं खुल सकते। यह क्या अच्छी बात है ? यह तो अच्छी ही बात है कि हम देहात में जिन लोगों के दु:खों और जरूरतों की हमने सालहासाल से परवाह नहीं की, उनकी जरूरतों को आज पूरा करे और ऐसा करने में किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाता। उसके लिए कोई तहसीलदार नहीं। कोई थानेदार नहीं। जो यह पैसा इकट्ठा करता हो। आप जानते हैं कि इस बात का भी विरोध है और टैक्स इकट्ठा करने के लिये तो इंस्पेक्टर चाहिएं, कोई इन्कम टैक्स का इंस्पेक्टर होता है, कोई कस्टम का। लेकिन, यहां तो कोई इंस्पेक्टोरेट नहीं और पैसा इक्ट्ठा करने में खर्च भी ज्यादा नहीं होता। सिर्फ थोड़ा सा कमीशन देना पड़ता है। अगर, यह कहा जाये कि कमीशन न दिया जाये या लाटरी में कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसको रोका जाये तो यह बात तो समझ में आ सकती है, जो बात समझ में आ सकती है। वह बात मानी जा सकती है। उसमें सुधार भी करना चाहिये। लेकिन, जहां न दबाव है, न भ्रष्टाचार है और पैसा आता है, लोगों की तरक्की के लिये, प्रदेश की तरक्की के लिये, देश की तरक्की के लिये, उसका विरोध करना विरोध के लिये अच्छा नहीं है। मुझे गोरे जी की बात याद है, जब इन्होंने अपने प्रदेश के बारे में जिक्र किया था। इन्होंने पूछा था कि सिर्फ प्रदेश में 100 करोड़ रूपये के ऊपर खर्च हुआ कहत पर और उससे छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं पर काम हुआ तो उसका रूपयों में कितना रिटर्न हुआ ? यह रिटर्न भूखों से मिला और उसको जो सहारा मिला उससे रिटर्न मिला। इस सबके बावजूद रूपयों में रिटर्न तोलना अच्छा नहीं है।

उपसभापति जी, आप जानते हैं कि इस दुनिया में दो किस्म के सिस्टम है। चाहे वह सोवियत रूस का हो, सोशलिस्ट समाज का हो, अमेरिका का हो या इंगलैंड

पूंजीवादी देश का हो। जो पैसा पैदावार के लिये लगता है, नहर के ऊपर, नहर की सिंचाई के बढ़ाने के लिये जो पैसा लगता है, उस पर ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे देश में ब्याज लेना पड़ता है। वह इसलिये, कि देश-प्रदेश की आमदनी कम है। यह इसलिये कि हमारी सोच अभी मर्केन्टाइल आर्थिक ढ़ांचे के तरीके की है और जब तक वह आर्थिक सोच समाजवादी ढ़ांचे की नहीं होगी, उस वक्त तक लाटरी के निवारण के बारे में सोचना कठिन होगा। हालांकि में शराब के बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन, शराब की दुकानें खोलनी पड़ती है। स्टेट्स का काम चलाने के लिये। मैं समझता हूँ कि इससे यह बात अच्छी है, लाटरी के पैसे से स्टेटों का कम चलाया जाए। इसी बात को सोच कर मैं कहना चाहता हूँ कि इस बिल के जो प्रस्तावक महोदय है, उनको मानना चाहिये कि जो लाटरियों का काम है, उसके पीछे देश-प्रदेश की तरक्की की भावना छिपी है। इसी कारण मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस विधेयक को वापस लें। आज वह दिल से चाहते होंगे कि देश में यह जुआ है। दरअसल में, जैसा मैंने कहा यह सारा जीवन ही जुआ है इस नुक्ते-निगाह से सोचकर प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बिल को वापस ले। इसी में प्रदेशों का हित है और इसी में देश का हित है।

जब तक समाजवादी ढ़ांचा पूरी तरह कायम नहीं हो जाता, उस वक्त तक लाटरी या एक्साइज के जरिये प्रदेशों को आमदनी प्राप्त करनी होगी, वावजूद इस बात के कि हम यह मानते हैं कि यह तरक्की अच्छी नहीं है। शराब पर टैक्स लगाकर जनता का काम चलाना अच्छा नहीं है। लेकिन, मजबूर है। अगर, हम जमीनों के ऊपर टैक्स लगाएं तो हमारे जैसे साथी जो खेती करते हैं, वे इस बात की मुखालिफत करेंगे और अगर, सिंचाई पर टैक्स लगेगा तो उसकी भी मुखालिफत करेंगे और अगर, तनख्वाहों पर टैक्स लगेगा तो उसके खिलाफ भी बात कही जाएगी। (दोपहर 1 बजे)।

यह भी कहा जाएगा कि इनकम टैक्स आठ हजार रूपयों पर नहीं होना चाहिए। देहातों में जो लोग काम करते हैं, उनकी आमदनी आठ हजार रूपये नहीं होती है। इस प्रकार से हमारे देश में अनेक समस्याएं है और ये समस्याएं, मैं समझता हूँ कि मिक्सड इकनोमी (मिश्रित अर्थव्यवस्था) की खराबियां है। इन खराबियों के होते हुए भी समाज को चलाना होता है। प्रदेशों को चलाना होता है। जब तक हमारे देश मैं यह समाजवादी ढ़ांचा नहीं बनेगा, तब तक लाटरीज भी चलेंगी और एक्साइज ड्यूटी भी चलती रहेगी।

आप जानते हैं कि पहले ट्रैक्टर हमारे देश में नहीं बनते थे और इसलिए,

बाहर के देशों से मंगाने पड़ते थे। उन पर सीमा शुल्क भी लगता था। चूंकि अब ट्रैक्टर देश में बनने लगे हैं, इसलिए, उन पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। इसका नतीजा यह है कि ट्रैक्टरों की कीमत तीन गुनी हो गई है। इस प्रकार से अनेक खराबियां हमारे आर्थिक ढ़ांचे की है। इन सब बातों को मानते हुए मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने विधेयक को वापस ले ले।

SHRI N.G. GORAY (Maharashtra) : We are grateful to him, because we now know that we come to socialism through lotteries and liquor.

(Interruptions)

SHRI RANBIR SINGH : You can present to strike for the benefit of labourers. We also have to go our own way.....

(Interruptions)

SHRI N.G. GORAY : Thank you very much.

SHRI G LAKSHMANAN : He said only Soviet Socialism.

श्री रणबीर सिंह : आप तो हिन्दी नहीं समझते हैं। लेकिन, फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाजवाद चाहे रशियन हो या हिन्दुस्तान का समाजवाद हो, इस देश में समाजीकरण पूरे तौर पर होगा और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर डी.एम.के. जैसी पार्टियों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा। ये सब मिक्स्ड इकनोमी की खराबियां है। हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि कोई आदमी चाहे वह किसी भी प्रदेश का हो, अपने प्रदेश को अलग करने की बात नहीं कह सकता है। जिस तरह की बातें डी.एम.के. वाले कहते हैं। ये सब मिक्स्ड इकनोमी की खराबियां है और मिक्स्ड इकनोमी की तरह मिक्स्ड राजनीति में भी बहुत सारी चीजें चलती है।

राज्य सभा

शुक्रवार, 16 जनवरी, 1976 ई.*

फैक्ट्री (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसे अभी सम्माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, वेदों में लिखा है कि माता की जो तालीम होती है और जो ज्ञान माता देती है, उसका सबसे ज्यादा असर बच्चे के ऊपर होता है। लेकिन, वह जमाना तो चला गया, जब माता सिर्फ गृहिणी थी और माता का काम बच्चे को पालना ही था। आज माता-बहन जो है, वह अधिनायक भी है और वह देश में हर काम में लगी हुई है। इसी तरह कारखानों में भी लगी हुई हैं। बीस बहनें जहां काम करती हो और उनके नन्है बच्चे रोते हों तो न उनका ध्यान काम की तरफ रहता है और न बच्चों की तरफ रहता है। एक तरफ मजदूरी कमाने का लोभ है, दूसरी तरफ बच्चे का प्यार है न इससे कारखाने की पैदावार बढ़ती है और न ही उनके बच्चे अच्छे नागरिक बन पाते हैं। उनकी शिक्षा सही हो और उनकी देखभाल भी पूरी हो, यह बहुत जरूरी है। इसलिए, में बहन चूंडावत को मुबारकबाद देता हूँ कि इस ओर सदन का ध्यान उन्होंने दिलाया और सरकार का ध्यान दिलाया। जब सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करे, चाहे उसके लिए कारखानों पर क्रैशे (झूलाघर) लगानी पड़े तो भी लगाई जाये ताकि बच्चों की परवरिश, किंडन-गार्डन और क्रेशे का इन्तजाम हो सके।

Rajya Sabha, Factories (Amdt.) Bill 1972, Vol. II, 16th January. 1976, Page 132-134

आप जानते हैं कि हमारी सरकार सारे प्रदेशों में क्रेजेज और किंडन-गार्डन का प्रोग्राम चलाए हुए है और सरकार की मदद से ही वह चलते हैं। तो फिर ऋचेज और किंडन-गार्डन चलाने के लिये प्राथमिकता देने का जो ख्याल है, उसमें बहनें जो खेतों में काम करती है, उनके लिए भी क्रेचेज बनाए। मैं मानता हूँ कि समय अभी नहीं आया है, आना चाहिये और जल्दी आना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह दिन जल्दी आए और हमारा देश इस लायक हो कि हर गाँव का बच्चा, खासकर उन बहनों का बच्चा जो खेतों में काम करती है, देखभाल के लिए ऋचेज में भरती हो सकें, किंडन-गार्डन में आ सके। लेकिन, वह समय मैं समझता हूँ 5 साल में या 10 साल में आएगा।

जहां तक कारखानों में काम करने वाली माताओं के बच्चों की बात है, उनके लिये मंत्री महोदय जो हमेशा ही मजदूरों की बात करते है और हमदर्दी उनके दिलों में कूट-कूट कर भरी हुई है, उनको इस विधेयक को मान लेना चाहिए। इसमें कोई खामी हो, ड्राफ्टिंग में कोई कमी रह गई हो, इस कारण सरकार अपनी तरफ से कोई विधेयक लाना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन, जो इसके पीछे भावना है, वह जरूर कबूल करनी चाहिये। अगर, वह इस विधेयक को जरूरी नहीं समझते और इसके बगैर ही ऐसा इंतजाम कर सकते हैं तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह हमें आश्वासन दें, क्योंकि वह बहुत जरूरी है आने वाली नस्ल के लिये और देश की पैदावार बढ़ाने के लिये।

आप जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को अगर, थोड़े शब्दों में कहा जाए तो उसके मायने है कि पैदावार बढ़ाई जाये और गरीब से गरीब आदमी को उसका हिस्सा मिले। इसी प्रकार इसमें उनके रहने के लिये जमीन देने की बात है। बाऊंडेड लेबर (बंधक मजदूरों) की मदद करने की बहुत आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में भी वही भावना है, जो इस बिल में है। एक तरफ जो गैर-कानूनी तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उनसे पैसा छीनने का प्रोग्राम 20 सूत्री प्रोग्राम में है, जो स्मगलर्स है और गैर-कानूनी तरीके से पैसा बनाते हैं। उनसे रूपया छीनने की बात है या जो गरीब है, उन गरीबों को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात है, यह सारी बातें 20 सूत्री कार्यक्रम में है।

हमारी प्रधानमंत्री जब यह दावा करती है कि हम गरीब से गरीब आदमी की सेवा में हाथ बटाएंगे तो आज के दिन इस विधेयक के पीछे जो भावना है, उसको देखते हुए मंत्री महोदय को यह जरूर कबूल करना चाहिये और इसकी जिम्मेंदारी भी

लेनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर, इसके लिये कोई सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स (पूरक मांग) इस सदन में आएगी तो सदन हर तरह से मानने को तैयार है। वह विश्वास दिलाएं जैसाकि बहन चूंडावत जी ने कहा है कि ऐसे संस्थान में जहां 20 बहनें काम करती हैं। उनके बच्चों के लिये क्रैचेज और किंडन-गार्डन का इंतजाम किया जाए, क्योंकि, यह बहुत जरूरी है।

20 सूत्री कार्यक्रम की जो भावना है मैं मानता हूँ अच्छी तरह से इस बिल में सीधे उल्लेख नहीं है, फिर भी, इस बिल में भावना वही छिपी हुई है। इस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए गरीबों की भलाई के लिये जो कि हमारा परम धर्म कर्त्तव्य है। में प्रार्थना करता हूँ कि मंत्री महोदय आश्वासन दे कि या तो वे इस बिल को पास कराएंगे, नहीं तो अप्रैल से जैसा इस बिल के पीछे भावना है, उसका इंतजाम करेंगे।

राज्य सभा

वीरवार, 22 जनवरी, 1976 ई.*

आय और धन स्वैच्छिक घोषणा विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस अध्यादेश द्वारा जो असर देश में हुआ, उससे पुरानी याद आती है, जब सरदार पटेल ने बड़े-बड़े रजवाड़ों को, जो कहते थे कि हमने रियासत अपनी शक्ति से जीती है, हमारे बुजुर्गों ने हथियारों के दम पर इसको बनाये रखा है, हम भविष्य में भी इसको इसी तरह से कायम रखेंगे, जो रजवाड़े इस तरह की बात कहा करते थे, वे सब चन्द दिनों के बाद चलते बने और सरदार पटेल की सख्त कार्यवाही की वजह से आज इस देश में एक भी न रियासत है और न कोई रजवाड़ा ही है

हमारे कुछ भाई, विरोधी दल के सदस्य समझते थे कि उनके साथ बहुत रियायत हो रही है, वह रियायत भी जाती देखी और उनके वजीफे भी खत्म होते देखे। इसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में भारत सरकार ने जो यह तर्जुबा किया है, उसकी कामयाबी की यह पहली कड़ी है कि उसने 1550 करोड़ रूपये या जायेदाद का पता लगा लिया। इस तरह का जो उसने असर किया है, वह कोई छोटा काम नहीं है। यह काम खास तौर पर ऐसे महकमें की मारफत किया गया जिसके बारे में श्री धर्म चन्द जी का कहना है कि वहां पर कोई भी ईमानदार नहीं है। अगर,, उस महकमें से कोई फैसला लेना हो तो उसके लिए साल, दो साल, तीन साल, चार साल लगते और

**Rajya Sabha, Voluntary Disclosure of Income and Wealth Bill 1976, Vol. II, 22th January. 1976, Page 188-194*

दस, पन्द्रह चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई दफा तो यहां तक नौबत पहुंचती है कि जितना टैक्स देना होता है। उससे ज्यादा तो वकीलों को दना पड़ जाता है और फिर भी केस का फै सला नहीं होता। इस तरह से वहां पर फाईलों में और कागज में लटपट रहता है। कोई चीज या कागज वहां से बड़ी से बड़ी मुश्किलों से निकल पाता है। इस तरह का जो महकमा है, उसने इस कानून के जरिये 1550 करोड़ रूपये या रूपयों की जायेदाद निकाल दी। यह कोई छोटी बात नहीं है। इतनी जायेदाद का पता करने या काले धन का पता करने के लिये सरकार का कितना पैसा खर्च होता, इसका हिसाब लगाया जाये तो समझ में आ सकता है कि इस बिल का कितना फायदा हुआ है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, इसके लिये कि जो देहातों में बसते हैं, या जो गाँवों में रहेंगे, उनके लिये और दूसरा जो तनख्वाहदार है, जो शहरों में रहते हैं। जो कारखाने चलाते हैं, उनके लिये। मैं जानना चाहता हूँ कि समाजवाद का यह तौर तरीका आखिर कब तक चलेगा। आज तो ऐसी बात नहीं है कि गाँवों में, देहात के लोगों को मत का अधिकार न हो। इस देश में कुल 15 या 20 ऐसे हल्के हो सकते हैं, जिनमें तनख्वाहदार या कारखानेदार ही मत के अधिकारी हो। वरना बाकी 540 हल्कों में से ज्यादातर में देहात के लोग ही बसते हैं। एक तरफ अभी बहन सुमित्रा जी ने कहा और बड़ी काबलियत के साथ कहा कि जो कम से कम आपकी आठ हजार की सीमा है, इन्कम टैक्स को लगाने के लिए उसको बढ़ा कर दस हजार कर दिया जाये।

श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी : 12 हजार के लिए कहा।

श्री रणबीर सिंह : ठीक है, आठ हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दी जाये और 12 हजार बचाने का अधिकार पति को हो और 12 हजार का अधिकार पत्नी को हो तो हर साल 24 हजार की आमदनी टैक्स से मुक्त रहे और यहां 12 एकड़ रखने का अधिकार है, 12 एकड़ की सीलिंग है। पहले ही 16 हजार कर मुक्त है। अब आप उसको बढ़ाकर 24 हजार तक ले जाना चाहते हैं तो कौन से समाजवाद का नक्शा हमको आप दिखाना चाहते हैं? यह सोचने वाली बात है। यही नहीं, आप देखें कि जैसा उन्होंने कहा, उसका मुकाबला हम दूसरे टैक्सेज से करें तो कितना खर्चा आता है। छोटे-छोटे मामलों में टैक्स वसूल करने के लिये उसका हिसाब लगायें तो आपको पता चलेगा। लैंड रेवेन्यू जमीन का कर है। आज तो जमीन सरकार की जायेदाद नहीं रही, वह तो लोगों की जायेदाद है, भूमिकर को किराया तो आप नहीं कह सकते। फिर उस जमीन की आमदनी कैसी है? वह किसी कारखानेदार की तरह किसी ठण्डे या गर्म कमरे में बैठ कर हासिल नहीं की जा सकती। वह तो खून

और पसीना बहा कर सर्दी और गर्मी में मेहनत करके हासिल की जाती है। एक तरफ उनके लिये आपकी सीलिंग है और दूसरी तरफ उनके लिये आपका 12 हजार का सुझाव है यह दोनों बातें तो समता की भावना के विपरीत हो जाती है। कुछ भाईयों का ख्याल है कि यह आपातकालीन स्थिति है या इसे त्याग की स्थिति कहे या अनुशासन युग कहे जैसा कि विनोबा जी ने कहा, यह युग हिन्दुस्तान के लिये कितने फायदे का साबित हुआ है, वह इस बात से ही साबित होता है। इसके अलावा समझदार से समझदार, जिनके पास वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पैसे थे, वे सब हाथ जोड़ बैठे। वकील को भी इस पर गिला है। सभाध्यक्ष जी, जो वैल्यू टैक्स इस साल लगेगा, वह आज की जायेदाद सामने आयेगी। आपने देखा, छिपी हुई जायेदाद सामने आई भी है, जो जायेदाद सामने आई है, उसका दुबारा री-वैल्युएशन होगा।

सभाध्यक्ष जी, हमारे आर्थिक विज्ञान के जानने वाले वित्त मंत्रालय की नीतियों को देखिए। पहले जो कार की कीमत थी, उससे कहीं डेढ़ गुना आज बढ़ गई है। इसलिए, कार बिकती नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि कार तो आराम की चीज है। उसके दाम तो बढ़े ही है। परन्तू, जो पैदावार के लिये ट्रैक्टर होते हैं, इनकी भी कीमत इन्हीं पांच-सात सालों में चौगुनी हो गई है। अगर, वह पांच साल पहले 10 हजार का था तो अब उसकी कीमत 40 हजार हो गई है। अगर, वह 20 हजार का था तो उसकी कीमत एक लाख हो गई है। यह आर्थिक अन्याय वित्त मंत्रालय कब तक चला सकेगा, यह हमारी समझ में नहीं आता। वित्त मंत्रालय को इस पर बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये। जो नारेबाजी चल रही है कि जमीन में आमदनी बहुत है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जमीन में आमदनी कहां है? सरकार को यह बात भी देखनी होगी कि सरकार के जो फार्म है, जिनमें सरकार की मशीनरी लगी हुई है, सरकार के करोड़ों रूपये लगे हुए हैं, वे घाटे में क्यों जाते है? यह सामान्य बात है कि बगैर पैसे के, बगैर सामान के और बगैर जरिये के किसान ज्यादा पैसों में से अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, मकान भी बनाना है। अगर, ऐसी हालत में उस पर टैक्स लगता है तो यह घाटे के ऊपर टैक्स है।

डा. रामकृपाल सिंह : भूपेश जी को सुनाईए।

श्री रणबीर सिंह : डा. साहब, यह तो आपके सुनने की बात है भूपेश जी की पार्टी तो कह ही चुकी है

उपसभाध्यक्ष (श्री बी.बी. राजू) : चौधरी साहब आगे कहिये।

श्री रणबीर सिंह : जैसा आपने इशारा किया मैं इनकी तरफ न जाकर आगे अपनी बात कहता हूँ। यह ठीक है कि आज पैसे की जरूरत है अपनी योजनाओं को चलाने के लिये। देश की तरक्की के लिए पैसा चाहिये। हमारी आर्थिक सोच यह है कि अगर, नहर बने और उसके ऊपर पैसा लगाये तो उसका ब्याज प्रदेश सरकारें दे और अगर, गाँवों में बिजली दी जाये तो स्टैट इलेक्टरीसिटी बोर्ड उस रूपये पर ब्याज दे। दूसरी तरफ अगर, लोहे के कारखाने लगें तो जितनी शेयर कैपिटल है, उनके ऊपर ब्याज लगेगा। हमारा कहना यह है कि नहरों को और देहातों में बिजली के अदारों को कब तक प्राइवेट जायेदाद मानते रहेंगे और कब आपकी सोच बदलेगी।

एक्साइज ड्यूटी की भी बात आई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर की जो आज कीमत है, उस पर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है? ट्रैक्टर एक ऐसी चीज है, जो पैदावार बढ़ाने के लिये है इसलिये, इस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाये, उस पर अच्छी तरह से सोच-विचार करके लगाई जाये।

यह भी कहा जाता है कि काला धन इसलिये, इक्ट्ठा होता है, क्योंकि, 97 परसेन्ट टैक्स लगता है। मैं कहना चाहता हूँ कि उन पर 97 परसेन्ट टैक्स लगता है, जो बड़े-बड़े कारखानेदार है। वहां एक्साइज ड्यूटी के इंस्पैक्टर्स और स्टेट पुलिस बैठी रहती है, क्योंकि, वहां से काला धन निकल नहीं सकता है। उसमें काला धन बनता है और काला धन तभी बनता है, जब कारखानेदार गलत ढ़ंग से व्यापार करते हैं और सामान को अपने रिश्तेदारों के पास रखते हैं।

मैं इस बात को मानता हूँ कि हिन्दुस्तान में काला धन पैदा होने के कई तरीके है। लेकिन, सरकार ने इस संबंध में जो नीति बदली है, उसके परिणामस्वरूप काफी काला धन बाहर आया है और लोगों ने अपनी सम्पत्ति के आंकड़े दिये है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अर्थशास्त्री है और जो किताबें पढ़कर टैक्स लगाने की बात करते हैं, वे ठण्डे और गरम कमरों में बैठकर विचार करते हैं। उनको गाँवों की वास्वविकताओं का पता नहीं है। आज जो यह बात कही जाती है कि गाँवों में किसानों की आमदनी बढ़ गई है, इसलिए, उन पर टैक्स लगा दिया जाये, यह वास्तव में सही स्थिति नहीं है। मान लीजिये किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो आप इस बात का अन्दाजा किस प्रकार लगाएंगे कि उसकी आमदनी कितनी है? जमीन पर कभी तो अच्छी फसल हो जाती है और कभी नुकसान हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारे वित्त मंत्रालय के जानकारों को गाँवों की स्थिति का ज्ञान नहीं है। मैं यह भी समझता हूँ कि हमारे इनकम टैक्स वालों को भी गाँवों की स्थिति की जानकारी नहीं

है। एक एकड़ जमीन में कितना टोटा होता है और कितना फायदा होता है, इसका अनुमान वे नहीं लगा सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. बी. राजू) : ये बातें तो आप जनरल बजट पर बहस के वक्त कह सकते हैं।

श्री रणबीर सिंह : ...इसलिए, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपातकालीन स्थिति में इस प्रकार की जो स्कीम बनाई गई है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय को और मंत्रालय को बधाई देता हूँ और साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि देहात वालों के साथ जो सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया जाता है, जब तक आप इस सौतेले व्यवहार की नीति को नहीं बदलेंगे तब तक हिन्दुस्तान का आर्थिक ढ़ांचा सही तौरपर काम नहीं कर सकेगा। आपको गाँवों के किसानो और मजदूरों के साथ न्याय करना होगा।

राज्य सभा

मंगलवार, 27 जनवरी, 1976 ई.*

दिल्ली भू-स्वामित्व (हद) संशोधन विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश के क्रांतिकारी नेताओं ने अगर, किसी सैक्टर के बारे में आजादी के बाद सबसे अधिक लिखा है या चर्चा की है तो वह हमारे देश की खेती या भूमि सुधार है। हम इस देश में अगर, समाजवाद का तजुर्बा करना चाहते हैं, तो वह भूमि पर ही कर रहे हैं। हमारे देश में पहले बड़े-बड़े जागीरदार थे, जिन्होंने अपनी भूमि को कभी देखा नहीं था। इसी प्रकार से राजा और नवाब जागीरदार लोग थे, जो अब नहीं रहे। अब हमारे देश में ऐसा वक्त आ गया है, जिसमें लोगों के पास 18 एकड़, 12 एकड़, 20 एकड़ या 30 एकड़ तक भूमि रह गई है, यह भी आप जानते हैं कि पहले हमारे देश में खेती बैलों से होती थी। लेकिन, अब साईंस के तरीके से ट्रैक्टरों से खेती होने लगी है। पहले हमारे देश में अधिकतम जोत की सीमा में अंगूर और अमरूद के बगीचों को छूट नहीं होगी। लेकिन, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। हो सकता है कि अंगूर अब कुछ कड़वे हो गए हो और अमरूदों में पहले जो लोहा मिलता था, वह अब नहीं मिलता हो। इस बारे में हमारे कृषि मंत्रालय ने कुछ भी नहीं बताया है।

यह भी मेरी समझ में नहीं आता कि जब बगीचों को छूट है तो बढ़िया से बढ़िया चीजें है, उनको छूट क्यों नहीं दी जा रही है ? इस बिल में घोड़े पालने के लिए

**Rajya Sabha, Delhi Land Holdings (Ceiling) Amdt. Bill 1976, Vol. II, 27th January. 1976, Page 95-100*

छूट रखी गई है। हमारे कृषि मंत्रालय की दिल्ली मिल्क स्कीम का विस्तार करने की बहुत बड़ी योजना है। आप जानते हैं कि प्रदेश में दूध नहीं मिलता है। बहुत बड़ी मात्रा में दूध बीकानेर और मुरादाबाद आदि स्थानों से मंगाया जाता है। ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान का जो गरीब आदमी है और जो शहरों को दूध दे सकता है, उसको कोई छूट नहीं दी गई है। जो आदमी पशु पालता है, उसको कोई छूट नहीं दी गई है।

इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यहां पर हमारे सदन के नेता बैठे हुए है। उनके प्रदेश में क्या स्थिति है? इस बिल में क्या स्थिति रखी गई है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। यह कहा जाता है कि यह बिल मुख्यमंत्रियों से सलाह करके बनाया गया है। या तो यह बिल मुख्यमंत्रियों की सलाह के खिलाफ है या उत्तर प्रदेश का जो कानून है, वह योजना आयोग के सिद्धान्तों के खिलाफ है उस बिल में लिखा है कि कुटुम्ब में कौन सदस्य होंगे, पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे। उसमें पाँच की संख्या भी दी गई है। उसमें यह भी लिखा कि किसी बाप के बेटे बालिग या जवान होंगे तो उसका अलग कुटुम्ब माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानून में जवान बेटे चार हों या पाँच, अगर, 24 जनवरी, 1971 से पहले उनके नाम जमीन नहीं कर दी गई है तो उनको सिर्फ 6 हैक्टेयर जमीन और मिल सकती है।

ऐसी हालत में यह तो नहीं होना चाहिए कि जो आदमी खेती करते थे या जिनकी खेती ही पेशा है, जिन्होंने हमारे कृषि मंत्रालय का नाम ऊंचा किया है, उनके साथ किसी प्रकार का वैर भाव रखा जाए। मैं समझता हूँ कि वैर जैसी चीज उठती नहीं है। (दोपहर 1:00 बजे) यह में अपने शब्द में दोहराना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे प्रदेश में जिस तरह से इस कानून को लागू किया जा रहा है, उससे वहां के काश्तकार को विरोधी करने की बात है।

यही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो यहां तक हुआ कि जिनकी 24 जनवरी, 1971 से पहले उनके नौजवान बेटों के नाम जमीन कर दी गई, उनके नाम हो गई, गिरदावरी उनके नाम चलती है। 24 जनवरी, 1971 से पहले की है, उनको भी इकट्ठा कर दो। इकट्ठा ही नहीं। अगर, दादा और पोता, अगर, पोता भी जवान है, बाप भी जवान है– दादा और पोता की जमीन इकट्ठा करके एक यूनिट बना दो। देश की एक योजना बनाने से क्या फायदा? सारे मुख्यमंत्रियों की सलाह से यह कानून बना और मेंनें तो पहले अर्ज किया, बाबू जगजीवन राम जी उस रोज बैठे थे, उनको कहा था कि राष्ट्रपति का शासन है, आप हिदायत दे कि कम से कम कानून के खिलाफ, जो

सीलिंग का कानून है, उत्तर प्रदेश का, उसके खिलाफ जो कार्यवाही होती थी और जो अदालत में टिक नहीं सकती और जिसके लिए रिश्तों का बाजार खुला हुआ है, एक-एक अफसर जो कई-कई लाख रूपए कमाता है। यह तो हमारी मन्शा कभी नहीं होती है, सीलिंग के कानून की, कि हमारे अफसर लाखों रूपये कमाए। इससे अच्छा तो यह है कि कांग्रेस पार्टी को चंदा दिला ले। कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा दिला ले। अगर, वे बहुत प्यारे है। लेकिन, इससे कि वह आफिसर को रिश्वत में दे और कायदे के खिलाफ उनको इकट्ठा किया जाए। (समय घण्टी बजी) कायदे में प्रदेश-प्रदेश के कायदों में फर्क हो सकता है। मैं मानता हूँ, क्योंकि हालात अलग होते हैं।

उपसभापति जी, कीमत का सवाल है एक आदमी के पास मान लीजिए 10 हैक्टेयर जमीन है, वह करोड़पति नहीं हो गया, आज दिल्ली में। आज दिल्ली में अगर, वह जमीन बिके तो उसको 15,000 रूपये फी एकड़ मिले और वह जमीन अगर, आप सीलिंग में लें तो 5000 रूपये पर मिले। यह कौन सा समाजवाद है? एक समाजवाद, जैसा यहां पर है कि 8000 मियां को और 8000 बीवी को, आमदनी 16000 तक है, तो कोई टैक्स नहीं होगा और खेत में अगर, उसका घाटा हो तो जमीन भी छिने और उसकी आमदनी पर टैक्स भी लगेगा। यह समाजवाद डिक्टेटोरियल राज में। जैसे रूस हो, चीन हो, चल सकता है। जहां आदमी बोल नहीं सकता है। वहां तो चल सकता है। पार्टी में इजाजत हो, सदन में इजाजत हो, लोगों के सामने एक नुकता रखने की इजाजत हो, यह कब तक चलेगा? चौधरी चरण सिंह का नेतृत्व अगर, पैदा किया, वह ऐसी ही बातों ने पैदा किया कि हम कायदे इस ढ़ंग से बनाते हैं कि जिससे जो भाई पीछे खींचने वाले है, उनके साथ लोग लगें। मैं आपकी मार्फत कृषि मंत्रालय से और शिन्दे साहब से-मालूम नहीं शाहनवाज खान आज क्यों नहीं आए, पहले दिन तो दिखाई दिए थे, उनकी और मेरी इकट्ठी बात है और यहीं नहीं, आपके केन्दीय मंत्रीमण्डल के सदस्य है जो मेरे साथ विचार रखते हैं, इस बारे में-- वे इस बारे में विचार करें (समय पूरा होने की घण्टी बजी) यह प्रदेश और देश के किसानों के हित में कानून हमें बनाना चाहिए और उसमें संशोधन भी इसीलिए करना चाहिए।

फिर, आखिर में एक ही बात कहूंगा। अभी खुरशीद आलम साहब ने कहा कि कहीं जमीन उनके पास न चली जाए, जिनके पास से आई है। उनके लड़के है और जिनके पास अधिकतम जोत सीमा से कम जमीन हो, अगर, वे जमीन खरीद लें तो क्या वे हिन्दुस्तानी नहीं है? जो खेती करना जानते हैं। उनके बाप-दादाओं ने खेती

की, जिनकी पीढ़ी-दर-पीढ़ी खेती करते आए, क्या हम उनके साथ बैर रखना चाहते हैं कि अगर, उनको कानून में इजाजत है तो वे खरीद न सके? थोड़ी किसी की तन्खाह में कमी आती है तो ळड़ताल क्यों होती है? 5000 माहवार तनख्वाह के लिए, हवाई जहाज के चालक को 5000 से ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, इसके लिए सी.पी.आई. और दूसरी विरोधी पार्टियां उनकीं मदद करती हैं।

पीछे जो रेल वालों की हड़ताल हुई थी, जो हवाई जहाज वालों की ळड़ताल हुई थी, उनके पीछे यही मांग थी। मैं कहता हूँ कि इस देश में इस तरह की बात नहीं चल सकती है। अगर, हमें देश की जनता को अपने साथ ले जाना है तो हमें सोच समझकर कानून बनाने चाहिए और सोच समझकर उनकीं भलाई के कार्य करने चाहिएं। मंत्रालयों को सोच समझकर देश की जनता के लिए कानून बनाने चाहिएं। जो कानून लाया गया है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस कानून में इस तरह का संशोधन लाए, जिससे अंगूरों पर छूट हो, अमरूदों पर छूट हो और जो जमीन बटेगी वह सबसे पहले उसको मिलेगी, जिसके पास बैल है, जो हल चलाता है। जो मार्जिनल फारमर है या छोटा किसान है, पहले उसको मिलेगी और बाद में दूसरे को मिलेगी।

राज्य सभा

शुक्रवार, 30 जनवरी, 1976 ई.*

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, श्री भुपेश गुप्त जी के लिये मेरे दिल में बड़ा आदर है। मैं मानता हूँ कि जो बात वे सदन में कहते हैं, वह काफी सोच समझ कर, बड़े विचार के बाद कहते हैं। लेकिन, कई दफा ऐसा भी होता है कि जो उनके विचार होते हैं। वे कुछ हवा में भी उड़ जाते हैं। जमीन से सम्बन्ध उनका टूट जाता है।

श्री एन.जी. गोरे : आप भी कभी हवा में उड़े, जमीन पकड़ कर क्यों बैठे हो ?

रणबीर सिंह : गोरे साहब ने यह बड़ी सही बात कही कि कांग्रेस पार्टी को ही इस बात का श्रेय है कि जहां पहले हर एक भाई को मताधिकार नहीं था, अब चाहे बेजमीन वाला हो या जमीन का मालिक हो, कारखाने का मालिक हो या कारखाने के मजदूर हो, प्रधानमंत्री हो या कुटिया में रहने वाला भाई हो, सबको मताधिकार का अधिकार है, सबको एक मत देने का अधिकार है। यह श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही है। गोरे जी का कहना है कि हम सब प्रधानमंत्री की सलाह पर चलते हैं। वे हमें बता रहे हैं कि हमारे घर का क्या तरीका है, उस घर में कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। मुझे खुशी है कि उन्होंने संजय गाँधी का नाम लिया। मुझे बहुत सी पीछे वाली बातें याद है। मुझे ज्ञान नहीं संजय गाँधी का नाम उन्होंने अपने दिल में उनके प्रति आदर की वजह

**Rajya Sabha, Constitution (Amdt.) Bill 1976, Vol. II, 30th January. 1976, Page 133-138*

से लिया या कोई ईर्ष्या की वजह से लिया।

श्री एन. जी. गोरे : मुझे क्या ईर्ष्या हो सकती है?

श्री रणबीर सिंह : आप जैसे विचारकों को इस बात की ईर्ष्या है कि उनको राजगद्दी नहीं मिली और आपको दिखाई दे रहा है कि संजय गाँधी भी आपको राजगद्दी नहीं लेने देगा। यही ईर्ष्या आपको हो सकती है।

आप जानते हैं कि गोरे जी बड़ी समझ से बोलते हैं। लेकिन, जब रेल की हड़ताल हुई तो यह भी बह गये थे। सभी विरोधी दलों के विचारक उसमें बह रहे थे...गोरे साहब भाग क्यों रहे हो?

श्री एन. जी. गोरे : भागता नहीं। आप तो रेल पर चले गये।

श्री रणबीर सिंह : रेल पर ही नहीं। हवाई जहाज पर भी आऊंगा।

श्री उप-सभापति : डिरेल हो गये।

श्री रणबीर सिंह : उपसभापति जी, जैसा मैंने कहा, कई दफा.....

(व्यवधान)

श्री भुपेश गुप्त : आपने ऐसी बात कह करके गोर जी को भगा दिया।

श्री रणबीर सिंह : ऐसी बात मैं कह गया कि वह भाग गये। मेरा अहो भाग्य होता कि वह यहां रहते। मैं उनको देखकर जरा जोर से बोल सकता था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसा कि गोरे जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की सलाह पर ही चलते हैं। लेकिन, आज तक हमारे देश का इतिहास यह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी सलाह दी और जिस वक्त दी उसके लिये वक्त भी ठीक था और वह सलाह भी ठीक थी। आप जानते हैं कि जब बंगलादेश की लड़ाई छिड़ी तो उस समय तमाम पार्टियां कहती थीकि बंगलादेश को कबूल कर लो। लेकिन, उन्होंने इस बात को माना, उसी वक्त जब उसको मानना सही था।

अभी ओम प्रकाश जी त्यागी मेरे से पहले बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वह देहात के रहने वाले है। लेकिन, उनकी भावना देहात के खिलाफ थी। उन्हें इस बात का गिला था कि हिन्दुस्तान के राज पर देहात वालों का दखल क्यों रहे और उनका दखल तोड़ने की एक ही समझ उनको आयी कि पढ़ने लिखने वालों को ही वोट का अधिकार दे दिया जाये तो शायद देहात वालों का असर उन पर नहीं रहेगा। यह

भावना उनके दिमाग में थी। इसी वजह से वह यह बात कह गये वरना जैसा देहात है, वैसा ही शहर है। हमारे देश में देहात में भी कालेज हैं, देहात में भी यूनिवर्सिटिज है और यह मान लेना कि देहात के बच्चे पढ़े-लिखे नहीं होंगे, ग्रेजुएट नहीं होंगे, यह सही बात नहीं है। यह बात सत्य के विपरीत है जैसा कि उन्होंने कहा कि उससे ऐसा मालूम दिया कि उनको इस बात का गिला था कि जो भाई पढ़े-लिखे नहीं है, उनको मताधिकार क्यों दे दिया गया?

मैं मानता हूँ कि हमारे देश में जब संविधान बन रहा था, उस समय बहुत सारे ऐसे विचारक थे, जो यह मानते थे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा, उनको मत का अधिकार दे दना देश के हित की बात नहीं है। यह उनका अपना एक विचार था। उनके मन में ऐसे विचार के पीछे कोई देहात के खिलाफ भावना थी। यह बात नहीं थी। लेकिन, उनका सोचना था कि जो पढ़े लिखे लोग है, वह ही सही काम चला सकते हैं। उनका ख्याल है कि विरोधी दल को ज्यादा वोट पढ़े लिखे लोगों के ही मिलते हैं तो उनको एक मौका 1967 में मिला था। वह मानते हैं कि पढ़े लिखे लोग उनके खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन, उनको चुनने का मौका मिला था आप लोगों को 1967 में। राजसत्ता में भी आप लोगों को आने का मौका मिला था।

1947 के बाद 1967 में लोगों में एक भावना आयी कि कांग्रेस को बदलना चाहिए। 20 साल के बाद यह ख्याल बना कि देश के हित में कांग्रेस को राजकाज देना नहीं चाहिए, यह देश के हित में नहीं होगा। इसलिये, कई प्रदेशों में कांग्रेस को हराया गया। लेकिन, उन विरोधी दल के पढ़े लिखे लोगों की नीतियों का क्या नतीजा रहा? हमको 20 साल लगे हटने में और उनको कहीं 9 महीने लगे और कहीं 10 महीने लगे। वे 9 या 10 महीनों में ही बच्चा देकर चलते बने।

यह मानना कि हमारे देश में जो अनपढ़ भाई हैं, वे मताधिकार सही तौरपर इस्तेमाल नहीं करते, यह राजनीतिक भूल है देश में। मैं मानता हूँ कि जो 27, 28 साल तक प्रजातन्त्र कायम रहा, उसमें अगर, किसी की सबसे बड़ी देन है तो वह देहात की देन है। देहात का आदमी चाहे पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़ हो, वह हमेशा ही विश्वास करके चलता है। विश्वास के साथ ही काम चलता है। हमारे ये भाई जो अपने आपको पढ़ा-लिखा मानते है, त्यागी जी जो कहते हैं। मैं देहाती हूँ, लेकिन, बात शहर की करते हैं, उनका विश्वास बड़ा टूटा फूटा है। अभी (ऐसे) सब भाई इकट्ठे है और भूपेश गुप्त जी के विधेयक का साथ दे रहे हैं। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में जो भूपेश गुप्त जी के पड़ोसी सदस्यगण है, उनसे लड़ने लग जायेंगे।

मैं कोई पढ़े-लिखे भाईयों के खिलाफ नहीं हूँ और यह भी मैं मानता हूँ। पढ़े-लिखे भाईयों का एक स्थान है देश की तरक्की में। उनकी बहुत बड़ी देने है हिन्दुस्तान की तरक्की में। लेकिन, यह मानना कि अनपढ़ लोगों का इस देश में स्थान नहीं है, यह गलत है। यह समझना कि देहात के भाई अपना मत इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, यह भी गलत है। जो संविधान बनाने वाले बुजुर्गों ने उनके ऊपर विश्वास किया वह सच ही साबित हुआ।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उनकी उम्र 18 वर्ष हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो 18 वर्ष का होगा, वह बच्चा पढ़ रहा होगा। यह बात भी मानने की है कि आजकल सभी पढ़ते हैं, चाहे वह देहात का हो या शहर का हो। दिल्ली युनिवर्सिटी में जो राजनीति चली, उसको सभी लोग जानते हैं। कहा जाता है कि बड़े समझदारों की, पढ़े लिखों की राजनीति थी। लेकिन, जो वहां चुनाव हुए, उसमें क्या-क्या हुआ, क्या-क्या कारनामें किये गये, उनको मैं (यहां) दोहराना आवश्यक नहीं समझता। एक बात मैं मानता हूँ कि जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि पढ़ाई के युग में आमतौर पर पढ़ने वालों को किसी तरह भी राजनीति में दाखिल न होने दे और न उनका आह्वान करे। अगर, कोई खास हालात पैदा हो जाएं जैसे कि आजादी की लड़ाई में 1921 और 1942 में हुए थे तो और बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि पढ़ने वालों को पढ़ने दीजिये, ताकि अपना भविष्य बना सके और देश का भविष्य बना सके।

श्री सीता राम सिंह : पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री उप-सभापति : क्या प्वॉइन्ट ऑफ आर्डर है?

श्री सीता राम सिंह : यह है कि माननीय सदस्य गाँधी जी को गलत कोट कर रहे हैं। महात्मा गाँधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में विद्यार्थियों को स्कूल, कॉलेज छोड़ने के लिये आह्वान किया था।

श्री रणबीर सिंह : मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सिर्फ 1921 में आह्वान किया और इसके बाद 1942 में यानी 21 साल बाद। यह इस बात का प्रतीक है कि इस बीच में हमारे देश में आजादी की लड़ाई चलती रही, लेकिन, इस बीच कभी उनका आह्वान नहीं किया। बल्कि, यही कहा कि उनको पढ़ते रहना चाहिये।

मैं आज भी कहता हूँ कि आम हालत में हमको विद्यार्थियों के विद्याध्यन के बीच में झगड़ा पैदा नहीं करना चाहिये। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के राजनीति में

कूदने से न विश्वविद्यालय की भलाई है, न उनकी खुद की भलाई है, बल्कि इससे देश को नुकसान पहुंचता है। विद्यार्थियों को भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिये, मैं मानता हूँ कि उस वक्त जो फैसला किया गया था कि 21 साल के बाद ही मताधिकार मिलना चाहिये, बड़ा सोच समझकर किया गया था। इस विषय पर बड़ी गम्भीरता से विचार हुआ था। अभी समय नहीं आया है कि उसको हम बदले। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जब इस प्रकार का समय आएगा तो कांग्रेस पार्टी किसी से पीछे नहीं रहेगी और आगे चल कर रास्ता बनाएगी।

अगर, हमें इस देश को बनाना है, विद्यार्थियों को बनाना है और आप चाहते हैं कि वे विद्या हासिल करें तो आपको विद्यार्थियों में राजनीति नहीं लानी चाहिये। हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जब (प्रतियोगी) राजनीति में पड़ जाते हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के विद्यार्थी विद्वान बने और देश के अच्छे नागरिक सिद्ध हो] इसलिए, यह जरूरी है कि पहले जो संविधान में फैसला किया गया है, उसी को हम कायम रखें।

राज्य सभा

शुक्रवार, 8 मार्च, 1976 ई.*

तमिलनाडु बारे राष्ट्रपति द्वारा घोषणा

श्री रणबीर सिंह : उप-सभापति जी, कुछ दोस्तों का यह ख्याल हो सकता है कि राष्ट्रपति जी ने जो वहां की सरकार को तोड़ा यह प्रजातंत्रीय विचार के विरूद्ध है। लेकिन, जिस वक्त संविधान सभा में हमारे देश में प्रजातंत्र कैसे चले और किस रूप में चले, इस पर विचार था तो इस बात को उस वक्त भी हमारे नेता मानते थे कि हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आये कि प्रजातंत्र चलाने वाले कुछ भाई बजाये प्रजा के हित के अपने हित में राज्य को चलाने लगे। जब देश के और प्रदेश के हित को छोड़ जाये। अपने हित की ज्यादा फिक्र करे। यही नहीं, आप जानते हैं कि कोई नयी बात इस देश में नहीं हुई। जब-जब भी वक्त आया, चाहे कांग्रेस पार्टी का शासन था या किसी विरोधी पार्टी का शासन था, जहां शासन में कुछ ढ़ील आई और प्रदेश के हितों के खिलाफ या प्रदेश की जिस तेजी से तरक्की करनी चाहिए, उस तरक्की में रोड़ा होने की बात दिखाई दी, उसी वक्त राष्ट्रपति जी ने समय-समय पर प्रदेश की सरकारों को तोड़ करके उनका सही मार्ग निर्देशन करने की कोशिश की।

अभी जब शर्मा जी बोल रहे थे--में समझ सकता हूँ कि डी.एम.के. के भाई को गिला हो सकता है, उनकी वफादारी पर कोई शक कर सकता है। अगर, वह इस कदम की सराहना कर दे। लेकिन, त्यागी जी की बात, उनकी हंसी मेरी समझ में नहीं आई। दूसरी तरफ हमारे दोस्त बनारसीदास जी भी कुछ कटाक्ष से करते दिखाई दिये।

**Rajya Sabha, Reproclamation by President relating to Tamil Nadu, Vol. II, 8th March. 1976, Page 127-133*

मुझे 1967 का जमाना याद आता है, जब इस देश में एक बहुत बड़े नेता और उस वक्त के कांग्रेस के प्रधान के. कामराज जी की एक नौजवान ने चुनाव में हराया था। कामराज जी कौन थे? जिस वक्त मद्रास बंटा और हमारे गृहमंत्री जी के प्रदेश के भाई चाहते थे कि मद्रास उनको मिले और तमिलनाडु के भाई चाहते थे कि मद्रास उनको मिले, उस वक्त आन्ध्र प्रदेश के बहुत सारे भाई यह मानते थे कि अगर, मद्रास जायेगा तमिलनाडु के साथ तो मद्रास के लोग भूखों मरेंगे, क्योंकि, चावल ज्यादातर आन्ध्र से ही मद्रास को जाता था। आन्ध्र ही मद्रास को खिलाता था। कामराज वह महापुरूष थे, जिन्होंने उस प्रदेश में बिजली के कुंओं का जाल बिछाया और बिजली के तारों का जाल देहातों में बिछाया। हिन्दुस्तान में वह पहले प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री था, जिसने यह करके दिखाया कि देहातों में भी बिजली के लट्टू जल सकते हैं। उन्होंने गाँवो-गाँवों में बिजली के पम्प चलवाए। दूसरे भाई, जिनको तमिलनाडु का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, जो यह शक करते थे कि शायद मद्रास में खाना पूरा नहीं मिल सकेगा, उन्होंने देखा कि के. कामराज ने वहां के प्रदेश को इतना ऊंचा किया कि बाकी हिन्दुस्तान में कुल बिजली से चलने वाले पम्पों में से आधे अकेले तमिलनाडु में चलते थे। इसी तरह से तमिलनाडु राज्य में गाँवों में बिजली पहुँची थी। जिन गाँवों में बिजली पहुंची उनमें से आधे गाँव तमिलनाडु के और आधे गाँव सारे देश के थे। उसी महापुरूष को जिसने तमिलनाडु को बनाया, एक नौजवान ने हराया, जो हिन्दी से घृणा की बात करता था, जो हिन्दुस्तान को एक नहीं रखना चाहता था। दु:ख की बात है कि हिन्दी के नाम पर, हिन्दी के नाम लेवा जनसंघी भाईयों ने श्री कामराज की हार पर दीये जलाये। कामराज की हार पर खुशी मनाई। आज भी उनकी आंख नहीं खुली। कांग्रेस का एक नियम रहा है, एक प्रणाली रही कि प्रदेश में जो भी चुन कर आए, उसको मौका दिया जाये काम करने का....

श्री ओमप्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : वी.वी. गिरी के चुनाव में किसने दोस्त बनाया?

श्री रणबीर सिंह : कहां तमिलनाडु और कहां चुनाव किस चक्कर में आप फंस गये? व्यक्तिगत चुनाव के बारे में तो इलैक्शन पेटिशन में जाकर पता कर लिया होता। यहां इस सदन में चुनाव की बात कैसे ले आए? आपके चुनाव के बारे में भी कोई इसी तरह कह सकता है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि वे शक्तियां जानती थी। केन्द्रीय सरकार जानती थीं कि तमिलनाडु में जो भाई डी.एम.के. के विचार वाले हैं, उनका विचार देश को एक रखने के बारे में शक की बात है। फिर भी केन्द्रीय

सरकार ने समझा कि उनको मौका देना चाहिये और दिया। गलती से आदमी सीखता है। गलती करेंगे तो केन्द्रीय सरकार उनको सही रास्ता दिखाएगी, तथा उनको ज्ञान होगा। जब तक सही मायनों में उनको प्रशासन का तजुर्बा नहीं होगा, तब तक वे अलग रहने का नारा देते रहेंगे। इस देश में विघटन की आवाज पैदा न हो इसको रोकने के लिये भी उनको मौका दिया गया। परन्तु, उन्होंने हिन्दी के खिलाफ वायुमण्डल तैयार किया। इसलिये, नहीं कि वे वहां पर तमिल रखना चाहते थे। इसी तरह से ये गलत काम करते रहे। आठ-नौ साल तक गलत काम होता रहा। आठ-नौ साल के बाद भी जनसंघी भाईयों की आंख नहीं खुली।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सरकार क्यों सोती रही ?

श्री रणबीर सिंह : सरकार सोई नहीं। बल्कि सरकार तो मौका देती रही। आपको भी मौका दिया। वर्ष 1967 में दूसरी पार्टियों को भी मौका दिया। हम चाहते थे कि अगर, वे चल सकें तो चलें। हमने देखा कि कई स्थानों पर जनसंघ भी ताकत में आया। लेकिन, जनसंघ वाले साल या नौ महीने तो क्या दो चार महीनों में ही खलाश हो गये। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि डी.एम.के. के लोग जनसंघ के मुकाबले थोड़ा अच्छे जरूर साबित हुए। उनमें कमी यह है कि वे देश का विघटन करना चाहते हैं। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि डी.एम.के. की सरकार को जिस खुले तरीके से सरकार को चलाना चाहिये और जिन कायदो और प्रजातांत्रिक कानूनों के मुताबिक अपना खर्च करना चाहिये था, वह उसने नहीं किया। गवर्नर महोदय की रिपोर्ट में इन सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है। मैं इनको दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। करोड़ों रूपयों का जो कंट्रेक्ट दिया गया, उसको अगर, काम होने से पहले ही पास कर दिया तो पहले ही उसका बंटवारा किया जाये, यह किसी भी दृष्टि से उचित तरीका नहीं है। यही नहीं, तमिलनाडु की गरीब जनता के लिये और कहत से तकलीफशुदा लोगों के लिये केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो पैसा भेजा गया, उसको पार्टी द्वारा अपने लोगों में बांटा गया।

स्वर्गीय श्री कामराज ने हिन्दुस्तान में तमिलनाडु को एक बहुत ही अच्छा राज्य बना दिया था। उन्होंने तमिलनाडु में अनाज के भंडार बना लिये थे। उन्होंने वहां पर छोटे-छोटे बहुत से कारखाने बना दिये थे। लेकिन, पिछले आठ-नौ साल से डी.एम.के. सरकार ने तमिलनाडु की ऐसी स्थिति कर दी कि तमिलनाडु के प्रत्येक आदमी की आमदनी देश में सबसे कम हो गई। जो प्रदेश पहले सबसे आगे था, वह आज एक पिछड़ा हुआ प्रदेश बन गया है। हिन्दुस्तान की सरकार जो सारे देश को

ऊपर उठाना चाहती थी, वह किस प्रकार से तमिलनाडु को एक पिछड़ा प्रदेश रहने देती ? ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान की सरकार ने तत्काल यह कार्यवाही की।

इन बातों के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गृहमंत्री जी को कानून में एक और तबदीली करनी चाहिये। इस सदन में मेरे दोस्त श्री सुलतान सिंह जी ने एक दफा कहा था कि हिन्दुस्तान के चुनाव कानून में हम लोगों को एक तबदीली अवश्य करनी चाहिए और वह तबदीली यह है कि जो पार्टियां देश का विघटन करना चाहती है। जो रिजनलिज्म और कास्टिजम का विष फैलाती है। उन पार्टियों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये। अगर, देखा जाये तो डी.एम.के. की सरकार में ये सारी खराबियां थी। जैसा अभी श्री शर्मा जी ने बताया, डी.एम.के. की सरकार ने ऐसे विदेशी तत्वों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, जो हमारे देश के विरोधी थे। यही नहीं, जो देश हमारे दोस्त थे, उनसे उन्होनें बिगाड़ने की कोशिश की। हमारे देश की विदेश नीति में वे बिगाड़ पैदा करना चाहते थे।

ऐसी हालत में मैं यह बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की पार्टियों को देश में खुले आम छूट नहीं दी जानी चाहिये। हमारे देश में जो छोटी-छोटी प्रादेशिक पार्टियां है, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन उनको मान्यता न दे। आप जानते हैं कि डी.एम.के. की सरकार ने हमारे देश को विघटन की तरफ ले जाने की कोशिश की। इसीलिये, केन्द्रीय सरकार ने उसका सही इलाज किया। असल मैं यह इलाज बहुत पहले हो जाना चाहिये था।

जैसा अभी श्री शर्मा जी ने कहा, राष्ट्रपति शासन का तमिलनाडु में बहुत बड़ा स्वागत किया गया। लेकिन, कुछ लोगों की तरफ से यह अफवाह उड़ाने की कोशिश की गई कि मद्रास में बहुत बड़ा झगड़ा-फसाद हुआ। मैंने तो बी.बी.सी. नहीं सुना। लेकिन, कुछ लोगों से यह बात सुनी कि बी.बी.सी. ने अपने ऐलानी रिपोर्ट में कहा कि मद्रास में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, मद्रास में बवेला मचा है।

मुझे मद्रास जाने का अवसर पिछले दिनों मिला। स्वाधीनता सेनानियों की कान्फ्रेस के सिलसिले में मैं बंगलौर गया था। इस समय मैंने मद्रास में पूछा तो पता लगा कि वहां हर भाई खुश है, सारा ही प्रदेश खुश है। प्रदेश में कोई आवाज उसके खिलाफ नहीं उठी। यह एक सबूत है कि डी.एम.के. के शासन में तमिलनाडु के लोग इस बात को महसूस कर चुके थे कि हमारे प्रदेश की प्रगति डी.एम.के. के हाथों पूरी होने वाली नहीं थी। यहां कुछ भाई कह सकते हैं कि अच्छा होता चुनाव करा देते। जब

ये लोग शासन में आये तो जो ठेका दिया, बगैर ठेके का हिसाब-किताब कराये पहले ही रूपया बांट दिया और साझा कर लिया पूरा पूरा।

जैसा उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ कि डी.एम.के. के साथ शायद कांग्रेस पार्टी के बारे में भी, सी.पी.आई. के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। वह कह सकते हैं कि 1971 के चुनाव में, लोकसभा का जहां तक संबंध था, कांग्रेस पार्टी ने डी.एम.के. के साथ मिल कर चुनाव संधि की। वह एक वक्त की बात हो सकती है। कई दफा वक्त के साथ साथ आदमी को कुछ झुकना भी होता है, देश की तरक्की के लिये, देश को बढ़ाने के लिये। आपने देखा कि एक दफा बड़े-बड़े समझदार और विचारक है, वे भी हवा में उड़ते हैं। वे सोचते हैं कि देश का विघटन शायद रेलवे हड़ताल से हो सके, कोई सोचता है कि शायद सरकारी मुलाजिम ही देश का विघटन कर सकेंगे, कोई कभी सोचता है कि विद्यार्थी ही शायद इस देश का राजनैतिक विघटन कर सकेंगे। यह विघटन करने की भावना जो है, उसको रोकना भी बहुत जरूरी है

(समय की घंटी बजी।)

इस प्रदेश की तरक्की के लिये श्री कामराज जी ने जो बीज बोया था, वहां उस प्रदेश में वह दरख्त फले-फूले और तमिलनाडु हर प्रकार से आगे हो। परन्तु, आजकल की हालत में यह हो नहीं सकता था कि सब प्रदेशवासी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सके। इसलिये, यह जरूरी था कि डी.एम.के. की सरकार को तोड़ा जाये। जैसा मैंने कहा कि डी.एम.के. की सरकार को तोड़ना ही काफी नहीं है। डी.एम.के. की पार्टी की मान्यता को वापस लिया जाना भी जरूरी है। इसलिये, मैं गृहमंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई आगे विघटन की बात न करे, इसके लिये कोई सजा बहुत जरूरी है। जहां आपने वहां की विघटनकारी सरकार को तोड़ा, उस सरकार से राजनैतिक शक्ति ली, अपने हाथ में, उसी के साथ-साथ उस प्रदेश की प्रगति में कोई रोड़ा न बने, कोई खराबी न आये, इसके लिये जरूरी है कि डी.एम.के. उसकी मान्यता कमीशन वापस ले।

राज्य सभा

मंगलवार, 12 मार्च, 1976 ई.*

फसलों की लाभकारी मूल्य योजना

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप सभाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है, उसकी भाषा के ऊपर में नहीं जाना चाहता हूँ। भाषा भी ठीक है और मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन, मैं यह बात मानता हूँ कि इस प्रस्ताव के पीछे जो भावना है, उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। श्री गुलाबराय पाटिल ने जिस प्रस्ताव के द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित किया है, वह, बड़ी गम्भीर समस्या के प्रति एक सही कदम है। इसलिए, मैं उनके प्रस्ताव का दिल से समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हुए मैं यह कहता हूँ कि अभी हमारे माननीय योग्य सदस्य धूलप साहब ने जोश में जो बात कही कि कांग्रेस पार्टी इस देश के किसानों को उखाड़ना चाहती है, यह एक सही तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के किसानों को शक्ति देने के लिए राजाओं को खत्म किया, जागीरदारों को हटाया और रजवाड़ों को खत्म किया। इस देश में जो छोटे मोटे छिपे हुए बड़े काश्तकार थे, उनकी भी जमीन छीन ली। इसलिए, यह कहना कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में नहीं है, यह गलत बात है

यही नहीं, जब से देश आजाद हुआ है 5 हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा रूपया सिंचाई की व्यवस्थाओं पर खर्च किया गया है। यह सब रकम देश में मुखतलिफ प्रदेशों में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए खर्च की गई है। इतना कहकर मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता हूँ कि हम इस देश में एक समाजवादी

**Rajya Sabha, Scheme by Govt. remunerative price to growers, Vol. II, 12th March. 1976, Page 187-190*

व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन, हमारे देश में अभी भी वही मर्केन्टाइल इकोनोमी की सोच चल रही है हमारी जो सोच है, वह अभी समाजवादी नहीं बनी है और यही सबसे बड़ी गलती है कि हम कर्मेन्टाइल इकोनोमी के उसूलों पर चल रहे हैं और समाजवादी व्यवस्था की बात सोच रहे हैं। इस तरह की जो नीति है, वह समाजवादी समाज स्थापित करने में मुश्किल पैदा करती है।

अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। उस देश में सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाने के लिए जो रूपया वहां की सरकार लगाती है, उसके लिए ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही उस कर्ज को वापस लेने की कोई व्यवस्था है। जैसा बतलाया गया है कि वहां पर खाद पर सबसिडी दी जाती है। यही नहीं, अगर, उनके अनाज को खरीद कर फेंकना भी पड़े तो वे उसको फेंक देते हैं, ताकि देश में अनाज के भाव कम न हो। अनाज को फेंकना अच्छी बात नहीं है। अनाज को दान के रूप में लेना कोई बात नहीं है। लेकिन, दान करने पर भी कोई हर्ज नहीं है। इस तरह के अनाज देने से दुनिया में शान्ति बनी रहती है। लेकिन, अमेरिका ने वर्ष 1971 में जब हमारे देश की तरफ कड़वी नजर से देखा था, तब वे इस बात को मानते हैं कि हमें सातवें बेड़े का डर नहीं था, बल्कि वह डर था केवल अनाज की कमी का। वह हमें यह बतलाना चाहते थे कि वे अनाज के ठेकेदार हैं और वे हमको भूख से मार सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहता है और न ही उसकी आजादी बरकरार रह सकती है। इसीलिए इंग्लैण्ड और युरोप में, जहां पर अनाज पैदा करना कठिन होता है, वहां पर भी लोगों ने अनाज की पैदावार बढ़ा ली है

वहां पर उन्होंने खाद्य में स्वावलंबी होने की कोशिश की और हमारे देश में हम दूसरी फिक्रें करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ और आपने भी जिक्र किया कि आपकी सिंचाई योजना का कि उस पर दो सौ करोड़ रूपया खर्च हो गया। उसके लाभ का हिसाब लगाइये। आपका प्रदेश तो दिवालिया हो जायेगा, उसका ब्याज देते देते। हमारे प्रदेश में भाखड़ा की योजना बनी। उस पर 145 करोड़ रूपया खर्च हुआ। लेकिन, आज हरियाणा और पंजाब देश को तीन चौथाई अनाज देते हैं। वह उस योजना का खर्च पूरा नहीं कर सकते। वह एक घाटे की (डेफिसिट) योजना मानी जाती है। यह तो सोच का फर्क है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें इकोनोमी के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर, भाखड़ा डैम न बना होता और जो हमने 5 हजार करोड़ रूपया खर्च किया सिंचाई को बढ़ाने के लिये वह न किया गया होता तो पता नहीं इस देश की क्या हालत हुई होती। इस देश में लाखों और करोड़ों आदमी

भूख से मरते। भूख से बचाने के लिए क्या ब्याज की फिक्र होती है? रूस में भी नहरें बनी। अमरीका में भी नहरें बनीं। वहां कोई ब्याज के लाभ की फिक्र नहीं है। वहां कोई ब्याज का खाता नहीं है। हमारे यहां भी यह ब्याज का खाता खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हम जो हिसाब लगाते हैं कि इतने करोड़ रूपया हमको ब्याज देना चाहिए, यह खत्म होना चाहिए।

आज बिजली की दर क्यों बढ़ाई जाती है? इसलिये, कि प्रदेश सरकारें मजबूर होती हैं, चूंकि वह ब्याज नहीं दे सकते हैं। इसलिये, हमारी सोच आज गलत है। रिजर्व बैंक कागज के नोट छापता है। वह गिल्ट सेक्योरिटी और दूसरी सेक्योरिटी की बिना पर छापता है। सोने की सेक्योरिटी सबसे बढ़िया मानी जाती है। लेकिन, किस काम आता है सोना? सोना रख कर एक आदमी को किसी कमरे में बन्दर कर दीजिए, चार दिल में वह भूखा मर जायेगा। वह काहे की सेकेरिटी है? सेक्योरिटी तो जो हमारी बड़ी बड़ी योजनायें हैं, भाखड़ा डैम है, आपके यहां का डैम है और दूसरी योजनायें है, उनको होना चाहिए। उस सेक्योरिटी पर अगर, हम रूपया छापे और नोट चालू करें तो न कोई झगड़ा हो और न फिर बिजली की दर बढ़ाने की जरूरत ही पड़े और न फिर....सिंचाई की दर बढ़ाने की बात आगे आये। यह सुझाव कि हम बिजली की दर बढ़ाएंगे, यह गलत सोच का नतीजा है। इसके साथ-साथ उपसभाध्यक्ष जो, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह जो आर्थिक समीक्षा है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। उसमें लिखा है शिन्दे साहब कि इस देश में बाहर से जो इमदाद मिली है, वह कुल 15815 करोड़ रूपये की है और जिसमें से बकाया साढ़े सात हजार करोड़ रूपये होगा और साढ़े सात हजार करोड़ से ज्यादा का अनाज इस देश में आया। यह किसानों के लिये शर्म की बात है और हमारे देश के लिये भी शर्म की बात है। वह जाहिर करती है कि हमारी आर्थिक नीति, हमारी सोच, गलत है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.बी. राजू) : नेक्सट नान-अफिशियल डे के लिए अब आप अपना भाषण जारी रखियेगा।

राज्य सभा

शुक्रवार, 15 मार्च, 1976 ई.*

भण्डारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह मानता हूँ कि देश में, जहां तक खुराक है या दूसरी चीजें है, उनको रखने की सरकार ने जो योजना बनाई और जो कार्य किए वे बहुत अच्छे हैं। लेकिन, समय को देखते हुए वह उपाय बहुत थोड़े हैं। इसलिए, कितना उसके लिए कैपिटल चाहिए, कितना भारत सरकार दे और जब-जब बढ़ाने की जरूरत हो, भारत सरकार बढ़ा सके, यह सुझाव बहुत सही सुझाव है। इसके साथ-साथ अभी गुलाबराव जी पाटिल ने जिक्र किया खराबियों का। खराबियों की तरफ ध्यान जाना चाहिए। लेकिन, सबसे बड़ी खराबी की तरफ हमें सोचना है, वह सबसे बड़ी खराबी यह है कि देश में अनाज के भण्डार इतने नहीं बन पाएं या दूसरी खेत की पैदावारों के भण्डार इतने न हो, जितनी देश को जरूरत है।

आप जानते हैं। एक समय था जब हमारे देश में अनाज की पैदावार कम होती थी और हमारे देश को 7-8 हजार करोड़ रूपये की मालियत का अनाज या दूसरी खेत की पैदावारें बाहर से मंगानी पड़ी। लेकिन, कुछ तो किसानों के हौंसले से और कुछ सरकार की मदद से और भगवान की दया से, कुछ देश की हालत में सुधार हुआ और उस सुधार होने में जिन आदमियों ने मेहनत की, खून और पसीना

**Rajya Sabha, Warehousing Corporations (Amdt.) Bill, 1976, Vol. II, 15th March. 1976, Page 92-94*

एक किया, उनका क्या हाल हो रहा है, उसकी तरफ भी सोचने की जरूरत है। उनकीं तकलीफों को कैसे हम कम कर सकते हैं, यह बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि पिछले साल आलू देश में ज्यादा पैदा हुआ। आलुओं को सुरक्षित रखने के लिए स्थान कम था। इसलिए, आलू के भाव इतने भी नहीं रहे कि लोग उसको खेत से खोदकर बाजार में लाए। अमरीका तो एक साहूकार देश है, जहां अनाज और दूसरी चीजें पैदा करने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार खरीद करती है और उनको जला देती है। लेकिन, हमारे देश में ऐसी आर्थिक व्यवस्था है कि वे लोग जो बोए और पैदा करे, उसको खेत से भी निकालने में दिक्कत हो तो यह कोई सोच नहीं। सही तरीका नहीं काम करने का। वैसी हालत आज भी है। आज हमारे देश में जहां तक जौ के भाव का संबंध है, आपने तो विश्वास दिलाया कि 66-70 रूपये की दर से जो मोटे अनाज की कम से कम दर है, उस दर पर आप खरीद लेंगे और खरीद का भाव उससे नीचे नहीं गिरेगा। अगर, गिरेगा तो आप खरीदेंगे, यह विश्वास आपने दिलाया। लेकिन, आज कौन सी चीज है, जो उस भाव पर खरीदी जाती है? एफ.सी.आई. भी नहीं खरीदता है। प्रदेश की सरकारें भी नहीं खरीदती है। जौ का भाव, मैंने सुना है, कई जगह 34 रूपये किवंटल तक गिर गया है।

34 रूपया क्विंटल जौ के भाव हों तो कोई इतने कम भाव पर जौ क्यों पैदा करेगा? जौ से जो कम नशे वाली शराब (बीयर) होती है। वह बनती है और एसको दूसरे देशों में भेजा जा सकता है।

इसी तरह से आप जानते हैं कि इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है जो फसल बीजने वाले है, जो फसल बोने वाले है, उनके दिमाग मैं यह परेशानी हो रही है कि उनके अनाज को कोई खरीदेगा या नहीं? आज हालत यह है कि गेहूं की जो फसल कटने वाली है, वह भरपूर फसल है और किसान परेशान है कि उसका गेहूं कोई खरीदने वाला होगा या नहीं? इसी तरह से जो चना है, उसका भी कोई खरीदने वाला होगा या नहीं। पिछले साल चना 250 रूपया प्रति क्विंटल बिकता था। इस साल चने की फसल तैयार की है, उसका वह चना कोई खरीदने वाला होगा या नही? यह परेशानी आज किसान को हो रही है। मैंने सुना है कि दूसरे देशों में खास तौरपर अरब मुल्कों में चने की दाल की काफी मांग है। अगर, इस दाल को समय पर भेजने का इंतजाम न हो सके तो उसके लिए सरकार को अपने स्टोरों में रखने का प्रबंध करना होगा। इस स्टोरेज के लिए भंडारों की आवश्यकता होगी। इन भंडारों को बनाने के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी और इस कार्य के लिए जितना भी

धन मिल जाये वह कम है। अगर, इस कार्य के लिए 20, 30, 50 या 100 करोड़ रूपया भी मिल जाये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर, स्टोर अच्छे और साइन्टिफिक ढ़ंग के बनाये जायें तो उससे कितने ही रूपयों की हमारी बचत हो सकती है। हमारे देश में जो चूहे है। वे कितना अनाज हमारा हर साल बरबाद कर देते हैं। और इस तरह से हमको कितने रूपयों की सालाना हानि होती है। इस सारे नुकसान से बचा जा सकता है। अगर, हम ज्यादा तादाद में देश में अच्छे भंडार बनाये। इसके साथ ही साथ हम को बाहर से कर्जा लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आज हमारे देश के ऊपर साढ़े सात हजार करोड़ रूपये का कर्जा है और यह कर्जा दूर हो सकता है, अगर, हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे।

हमारा एक कृषि प्रधान देश है। जब हमने सात आठ साल में इतनी तरक्की कर ली है कि हम अपने देश से दूसरे देशों को मशीनरी भेज रहे हैं तो क्यों नहीं हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार अनाजों की करे और इस समय जो अनाज बाहर से मंगा रहे हैं, वह मंगाना बन्द कर दें। हमने करीब सात मिलीयन टन अनाज बाहर से मंगाया है और उस अनाज को हमने यहां के गोदामों में रखा है, जो गोदाम हमें यहां के किसानों के अनाज को रखने के लिए चाहिये। वे हम बाहर के अनाज को रखने के कार्य में लगा रहे हैं।

जो अनाज अमेरीका ने रूस को बेचा था, वह अनाज रूस ने हमको दे दिया है और उस अनाज को हमने अपने गोदामों में रखा हुआ है इस तरह से जो 20 लाख टन अनाज गोदामों मैं इस समय भरा पड़ा है, कम से कम उस अनाज को तो हमें रूस को वापस कर देना चाहिये ताकि जो आने वाली फसल है, उस अनाज को उन गोदामों में रखा जा सके।

आज हमारे देश में अनाज को भंडारों में रखने की बहुत ही आवश्यकता है। इस विधेयक को पास करते वक्त आप यहां के किसानों को इस बात का विश्वास दिलायें कि उनके अनाज को भंडारों में सुरक्षित रखा जायेगा। क्योंकि, उन्होंने खून पसीना एक करके और मेहनत करके इस अनाज को पैदा कर रहे हैं। चाहे वह अनाज जौ हो, गेहूं हो, चना हो या सरसों हो, किसान जो भी अनाज पैदा करता है, सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उसके अनाज को ठीक भाव पर खरीदा जाये और उसको भंडारों में अच्छी तरह से रखा जाये। चाहे खुले मेंदानों में भंडार हों या अन्दर भंडार हो। ताकि किसान को उसके लिए परेशानी न उठानी पड़े।

आज चीनी की बाहर के देशों में मांग है। लेकिन, चीनी जिस गन्ने से बनती है। उस गन्ने की कीमत किसान को नहीं मिलती है। उसको गन्ना देने के बाद जो पर्ची मिलती है। उस पर भी कर्जा न मिले, यह चीज जाहिर करती है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में खामियां है। उस आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना बहुत जरूरी है जितनी तेजी से हम उसको ठीक करें, जितनी तेजी से हम भंडार बनायें उतनी ही तेजी से हम देश की आर्थिक हालत को मजबूत करने की तरफ कदम उठा सकेंगे। आप जानते हैं कि कुदरत की नाराजगी हुई और एक दो साल कहत पड़ा, खेत में पैदावार कम हुई और उस वक्त ऐसा दिखाई देता था कि देश का राजनीतिक और आर्थिक ढ़ांचा कायम नहीं रहेगा। हर तरफ शोर था कि देश का आर्थिक और राजनीतिक ढ़ांचा मजबूत किया जाये। इसलिये, जरूरत है कि देश में ज्यादा से ज्यादा........

राज्य सभा

शुक्रवार, 15 मार्च, 1976 ई.*

विनियोग (नं. 3) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभापति जी, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक समय ऐसा आया जब हमारे देश को खेत की पैदावार बढ़ाने और अनाज प्राप्त करने के लिए विदेशी कर्जा उठाना पड़ा। उन दिनों गेहू और अन्य अनाजों की कमी हो गई थी। इसके अलावा हमारे देश को बंग्लादेश की भी बहुत बड़ी मात्रा में मदद करनी पड़ी। लेकिन, आज समय बदल गया है। हमारे खेतों की पैदवार बहुत अच्छी हो रही है। अब हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि विदेशी कर्जे काफी हद तक अदा कर सकते हैं। इस बारे में मैं सदन के सामने दिल्ली प्रदेश में पैदावार की क्या हालत है, उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। जहां तक जौ का सवाल है, मैंने सुना है, इसकी विदेशों में बहुत मांग है और बाहर के देश 105 रूपये या उसके आसपास फी क्विंटल के हिसाब से जौ खरीद सकते हैं। आप इस बात को भी जानते होंगे कि जौ से एक प्रकार की नरम शराब (बीयर) बनती है और ठण्डी शराब भी बनती है। दिल्ली के बाजार में जौ की कीमत 30 रूपये क्विंटल है और बाजरे का फीडर जो पशुओं के खिलाने के काम में आता है, उसकी कीमत 32-33 रूपये फी क्विंटल है। इसी तरह से चारे की कीमत 32, 33 और 34 रूपयं प्रति क्विंटल है और जौ की कीमत 30, 32, 34 और 35

Rajya Sabha, Appropriation (No. 3) Bill, 1976, Vol. II, 15th March. 1976, Page 112-117

रूपये हमारे देश के मुखतलिफ भागों में बिक रहा है। हम अपना कर्जा अदा कर सके किसानों की आर्थिक अवस्था को कुछ सुधार सकें, इसकी तरफ वित्त मंत्रालय को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐलान भी करना चाहिए।

इसी तरह से जौ के साथ-साथ अब की दफा देश में चने की फसल बहुत अच्छी है। चने की मांग और चने की दाल की मांग खास तौरपर अरब देशों में और दूसरे देशों में काफी है। इससे काफी विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

हम अपना कर्जा पूरा अदा नहीं कर पा रहे हैं। 700 करोड़ रूपये का कर्जा और ब्याज हमें आज भी विदेशों को देना पड़ता है और उसको पूरा अदा नहीं कर सकते। इसलिये, कर्जे के आगे दूसरा कर्जा हम लेते हैं। आज तो कुछ हालत बदली है और बदले हुए हालात में वित्त मंत्रालय की किसान की तरफ, इस देश के 70 फीसदी उन आदमियों की तरफ, जिनका पेशा खेती है, ध्यान करना चाहिये।

उप-सभापति जी, मैं मानता हूँ कि देश की आर्थिक नीति में तबदीली करने की आवश्यकता है। देश में 85 फीसदी आदमी देहात में रहते हैं। और उनमें से 76 फीसदी भाई खेती के ऊपर निर्भर हैड्ड। उनकी आमदनी देश की कुल आमदनी में से, इन 70 फीसदी आदमियों की आमदनी जो कभी 54 फीसदी होती थी, आज वह घटते-घटते 45 और 44 फीसदी हो गयी। मुझे खुशी होती, अगर, खेती पर जो भाई निर्भर करते हैं, उनकी कुछ तादाद कारखानों में काम करने की तरफ या कारखाने लगाने वालों की तरफ हो जाती। खेती के अलावा दूसरे धंधों में वे जाते जैसे कि तरक्कीयाफ्ता देशों में है। वहां जो भाई कारखानों या दूसरी जगह काम करते हैं। उनकी तादाद खेती पर निर्भर करने वालों से कहीं ज्यादा है। अमरीका है, उसमें मुश्किल से 25-30 फीसदी आबादी होगी, जो खेती पर निर्भर रहती है। देश की तरक्की की निशानी भी यही है कि खेती के अलावा दूसरे धंधों के ऊपर वे निर्भर करें, क्योंकि, दूसरे धंधों की हद नहीं है। खेती की तो हद है। जमीन बढ़ाई नहीं जा सकती और खेती का काम करने वालों की तादाद बढ़ती जाती है। इसीलिये, सीलिंग के कानून की हालत भी बदलती जाती है। मुझको मालूम है कि पंजाब में सीलिंग का पहले जो कानून बना, उस समय हरियाणा और पंजाब इक्ट्ठा था, उसमें सौ एकड़ की सीमा रखी गयी। सौ एकड़ जमीन, जो आदमी पहले खेती भी नहीं करता होगा, खेती करने के लिये हासिल कर सकता था। सौ एकड़ रख सकता था। सौ के बजाये वह 50 एकड़ आई और फिर 50 एकड़ से घटते घटते वह 30 एकड़ पर आ गई। फिर 30 एकड़ से घटते-घटते 18 और पैने 19 एकड़ पर आ गई। बंगाल में तो वह साढ़े 12 एकड़ रह गई।

यह पता नहीं है कि कानून कागज पर है या उसका कार्यान्वयन हुआ है या नहीं हुआ है? लेकिन, कागज के हिसाब से बंगाल में ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति साढ़े 12 एकड़ सिंचित जमीन को रख सकता है। यह जमीन जो घटती जाती है। उसके ऊपर काम करने वालों की तादाद बढ़ती रहे, यह देश का आर्थिक ढ़ांचा मजबूत नहीं करता है। एक तरफ तादाद बढ़े और दूसरी तरफ उनका देश की आमदनी में हिस्सा घटे। इसके मायने साफ है कि हमारा जो आर्थिक ढ़ांचा है, आर्थिक नीति है, वह कुछ तत्वों के हित के लिए है। तमाम देश के हित के लिये नहीं है।

एक तरफ एल.आई.सी. का चपरासी 700 रूपये हासिल करे और फिर वह कहे कि मेरी तनख्वाह कम है, बैंक का चपरासी 400–500 रूपये हासिल करे, हवाई जहाज का चालक 5000 रूपये तनख्वाह ले और हवाई जहाज को चलाना बन्द करे और रेल का चालक 1700–1800 रूपये तनख्वा ले और इसके बावजूद भी रेल को न चलाने की धमकी दे तो यह इशारा करता है कि इस देश में दूसरे भाईयों को भी उसी तरफ रागिब करने (राह पकडऋने) की कोशिश है। वे भी सोचे कि वे संगठित हों। हालांकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन, खेती के धंधे को ऐसा व्यवसाय और धंधा बनाने की तरफ कोशिश नहीं है, जिससे उसकी पैदावार बढ़े। एक जमाना था जब खेती जीवन के निर्वाह का एक तरीका था और जमीन किसानों की मिल्कियत नहीं समझी जाती थी। इसीलिये, उस वक्त रेंट लिया जाता था, जमीन का, उसको टैक्स नहीं कहा जाता था, रेंट कहा जाता था। आज तो जमीन के मालिक सभी है, देश है और किसान भी देश का हिस्सा है। एक तरफ टैक्स कैसे है कि अगर कोई खेती करे, उसको फी एकड़ घाटा रहे–कहत पड़े, गरमी पड़े, सरदी पड़े, बारिश कम हो तो भी उसको लैंड रेवेन्यू देना होगा। दूसरी तरफ, हमारा कैसा आर्थिक ढ़ांचा है कि पहले 6000 रूपये सालाना से कम आमदनी के ऊपर (टैक्स की) छूट थी, उस पर कोई टैक्स नहीं था और अब 8000 रूपये सालाना आमदनी फी आदमी और उसकी बीवी भी अलग कमाती है तो 16000 रूपये तक एक कुटुम्ब के लिये छूट है टैक्स की। हमारे विचारक, जिनको वित्त मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय लगाते हैं, पढ़ाकू आदमी, वे लिखते हैं कि किसान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ऐसा समझते हैं कि किसान अभी 18वीं, 20वीं सदी का किसान है––न उसको मालूम है टोटे का, न घाटे का, न मुनाफे का, उसे अपना जीवन यूं ही निर्वाह करना है। लेकिन, आज तो किसान देश के राजनैतिक ढ़ांचे को बदल सकते हैं और आपने देखा कि किसान की मर्जी नहीं थी कि देश में कोई आर्थिक आपत्ति आये। लेकिन, भगवान की कुपित

दृष्टि हुई, वर्षा नहीं हुई, सारे देश का आर्थिक ढ़ांचा लड़खड़ाने लगा। हर तरफ त्राहि-त्राहि होने लगी। आज खेती की पैदावार बढ़ी है तो किसान के हौसले पर, सरकार की मदद पर, सरकार ने सिंचाई के साधन बढ़ाये। प्रधानमंत्री जी के मंत्रित्व पद के दौरान में उनसे पहले इस देश में 10 लाख बिजली से चलने वाले सिंचाई के पम्प और ट्यूबवैल चलते थे, जिनसे सिंचाई करते थे, वे 25 लाख से ज्यादा देश में हुए और इस तरह से सिंचित भूमि का रकबा बढ़ा। सरकार ने भी मदद दी। लेकिन, जहां तक कीमत मुकर्रर करने का संबंध है, पहले ढ़ील कर सकते थे, चूंकि बाजार में खेती की पैदावार कम थी, भाव अच्छा मिलता था। विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था। लेकिन, अब पैदावार अच्छी है और कृषि मंत्रालय ऐलान करता है कि अबकी दफा हमारे देश में 114 मिलियन टन अनाज पैदा होगा.....

इसके बावजूद पिछली दफा हमने अनाज बाहर से लिया और जो अनाज हमने रूस से कर्ज के तौरपर लिया, अगर, उस अनाज को अनाज की शकल में वापस न करें, विदेशी मुद्रा से खरीदे अनाज को अपने देश में रखें, तो उसको रखने के लिये न हमारे पास गोदाम है और न ही दूसरे साधन हैं। क्योंकि, हमारे देश में जो अनाज पैदा होगा, उसको खरीदने के लिये भी तो रूपया चाहिये। अगर, हम उस अनाज के बदले अनाज नहीं देंगे तो इससे हमारे ऊपर विदेशी कर्जा बढ़ेगा और हमारा जो आर्थिक ढ़ांचा है, वह लड़खड़ा जायेगा।

आज हमारे देश में चौहमुखी तरक्की हुई है। पहले हमारे देश में सूई तक तैयार नहीं होती थी। लेकिन, आज देश के कल कारखानों में जो माल तैयार होता है, वह दूसरे देशों को भेजा जाता है और इस तरह से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

जहां तक आपके इस विधेयक का संबंध है, मैं मानता हूँ और कई भाई मानते हैं कि स्पलीमेंटरी बजट ज्यादा नहीं आना चाहिये। यह बात अच्छी होगी। अगर, आम हालत में इस तरह का बजट न आये। लेकिन, यह तो डेवलपमेंट का युग है और इस डेवलपमेंट युग में नयी-नयी स्कीमें आयेंगी। कई प्रदेशों को बजट का आम घाटा पूरा करने के लिये ज्यादा रूपया नहीं दिया जाता है। बल्कि सिंचाई और दूसरे तरक्की के कार्यों के लिये दिया जाता है, इसी तरह से सरकार की ओर से पब्लिक सैक्टर को जो पैसा दिया जाता है। वह भी उनको घाटा पूरा करने के लिये नहीं दिया जाता है, बल्कि और ज्यादा तरक्की करने के लिए दिया जाता है। लेकिन, देखने में आता है कि हमारे यहां घाटा भी अजीब तरह का होता है। सारे देश में जो बिजली बोर्ड है, वे घाटे पर चल रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि वित्त मंत्रालय

देश में सबसे बड़ा बनिया है। सूद का कानून, कर्ज का कानून, इन कर्जों को माफ करने के संबंध में सब तरह के कानून पास हो सकते हैं। लेकिन, किसानों को जो कर्जा सरकारी स्त्रोतों से दिया जाता है, उनके माफी के संबंध में कोई कानून पास नहीं हो सकता है। किसान का जो ट्रैक्टर पहले 15-16 हजार रूपये का आता था, आज उसके दाम 40 हजार रूपया हो गया है क्योंकि, आपने उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और इस तरह से एक्साइज ड्यूटी का जो बोझ है, वह आपने किसानों के ऊपर डाल दिया है।

खाद पहले दुनिया में मंहगी मिलती थी और हमारे देश में सस्ती खाद पैदा होती थी। लेकिन, हमको सस्ती खाद नहीं दी जाती है। उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है यह भी हमारे पढ़ाकू भाई है, वे अपने आपको बड़ा समझते हैं कि हम बड़े इकोनोमिस्ट है, वे लोग बड़ी-बड़ी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमारे किसानों के ऊपर टैक्स कम लगा हुआ है। आज हालत यह है कि किसान जो ट्रैक्टर चलाता है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, जो खांड तैयार करता है। उसके ऊपर लगी हुई है और जो खाद इस्तेमाल करता है। उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है इसका नतीजा यह हो रहा है कि एक तरफ तो उनकी आमदनी घट रही है और दूसरी तरफ दूसरे लोगों की आमदनी बढ़ रही है। देश की आर्थिक व्यवस्था जो है, वह दरहम बरहम हो रही है। मैं इस बात को मानता हूँ कि कांग्रेस इस बात की इजाजत नहीं देगी। प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी जी में यह गुण है और आज जो हम बजट की स्पीच सुनेंगे उसमें हमको मालूम हो जायेगा कि जो खाद के दाम है वे कम हो जायेंगे और जो ट्रैक्टर पर एक्साइज ड्यूटी है, वह भी कम हो जायेगी। ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

राज्य सभा

शुक्रवार, 26 मार्च, 1976 ई.*

कृषि जिंस पर प्रस्ताव

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : सभापति जी, मैं श्री गुलाबराव जी के प्रस्ताव पर बोल रहा था और बता रहा था कि सरकार ने किसान अपनी पैदावार बढ़ा सके, उसके लिए क्या इमदाद की है!

जहां तक इमदाद का सम्बन्ध है, पिछले 10 साल में 10 लाख बिजली के पम्प चलते थे और वे आज 26-27 लाख हो गये। इसी तरह से 775 करोड़ रूपये के लगभग पांचवीं योजना के भीतर लघु सिंचाई योजनाओं के लए रखे तो आज सरकारी बैंक बने राष्ट्रीयकरण होने के बाद। राष्ट्रीयकरण होने से पहले कुल 162 करोड़ रूपये का कर्ज (लोन) किसानों का कृषि के लिए दिया जाता था और वह अब 785 करोड़ रूपये हो गया।

इसी तरह से जहां तक कोऑपरेटिव सैक्टर का सम्बन्ध है, वहां पर भी 989 करोड़ रूपये शार्ट टर्म लोन 1975-76 में दिये गये, 74.94 करोड़ मीडियम टर्म के लिए दिये गये, 230 करोड़ रूपये लम्बे अरसे के लिए दिये गये। सरकार ने सहायता की और 5 हजार करोड़ बड़ी सिंचाई योजनाओं के ऊपर आजादी के बाद खर्च हुआ। लेकिन, इसके साथ-साथ यह भी मैं मंत्रालय को कहे बगैर नहीं रह सकता कि प्रधानमंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम में एक प्रोग्राम यह भी रखा है कि कोई बांडेड

**Rajya Sabha, Resaolution re. Scheme of Agricultural Commodity, 26 March 1976, Page 91-95*

लेबर नहीं रहेगा। देश में किसी से बेगार नहीं ली जाएगी। आज भी अगर, यह माना जाए कि किसान किसी दूसरे के लिए काम करेगा तो यह बेगार और बांडेड लेबर जैसी बात हो जाती है। कृषि मंत्रालय को चाहिए कि वह देखे कि जो पैदावार करते हैं। उनकी पैदावार का ठीक भाव हो। एक समय था जब खेती एक व्यवसाय नहीं था। देश में रहने का एक तरीका था, जिन्दगी निभाने का तरीका था। आज ता देश में हर किसी को अधिकार है कि उससे बेगार नहीं ली जा सकती, तो किसान से भी बेगार नहीं ली जा सकती है।

सभापति जी, एक समय था, जब कृषि मंत्रालय भूमिहीन था। कागजों का नाम कृषि मंत्रालय था। आज कृषि मंत्रालय भूमिहीन नहीं है। कृष्णा साहब चले गये, कृषि मंत्रालय के पास खेत है, सरकारी खेती होती है। जरा बतायें कि उनको कितना फायदा फी एकड़ है? कितना वह बचाते है? अगर, वह बचा नहीं सकते हैं तो जिन किसानों ने इस देश को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक किया, 52 मिलियन टन की पैदावार 114 मिलियन टन की। जो चीनी की पैदावार 10 लाख टन थी, वह 48 लाख टन की। देश को इस लायक बनाया कि चीनी व अनाज को वह दूसरे देशों में भी भेज सके। इसके साथ-साथ जो कल ऐलान किया शिन्दे साहब ने, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन, स्वागत करते हुए यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज भी बाजार में जो अनाज बहुत सस्ता बिक रहा है। अभी तक भी वह जौ, जिससे बियर की शराब बनाई जाती है, 104 रूपये फी क्विंटल के हिसाब से बाहर भेजा जा सकता है। वह चना जिसकी दाल भी बनती है और जो विदेशी रूपया कमा सकता है, उसके भाव को अगर, घोषणा होती तो शोषण अब सम्भव नहीं रहता। आज तो उसे आप क्रियात्मक रूप दीजिए। बाजार के शोषण बन्द हो जाने के बाद अगर, किसान का जौ हिन्दुस्तान को मंडी में 34 रूपये क्विंटल के हिसाब से बिकता है या चने का भाव गिरता है तो यह मानना चाहिए कि हम देश के हित में नहीं चल रहे हैं और किसान के हित की बात करना दूसरी चीज है।

(उपसभापति कुर्सी पर विराजमान हुए।)

मैं कहूंगा कि सरकार ने किसानों की काफी सहायता की, कृषि पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों की मदद की है। उसके साथ-साथ जब तक किसान जो कुछ पैदा करता है, उसकी बिक्री की पूरी व्यवस्था और इंतजाम सरकार नहीं करती। तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। आपने देखा कि पिछले साल आलू बाजार में बिखरा पड़ा था। खेत से किसान ने आलू निकाला नहीं। आज जौ और चने का कोई

पता नहीं। इस देश में अगर, भगवान की कुदृष्टि हो जाये तो उस पर किसान का कोई वश नहीं रहता। उसके कारण ही देश को एक साल में दस मिलियन टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ा था। पिछले साल भी सात मिलियन टन से ज्यादा अनाज बाहर से आया। हम चाहते हैं कि अनाज देश से बाहर से न आये। आज की बात दूसरी है। किसान ने इस देश को इस लायक बना दिया है कि हम अनाज अपने देश में बाहर भी भेज सके। वाणिज्य मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री डी.पी. चट्टोप्पाध्याय जी से मैंने पूछा था कि क्या चने की दाल बाहर बिक सकती है? विदेशों में क्या उसका कोई बाजार है? उन्होंने कहा कि बाजार तो मौजूद है, कृषि मंत्रालय अगर, हमको यह बताये कि कितनी चने की दाल वह बाहर भेज सकते है और कितना जौं बाहर भेज सकते हैं, तो हम उसका इंतजाम कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि सैंकड़ों करोड़ की विदेशी मुद्रा इससे देश को हासिल हो सकती है।

खरीदने के लिये जो आपने ऐलान किया, उससे किसान को कुछ हौंसला जरूर मिलता है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम आपको उनकी मेहनत की कीमत तो देनी चाहिये। यह तभी हो सकता है, जब यह असूल कबूल करे कि जिस तरह से मंहगाई बढ़ती है तो मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ता है। उसी तरह से किसानों की मेहनत का मूल्य भी बढ़ना चाहिये। इस देश में आप ऐसा क्यों करते हैं, जिससे किसान अपनी पैदावार बढ़ाता जाए और उसकी कीमत गिरती जाए।

उपसभापति जी, मैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि देश में 70 फीसदी आदमी खेती से संबंधित है। इनके द्वारा 1960-61 में जो पैदावार हुई और उसकी जो कीमत रूपयों में आंकी गई, वह देश की कुल आमदनी का 52.5 परसेंट थी। 1965-66 में 44.2 परसेन्ट हो गई। उसके बाद 1966-67 में 43.42 परसेन्ट और 1972-73 में 41.5 परसेन्ट हो गई। आज जिस काम को करने वाले 70 फीसदी लोग हैं, उसकी पैदावार का हिस्सा आंकड़ों में कुल आमदनी का केवल 41 परसेन्ट हैं।

अगर, उसको कृषि मंत्रालय (किसान को) सेकिण्ड ग्रेड सिटीजन मानता है तो यह मंत्रालय के लिये बड़े शर्म की बात है। वह इसलिये, कि हम लोग, किसान लोग मजदूरों की तरह से, तनख्वाहदारों की तरह से खड़े होकर आन्दोलन नहीं करते किसान बुरे से बुरे वक्त में भी घाटा उठाकर अपनी पैदावार बढ़ाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसकी यह बेगार कब तक चलती रहेगी? सरकार जो यह ऐलान कर रही है कि देश में बेगार बंद हो गई है तो मेरा कहना है कि किसान के लिये यह बात सही नहीं है।

कृषि मंत्रालय के पास जो खेत है, उनसे मंत्री महोदय पता लगा ले कि गेहूं के ऊपर फी क्विन्टल कितना खर्चा बैठता है। जौ के ऊपर फी क्विन्टल कितना खर्चा बैठता है। गन्ने के ऊपर फी क्विन्टल कितना खर्चा बैठता है। कृषि मंत्रालय में जो खेती करने वाले हैं, वे मंत्रालय के सरकारी कागजों में इतने फंस जाते हैं कि उनको कई दफा किसानों के हित की बात करते हुए शर्म आती है। अगर, वे बात करते हैं, तो 17-18 एकड़ खेतों वाले किसानों के हितों की बात करते हैं। उनको वह लोग, जिनके घर टेलीविजन है, जिनके पास मोटर है, 17 सौ रूपये तनख्वाह पाते हैं, उनको कुलक कहते हैं। लेकिन, जो देश के रक्षक है, जो तलवार लेकर रक्षा करते हैं और दूसरी तरफ किसान जो देश की रीड की हड्डी है, देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। उनके साथ अन्याय किया जाता है। यह बड़ी गम्भीरता से सोचने वली बात है कि उनके साथ अन्याय न किया जाए। मैं मानता हूँ कि वित्त मंत्रालय मजबूत है। लेकिन, हमारा जो कृषि मंत्रालय है, वह भी मजबूत है। हमारे कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम हिन्दुस्तान के बहुत बड़े मजबूत आदमी है, शिंदे साहब भी मजबूत आदमी है और बहुत अच्छे वकील है। जो हमारे तीसरे भाई है, वह भी आजाद हिन्द फौज के जनरल रहे हैं। लेकिन, कृषि मंत्रालय की मजबूती तभी मानी जा सकती है, जब वह देश में लड़ाई लड़ करके किसानों की स्थिति मजबूत बनायें।

गुलाब राव पाटिल जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत अच्छा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यह आश्वासन दें कि किसानों की जो पैदावार होगी, उसका खर्चे का हिसाब लगाकर उनको उचित मूल्य दिया जाएगा और उनके भाव भी ठीक रखे जाएंगे और पैदावार को खरीदा जायेगा।

राज्य सभा

सोमवार, 29 मार्च, 1976 ई.*

विनियोग (रेल) नंबर 3 विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह : उपसभापति जी, रेलवे विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। श्री कमलापति त्रिपाठी जी, श्री कुरेशी जी और श्री बूटा सिंह जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। साथ ही साथ श्री जी. लक्ष्मणन् को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रेल कर्मचारियों की युनियन के बारे में अपने विचार हमारे सामने रखे है।

मैं समझता हूँ कि 1974-75 और 1975-76 के वर्षों को अगर, देखा जाए तो पता चलेगा कि आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। आप जानते हैं कि रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने हड़ताल की धमकी दी और इस देश में कुछ लोगों के द्वारा इस बात का प्रयत्न किया गया कि जिस रेलवे का हमारे देश की जनता के जीवन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध हैं, जिसके जरिये से लोगों को अनाज, कोयला और दूसरी चीजें मिलती हैं, उसको ठप्प करने की कोशिश की जाए। आज हमारे देश में स्थिति यह है कि रेलवे में या अन्य संस्थानों में हमारे कर्मचारी भाई अपनी यूनियन बना लेते हैं। दुनियां में जो साम्यवादी देश है, उनमें कोई भी आदमी हड़ताल नहीं कर सकता है। क्योंकि, रेलें जनता की सेवा करने वाली संस्था मानी जाती है। लेकिन, हमारे हिन्दुस्तान में यूनियनों द्वारा हड़ताल की जाती है और हमारे

**Rajya Sabha, Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1976,, 29 March 1976, Page 132-138*

देश के आर्थिक ढ़ांचे को धक्का पहुंचाने के लिए कोशिश पिछली रेलवे ळड़ताल के वक्त की गई थी।

जो भाई, चाहे वह रेल कर्मचारियों में से हों–आज ही अखबार में खबर निकली कि तोड़फोड़ के काण्ड में रेल कर्मचारी भी शामिल हैं–तो जो तोड़फोड़ की कार्यवाहियां देश में होने जा रही हैं, मैं रेलमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमदर्दी रखें तो कौन से रेलवे कर्मचारियों से? जो चार–पांच लाख भाई हैं, जिनको नौकरियां पक्की नहीं, जो कहते तक नहीं, उनके साथ हमदर्दी रखें। भाई रेल को तबाह करना चाहे, उनके साथ नहीं। रेल कर्मचारी यूनियन में रेल का कर्मचारी ही उसमें शामिल हो सके। जिस देश में 30 रूपये महीना एक हिन्दुस्तानी कमा नहीं सकता है। उसमें रेल के कर्मचारियों को देश के विरोधी नेताओं ने उकसाया कि रेल के पहिए को जैम किया जाए, ऐसे कर्मचारियों को ठिकाने लगाना चाहिए। इमरजेंसी में भी, आपातकालीन स्थिति में अगर, हम उनको निकाल नहीं सकते हैं तो यकीन जानिये देश का भविष्य अच्छा नहीं है।

चाहे वे रेल कर्मचारी हों चाहे राजनीतिक नेता हो। अगर, वे देश के आर्थिक सुधार में रोड़ा बनना चाहते हैं तो उनको जिस तरह से घी में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। बगैर किसी हमदर्दी के उनको निकाल कर फेंक देना चाहिए। उनके लिए ही रोजगार की समस्या नहीं है। देश में लाखों भाई है, जो बेरोजगार है। मैं कहता हूँ, जिन्होंने भी हड़ताल करवाई है, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया है, आज आपातकालीन स्थिति में रेलवे के महकमें से निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि हिन्दुस्तान का भविष्य ठीक रह सके और जो भी हड़ताल से हमदर्दी रखता है, उसका वहां रेल यूनियन में कोई दखल नहीं होना चाहिए, उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।

इसके साथ–साथ उपसभापति जी, मैं रेलमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा–रेलमंत्री जी हमारे पड़ोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हरियाणा में काम कितनी तेजी से होता है। हमारे यहां रोहतक से भिवानी तक रेलवे लाइन बिछाने का जो काम है और गोहाना से पानीपत दोबारा लाइन डालने का काम है, उसमें काम उतनी ही तेजी से होना चाहिए, जितनी तेजी से हरियाणा में काम होता है। चूंकि हम रेलवे मंत्री जी की प्रशंसा चाहते हैं, इसलिए, यह देखकर कि जैसे रेवाड़ी है, वहां पर उन्होंने जो रूपया रखा है और जो उन्होंने कहा है, कब तक वह पूरा हो, तो उसमें मुझे थोड़ा सा दु:ख हुआ कि वह काम, वह तरीका, हमारे प्रदेश के तरीके के मुताबिक नहीं

है। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे यहां रेल के काम के बारे में कोई टीका-टिप्पणी न कर सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रूपये रखे। रोहतक-भिवानी लाइन पर-मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ-1करोड़ 5 लाख 26 हजार रूपये पहले खर्च किया है, अगले साल के लिए 30 लाख रूपया रखा गया है। लेकिन, जिस तेजी से वहां काम होता है, मैं मानता हूँ, वहां 20-30 लाख से काम नहीं चल सकता है और कल जब सप्लीमण्टरी बजट लाएं तो कम से कम 40 लाख रूपये उसके लिए लाएं, ताकि हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश के लोग अपनी शक्ति के मुताबिक तेजी से काम कर सके।

इसी तरह से गोहना पानीपत लाइन जो दुबारा बिछाने का काम था, उस पर 98 लाख रूपये खर्च हुआ है, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगले साल के लिए 40 लाख रूपये रखा है। मैं मानता हूँ कि हमारे प्रदेश में और ज्यादा तेजी से काम हो सकता है, ताकि वह जो तारीख रखी है, उन लाइनों को शुरू करने की उससे पहले काम हो। इनके अलावा मैंने देखा कि आपका इरादा है कि गन्नौर और पानीपत की लाइन को डबल किया जाए और अगले साल उसके लिए रूपया रखा है मात्र एक लाख रूपये। जिस पर कुल खर्चा आएगा 3 करोड़ 47 लाख, उस पर सिर्फ एक लाख आप खर्चेंगे, यह तो हमारे प्रदेश में एक हंसी की बात हो जाएगी। इसी तरह से रिवाड़ी में जो चौड़ी लाइन डालना चाहते हैं, उसके लिए भी आपने एक लाख रूपया रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रिवाड़ी भटिंडा की लाइन का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिए जो रूपया रखा गया है, वह कम है और उसके लिए आपको ज्यादा रूपया रखना चाहिए।

इसी के साथ ही साथ एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूँ कि एक जमाना था, जब हमारे देश में लोग पैसा लगाकर सामान खरीद लेते थे, ताकि बाद में ज्यादा पैसों में बेचकर साहुकार बन जाये। उस जमाने में चीजों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते थे। आज तो जमाना बदल रहा है और जिसके पास जो चीज जमा है उसके ही दाम घटते चले जा रहे हैं। रेलवे मंत्रालय के पास जो इंवेटरी स्टोर हैं, वह 279,84 करोड़ रूपया का है और आगे जाकर आप उसको 280,07 करोड़ रूपया तक बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का जमाना ऐसा नहीं है कि रेलवे घाटे में चले। रेलवे बोर्ड के जो बड़े-बड़े आफिसर है, जैसा कि आपने कहा कि वे अच्छे काम करने वाले है। मैं इस बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कई दफा जो बड़े-बड़े इरादों में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनका ध्यान इस तरह की बातों की

तरफ नहीं जाता है। इसलिए, मैं आपके मार्फत रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि, इस तरह की बातों से 40-50 करोड़ रूपए का घाटा रेलवे को हो सकता है। यह अच्छा है कि अगर, हम जो माल खरीदा हुआ है, उसका इस्तेमाल नयी लाईनों को बनाने में करें। हमारे पास बहुत सा माल खरीदा हुआ पड़ा है और अगर, हम उस माल का प्रयोग करे तो रेलवे आर्थिक दृष्टि से काफी उन्नति कर सकती है।

मैंने यह भी देखा है कि हमारे रेलवे विभाग में जो अधिकारी हैं, उन्हें माल खरीदने में बड़ा उत्साह रहता है, जबकि माल गोदामों में पड़ा होता है। हमारे जो रेलवे के कर्मचारी है, उन्हें हमें तनख्वाह देनी पड़ती है, काम करने के लिए,। मगर, देखा यह जाता है कि वे कागजों में तो बजट बनाते रहते हैं। जबकि सामान स्टोरों में पड़ा रहता है। इसलिए, उन लोगों की सोच कागजी सोच है। इस सोच से रेलवे को अपना पिन्ड छुड़ाना चाहिए।

आप जानते हैं कि आज जमाना बदल रहा है और आज देश के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है, वह विदेशी चीजों को खरीदने के सम्बन्ध में है, आज हम डीजल और खाद के लिए विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलों के इंजनों को डीजल से चलाने पर ज्यादा खर्चा पड़ रहा है और विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होती है। आप डीजल की जगह बिजली के द्वारा रेलों को तेजी के साथ चलाने की व्यवस्था करे। जिस तरह से आपने हरियाणा में इस काम में तेजी की है, उसी रफ्तार से आप बिजली द्वारा रेलें चलाने का कार्य करे। इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी और देश को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। हम डीजल खरीदने में जो अपना रूपया विदेशों को दे रहे हैं, उससे भी हमारा पिंड छूट जाएगा। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि बगैर डीजल के हमारे ट्रैक्टर नहीं चल सकते हैं। इसलिए, हमें रेलों को बिजली से चलाने के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था करनी चाहिए। अगर, हमने इस तरह की व्यवस्था जल्दी कर ली तो इससे देश की बहुत सी विदेशी मुद्रा बच जाएगी। मेरा कहना यह है कि इस समय रेल मंत्रालय बिजली द्वारा रेल चलाने के सम्बन्ध में जितना खर्चा कर रहा है, वह बहुत कम है। इस खर्च को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर, वित्त मंत्रालय इस कार्य के लिए खर्चा नहीं दे सकता है तो उसको अपना सामान बेचकर, जो 300 करोड़ रूपए का सामान स्टोर में रखा हुआ है, उससे रेलवे में विद्युतीकरण का कार्य करना चाहिए। इससे रेलवे की आर्थिक दशा सुधरेगी और देश का बड़ा लाभ होगा।

इन शब्दों के साथ मैं रेलमंत्री जी से दुबारा प्रार्थना करता हूँ कि रेलवे में वे और भी तेजी से काम करेंगे। उनके बारे में हम अभी काफी प्रशंसा सुन चुके हैं। हम उनके बहुत नजदीक रहते हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने एक छोटी लाइन शाहदरा सहारनपुर लाइन का उद्घाटन यिका था। उस पर काम चालू हो गया है। लेकिन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस काम में और भी तेजी लाई जाए।

एक एम.एल.ए. है, स्वाधीनता सेनानी हैं। वह मुझसे मिले और कहते थे कि नीचे स्थानों पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जहां मिट्टी डाल कर लाखों रूपया खर्च करना पड़ता है। वहां वह स्टेशन बनवाना चाहते हैं। हालांकि वहां लोग ऐसा नहीं चाहते। इस बारे में भी आप रेलवे बोर्ड को कहें और देखें कि जितना ज्यादा से ज्यादा रूपया बच सकता है और रूपया बचाकर अच्छा काम हो सकता है, वह किया जाए। मेरे से ज्यादा तो कमलापति जी जानते हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां फ्लड बहुत आते हैं। कहीं ऐसा न हो कि निमाड़ का स्टेशन बनने के बाद बाढ़ में डूब जाए। इसलिए, होना यह चाहिए कि जहां ऊंचे से ऊंचे स्थान हों, वहां स्टेशन बनाए जाएं यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

राज्य सभा

वीरवार, 1 अप्रैल, 1976 ई.*

सड़क विकास पर प्रस्ताव

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, आपका हुक्म तो सिर माथे है। लेकिन, यह प्रस्ताव और नीति देश के लिए बहुत जरूरी है इसके ऊपर बहस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए भी, कि जैसा अभी राहा साहब ने कुछ आंकड़े पेश किये। सन् 1950 के लगभग चाहे सवारियों का सम्बन्ध था, चाहे सामान ढ़ोने का सम्बन्ध था, रेल का जरिया सबसे बड़ा जरिया था। जरिया तो सबसे बड़ा आज भी है। लेकिन, जो मात्रा चाहे सवारियों की है, चाहे सामान की है, वह सड़क से जो परिवाहन या गाड़ियां चलती है और जो ढ़ोते हैं। वह ज्यादा बढ़ती जाती है। रेल के ऊपर जब देश आजाद हुआ था तो कोई सोढ़ आठ सौ करोड़ के करीब रूपया लगा हुआ था और आज 5 हजार करोड़ से ज्यादा रूपया रेल के महकमें पर, रेल के सामान बढ़ाने पर, रेल के डिब्बों पर और उसके स्टाक पर खर्च हुआ। उनकी असैट्स आज 5 हजार करोड़ से ऊपर की है। इसी तरह से आज जिस औसत से सड़कों से सवारियों का और सामान का आना-जाना बढ़ता जा रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि है कि ज्यादा रूपया दिया जाए।

मैं मानता हूँ कि जो केन्द्रीय रोड़ फंड है, इससे काम नहीं चल सकता। आखिर योजना के मायने क्या है ? अगर, हम रिजर्व बैंक से ही योजना चलाना चाहते हैं, तो योजना उसी तरह से चलनी चाहिये, जिस तरह से आज चल रही है। असल में

**Rajya Sabha, Resaolution on Raod Development, 1 April 1976, Page 211-214*

योजना के मायने ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनको नौकरी दें, काम दें जिससे वे देश के लिये जरूरत की चीजें पैदा कर सकें।

आप जानते हैं कि सड़क कितने महत्त्व की चीज है। जो किसान अपने खेतों में अपनी मेहनत से चीजें पैदा करता है, अगर उनके गाँव या खेत तक सड़क नहीं होती तो उसकी फी-क्विंटन एक रूपया या दो रूपया का घाटा होता है। अगर, सड़क हो तो उसको ज्यादा मिल सकता है। सड़क न होने से इससे ज्यादा फायदा भी हो सकता है। देश की तरक्की के लिये, देश में रोजगार बढ़ाने के लिये और कामकाज को अच्छे ढ़ंग से चलाने के लिये यह जरूरी है कि सड़कों का जाल बिछाया जाए और सड़कों का जाल बिछाने के साथ-साथ, जैसा मंत्री महोदय ने अपने प्रस्ताव में थोड़ी तब्दीली लाकर बात कही है, वह बहुत जरूरी है और अच्छी है। हजारों लोगों को परमिट दे रखे हैं। जब वे चालक हजारों मील चलेंगे तो उनको आराम की जरूरत पड़ती है और उनकी गाड़ियों को भी ठहराने के लिये स्थान की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जो सवारियां होती हैं, उनके लिये भी दोपहर में, गर्मियों में, बारिश में खड़े होने के लिये स्थान की जरूरत पड़ती है। यह बात सही है कि जो बात उन्होंने कही है, उसकी पूर्ति इस फंड से नहीं हो सकती है। उसके लिये हमें अलग से इंतजाम करना है।

हमें सड़कों के लिये क्या चाहिये ? सड़कों के लिये रोड़ी ही काफी नहीं है। इसके लिए रोलर की भी जरूरत होती है और वह हमारे देश में बनता है। (व्यवधान) । ओम जी को टाइम का फिक्र है और हमको फिक्र है सड़कों काथ्कसान मेहनत करके पैदावार करता है, लेकिन, सड़कें न होने के कारण उसकी पूरी मेहनत नहीं मिलती है। तार भी बनते हैं। लोहे के कारखानों में। लेकिन, सड़कें नहीं होंगी तो वे भी ऐसे ही पड़े रहेंगे। दूसरी तरफ, इंजीनियर्स है, वे भागे-फिरते हैं। अमेरिका और दूसरी जगहों पर। हम इंजीनियर्स पैदा करते हैं, लेकिन, उनको काम नहीं देते हैं। इसलिए, उनको भागना पड़ता है। जिस प्रकार इंजीनियर्स के लिये काम की जरूरत है, उसी प्रकार खेतों तक, गाँवों तक सड़कें बनाने की भी जरूरत है। मैं मानता हूँ कि इस योजना में इसके लिये जो पैसा मिला है, वह बहुत थोड़ा है। लेकिन, मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार खेतों के लिये पैसे की पाबन्दी नहीं है। उसी प्रकार सड़कों के लिये भी पैसे की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। जितनी ज्यादा से ज्यादा सड़कें बना सकें, हमें बनानी चाहियें। जितने हमारे पास तार है, जितने हमारे पास रोलर है, जितने हमारे पास इंजीनियर्स है, सब काम में लगे रहें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

रिजर्व बैंक छोटे-छोटे कागज छापता है। तनख्वाहदारों को फिक्र इस बात की रहती है कि अगर, वहां कागज कम छपेंगे तो उनकी तनख्वाह कम हो जाएगी। इस देश की जो योजना है, उसमें जो आपत्तियों उठाई गई हैं, वह इस बात की नहीं है कि देश में पैदावार किस तरह से बढ़े, बल्कि इस बात की है कि योजना कमीशन के जो मेंम्बर है, उनको तनख्वाह कितनी मिले? इसलिये, मेरा कहना है कि जो योजना है, यह कागज के ऊपर है। वह कागज, जिससे नोट बनता है। वह इसी देश में बनता है। बनाने वाले हमारे ही आदमी हैं। अगर, कागज के ऊपर ही योजना है तो योजना कमीशन तोड़ने लायक है, इसको तोड़ देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि योजना नहीं होनी चाहिये। योजना ऐसी होनी चाहिये, जिसमें इस बात का प्रबन्ध हो कि कारखानों में जितने भी रोलर बनें, वे सब काम में आए। जितने तार बनें, उन सबको काम में लाया जाए और जो पत्थर है, उनको कूट-कूटकर, रोड़ी बना-बनाकर काम में लाया जाये। सड़कें बनाने के साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि इस काम के लिये पैसे की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

जो किसान मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, उसको हिसाब से पैसा न मिले, यह अच्छी बात नहीं है।

अंत में, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, साथ ही ओम मेहत्ता जी से भी कि इसके लिये कम से कम एक दिन का समय निकालें। इस सदन में और दूसरे सदन में एक दिन के लिये इस बात पर बहस होनी चाहिए कि सड़कों के लिये कितना पैसा दिया जाए? इस बारे में जो हमारे देश में टेक्सेशन का ढ़ांचा है, उस सबका नक्शा प्लांनिंग कमीशन के सामने और देश के सामने रखने के लिए यह जरूरी है कि इस बारे में पूरे तौर पर विचार किया जाये। इसीलिए हम पूरे दिन की बहस की मांग करते हैं।

राज्य सभा

शुक्रवार, 11 मई, 1976 ई.*

कृषि व सिंचाई मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, कृषि मंत्रालय में बड़े महान पुरूष बाबू जगजीवन राम, शिन्दे साहब, शाह नवाज साहब दो और साथी पटेल साहब और के. एन. राव सिंह मंत्री हैं। उनका किसी हद तक में शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पानी के पुराने झगड़ों को मिटाने की कोशिश की। कुछ प्रदेशों में और हरियाणा और पंजाब के बीच में जो झगड़ा था उनको भी निबटाने की कोशिश की। उसमें हरियाणा की तसल्ली नहीं है। न हरियाणा के साथ पूरा न्याय हुआ कहा जा सकता है। लेकिन, एक फैसला हुआ। उसके लिये हम मशकूर हैं। लेकिन, इसके साथ-साथ यह बात भी कहे बिना नहीं रह सकते कि आज जब कृषि मंत्रालय के मंत्री बाबू जगजीवन राम जी है कि 10 साल पहले पार्लियामेंट ने कानून पास किया हो और किसी स्टेट का यह हौसला हो कि 10 साल के बाद भी उसको कार्यान्वित न होने दे। मैं नहीं मानता यह मजबूती की निशानी है। कृषि मंत्रालय को मैं कमजोर नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि देश में जैसा नाम ऊंचा कृषि मंत्रालय का है, उसके मुताबिक वह कदम उठाये। उपसभाध्यक्ष जी, मेरे पास पंजाब रीआर्गनाईजेशन एक्ट है जो 1966 में पास हुआ। मैं उसका सैक्शन 79 (1) पढना चाहता हूँ...

"The Central Government shall constitute a Board to be called the Bhakra Management Board for the administration, Maintenance and

----

**Rajya Sabha, Discussion on working of Ministry of Agriculture and Irrigation, 11 May. 1976, Page 167-174*

operation of the following works, namely :-"

Every other work has been transferred to the Bhakra Management Board except that dealing with the distribution of water under (c) which is :-

"the irrigation headworks at Rupar, Harike and Ferozepur."

उपसभाध्यक्ष जी, इण्डस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को पैसा देकर हिन्दुस्तान ने पानी हासिल किया और वह पानी एक स्टेट में नहीं बंटा है, 5 स्टेटों में वह पानी बंटा है, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को पीने का पानी भी इससे सम्बनिधत है। पांच स्टेट के पानी की पनसाल पंजाब के हाथ में दे रखी है, जबकि कानून के मुताबिक उसका अख्तियार, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भाखड़ा मेंनेजमेंट बोर्ड को दिया गया था। 10 साल बीतने के बाद भी उसको कार्यान्वित नहीं किया गया। मैं आपके मार्फत मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह यह ऐलान करें कि आज से इन हेडवर्क्स का जो कन्ट्रोल है, वह भाखड़ा मेंनेजमेंट बोर्ड के हाथ में दिया जायेगा जैसा कि कानून में लिखा हुआ है और जिस कानून की स्यही को सूखे हुए 10 साल हो गये। इसी के तहत जो (जी) सब क्लाज है उसमें लिखा हुआ है कि :

"(g) Such other works as the Central Government may by Notification in the Official Gazette specify."

इसी के तहत में प्रार्थना करता हूँ कि गलती से माधोपुर हेडवर्क्स जो रावी के ऊपर बना हुआ है, इसमें शामिल होने से रह गया था, उसको भी नोटिफाई किया जाये और तीनों रोपड़, हरिके, फिरोजपुर के साथ माधोपुर का इन्तजाम और उस पानी की पनसाल भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड के हाथ में दी जाये।

उपसभाध्यक्ष जी, यही नहीं कि पंजाब की सरकार ने उसका अख्तियार भाखड़ा मेंनेजमेंट बोर्ड को नहीं दिया, बल्कि पंजाब द्वारा पानी की चोरी की जो भी पकड़ी गई, हरियाणा के अफसरों द्वारा नहीं, गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया के अफसरों द्वारा। भाखड़ा मेंनेजमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन है, वह हिन्दुस्तान की सरकार का अफसर है। पंजाब में कागज पर दिखा दिया कि हम हरियाणा को पानी दे रहे हैं। लेकिन, एक बूंद पानी भी हरियाणा की नहरों में नहीं चल रहा था। कब तक आप इस चोरी की इजाजत देंगे और कब तक यह रियायत दी जायेगी, यह मैं जानना चाहता हूँ।

मैं चाहता हूँ कि शिन्दे साहब, शाह नवाज साहब यहां बैठे है, वह आजाद

हिन्द फौज के जनरल रहे हैं। आज ऐलान कर दें कि इसके बाद से इन चारों हेड वर्क्स का कन्ट्रोल भाखड़ा मेंनेजमेंट बोर्ड के तहत होगा और अगर, वह ऐलान नहीं करते हैं तो में मानूंगा कि कृषि मंत्रालय मजबूत नहीं है। उसे और ज्यादा मजबूत बनना चाहिए। ऐसे ही कृषि मंत्रालय को कानूनी अधिकार नहीं है। कृषि और नहरों पर स्टेट का अधिकार है। लेकिन, जो कानूनी अधिकार आपको मिला है उसको भी आप इस्तेमाल न करें तो इससे ज्यादा कमजोर मंत्रालय आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मैं नहीं मानता कि बाबू जगजीवन राम और शिन्दे साहब और शाह नवाज साहब इस मंत्रालय को कमजोर मंत्रालय कहलाना पसन्द करेंगे।

इसके साथ-साथ, मैं एक बात की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यह मंत्रालय कितना अहम है। देश की 70 प्रतिशत आबादी को रोटी व रोजी देने वाला यह मंत्रालय है और सारे देश को खाना देने वाला यह मंत्रालय है। जब कभी कहत पड़ा तो देश भिखारी बना किसानों ने आज देश को इज्जत दी है, उन्होंने पैदावार बढ़ाई। लेकिन, किसानों के साथ जो व्यवहार है, वह किसानों की शान के मुताबिक नहीं है। गेहूं का भाव 105 रूपये फी क्किंवटल रखा गया। लेकिन, वह खरीदा नहीं जाता। कहते हैं, इसका रंग सफे द है, इसका पीला है। बारिश तो किसान के हाथ में नहीं है। वह कुदरत के हाथ में है। जो भाई भगवान पर भरोसा नहीं रखते वह उसको अंधा कहा करते हैं। जब बारिश नहीं चाहिए तब बरसता है और जब चाहिए तब बरसता नहीं। अगर, पैदा हो तो उसका रंग बदला जाये और रंग बदल जाये तो शिन्दे साहब का मंत्रालय खरीदे नहीं तो आखिर किसान कहां जाये ?

इस देश के जिम्में आपने पांच हजार करोड़ रूपये का कर्ज लगा दिया देश में अनाज लाने के लिए। यही नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, यह जो तन्खाहदार भाई हैं, जो भाई अनाज पैदा नहीं करते, उसको सस्ता अनाज खिलाने के लिए पांच हजार करोड़ रूपया देश का खर्च किया जा चुका है अनुदान की शक्ल में। कर्जे की शक्ल में नहीं। मैं कृषि मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें कि एक तरफ वे सपूत हैं कि जो देश के लिये अन्न पैदा करते हैं और दूसरी तरफ वह भाई है कि जो अन्न को खाते हैं, किसको आप पसन्द करेंगे ? वह भाई जो सिर्फ कागज को काला करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं या जो देश को स्वावलम्बी बनायें। आपको इस लायक बनाये कि जिससे देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनकी क्या आप मदद करना चाहते हैं ?

सभापति जी, the invesatment in major medium irrigation projects, expenditure on which is debited to "98-Capital Outlay on Mulitpurpose River Valley Schemes" and "99- Capital Outlay on Irrigation, Navigation and Embankment Work (Commercial)", is estimated to be of the order of Rs. 3,500 crores at the end of 1973-74. State-wise details of cumulative capital outlay on major and medium irrigation projects at the end of 1973-74, are furnished in the schedule given in the Report of the Finance Commission of 1973. The bulk of this invesatment has been made since the commencement of planning in the country. The outlays on irrigation projects would account for approximately 16 per cent of the aggregate outlays of the State Plan by the end of 1972-73. The era of planning which has witnessed phenomenal increase in invesatment in irrigation projects has, however, been unfortunately marked by sharp and progressive deterioration in the working results of irrigation projects. As against a marginal loss of only Rs. 58 lakhs in 1950-51, State Governments sustained a loss of nearly Rs. 150 crores on major and medium irrigation projects in 1971-72. In that year except by way of water charges. According to the forecasts furnished by the State Governments to the Finance.....

राज्य सभा

बुधवार, 17 मई, 1976 ई.*

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, मैं विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हूँ। श्रीमान, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारी बहुत साल से मांग रही है कि हमें इस देश में समाजवादी समाज बनायेंगे, आर्थिक ढ़ांचे को समाजवादी बनाएंगे तो हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। अगर, समाजवादी समाज हम नहीं बना पाते तो हमारा जो ध्येय है उसको हम नहीं पा सकते, ध्येय को पकड़ नहीं सकते। इसलिये, मैं मानता हूँ कि निजी क्षेत्र के कारखानों को सरकारी कारखाने या देश के कारखाने बनाने के संबंध में काफी प्रगति हुई है। लोहे की पैदावार पहले निजी क्षेत्र में होती थी। टिस्को या किस्को ही दो निजी क्षेत्र के बड़े कारखाने थे, जो साहूकारों के थे। आज हमारे देश में 5 करोड़ 80 लाख टन लोहा पैदा होता है, क्योंकि, टिस्को में भी आज सरकार का दखल है। वह एक तरह से सरकारी कारखाना ही है। इसी तरह से, चीनी के कारखाने हैं। वे भी या तो को-ओपरेटिव सैक्टर के कारखाने बने या सरकार ने कुछ कारखानों की अपनी देखभाल में पैदावार शुरू की। इसी तरह से कपड़ों के कारखाने हैं। देश के कारखानों में जो देश की पूंजी लगी थी, उस सारी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी पूंजी का है या देश की पूंजी का है। निजी क्षेत्र घटता जाता है। लेकिन, इसके साथ-साथ समाजवाद में जो बंटवारा हो वह भी ठीक हो, यह हम चाहते हैं। जो कमाऊ पूत है, उनको हिस्सा मिले।

**Rajya Sabha, Appropriation (No. 4) Bill, 1956, 17 May. 1976, Page 138-148*

यह बहुत जरूरी है ऐसा मालूम देता है कि अभी तक हमारे विचारक है, जो हमारी योजनाएं बनाते हैं। उनके ख्याल में जो कमाऊ पूत हैं। वे सिर्फ सरकारी मुलाजिम है या सरकारी कारखानों में नौकरी करने वाले है। वे शायद यह नहीं मानते हैं कि इस देश में जो सबसे बड़ी तादाद कमाऊ पूतों की काम करती है, वह खेतों में काम करती है। खेतों में काम करने वालों को, खेतों में अन्न पैदा करने वालों को कितना पैसा उनकी मेहनत के बदले में मिलता है। इस पर कभी नहीं सोचा जाता है। फिक्र यह रहती है कि किस तरह से जिंस की कीमतें घटाई जाए। मैं क्या पूछ सकता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने दूसरे सदन में जो कहा कि ट्रैक्टर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई तो क्या वित्त मंत्रालय को इस बात का इल्म है कि ट्रैक्टर की कीमत बढ़ी है, घटी नहीं है? कौन बढ़ा देता है? किस कायदे-कानून में बढ़ जाती है। इस बात का हमको तो इल्म नहीं है। 4/5 हजार ट्रैक्टर की कीमत बढ़ी है। आप आपातकालीन स्थिति कहिये या अनुशासन पर्व कहिये, उसमें खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जो साधन जुटाये जाते हैं, उन सबकी कीमत बढ़ी है, चाहे वह नहर का पानी हो, चाहे वह बिजली का खर्च हो, चाहे वह खाद हो। खाद की कीमत बहुत बढ़ाकर थोड़ी सी घटा दे और हम कहे कि खाद की कीमत घटी है, यह सही सोच नहीं है। इसी तरह से खेत में जो मजदूर काम करते हैं। उनकी मजदूरी भी बढ़ी है। इस देश के जो कमाऊ पूत है, वही जो इस देश के लिये अन्न पैदा करते हैं और बदकिस्मती से अगर, भगवान नाराज हो जाये, वर्षा ठीक समय पर न हुई हो तो एक साल में ही देश का ढ़ांचा डगमगाने लग जाता है। त्राहिमान, त्राहिमान होने लगता है। इसकी तरफ कोई सोच नहीं है। अभी पाटिल साहब बता रहे थे, वह सही बात है। क्या हम यह समझें कि इस देश में जो पांच चुनाव हो चुके है, उनकी राय का हक तसलीम नहीं किया गया। देहात के जो किसान है, उसका राज में दखल होना चाहिये, इसकी तरफ कोई सोच नहीं है। जो विशेषज्ञ है, वे भी तनख्वाहदार हैं। हमारे देश में जो आयोजन का काम करते हैं। वे भी तनख्वाहदार हैं। जो तनख्वाहदार हैं, उनके सामने तनख्वाहदारों का हित सबसे पहले होता है। वे दूसरों के हितों की बात बाद में सोचते हैं। वे दूसरों का भला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि, आप जानते हैं कि इतने बड़े देश में अनाज को सस्ता बेचने के लिए 5 हजार करोड़ रूपयों का अनुदान दिया गया है। यह अनुदान हमारे देश के आजाद होने के बाद दिया गया है, इसके विपरीत नहरों में सिंचाई में वृद्धि करने के लिए किसी खास निजी क्षेत्र को नहीं, सरकार की योजनाओं के लिए साढ़े 3 हजार करोड़ या 4 हजार करोड़ रूपये दिये गये हैं। यही कारण है कि आज हमारी नदियों का पानी समुद्र में बह रहा है। पाकिस्तान को 110 करोड़ रूपये देकर हमने पानी खरीदा। लेकिन, रावी

दरिया या सतलुज या व्यास दरिया के पानी का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। दरिया रावी पर डेम अब तक नहीं बन पाया है और वह काम अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन, रेल के मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए हमारे पास दो सौ करोड़ रूपये है। मैं समझता हूँ कि जब तक इस प्रकार की नीति रहेगी, तब तक इस देश में पैदावार नहीं बढ़ सकती है।

आप जानते हैं कि चीन में या रूस में रेलों में हड़ताल नहीं की जा सकती है। रेल का पहिया जाम नहीं किया जा सकता है। वहां की रेलें किसी पूंजपति की नहीं है, बल्कि सरकार की है। हिन्दुस्तान में भी रेलें जनता की है। लेकिन, यहां पर रेलों में हड़ताल करवाई जा सकती है। रेल का पहिया जाम किया जा सकता है। यहां पर कर्मचारियों को भड़काया जाता है। इसी प्रकार से हमारे देश में हवाई जहाज चलाने वालों को भी भड़काया जाता है। चूंकि, जो लोग शासन में होते हैं या जो भाई पढ़े-लिखे होते हैं, वे इस बात को जानते हैं कि राज्य की शक्ति को किस तरह से दबाया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में जो भी योजनाएं बनीं ऊंचे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गइं। दिल्ली में रामजस कालेज एक पहाड़ी के ऊपर था और वहां पर एक बड़ा होस्टल था। हमने भी अपनी शिक्षा वहीं प्राप्त की है। लेकिन, वह कालेज और होस्टल कैम्पस में भेज दिया गया, ताकि वहां पर सबको मिलाकर गड़बड़ की जा सके और विद्यार्थियों को भड़काया जा सके। इसी तरह से मुझे याद है, पंडित जवाहर लाल जी ने आदेश दिया था कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जो रजवाड़ों के महल है या जिनमें उनके दफ्तर थे, उनमें भारत सरकार के दफ्तर भेज दिये जाये। लेकिन, हिन्दुस्तान की सरकार के दफ्तर कहीं भी नहीं गये। आज भी उनके दिल्ली से बाहर जाने की समस्या बनी हुई है। इसी तरह से कलकत्ते की हालत है।

कलकत्ते में इतनी आबादी बढ़ती जा रही है कि लोगों के आने-जाने के लिए बसों का इंतजाम तो हो नहीं पा रहा है और इस बात की मांग की जा रही है कि जमीन के नीचे खोद कर रेल बनाई जाये ताकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से जा सके। दूसरी तरफ, बम्बई में नये कारखाने लगाने के लिए, समुद्र में मिट्टी डालकर जमीन पैदा की जाएगी, जिसके ऊपर 2000 करोड़ रूपये लगेगा। जो हमारी योजनाएं है उनकी जो सोच है, उस सोच में समाजवाद टपकता नहीं है। कारखाने चाहे सरकारी हो जाएं, लेकिन, सरकारी होने के बावजूद भी शांति से काम नहीं कर सकते हैं।

देहात में कारखाने बनें। मुख्तलिफ प्रदेशों में बने। वहां के लोगों को काम धंधा मिले, उसकी तरफ सोच नहीं। दफ्तर एक ही जगह नहीं बनें। आप यहां देखिए,

बाहर दरवाजे पर 8-8, 9-9, 10-10 बजे से लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि, सबको आना एक ही जगह है। इसी से तो हमें बसों के ऊपर खर्च बढ़ाना पड़ा। अगर, दफ्तर अलग-अलग जगह पर हों, पढ़ाई के कालेज अलग अलग जगहों पर हों, यूनिवर्सिटी का कैम्पस एक जगह न हो तो हिन्दुस्तान की योजनाएं सही रास्ते पर चल सकती थी।

श्री ओम मेहता : अब तो मेरठ में भी यूनिवर्सिटी हो गई।

श्री रणबीर सिंह : वहां पर भी यही झगड़ा है। मेरठ इतना बड़ा शहर है, वहां भी पढ़ाई एक जगह होने से पढ़ने वालों के ऊपर काबू पाने के लिए फौज की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से सरकारी मुलाजिमों की फौज खड़ी है, जब चाहे झण्डा उठा ले। उनको दबाने के लिए पुलिस और फौज चाहिए। हमारी जो सारी योजना है, वह योजना देश की बजाए चन्द हिस्सों की बन जाती है और उसका फायदा देश को नहीं मिलता।

उपसभापति जी, मेरी खुशकिस्मती है कि प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद है। प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से हमारे देश में भाव जो ऊंचे हो रहे थे, वह काबू में आए, नीचे आए। लेकिन, भाव नीचे आए किसके? जो सरदी और गरमी में काम करते थे, अपनी मेहनत और पसीने से इस देश के लिए अनाज पैदा करते थे, उनके अनजा की कीमत कम हुई। जो कीमत 65 रूपये रखी है। लेकिन, बाजार में कहीं 50 रूपये से ज्यादा नहीं बिकता। चारा 35 रूपये क्विन्टल बिक सकता है। अनाज नहीं बिक सकता। प्रधानमंत्री जी के हुकम के बावजूद 105 रूपये क्विण्टल के ऊपर अनाज को पूछने वाला कोई नहीं है। काफी लोग परेशान हैं जो किसान अनाज को गाड़ी में उठा कर ले जाता है, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है।

उपसभापति जी, यही नहीं कि किसान की उपज की कीमत घटी, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, कीमत बढ़ गई ट्रैक्टर की, अनुशासन पर्व आने के बाद 4-5 हजार रूपये ट्रैक्टर की कीमत क्यों बढ़ती है? प्रधानमंत्री के शासन में ही 1968 में ट्रैक्टर पर एक्साइ ड्यूटी थी, कोई मुश्किल से 15-20 या 30-40 करोड़ रूपये ट्रैक्टरों पर एक्साइज ड्यूटी मिलती होगी। उस एक्साइज ड्यूटी को माफ कर दे। जो खेती में औजार लगते हैं, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाए। वित्त मंत्री जी ने बड़ा दावा किया कि हमने एक्साइज घटायी है। किस चीज के ऊपर? जो ट्रैक्टर के टायर है, जो ट्रैक्टर की बैटरी है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ायी है, जिनके मायने यह

हैं कि पहले एक्साइज ड्यूटी डबल थी ट्रैक्टर की, जब वह पार्ट हिस्सा बनके जाता था, तब एक्साइज ड्यूटी लगती थी और फिर बाद में लगती थी। जब वह ट्रैक्टर का हिस्सा बना तो एक अन्याय दूर किया, आम तौर से किसान अपने हिसाब खाते को नहीं जानता जो उस हिसाब खाते को सही किया है, एक्साइज ड्यूटी घटी नहीं। खाद के ऊपर एक्साइज ड्यूटी हटाई तो उससे कितना फायदा हो सकता है? हमारे देश में विदेशी कर्जा कोई छः सात हजार करोड़ रूपये है और उस छः सात हजार करोड़ रूपये के कारण बाहर से अनाज या खेती की दूसरी पैदावार यहां आई है। एक तरफ अनाज सस्ता देने के लिए देश में 5000 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया और दूसरी तरफ डैम बनाने के लिए खर्चा किया गया, नहर की सिंचाई के लिए 4000 करोड़ रूपये और उसके ऊपर ब्याज लगेगा। कोई प्रदेश की सरकार ब्याज दे नहीं सकती। यह मेरी राय नहीं। फायनेंस कमीशन की राय है। कई प्रदेशों में जो इलैक्ट्रिसीटी बोर्ड है, उन्होंने अपने अपने यहां बिजली के रेट बढ़ा दिये है, क्योंकि, वे अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, मैं आपकी मारफत प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो बिजली पैदा करने के बड़े-बड़े बिजली घर है, जैसे डेम है, इन सबको राष्ट्रपति की मिलकियत मान ली जानी चाहिये और इसको मानकर नोट छाप दिये जायें। इनको कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं उठा सकता है और जो इसके बारे में इफलेशन की बात कही जाती है, वह भी नहीं हो सकती है, क्योंकि, सिंचाई पर जितना खर्चा होगा, उससे तो हमारे देश में पैदावार ही बढेगी। अगर, सिंचाई को बढ़ाने से मंहगाई बढ़ती है तो भाखड़ा डैम जहां पर बना था, जिस प्रान्त में बना था, वहां पर मंहगाई बढ़नी चाहिये थी। इसकी वजह से पंजाब में बहुत ज्यादा मंहगाई होनी चाहिये थी। लेकिन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पंजाब के इलाके में जहां भाखड़ा डैम बना हुआ है, वहां पर मंहगाई नहीं है। वहां पर अनाज की पैदावार बढ़ी है। इसी तरह से मैं यह बात मानता हूँ कि जिस तरह से सरकार आयरन स्टील की हिस्सेदार है और उसमें ब्याज नहीं लिया जाता है। उसी तरह से जो डैम बनाये जाते हैं या और कोई कारखाना प्रान्तों की सरकार सिंचाई के लिए बनाते हैं। उसमें भी सरकार को ब्याज नहीं लेना चाहिये। जो रूपया वह उस कार्य के लिए देती है, उसमें भी सरकार को ब्याज नहीं लेना चाहिये जो रूपया वह उसके लिए देती है।

जो हमारा मंत्रालय है, वह यह मानता है कि जो भाखड़ा जैसी योजना है। वह घाटे वाली योजना है। लेकिन, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की जो योजना है, वह इस देश को जिन्दा रखने वाली योजना है। भाखड़ा डैम से जो पानी

निकलता है और उसके द्वारा जो सिंचाई होती है, उससे करीब 700 करोड़ रूपये का अनाज हमारे देश में पैदा होता है। जबकि इस डैम को बनाने में हमारा करीब 150 करोड़ रूपया लगा था। इस तरह की जो योजना है, उसके बारे में यह कहना कि यह घाटे की योजना है, वह उचित बात नहीं है। इस तरह का जो हिसाब किताब कागज में रखा जाता है, वह एक गलत हिसाब रखा जाता है। इस तरह के हिसाब किताब को समुद्र में फेंक दिया जाना चाहिये। इस तरह का जो हिसाब किताब रखा जाता है, वह केवल बहकाने के लिए ही रखा जाता है। भाखड़ा डैम तो सस्ते वक्त में बना था और आगे जो डैम बनेंगे, जितनी सिंचाई की योजनाएं बनेंगी प्रदेश सरकारों में जितने भी विशेषज्ञ है, जितने भी अर्थशास्त्री हैं, वे तो केवल लोगों को बहकावे में रखने वाले है और प्लानिंग कमिशन को बहकावे में रखने वाले है। वे यह कहते हैं कि इस तरह की जो योजनाए हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है और वे गलत साबित होंगी। इस देश को स्वतंत्र हुए करीब 25 साल से ज्यादा हो गये हैं। हमने जो भाखड़ा डैम की योजना बनाई उसको वे एक घाटे की योजना समझते हैं। मैं इस तरह के लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि वे अपना हिसाब किताब जरा ठीक तरह से रखें। उनका हिसाब तब ही ठीक हो सकता है, जब यह मान लिया जाये कि जितना भी पैसा इन योजनाओं में खर्च किया जायेगा वह राट्रपति की मिलकियत होगी और उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में एक ही निवेदन प्रधानमंत्री जी से करना चाहता हूँ कि उन्हें किसानों की दिल खोलकर मदद करनी चाहिये। देश का जो किसान है वह लड़ाई के वक्त सरकार की हर तरह से मदद करता है और शान्ति के समय वह अनाज पैदा करता है। सरकार तनख्वादारों की तनख्वाह बढ़ाती है। उनको अनुदान देती है और उस अनुदान का नतीजा यह होता है कि साल में जितना खर्चा होता है, उतनी उनसे खाद भी नहीं मिलती है। किसानों के ऊपर जितना सरकार खर्चा करगी उसके बदले में उसको अनाज मिलेगा और इस तरह से वह देश को अनाज के सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनाता है। इसलिए, मेरा निवेदन यह है कि जो ब्याज की प्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाये, ताकि इस देश में समाजवादी ढ़ांचा सही तौरपर बन सके।

अगर, हमें समाजवादी समाज की स्थापना करनी है और जिसका ऐलान हमने किया है तो हमें उस ओर तेजी के साथ कदम बढ़ाने चाहियें। हम यह देखते हैं कि प्रान्तीय सरकारों को डैम बनाने के लिए ढ़ाई प्रतिशत पर ब्याज दिया जाता है। भाखड़ा के लिए भी इसी दर से रूपया कर्ज दिया गया। किसानों को जो कर्जा दो

प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है, वह बनिये, कोअपरेटिव और दूसरे बीच के लोग ही खा जाते हैं। उसको 12 प्रतिशत के हिसाब से कर्जा मिलता है। आज जो छोटे-छोटे बनिये है वे ही किसान से सबसे ज्यादा सूद लेते हैं। यानी 20 परसेन्ट या 21 परसेन्ट सूद जो है, वह बनिये का सबसे बड़ा सूद समझा जाता था। आज 18 परसेन्ट सूद से ऊपर किसान को पैसा मिलता है और हम कहते हैं कि समाजवादी ढ़ांचा है रूपये वालों को ब्याज मिलता है। जो हमको सलाह देने वाले सलाहकार है, सभी तो पैसे से पैसा कमाते हैं। इसलिये, वे कहते हैं कि रूपया पैदा करने के लिये इन्फ्लेशन घटाने के लिये जरूरी है कि ब्याज की दर, ब्याज पर जो रूपया लिया जाता है, उसकी दर बढ़ाई जाये। नतीजा यह होता है कि ब्याज की दर अगर, बढ़ती है तो उससे किसाने को 18 परसेन्ट सूद पर पैसा मिलता है। किसान विशेषज्ञ नहीं है। उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर, अमेरिका और रूस के साथ हिन्दुस्तान के किसान का मुकाबला किया जाये तो कितना सस्ता उसको फर्टिलाइजर मिलता है, कितनी सस्ती उसको मशीन मिलती है। इसके बावजूद उनकी शिक्षा है, दीक्षा है और सहूलियतें है। यहां कोई सहूलियत नहीं है। यहां सब कुछ खर्चा उसको करना पड़ता है और इसके बावजूद वह देश को अपने पैर पर खड़ा करता है। मैं आपकी मार्फत प्रधानमन्त्री जी से, मुझे खुशी है कि ठीक समय वे यहां आई, प्रार्थना करता हूँ कि किसान की स्थिति और देश का समाजवादी ढ़ांचा सही तरीके पर चले, ब्याज की दर कम हो, ट्रैक्टरों पर एक्साइज ड्यूटी हटायी जाये, फर्टिलाइजर पर एक्साइज ड्यूटी हटायी जाये, ताकि देश आगे बढ़ सके।

राज्य सभा

बुधवार, 26 मई, 1976 ई.*

संविधान में विलोपन और समावेश

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभापति जी, चौधरी नत्थी सिंह जी ने सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव के जरिये हमारे देश में जो आर्थिक विषमतायें हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाया। जैसा अभी निजामुद्दीन साहब ने कहा, उनके शब्दों के फे र मैं तो में दाखिल नहीं होना चाहता क्योंकि, उसमें हो सकता है कि कुछ शब्दों की अदल-बदल करने की आवश्यकता हो, देश के हालात के मुताबिक। लेकिन, एक बात सही है कि हम समाजवादी ढ़ांचा बनाना चाहते हैं और वह ढ़ांचा बनाने की इच्छा रखते हुए भी आज हम देखते हैं कि समाज में कितनी आर्थिक विषमतायें हैं। एक तरफ शहर है, जिसमें हर एक भाई को बिजली और पानी, नलका से मिल सकता है और यही नहीं, शहर में भी कुछ भाई है, जिनको नहीं मिलता है, जिनको मिलना चाहिए। जिनकी अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छा मकान मिलता है। पीछे जब राशन का जमाना था जो चीज आज भी राशन में है, उनको अधिकार है, राशन मिलने का। लेकिन, जो शहरों में भी पटरियों पर रहते हैं। उनको राशन का अधिकार नहीं है। इसी तरह से समाज का जो सबसे गरीब अंग था, जो देहातों में खेत मजदूर थे, उनको राशन का उसी तरह से हक नहीं होता, या उसी के बराबर नहीं होता, जोकि शहरों में पढ़े लिखे भाईयों को होता है। यह जो विषमतायें है, उसे हमको दूर करना चाहिए। सड़कों की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा है, टेलीफोन

Rajya Sabha, Re deletion and inclusion in the constitution, 26 May. 1976, Page 187-193

की सुविधा है, आज साईंस ने जितनी सुविधायें पैदा की है, वह अन्य सुविधाओं का विस्तार इस देश में एक सा नहीं हो रहा है।

शहर में जो सड़कें बनीं, जो स्कूल बने, जो कालिज बने, वे यहां तक बन गये कि यहां के नौजवान भाई और कुछ राजनीतिक तत्व उनको तबाह करने के लिये लोगों को उकसाते रहे, क्योंकि, गाँव में इतनी सुविधाएं नहीं हैं। तभी तमाम तत्व चाहे वह विरोधी दल से संबंधित हो या शासक दल से संबंधित हो। उन सबकी यही मांग होती है कि यहां हाई स्कूल बने, कालेज बने और दूसरी सुविधाएं मिले। कोई उनको दरहम, बरहम करने, आग लगाने के लिये नहीं कहता बसें फूंकने की तरफ इशारा किया जाता है। रेलों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। ये सारे जो कार्यक्रम है, इनके पीछे मैं मानता हूँ कि आर्थिक विषमता है। जैसा निजामुद्दीन जी ने कहा है वह बात सही है कि यह लिख देने से कि उनको जायेदाद का हक है, किसी को जायेदाद नहीं मिलती है।

धुलप साहब ने भी एक शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि वह गरीबी हटाना चाहती है। मेरा कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं है। जब 1971 में कांग्रेस की नेता प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने नारा दिया था कि हम देश से गरीबी हटायेंगे तो कुछ भाईयों ने नारा दिया था कि इन्दिरा गाँधी को हटाओ। जो देश से गरीबी हटाने का नारा था वह खाली नारा था या इच्छा थी, यह इस बात से जाहिर हो जाता है कि इस नारे को दिये हुए 5 साल हो गये और इन पांच सालों में मौका सिर्फ इन 9-10 महीनों में ही पूरा करने का मौका मिला। इन नौ-दस महीनों में जो इस बात की टीका-टिप्पणी करते थे कि यह सिर्फ नारेबाजी थी, उन्हें मालूम हो गया कि वे गलती पर है। उनका जो गलत अधिकार था आर्थिक ढ़ांचे को दरहम-बरहम करने का, वह अधिकार कुछ दिनों के लिये इस आपातकालीन स्थिति में उनसे लिया, तभी इस देश में कुछ फर्क पड़ा।

मुझे याद है कि कुछ सदस्य भाई यहां से चले गये, डा. कुरियन भी उनमें थे। उनका ख्याल था कि 1974 में शायद हम इस सदन में नहीं आ पायेंगे। मैंने उस समय कहा था कि सदन जरूर मिलेगा, भले ही आप या हम न हो। उनका यह विश्वास था कि वह इस देश में ऐसे हालत पैदा कर दें, जिससे यह सदन मिल ही न सके। सदन न मिल सके, इसके लिये राजनीतिक जितनी भी विरोधी पार्टियां थीं शासक दल को छोड़कर, सबने एड़ी-चोटी का जोर लगाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके आर्थिक ढ़ांचे को बिगाड़ने से, दरहम-बरहम करने से गरीबी हटने वाली थी? मैं

उनसे कहता हूँ कि वे अपना चेहरा आईनें में देखे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर वे नाराबाजी करते रहे कि जो रेल के चालक है, जिनको 1700 रूपये तनख्वाह मिलती है, इस देश में उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाये, जबकि गाँव में लोगों को 30 रूपये महीनें भी नहीं मिलते। वे यह नारा किस आधार पर देते रहे कि जो हवाई जहाज चलाने वाला है, जिसको 5000 रूपये तनख्वाह मिलती है, वह कम मिलती है। जबकि इस वक्त भी 30-40 फीसदी लोगों इस दोनों समय खाना नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाई यह कहते हैं कि कांग्रेस नारेबाजी में यकीन करती है, वह गलत कहते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की नेता दिल से चाहती है कि जो नारा वह दें, वह करके दिखलाए।

अभी एक सदस्य भाई ने कहा था कि इस बात का जिक्र स्वर्ण सिंह कमेटी में नहीं आया, यह आना चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ कि शब्दों के हेर-फे र में जाने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए, हमारी पार्टी की तरफ से सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, उसमें यह बात रखी गई है कि जो अदालतों में रिट वगैरह पेश कर दिये जाते हैं, उनका अधिकार नहीं रहना चाहिए। इसी सम्बन्ध में हम अपने संविधान में भी तबदीली करने जा रहे हैं। इस संबंध में लोक सभा ने बिल पास कर दिया है। उस विधेयक के जरिये जितने भी भूमि सुधार के कानून है या इसी तरह के दूसरे कानून है, उनको अदालतों के दायरे से बाहर कर दिया गया है यह कहना कि हम कहते कुछ हैं और करते कोई दूसरी ही चीज हैं या जो बात हम कहते हैं। उसके कार्यान्वयन में तेजी नहीं होती है। यह बात सही नहीं है।

लेकिन, इसके साथ-साथ मैं यह बात कहे बिना भी नहीं रह सकता हूँ कि जहां हम पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है, वहां पर हमारा सोच एक पूंजीवादी सोच की है। इस सिलसिले में मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेशों में जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वे अभी तक अपना ब्याज अदा नहीं कर सके हैं। आप जानते हैं कि अगर, देश में बिजली न हो तो देश को कितना नुकसान हो सकता है। हमारे देश में जो सिंचाई के साधन, वह नहीं होते और उनको अगर, बिजली न मिले तो देश को करोड़ों रूपयों का अनाज विदेशों से मंगाना पड़ेगा। इसलिए, आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी योजनाएं है, उन पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करे और हमारी जो पूंजीवादी सोच है, उसको समाप्त करें। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे देश की सोच समाजवादी ढ़ांचा बनाने की रही है। इसलिए, जरूरत इस बात की है कि योजना आयोग का जो सोचने का तरीका है,

उनको बदला जाये। मैं समझता हूँ कि पूंजीवादी सोच का नतीजा है कि हमारे देश में खेती में जो चीजें पैदा होती हैं, जैसे गेहूं है या दूसरी चीजें हैं, उनके भाव गिरे हैं। लेकिन, जिन चीजों का संबंध सरकारी विभागों से है, उनके भाव बढ़े हैं। हमारे देश में सबसे बढ़ा धंधा, खेती है और उस, खेती में जिन इनपुट्स का उपयोग किया जाता है। उनकी कीमतें बढ़ी हैं। इसके विपरीत खेती में जो चीजें पैदा होती है, उनकी कीमतें घटी हैं। ऐसी हालत में यह कौन-सी समाजवादी सोच है, इसके बारे में गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। ट्रैक्टरों की कीमत बढ़ी है, डीजल की कीमत बढ़ी है। खाद की कीमत बढ़ी है, सिंचाई के पानी की कीमत बढ़ी है, बिजली की कीमत बढ़ी है इन चीजों का संबंध सरकारी विभागों से है। जब हमारी यह कोशिश है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़नी नहीं चाहिएं तो क्या कारण है कि इन चीजों की कीमत बढ़ गई? पंजाब और हरियाणा प्रदेश ने सिंचाई के सिलसिले में काफी काम किया है और वहां पर डैम आदि भी बहुत बनाये गये हैं। पंजाब में भाखड़ा डैम बना और उसके कारण आज सारे देश को फायदा हो रहा है।

इसलिए, मेरा कहना यह है कि हमारी विचारधारा यह होनी चाहिए, जिससे देश को फायदा हो, गरीब जनता को फायदा हो। खेतों में पैदा होने वाली चीजें जब खरीद-फरोख्त के लिये बाजार में आती है तो उनके दाम उतने नहीं मिलते हैं। इसलिए, हमें आर्थिक रूप से इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।

मैं यह मानता हूँ कि हमारे देश में जो योजनाएं बनाई जाती है। वे भलाई के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन, उनसे जनता का बहुत फायदा अभी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुझे याद है, एक जमाना था, जिस वक्त सूद की दर बैंक रेट था, उससे भी 2 फीसदी कम सूद के ऊपर रूपया किसान को खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए दिया जाता था। ट्रैक्टर के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी। आज कस्टम ड्यूटी भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है। यह किस सोच से पैदा हो गया? इसी तरह से खाद का सवाल है। खाद पर से एक्साइज ड्यूटी घटा दी जाए तो भी खाद की कीमत सही होती है। दुनिया के और हिस्सों में खाद सस्ता मिलता है। ऐसे देशों में जहां किसानों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है। अमरीका, जहां कि मुश्किल से 30-35 परसेंट भाई खेती करते होंगे, उनको जो सहूलियतें हैं, वे आज हमारे देश में नहीं है। (समय की घंटी बजी) वह इसलिए, कि हमारे यहां आर्थिक विषमताएं दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए, यह प्रस्ताव बहुत सही प्रस्ताव है। जहां तक इस बात का संबंध है कि हम सबको धंधा दे सकें। यह हो सकता है। यह तभी हो सकता

है, जबकि हमारी सोच पूंजीवादी न रहे, हमारी सोच समाजवादी हो। आज हम डैम के ऊपर, नहरों के ऊपर कितना काम कर सकते हैं। उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता। पैसा जितना है, उसके हिसाब से काम होगा। पैसा ही हमारे यहां सबसे प्रथम चीज हुई, जिसमें पूंजी प्रथम चीज है, वह पूंजीवाद है। उस पूंजीवाद को छोड़ना होगा। अमरीका में भी ऐसा पूंजीवाद नहीं है। अमरीका में सिंचाई के ऊपर जितना पैसा लगता है, उसका ब्याज नहीं लिया जाता। रूस मैं तो ब्याज का खाता नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि हमारे यहां के साम्यवादी सदस्य भी इस बात की फिक्र में है कि खेती का जो पैसा लेगा, उसका ब्याज नहीं दे सकते तो प्रदेशों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। चाहे साम्यवादी हो। चाहे समाजवादी है, उन सबका सोच समाजवादी हो, तभी इस देश में आर्थिक विषमताएं हटेंगी और देश आगे बढ़ेगा।

राज्य सभा

शुक्रवार, 28 मई, 1976 ई.*

जीवन बीमा निगम (निपटान संशोधन) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभापति जी, में जीवन बीमा निगम (समझौता उपातरण) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसका समर्थन करते हुए मैं समझता हूँ कि इस देश में हमको यह जानना होगा कि कौन मजदूर है ? क्योंकि, यहां पर मजदूरों की बड़ी बात की जाती है। यह कहा जाता है कि यह जो सरकार है, वह मजदूरों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, उनके हितों के खिलाफ चल रही है। इन बातों को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि किसको कृषक मजदूर मानते हैं, किसको बुर्जवा कृषक मानते है ?

श्रीमन, अपने देश में जब सर्दी और गर्मी का मौसम होता है, जब सर्दियों में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, उस वक्त जिसको ये मजदूर मानते हैं, बीमा के चपरासी, जो कि सर्दी के मौसम में हीटर के नजदीक बैठे रहते हैं। लेकिन, पंजाब या हरियाणा का कृषक दिन में नहीं, बल्कि सर्दियों की आधी रात में जबकि पाला पड़ता है, वह उस समय अपने खेत में पानी में दाखिल होता है, जिनको ये भाई मजदूर नहीं मानते हैं। वह ऐसा करके देश के लिए अन्न पैदा करता है और गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप में बाहर निकल कर गेहूं निकालता है। ये भाई तो उसको मजदूर मानते हैं, जो धूप के समय बाहर नहीं निकलता है और अगर, निकले तो बीमार हो जाये। ये हमारे

**Rajya Sabha, Life Insurance Corporation (Modification of Settlement) Bill, 1976, 28 May. 1976, Page 139-145*

भाई किनको मजदूर मानते हैं, किनको नहीं मानते, यह बात भी देश को समझनी होगी।

हमारे माननीय सी.पी.एम . के सदस्य ने कहा कि जो मजदूर हैं, ये क्रास रोड़ के ऊपर खड़े है। मैं उनको कहता हूँ कि सी.पी.एम. क्रास रोड़ के ऊपर है मजदूर क्रास रोड़ के ऊपर नहीं है। मजदूर को मालूम है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने जो 20 सूत्री प्रोग्राम इस देश में लागू किया 15 फीसदी कीमतें गिर चुकी है। इस बात को सारा देश मानता है। यहां तो 15 फीसदी बोनस के ऊपर ये लोग आंसू बहाते हैं, उस चपरासी के लिए जिसको 700 रूपया महीना तनख्वाह मिलती है। जो चौथी श्रेणी का है और यह भी उस देश में जिसमें 300 रूपये की नौकरी के लिए एम.ए. और बी.ए. पास लाखों की तादाद में घूमते फिरते हैं। ये लोग उनको समझाना चाहते हैं कि बोनस हटाने वाले तुम्हारे दुश्मन हैं। मजदूर का दुश्मन कांग्रेस पार्टी नहीं है, मजदूर का दुश्मन वे है, जो इनको बहका कर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। मजदूर के दोस्त वे है जो मजदूर के हित के लिये लड़ाई करेंगे, अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। यह सी.पी.एम. और विरोधी दल के जो नेता मजदूों के लिये आंसू बहाते हैं, ये सब वे नेता है। जो अपनी कुर्सी के लिये मजदूर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मजदूर की दुहाई देते हैं। मजदूर के हित के लिए नहीं। बल्कि कुर्सी हासिल करने के लिये।

श्री कल्याण राय जी ने कहा था और आज भी वे धमकी देकर गये है कि हम यहां भी लड़ेंगे और बाहर भी हड़ताल करेंगे। मैं मंत्री महोदय से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ--सरकार में जिम्मेदारी सबकी इकट्ठी होती है।---आपको चाहिये कि जो मजदूर यूनियन हड़ताल की धमकी दे, उनकी मंजूरी का कागज वापस ले ले, क्योंकि, वे मजदूर के हक में नहीं है। वे मजदूर के खिलाफ है इसका सबसे बड़ा सबूत पश्चिम बंगाल है। जिस समय वहां मिली-जुली सरकार थी, उन्होंने हड़ताल कराई, कारखाने बंद हुए, मजदूरों की मजदूरी गयी। फिर मजदूरों के नाम पर आंसू बहाते हैं। यह बात मजदूरों को समझनी होगी।

जैसा भट्ट साहब ने कहा, सरकार के बड़े बड़े अफसर झंडा देखते ही डरते हैं। कहां सरकार ने कहा कि तुम पहली तारीख को तनख्वाह मत दो? जिन भाईयों ने तनख्वाह नहीं दी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि सरकार की नीति क्या है? देश का हित क्या है? देश का हित मजदूरों को भड़काने में नहीं है। एक तरफ मजदूर यूनियन है जो मजदूरों को भड़काने का काम करती हैं और दूसरी तरफ सरकार में कुछ भाई बैठे है जो डर की वजह से मजदूरों को भड़काने का काम करते हैं। जो ऐसा काम करते हैं। उनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए।

उपसभापति जी, मुझे याद है कि विरोधी दलों के सदस्यों की जो स्पीचें है, जो तकरीरें है, उनको पढ़ा जाये तो पता लगेगा कि उनको गिला था कि सबकी तनख्वाह एक स्तर की होनी चाहिए। एल.आई.सी. में दूसरा स्तर है जो दूसरे सरकारी अदारे हैं, उनका स्तर दूसरा है। दफ्तरों में जो लोग काम करते हैं, उनका स्तर दूसरा है कल्याण राय जी ने कहा कि बोनस के समझौते का फैसला धमकी की तरह नहीं था। यह उनका कहना हो सकता है। लेकिन, देश जानता है कि 1974 में जो देश के विरोधी तत्व थे, वह इस देश का कैसा नक्शा बनाना चाहते थे? उस वक्त सारी विरोधी पार्टियों ने फैसला किया था कि वह हवाई जहाज का पहिया जाम कर देंगे, रेल का पहिया जाम कर देंगे और बीमा कंपनियों को काम नहीं करने देंगे। उस फैसले को यह मानना कि वह किसी दबाव से नहीं किया गया था ऐसा विचार ही भ्रम पैदा करने वाला है। 1974 के वह तमाम फैसले दबाव के फैसले थे।

उस समय के वित्तमंत्री जी का विचार उन्होंने बताया, उस समय चव्हाण जी का विचार उन्होंने बताया। लेकिन, कौन नहीं जानता कि उनकी कोशिश थी कि वह लोग जो 1971 में कांग्रेस से चुनाव में परास्त हो गये थे और लोगों को, देश की जनता को जो अपने साथ नहीं रख सके थे, उन्होंने इरादा किया था कि वह सरकारी मुलाजिमों की मदद से इस देश का सारा काम बंद करा देंगे ताकि राज्य की कुर्सी उनको मिल सके। यह हालात थे। वह दबाव था जिसके कारण सरकार ने और बीमा निगम ने सरकार की सलाह पर यह फैसला किया था। ऐसा फैसला जो दबाव के कारण हुआ था, गलत था। दबाव से चुनाव का फैसला भी चुनाव ट्रिब्यूनल रद्द कर देता है। अगर, यह मालूम हो जाये कि मतदान में दबाव डालकर चुनाव किया गया है।

फैसला उलटने की जो बात है, वह इसलिये, कि 15 फीसदी बोनस तो मंहगाई घटाकर ही दे दिया और दूसरी तरफ इसलिये, है कि उन्होंने बतलाया कि फलां जगह 33 परसेंट है उन्होंने यह भी जिक्र किया कि निजी क्षेत्र में भी बोनस घटा रहे हैं। निजी क्षेत्र भी देश के लिये पैदावार करता है और जब वह देश के हित के खिलफ जाता है तो सरकार को बड़े से बड़े कारखानेदार का कारखाना लेने में भी हिचक नहीं हुई। मुझे याद है कि उस समय के इस्को के चेयरमैन मुखर्जी साहब होते थे। मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था। वे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने पेश हुए थे। उन्होंने ऐसी राय जाहिर की थी कि यहां लोहे के कारखाने लगाना गलत बात होगी। उस लोहे को कोई खरीदेगा नहीं। वह लोहा बहुत मंहगा पड़ेगा। ऐसे भाईयों की जगह कहां है? आज तो वहां लोहे का सरकारी कारखाना है इसी तरह से

निजी क्षेत्र है के बैंक हैं, बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां थीं। कहां गये वह बीमा कंपनियों के मालिक। वह सब चलते बने। जिस तरह से रजवाड़े चलते बने, उसी तरह से यह बीमा कंपनियों के मालिक थे, वह भी चलते बने।

लेकिन, इसके साथ-साथ उपसभापति महोदय, आपकी मार्फत में सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो 42 फीसदी बड़े बड़े मोनॉपली घराने है, उन्हें कारखानों के लिये कर्ज देना अक्लमंदी की बात नहीं है। मैं उनसे मांग करता हूँ कि हर जिले में एक सलाहकर समिति बनाई जाए और जो वहां आपका बड़ा अधिकारी हो वह उसका सेक्रेटरी हो तथा लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो। जो देश के रचनात्मक कामों में यकीन रखते हो, उनको उसका सभापति बनाया जाये। इससे यह पता लग सकेगा कि यहां कितना गलत, ऐजेन्सियों की मार्फत पैसा बंटता है और कितना गलत रूपया दिया जाता है। देश के रचनात्मक काम के लिए कर्जा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। हर जिले के स्तर पर हो और एक यहां पर हो। मंत्रालय यह देखे कि यह 42 फीसदी घटकर 10-15 फीसदी होना चाहिए। क्योंकि, आज जरूरत है बड़ी-बड़ी नहरों की, सिंचाई की योजनाएं बनाने की, बिजली घर बनाने की तथा और कामों को करने की। उनके लिए यह पैसा दिया जाए ताकि इस देश में बिजली और सिंचाई बढ़ सके और देश आगे बढ़ सके।

यह एल.आई.सी. का जो इरादा है, वह देश का इरादा है। आपने इसीलिये, इन कंपनियों का सरकारीकरण किया था, ताकि देश का ध्येय पूरा हो। इसलिए, यह जरूरी है और मेरा निवेदन है कि यह जो 42 फीसदी कर्जा दिया जाता है, बड़े घरानों को इसको कम किया जाए। उनको अपनी आमदनी के जरिये पर ही निर्भर रहना चाहिए। कर्जा दिया जाना चाहिये उनको जो छोटे-छोटे करघे वाले है, जो छोटे-छोटे किसान है, जो देश के लिए अनाज और खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। उनको दिया जाना चाहिए। वे देश के कमाऊ पूत हैं। देश के कमाऊ पूत वे नहीं हैं, जो साढ़े सात सौ रूपये की तनख्वाह लेकर बोनस की मांग करे। साढ़े सात सौ रूपये तनख्वाह लेकर ठंडे-गर्म मकान में झंडा उठाकर देश के काम को रोकें। वह कमाऊ पूत नहीं हैं। देश के कमाऊ पूत ठंडे और गर्म में रहकर देश के लिए पैदावार बढ़ाते हैं। और अगर, उनकी पैदावार घटती है तो देश का आर्थिक ढ़ांचा गड़बड़ाता है। जिस तरह से 1974 और 1973 में हुआ। इसलिये, मैं मानता हूँ कि खेत की पैदावार करने में खेत में पैदा करने वाला कमाऊ पूत कुलक नहीं है। वह बुर्जवा नहीं है। वह कमाऊ पूत है देश का जो अनाज पैदा करता है। वह सरकार के साथ खड़े होते हैं, जिन्होंने देखा था,

जय प्रकाश के खिलाफ जब प्रदर्शन व जलसा यहां पर बोट क्लब पर हुआ था, जिन्होंने देखा था वह गिनती कर सकते थे कि 20 लाख आदमियों में कम से कम 75 और 80 फीसदी आदमी कमाऊ पूत थे, खेत में काम करने वाले थे। वह है कमाऊ पूत। वह भी कमाऊ पूत है, जो कोयले की खान में काम करते हैं। जो कागज को इधर से उधर करने वाले है वह तो कागज की हेरा फे री करने वाले हैं, वह कमाऊ पूत नहीं है। धन्यवाद।

राज्य सभा

मंगलवार, 17 अगस्त, 1976 ई.*

दिल्ली कृषि विपणन (विनियमन) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, में दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। आप जानते हैं कि खेती की पैदावार बड़ी मुश्किल से होती है। खून और पसीने की मेहनत से किसान अपनी उपज पैदा करता है और जहां कुदरत से उसको कुश्ती करनी होती है। कुदरत का मुकाबला करना होता है। उसके बाद जब वह बाजार में आता है तो उसका जो तजुर्बा होता है, वह एक बड़ी दु:खद बात है। अभी तक भी देश में जब मंडियों में किसान की उपज आती है तो उसकी सौदागिरी होती है। उस सौदागिरी में ऐसा लगता है, जैसे वह माल, मरे हुए आदमी का हो किसान से न कोई पूछता है। न किसान को कोई बताता है। हाथ के नीचे छिपाकर सौदागिरी होती है। यही बात नहीं–खान साहब को मालूम है, तब हमारा प्रदेश पंजाब प्रदेश में था, जब यह कानून बना तो पंजाब के व्यापारियों ने एक हल्लागुल्ला किया, तमाम मंडियां बन्द की गई। मंडियों में ताला लगा और इतना बड़ा शोर हुआ कि वह जागृत करने वाला साबित हुआ। चूंकि उन्हें पता लगा कि किस तरह से हमारी लूट होती है। कहीं कच्चा आढ़ती है। कहीं पक्का आढ़ती है, कहीं दलाल है, कहीं तोला है, कहीं धर्म के नाम पर धर्मादा का पैसा काटा जाता है। पहले तो उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती और जो कीमत मिलती है, उसके इतने हिस्सेदार हैं। कीमत में उसका कोई दखल नहीं, उसको मुकर्रर करने में या

**Rajya Sabha, Delhi Agricultural Marketing (Regulation) Bill) 1976, 1956, 17 Aug. 1976, Page 153-158*

उसका दर तय करने में। साथ-साथ उसके इतने हिस्सेदार, दावेदार, जिनका कोई मतलब नहीं। ये इस बात का सबूत है कि देश में जो किसान गर्मी और सर्दी में खून व पसीना एक करके मेहनत करके कमाता है, वह खुद झोपड़ी में रहता है और जो उसके सामान को बिक्री करते हैं, वे महलों में रहते हैं। मंडियों में महल बनते हैं। जो कोई चीज पैदा नहीं करते हैं। वे महलों में रहते हैं। पैदा करने वाला भूखा रहता है। पैदा करने वाले के बच्चे के लिए कोई तालीम नहीं। कोई आराम नहीं। जो व्यापार करता है, सिर्फ इधर से उधर कुछ घटाता है, कुछ बढ़ाता है, कुछ गलत तोलता है, कानी डंडी रखता है, काने बाट रखता है। उसके मकान और महल बनते हैं। इसके लिए सरकार को जागृत रहना जरूरी है।

जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, उसके साथ-साथ यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारी दिल्ली और दूसरे जो केन्द्र शासित प्रदेश है, वहांकिसानों के हितों की कितनी रक्षा होती है। वह इस बात से पता लगता है कि 1939 का कानून वहां 1957 में लागू किया गया किसानों की लूट को बन्द करने के लिए। मंडियों का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए जो चीज प्रदेशों के लोगों ने महसूस की उसको यहां 17-18 साल के बाद शुरू किया गया। जिस कानून को महाराष्ट्र की सरकार ने 1963 में बदल दिया उस कानून को हम 13 साल से चलाते आ रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि हम कितनी सुस्ती से चल रहे हैं और किसानों के हितों के संरक्षण के प्रति हमारी सरकार का कितना ध्यान है। खान साहब ने इसी लिए मांग की थी कि जिस तरह अन्य प्रदेशों में पूरी सरकार और असेम्बली होती है, उसी तरह दिल्ली में बने।

मुझे याद है 1930 में जब पहली राउन्ड टेबिल कान्फ्रेस हुई तो उसमें सबसे पहले अगर, किसी नये सूबे के गठन की बात आई थी तो वह दिल्ली प्रदेश के नये सूबे के गठन की बात आई थी। श्री आसफअली जी ने और देश बन्धु गुप्ता जैसे नेताओं ने मांग की थी कि आज का जो हरियाणा है और वैस्टर्न यू0पी0 है उन सबको दिल्ली से मिला दिया जाये और दिल्ली का एक नया प्रदेश बनाया जाये। वह दिल्ली का प्रदेश नहीं बना।

आप जानते हैं कि हमारे देश में कई समस्याएं थी। कहीं धर्म के नाम पर झगड़े थे तो कहीं यह डर था कि हिन्दू और सिक्खों को पंजाब के मुसलमान न दबा जाये। इसलिये, 1966 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे प्रान्त हरियाणा का जन्म हुआ। हमें 1930 में पैदा नहीं होने दिया गया। दिल्ली में जो किसान भाई है इसीलिये, उनकी हालत आज भी वैसी चली आती है। देश को आजाद हुए तीस साल हो गये। लेकिन, उनकी हालत वैसी ही है।

इस विधेयक में रखा गया है कि बाहर के इलाकों से जहां से पैदावार आये वहां के लोगों को भी मंडियों की कमेंटियों में और मंडी बोर्ड में स्थान देना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तजुर्बों को देखते हुए कि 17-18 साल के बाद आपकी नींद खुलती है। अच्छा यह हो कि आप पूरा प्रदेश नहीं दे सकते हैं, हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. को दिल्ली के साथ नहीं मिला सकते हैं। तो कम से कम इतना तो कीजिए कि जहां तक मंडियों का सम्बन्ध है, उनको हरियाणा के साथ और (पश्चिम) उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ दीजिए, ताकि उनका काम सुचारू रूप से चल सके। वहां का किसान जागृत है और इस वजह से दिल्ली का किसान लूट से बच सकेगा। उनको उस महकमें के रहम पर नहीं रहना होगा, जिसकी नींद 17-18 साल के बाद टूटती है। बल्कि ऐसे लोगों के साथ जोड़ दिया जाये जो जागृत हैं। उससे किसान का ही फायदा नहीं होने वाला है। आप जानते हैं कि हमारे यहां गेहूं का भाव 105 रूपये क्विन्टल है और नरेला की मंडी जो हरियाणा से मील भर भी नहीं है, वहां गेहूं का भाव 160 रूपये है। यह किसान और कंज्यूमर के हित में होगा कि अगर, आप इन मंडियों को हमारे तहत दे दीजिए।

एक माननीय सदस्य : वहां भी भाव 105 रूपये हो जायेगा?

श्री रणबीर सिंह : नहीं। बीच का सिपाही हट जायेगा। कुछ हमको फालतू मिलेगा और कुछ कंज्यूमर को सस्ता मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कंज्यूमर का हित भी है और दिल्ली के किसान का हित भी है। अगर, मंडियों का काम दिल्ली प्रदेश की बजाये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मंडियों के जो बोर्ड हैं, उनके तहत दे दिया जाये। इसके अलावा....

श्री खुर्शीद आलम खान : आपने मौसम तक ले लिया, अब मंडियों को भी ले लीजिए।

श्री रणबीर सिंह : दिल्ली तो हमारी है, हमारा दिल है,। मगर, वह हमें मिल नहीं सकती तो उनका बाजार ही मिल जाये। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मुझे ताज्जुब हुआ यह देखकर कि मंडियों में कौन-कौन से इलाके के किसानों का नाम आप जोड़ सकते हैं। मुझे समझ में आ सकता था कि अगर, फल की मंडी बोर्ड बनने जा रहा हो तो उसमें हिमाचल प्रदेश के किसान का नाम जोड़ दिया जाये, उसको स्थान मिले। वहां का कृषक या जम्मू काश्मीर के किसान का स्थान उसमें हो सकता है। दूध राजस्थान से आता है। उसके लिये आपकी दिल्ली, मिल्क स्कीम है। लेकिन,

उसके लिये अगर, आप रखना चाहते हैं, तो उसमें राजस्थान के किसी भाई को रखिये, उससे मुझे खुशी होगी। लेकिन, मंडियों में राजस्थान के और पंजाब के किसान का क्या होगा ? अगर, वहां अनाज आयेगा तो हरियाणा से आयेगा, उत्तर प्रदेश से आयेगा। मैं समझ सकता हूँ कि अगर, शाहदरे की मंडी समिति बने तो उसमें कोई मेरठ या बुलन्दशहर का किसान सदस्य बना लिया जाये, यह समझ की बात हो सकती है। लेकिन, पंजाब के या राजस्थान के किसान को नरेला और नजफगढ़ की मंडी का सदस्य बनाया जाये, यह तो केवल कागजी बेइमानी होगी, जिसका सबेरे जिक्र आया, जिसमें सरकारी अफसर लोग अपने ही आदमी भेजना चाहते हैं, हर जगह इसके अलावा यह और कुछ नहीं हो सकता।

श्री खुर्शीद आलम खान : यह हमारी उदारता है।

श्री रणबीर सिंह : आपकी उदारता के पीछे कौन है ? जहां तक कंज्यूमर के नाते आपकी उदारता है तो आप रोहतक को छोड़िये। यह तो आपके अपने दो प्रतिनिधियों का झगड़ा है कि औरत बने या मर्द बने। कोई कहता है कि औरत नहीं हो सकती, कोई कहता है कि मर्द नहीं हो सकता। इस बंटवारे में ही झगड़ा है। इसमें हमारी जगह कहां है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कानून आया। देर आयद दुरूस्त आयद। देरी से आया। सही आया। लेकिन, इसको चलाने में जो आपका ढ़ांचा है, वह कामयाब नहीं रह सकता। इसलिये, इसको चलाने के लिये जो इसका कोआर्डिनेशन हो वह हरियाणा के मंडी बोर्ड और दिल्ली के मंडी बोर्ड का इक्ठा कोई संबंध स्थापित किया जाये। जैसे शाहदरा है उसके लिये उत्तर प्रदेश का मंडी बोर्ड हो सकता है। लेकिन, यह जितनी जल्दी हो सकता है, किया जाये। हरियाणा के मंडी बोर्ड के कानून में कोई बब्दीली आती है तो आप भी उसके मुताबिक तब्दीली करे। ऐसा होने पर यह 13 साल या 17 और 18 साल की नींद नहीं रहेगी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान आपको जागृत रखेगा और उससे दिल्ली के किसान का भी कुछ भला होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका आप ध्यान रखे और उसके लिये अगर, कोई संशोधन लाना पड़े तो हम समर्थन करेंगे।

राज्य सभा

मंगलवार, 24 अगस्त, 1976 ई.*

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी
(शेयर अधिग्रहण) बिल, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, इस विधेयक के जरिये जो इंडियन आयरन ऐंड स्टील कम्पनी के हिस्सों को सरकार ले रही है, उसका स्वागत करता हूँ और समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि मुझे खुशी हुई कल्याण राय जी की बात सुनकर, जब उन्होंने आरम्भ किया तो इसका स्वागत किया और जब आगे चले तो बहुत सी समस्याओं का जिक्र किया जिनका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। मैं समझता हूँ कि उनके पास उनका उत्तर होगा। लेकिन, इस बात को बताना वह भूल गये कि जो नया तजुर्बा हमारे इस मंत्रालय ने किया, सरकार जो इतने बड़े कारखाने को अपने दखल में ले रही है, उसके लिये कुल सात करोड़ 23 लाख 95 हजार और 137 रूपया और 15 नया पैसा दिया जा रहा है, उसमें कितने करोड़ का स्टील पैदा होगा ? कितने करोड़ रूपये साल का जो मुकर्जी वगैरह फायदा उठाते थे ? उस लूट को सरकार ने खत्म किया ? इस बात को बताना वह भूल गये और दूसरी बातों की तरफ वह चले गये। लेकिन, मैं कल्याण राय जी से कह सकता हूँ कि हो सकता है, उनमें भी कुछ कमियां हों। हो सकता है कि सरकार की मशीनरी में भी कुछ कमजोरियां दिखायी दे। लेकिन, सरकार की मशीन करे क्या, जब कल्याण राय

Rajya Sabha, Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Bill, 1976, 24 Aug. 1976, Page 169-172

जी जैसे देशभक्त और हिन्दुस्तान की तमाम विरोधी पार्टियां इस देश में लोहे के कारखानों को बन्द करने के लिये रेल की हड़ताल कराये और उनके नेता यह कहे कि अगर, रेल का पहिया जाम हो जायेगा तो लोहे के कारखानों की भट्टियां ठण्डी हो जायेंगी और वह फिर 9 महीने के पहले गरम नहीं हो सकती।

SHRI KALYAN ROY : Sir, I won't be here to listen to his irrelevant speech because I have a meeting with Mr. Shukla, the Minister of Information and Broadcasting.

श्री रणबीर सिंह : वह भूल गये कि यह काम देशभक्ति का था या देशद्रोहिता का? न गलतियों को और खामियों को सरकार नजरअन्दाज करे या न करे। वह इस बात को भूल गये कि इस्पात मंत्रालय ने इस्पात की पैदावार बढ़ाने के लिये आपातकालीन स्थिति में जो काम किया है, वह देश के आर्थिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। देश की तरक्की के लिये, देश के कारखानों की तरक्की के लिये, इस्पात की पैदावार बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसके लिये इस मंत्रालय ने और खास तौरपर यादव जी ने, जो देहात में पैदा हुए है और जानते हैं कि साहूकारों को किस होशियारी से पकड़ा जा सकता है, बहुत अच्छा काम किया है। कितना बड़ा कारखाना लगाया, 7 करोड़ के लगभग देकर। उनका दखल पूरा हटा दिया जाए, यह कोई कम समझ की बात नहीं है। यह मंत्रालय की बात तारीफ करने लायक थी। लेकिन, दोस्तों की जो टीका-टिप्पणी की तरफ देखते हैं, उनकी अच्छी बात की तरफ देखना ही पसन्द नहीं करते।

इसके साथ-साथ, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि पिछले साल में देश में जहां एक भावना गरीब में पैदा हुई कि आपात्कालीन स्थिति में उनकी रखवाली करने वाला भी कोई है, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार है उस गरीब के लिये जहां रहने का स्थान मिला और उनको एक नयी जिन्दगी मिली, उसके साथ-साथ देश की आर्थिक नीवों को मजबूत करने के लिए इस्पात और लोहे के मंत्रालय ने इस्पात और लोहे की पैदावार बढ़ाकर दिखाई। यह बताया कि बावजूद इसके कि इंतजाम अभी तक कुछ उन्हीं भाईयों के हाथ में है, जो भाई पहले मुखर्जी साहब जैसे साथियों के साथ मिले हुए थे, उन्हीं के मातहत भरती हुये थे।

मुझे याद है, उपसभापति जी, जब में लोकसभा में पब्लिक ऐकाउंट्स कमेटी का सदस्य था। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने जब हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े लोहे के कारखाने लगने जा रहे थे तो मुखर्जी साहब पेश हुए और मुखर्जी साहब

ने यह बताया था-वह इस्को के चेयरमैन थे--यह लिखित शहादत दी थी कि लोहे के कारखाने लगाना कितनी गलत बात है। उनका कहना था कि इन लोहे के कारखानों में जो लोहा पैदा होगा, वह इतना मंहगा होगा कि यह देश उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और इतना मंहगा हो कि दुनिया में कोई उसको खरीदने वाला नहीं होगा।

वह भाई और उनके जो सलाहकार थे, वे आज भी इस्को में काम करते होंगे। उनको यह पता है और उसी का नतीजा हुआ कि 1962 में जो उनकी लोहा पैदा करने की शक्ति थी, वह सौ फीसदी थी। लेकिन, दस साल के बाद गिरते गिरते वह 30 फीसदी और उससे कम हो गई। अगर, आज भी उनके हाथ में रहने दिया जाता और जिस तरह से पहले आप जानते हैं कि हमारे देश में संविधान में अदालतों का सहारा लेकर देश के आर्थिक ढ़ांचे को वह बिगाड़ना चाहते थे तो वह और भी खराब कर सकते थे।

आपातकालीन स्थिति का यह भी एक बहुत अच्छा फायदा उठाया गया और इस कारखाने के शेयरों को सरकार ने खरीदा। इसका इंतजाम भी इस्पात मंत्रालय के हाथ में होगा। उसके बाद जितने वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संस्थायें हैं, उनके नुमाइंदे भी लोहे और इस्पात मंत्रालय से मिलकर इस लोहे के कारखाने का इंतजाम करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि जिस तरह से पिछले साल लोहा और इस्पात की पैदावार में बढ़ौत्तरी हुई, वह दिन-रात काम करके चौगुनी कर दी जाएगी और देश की आर्थिक नींव को मजबूत करेगी। उसके लिए मैं मंत्री महोदय श्री चन्द्रजी यादव, श्री सुखदेव प्रसाद और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ।

राज्य सभा

शुक्रवार, 27 अगस्त, 1976 ई.*

कृषि उत्पादन लाभकारी मूल्य निर्धारण

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : सभापति जी,

[Mr. Deputy Chairman in the chair]

श्री इन्द्रदीप सिंह ने देश का ध्यान इस बात की तरफ दिलाया कि खेत में जो पैदावार होती है, उसकी सही कीमत मिले और इसके साथ-साथ जो कारखानों में चीजें पैदा होती हैं, उनकीं कीमतों में संतुलन होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। यह क्यों जरूरी है, उसका कारण मैं आगे चलकर बताऊंगा। इससे पहले कि कुछ और कहूं मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ ले जाना चहता हूँ कि जो चीजें खेती की पैदावार करने में लगती हैं, उनकी कीमतों में कहां तक फर्क आ गया है। इस बात की तरफ ध्यान दिलाने से पहले मैं एक और निवेदन करना चाहूंग कि यह कृषि प्रधान देश है। इस देश में 70 परसेंट भाई खेती का धंधा करते हैं, खेती पर निर्भर रहते हैं। हमारे इंडैक्स नंबर हैं। जो 30 फीसदी भाई हैं, उनके साथ न्याय हो, इसके लिए कंजुमर इंडैक्स नंबर हैं। लेकिन, जो 70 फीसदी भाई हैं, जो खेती का धंधा करते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में उनके लिए कोइ इंडैक्स नंबर नहीं हैं। उनके लिए इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पहले कितना खर्चा होता था और अब कितना खर्चा होता है। इसके लिए खेती के लिए जो चीजें चाहिंए, उनके लिए खर्च इत्यादि के आंकड़े कृषि मंत्रालय की कंसलटेटिव कमेटी में दिए हैं। उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

**Rajya Sabha, Re ensuring remunerative prices for agricultural produce etc., 27 Aug. 1976, Page 89-93*

आप जानते हैं कि यह मशीन युग है और यह इसलिए कि खेती में जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वह मेहनत कम हो। मैं आपका ध्यान अन्य बातों की तरफ न ले जाकर ट्रैक्टरों की कीमतों की तरफ ले जाना चाहता हूँ।

उपसभापति जी, 3-4 मॉडल के ट्रैक्टर हैं। उनकीं कीमतों में कितना फर्क आया है, यह मैं बताना चाहता हूँ। एम.एफ 1035 होर्सपावर के ट्रैक्टर की कीमत 1.2.1970 को 21 हजार 140 रूपये थी। 30.6.1966 को उसकी कीमत 43274.90 रूपये हो गई। इन्टरनेशनल बी-275, जोकि 35 हार्सपावर का है, उसकी कीमत 1.2.1970 को 19,570 रूपये थी। लेकिन, 30.6.1976 को उसकी कीमत 43,750 रूपये हो गई। एक्सकोर्ट ट्रैक्टर, जोकि 35 हार्सपावर का होता है, उसकी कीमत 1.2.1970 को 17,910 रूपये थी। अब उसकी कीमत 36,528 रूपये हो गई है। इसी तरह से दूसरा ट्रैक्टर जो 25 हार्सपावर का होता है, उसकी कीमत पहले 14,500 रूपये थी। लेकिन अब उसकी कीमत 35,910 रूपये हो गई है। इसी तरह से फोर्ड 3600, पहले 35,595 रूपये का था, लेकिन, अब उसकी कीमत 56,168.80 रूपये हो गई है।

हमारी सरकार की कोशिश है कि चीजों की कीमतें न बढ़नें पायें। लेकिन, फोर्ड ट्रैक्टर की कीमत तीन-चार महीनों में ही पाँच हजार रूपये बढ़ गई है। इसी तरह से दूसरे ट्रैक्टरों में भी तीन हजार से लेकर पाँच हजार रूपयों की वृद्धि हुई है। एक तरफ, हमारी सरकार कहती है कि हमने ट्रैक्टरों पर से एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और दूसरी तरफ, ट्रैक्टरों के टायरों की कीमतें बढ़ती जाती हैं। आप जानते हैं कि आधुनिक युग में हमारे देश में ट्रैक्टरों से खेती होने लगी है। ट्रैक्टर ही अनाज पैदा करते हैं। ऐसी हालत में हमारे देश के कारखानेदार ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा कृषि मंत्रालय संतोष से बैठा रहे, यह बात समझ में नहीं आती है। यह बात भी समझ में नहीं आती है कि हमारी सरकार इस दिशा में कुछ कर सकती है या नहीं ? मैं चाहता हूँ कि सरकार इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। हमारे कृषि मंत्रालय में जब बाबू जगजीवन राम जी 1967-68 में आए तो उस वक्त यह नीति निर्धारित की गई थी कि ट्रैक्टरों के ऊपर कोई कस्टम नहीं होगा। लेकिन, इन नीतियों को छोड़ देने से ट्रैक्टरों की कीमतों में वृद्धि होती रही है।

उपसभापति जी, एक तरफ तो इस प्रकार की हालत है और दूसरी तरफ कार की कीमतों में कमी की कई है। कार के बिना हमारे देश का काम चल सकता है। लेकिन, ट्रैक्टर, जिसके जरिए किसान खेती की पैदावार बढ़ाता है, उसकी कीमतें

बढ़ाई जाती हैं। मैं आपके सामने कुछ और भी आंकड़ें रखना चाहता हूँ। हमारे देश को आजादी के बाद विदेशों से कितना अनाज खरीदना पड़ा, यह इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएबा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी अनाज के मामले में विदेशों पर निर्भर रहे, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हमारा देश करोड़ों रूपये विदेशों को दे चुका है। इस संबंध में मेरे पास जो आंकड़े है, वे सन 1974 तक के हैं। अब तक हमने विदेशों से जो अनाज और दालें आदि मंगाये हैं, उस पर हम 8939 करोड़ 70 लाख रूपये खर्च कर चुके हैं। ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, ये सन 1954 से 1974 तक के हैं। सन 1946 से 1954 तक विदेशी मुद्रा के रूप में जो धनराशि हम विदेशों को दे चुके हैं, वह 1036 करोड़ 83 लाख रूपये की है। इन दोंनों को मिलाकर 9976 करोड़ 53 लाख रूपये हम विदेशों को दे चुके हैं। इस प्रकार सन 1946 से 1974 तक इतनी बड़ी धनराशि अनाज के बदले में हम बाहर के देशों को दे चुके हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

श्री उपसभापति : श्री रणबीर सिंह जी, नियमों के अनुसार आप 15 मिनट बोल चुके हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रणबीर सिंह : उपसभापति जी, अकेले कपास के ऊपर जो बाहर से आई, उसके ऊपर जो खर्च किया गया, उसके 1972 तक के आंकड़े मेरे पास हैं। हमने 1616 करोड़ 78 लाख रूपये कपास बाहर से मंगाने पर खर्च किये। इस तरह से हमने 11594 करोड़ रूपये की चीजें विदेशों से खरीदी हैं, जिसमें खेती के अतिरिक्त और चीजें शामिल नहीं है। यह क्यों हुआ ? क्या इस देश के अन्दर इन चीजों को पैदा करने की शक्ति है ? हाँ, इस देश के अन्दर पैदा करने की शक्ति है। हमने खेतों में पानी की, सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए 3500 करोड़ रूपये खर्च किये और उसके ऊपर भी आज हालत यह है कि प्लालिंग कमीशन के डा. मोहनदास ने कहा कि एक फीसदी सूद भी दे दे तो भी कुछ काम चल सकता है। लेकिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह विदेशी अनाज, जो बाहर से आया है, जो खाने की चीज है, उसके ऊपर कितना सूद आप देते हैं ? यह सूदखोरी की नीति क्या हमारे लिये बनी है ? मैं यह मानता हूँ कि यह जो नीति हमारी है, जिस नीति के मुताबिक यह सरकार चल रही है, वह एक तरह से बणिये की नीति हो गयी है। सरकार की यह नीति जो हो गयी है, उससे हमें ऐतराज है। पहले किसान साहूकारों से ज्यादा ब्याज पर रूपये लेते थे। लेकिन, आज सरकार द्वारा किसानों को 17 और 18 परसेंट सूद पर रूपया दिया

जा रहा है और इसका फल यह होता है कि किसान सरकार को वह ब्याज अदा नहीं कर सकता है। देश के जो आदमी हैं, उनसे ब्याज लेने के लिये ही क्या आज हमारी आर्थिक नीति रहेगी, ब्याज हेर-फेर में लेंगे।

देश के जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनकी सफलता के बारे में पहले कोई कुछ नहीं कह सकता, उनकीं सिक्योरिटी के ऊपर, कागजात की सिक्योरिटी के ऊपर रिजर्व बैंक रूपया बांटता है। लेकिन, वह, जिस चीज की गारंटी है, उसके ऊपर रूपया नहीं बांटता हैं इस देश की तरक्की में यह आर्थिक विज्ञान जानने वालों की बात है। यदि हमें इस देश के अन्दर एक समाजवादी ढ़ांचा बनाना है तो हमारी आर्थिक सोच भी वही कैपिटिलिस्ट ढ़ंग की है, मरकन्टायल इकानामी की है, तो उसको जब तक हम नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक इन किसानों के साथ न्याय नहीं होगा, न ही देश के साथ न्याय होगा। किसन के हित में तरक्की होनी चाहिए। लेकिन, मैं कहता हूँ कि...

(Time bell rings)

Mr. Deputy Chairman : Now I will call the next Speaker.

श्री रणबीर सिंह : यदि किसान सुखी होगा तो देश अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो जायेगा। इसलिये आप आर्थिक नीति के अन्दर तब्दीली करिये। कार के बजाय ट्रैक्टर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाइये, खेती में काम आने वाली चीजों पर एक्साइज ड्यूटी घटाइये।

राज्य सभा

सोमवार, 30 अगस्त, 1976 ई.*

धातु निगम
(राष्ट्रीयकरण और विविध प्रावधान) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, ...

SHRI U.K. LAKSHMANA GOWDA : From agriculture he has now come to Industry. He wants to speak on steel. On everything he wants to speak.

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। लेकिन, समर्थन करते हुए मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय श्री चन्द्रजीत यादव और उनके मंत्रालय ने जो सलूक इस्को के साथ किया था, उसके मुकाबले यहां रियायत काफी मालूम देती है। रियायत उनके साथ जो 5-7 साल तक गड़बड़ी करते रहे, शान्ति से जिन्होंने जिन संस्थानों को सरकार के हाथ में नहीं आने दिया और पैदावार रोकी। चाहिए तो यह था कि उनको सजा दी जाती। लेकिन, यह इस्को को पैसा दिया गया है और जितना बड़ा वह संस्थान है, जितनी उससे देश की पैदावार बढ़ेगी, उसका मुकाबला अगर, इन संस्थाओं से किया जाए तो इनका कोई मुकाबला बनता नहीं है। पर जो रकम उनको दे रहे हैं, उस रकम को इसके साथ जोड़ दें। मुझे ताज्जुब हुआ कि श्री चन्द्रजीत यादव जी जिस मंत्रालय

**Rajya Sabha, Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Bill, 1976, 30 Aug. 1976, Page 173-176*

के मंत्री हों और वहां इस तरह से पैसे वाले पैसों की हेराफेरी करते हो तो वह इसमें कैसे काममयाब नहीं हो सके? यह मेरी समझ में नहीं आया।

मैं यह जरूर मानता हूँ कि जो पैसा रखा है, यह कुछ ज्यादा है। पैसा उनको कम देना चाहिए था। कैसे थोड़ा बहुत उस पैसे को दिया जा सकता है, इसकी कोई न कोई सोच होनी चाहिए कि किस तरह से मजदूरों को इसमें से दिलाया जाए? यदि उन पर कोई प्राविडेन्ट फण्ड वगैरह मजदूरों का बकाया हो, या उनका पैसा रोका हो तो सारा पैसा कारखानेदार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि, उन्होंने देश के हित में काम नहीं किया था। जितनी लोहे की पैदावार की शक्ति थी, क्षमता थी, उसके विरूद्ध वे 13 फीसदी उसे ले आए । उससे देश को काफी घाटा हुआ। इन्होंने बिल्कुल काम नहीं चलने दिया तो इनकी और भी कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन, जो दूसरे संस्थानों को पैसा दिया गया है, उसके मुकाबले में तो यह भी, मैं समझता हूँ कि सराहनीय है। वे इस बात का पूरी तौर पर ध्यान रखते रहे हैं कि जो लोग देश की प्रगति के रास्ते में रोड़ा बने है, उनको ज्यादा पैसा देश की प्रगति के हित के लिए ठीक नहीं है।

अभी श्री लक्ष्मण गौड़ा साहब ने जिक्र किया कि में किसानों के मसले पर ज्यादा बोलता हूँ और इंडस्ट्री पर भी (बोलने लगा हूँ)। मेरे बोलने का इसमें जो मंतव्य है, वह यही है कि अगर, देखा जाये कि जो देश की जमीन सीलिंग के तहत मौजूद है, उस जमीन को जब आप लेते हैं तो उस जमीन के मालिक को जो पैसा देते हैं। उसके मुकाबले में वह बाजर में 50 हजार में बिके, उसको 1 हजार रूपये फी एकड़ के हिसाब से दें। जो पैसा उनको यहां दिया जा रहा है, उसके मुकाबले यह जो अनुपात है, उसका अगर, हिसाब लगाया जाये तो यह बहुत ज्यादा है। इसलिए, मैं मानता हूँ कि अभी तक भी इस मामले में कारखानेदारों को मुआवजा, उनकी संस्थानों को लेने के लिए दिया जाता है, उसका दूसरे संस्थान जैसे कृषि भूमि के लेने के सिलसिले में मुकाबला किया जाये तो वह अनुपात उनके कारखानादारों के हक में ज्यादा है।

इसी तरह से मैं मानता हूँ कि देश की अभी तक जो नीति रही है, वह इस्तेमाल करने वालों के हक में ज्यादा है, पैदा करने वालों के हक में कम है। इसलिए, हमारे देश को अभी तक कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमें विदेशों के ऊपर अनाज आदि के लिए निर्भर करना पड़ा। अभी पिछले ही साल का जिक्र है कि जिस वक्त कपास के बारे में सवाल उठा, इस सदन में, दूसरे सदन में भी, कि किसान का कपास नहीं खरीदा जा रहा और मंत्री जी, श्री चट्टोपाध्याय जी ने बताया था कि हमको 1000 करोड़ रूपये चाहिए। उनका कपास खरीदने के लिए। लेकिन काटन कारपोरेशन

को दिया था 10 करोड़ रूपए। उसका नतीजा हुआ कि एक साल के भीतर चट्टोपाध्याय जी का मंत्रालय विदेशों में मारा मारा फिरा कि हमको कपास दे दो। यहां कपास फालतू थी। एक साल में ही यह असर हो गया। पहले एक जमाना था, जब खेती जिन्दगी निभाने का एक तरीका था। आज तो खेती एक पेशा है जिसमें जो आदमी जितनी मजदूरी करता है। उतना मेहनताना वह चाहता है। इसी तरह से अगर, उसकी जमीन ली जाए तो उसके बारे में भी सही मुआवजा दिया जाए। एक आदमी के पास बीस एकड़, चालीस एकड़ जमीन है और अगर, वह खुद मेहनत से खेती करता है, उसकी जमीन को हम सीलिंग के तहत ले लें तो उसको अपनी ही जमीन की जो रकम दी जाती है, उस अनुपात से ज्यादा कारखानेदार को कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि, कारखानेदार ने तो अय्याशी करनी है, उस पैसे से किसान अपना करोबार बढ़ा के और पैसा कमाता है।

मैं निवेदन करता हूँ कि जहां तक रकम देने का सम्बन्ध है, यह पहले बिल के मुकाबले में उससे ज्यादा लगता है। मैं मानता हूँ कि चन्द्रजीत यादव जी के पास इस बात का जवाब भी होगा। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा सोचने वाला जो भाई है, उनके दिल में जो असर हुआ है, वह गलत है, इस बात को वे साबित कर सकें। यह मेरी इच्छा है। इतनी रकम उनको क्यों देनी पड़ी है, इसके बारे में अपना जवाब देते वक्त माननीय मंत्री जी कृपया उसका ब्यौरा दें।

राज्य सभा

बुधवार, 2 सितम्बर, 1976 ई.*

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, मैं केन्द्रीय विक्रय (संशोधन) विधयेक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं यह मानता हूँ कि कर की नीति निर्धारित करते समय सिर्फ रूपया इक्कठा करना ही उद्देश्य नहीं होता है। बल्कि यह भी देखना होता है कि किसी चीज पर कर लगाने से हमारे विदेशी व्यापार पर उसका असर पड़ता है या नहीं। विदेशी बाजारों में हमारी चीजें योग्य ढ़ंग से मुकाबला कर सकती है। या नहीं। इसके अलावा कर लगाते वक्त यह भी देखना होता है कि हमारी कर नीति देश के हित में है या नहीं। उस कर लगाने से किसी प्रदेश या किसी प्रदेश की सरकार को किसी प्रकार का कोई घाटा तो नहीं होता है। इन सारी बातों को देखते हुए मैं यह महसूस करता हूँ कि हमारे वित्त मंत्रालय की कर नीति उपभोक्ताओं के हित की नीति है। लेकिन, जो लोग चीजें पैदा करते हैं, उनके हित की नीति नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर, पैदा करने वालों में बड़े-बड़े कारखानों का संबंध हो तो इसमें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन, देश के करोड़ों किसान जिस चीज को पैदा करे और जिनका आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा न हो, उनकी पैदावार की वस्तुओं पर कर लगाते वक्त उनका ध्यान रखा जाना चाहिए।

आज हमारे देश के अनाज की जो स्थिति है वह पिछले कुछ सालों से इस प्रकार की है कि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए जो अनाज बिकता है। वह पंजाब से आता है या हरियाणा से आता है। आप शायद जानते होंगे कि हरियाणा की सरकार के खिलाफ और पंजाब की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दावा हुआ। वह दावा

**Rajya Sabha, Cenral Salesa Tax (Amdt.) Bill, 1976, 2 Sep. 1976, Page 75-84*

धान और चावल दो अलग अलग वस्तुएं है या एक ही वस्तु है, इस संबंध में था। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो इस प्रकार है---

"That the issue whether paddy and rice was one single commodity or two has already been conclusively decided by the honourable Supreme Court in the case of Mesers Ganesh Trading Company, Karnal versus the State of Haryana, holding that pady and rice were two separate commodities for the purposes of sale-tax."

उप-सभापति जी, आप जानते हैं कि जहां तक पैडी (धान) का संबंध है, वह बाहर के प्रदेश मैं इस्तेमाल हो सकती है और हरियाणा में भी इस्तेमाल हो सकती है। उससे जो चावल बनेगा, वह दूसरे प्रदेशों में भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके ऊपर क्या सेल्स टैक्स लगना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसका फैसला वित्त मंत्रालय को प्रदेशों की सरकारों से सलाह-मशविरा करके तय करना चाहिए। लेकिन, इस संबंध में कोई फैसला करते समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि इस कर प्रणाली से देश की पैदावार में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आती है। इस वक्त हमारे देश की आबादी 60-62 करोड़ तक पहुंच चुकी है जिस वक्त हम आजाद हुए थे, उस वक्त हमारे देश को आबादी तकरीबन 35 करोड़ थी। इस दृष्टि से हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में अनाज की पैदावार कितनी बढ़ी है(

जैसा मैंने कहा, वित्त मंत्रालय की नीति उपभोक्ताओं के हित की नीति है और इसलिए, उसमें किसानों के हितों का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जा सका। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश को 1946 से 1974 तक 11593 करोड़ रूपयों से भी अधिक का अनाज, दालें और कपास बाहर के मुल्कों से मंगाना पड़ा। यहां तक कि कभी कभी चीनी भी हमारे मुल्क को बाहर के देशों से मंगानी पड़ी। मुझे इस संबंध में याद आता है कि अकेले 1974 के एक साल में हमारे देश को 2 हजार 286 करोड़ रूपयों का अनाज बाहर के मुल्कों से मंगाना पड़ा।

इससे पता लग सकता है कि हमारे देश को अपने पैरों पर खड़े होने के लिये वित्त मंत्रालय की आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए? देश में पैदावार बढ़े। इसका नतीजा क्या होगा कि जो हरियाणा और पंजाब देश के लिये अनाज पैदा करते हैं, उनमें 4 करोड़ रूपये का घाटा अकेले हरियाणा को है, क्योंकि, पैडी (धान) के ऊपर हमारे यहां 7 परसेन्ट सेल टैक्स था और अगर, पैडी (धान) और चावल को एक वस्तु मान लें तो वह 4 परसेन्ट से ज्यादा टैक्स लगा नहीं सकते। इसलिये, 3 करोड़ रूपए का घाटा उसमें ही हो जायेगा और चावल पर बिल्कुल नहीं लग सकता तो दो करोड़ का उससे और घाटा होगा।

मेरी जानकारी के अनुसार] इसी तरह से पंजाब में भी कम से कम आठ करोड़ रूपये का घाटा होगा। इस प्रकार पंजाब और हरियाणा दोनों को मिलाकर कुल 12 करोड़ रूपये का घाटा होगा।

पंजाब और हरियाणा में जो सरकारें पैसा खर्चती हैं।-आज से नहीं बल्कि पिछले 20-20 सालों से --50-52 परसेन्ट पैसा सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए खर्च होता है। कृषि की तरक्की के लिये हरियाणा में चाहे वह कृषि का महकमा है, चाहे वह सिंचाई का महकमा है और चाहे बिजली का महकमा है, इन तीनों विभागों के ऊपर जितना पैसा खर्च करते हैं। वह कुल का 75 फीसदी अनाज पैदावार बढ़ाने के ऊपर खर्च करते हैं। 75 परसेन्ट जो अनाज बाजार में आता है, वह हरियाणा और पंजाब से आता है। इसका नतीजा यह होगा कि हम पैसा कम खर्च करेंगे और हमारे देश की जो पैदावार है, वह घट जायेगी। लेकिन, याद रखिये इससे यह देश कर्जे के नीचे दब जायेगा।

यह देश अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और इस देश को बाहर से अनाज मंगाकर मकरूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर, आप मकरूज रहना चाहते हैं और वित्त मंत्रालय यह समझता है कि उपभोक्ता ही इस देश के मालिक हैं और जो पैदा करते हैं, उनकीं परवाह नहीं। कुछ दोस्तों का कहना कि जिनके पास एक एकड़ है, जिनके पास दो एकड़ है, वे कहां अनाज बेचते हैं। एक-दो एकड़ जमीन पर जो अनाज पैदा करता है। वह बाजार में नहीं आती है। जो ट्रैक्टर वाले है वे एक फीसदी ही है और वही बचत कर सकेंगे और उनकी तादाद करोड़ों में हैं। क्या देश के हित को देखते हुए, उनके हितों की रक्षा न करे और देश में अनाज की पैदावार कम हो ताकि देश को दूसरे देशों पर इस मामले में निर्भर करना पड़े?

उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं यह बताना चाहता हूँ कि कृषि मंत्रालय वित्त मंत्रालय से इस बारे में बात कर चुका हूँ। सेल टैक्स और दूसरे टैक्सों के बारे में उन्होंने इसके बारे में लिखा है उसको में सदन के सामने आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ। यह कृषि मंत्रलाय का कहना है, मेरा नहीं।

"A rough analysis of the cost structure of tractors shows that while the increase in the cost is due to the rise in the cost of material and cost of production as compared to 1971, in the case of some models selected for the cost analysis taxes and levies alone account for 31.8 per cent of the retail price."

जिससे अनाज पैदा हो उसके ऊपर टैक्स लगाये और जो अनाज पैदा नहीं करते और जो आराम की चीजें हैं, उनके ऊपर टैक्स न लगे।

इसी तरह से उन्होंने लिखा है :

"In view of the adverse effects of high prices of tractor and power tillers on agricultural production programmes, the Ministery of Agriculture had requested initially at the level of Minister to exempt tractors and power tillers from the levy of excise duty and to reduce customes duty on imported raw materials and components and also Central and State Sales Taxes at least to the pre-1971 level."

परन्तु,, वह बात नहीं मानी गई। वित्त मंत्रालय किस बात को कबूल करता है? वह तो–

"While in the case of luxury goods less essential such as T.Vs., refrigeratos, automobiles, water coolers, etc. the Ministry of Finance have announced excise relief ranging from 5 per cent to 35 per cent, the relief that has been allowed in respect of tractors is negligible-in respect of tyres and tubes only-which comes to hardly Rs. 500 per tractor."

श्रीमन, हमारी नीति अगर, यही रहती है तो दु:ख लगता है। आप जानते हैं कि इसी सदन में कुछ दिन पहले चर्चा चली कि इस देश में कपास की पैदावार बढ़ी और सवाल हुआ कि किसानों का कपास उठाया नहीं जाता है तो हमारे कामर्स मिनिस्टर से हमने पूछा कि काटन कारपोरेशन को कितना रूपया कपास खरीदने के लिए दिया है तो उन्होंने बताया कि 10 करोड़। 10 करोड़ रूपये में से उन्होंने साढ़े तीन या चार करोड़ रूपये का कपास खरीदा। जब मैंने पूछा कि सारी कपास को खरीदने के लिए कितना रूपया चाहिए तो कहा 1000 करोड़ रूपये। 1000 करोड़ रूपये वित्त मंत्रालय ने नहीं दिया। वित्त मंत्रालय हरियाणा और पंजाब के सेल्स टैक्स में की आमदनी की रक्षा नहीं करेगा। वह रक्षा करेगा उपभोक्ताओं की। नतीजा है जो हम देख रहे हैं।

आप जानते हैं कि यू.एस.एस.आर. क्यों तरक्की कर सका? वहां जो कन्ज्यूमर गुड्स है, उन्होंने 20-25 साल तक कंज्यूमर गुड्स की परवाह नहीं की। हमारे यहां पाउडर की फिक्र है, पाउडर के ऊपर सेल्स टैक्स कम लगे इस बात की तो फिक्र नहीं ह। तब देश में अनाज पैदा कैसे होगा? इस देश में कपास कैसे होगी? वह कपास खरीदा नहीं गया। नतीजा हुआ है कि किसानों ने कपास कम बोया। आज हमारी कामर्स मिनिस्ट्री के अफसर मारे-मारे फिरते हैं। जब हम मास्को में थे तो हमें बताया गया कि मास्को में भी वे आए हुए थे और वे इस बात की फिक्र में है कि यह कपास उनको मिल जाए। जो कपास मिलती भी है तो वह हिन्दुस्तान के किसान के कपास के मुकाबले में ड्योढ़ी कीमत की है। लेकिन, हिन्दुस्तान के किसान को पैसा नहीं

देना चाहते, हिन्दुस्तान के किसान की फिक्र नहीं। अमरीका का किसान जो खराब गेहूं देता है, उसको 125 रूपये फी क्विंटल देंगे। लेकिन, हिन्दुस्तान के किसान को अगर, 5 रूपये क्विंटल और देने की बात आए, ट्रैक्टर के ऊपर सेल्स टैक्स घटाने की बात आए तो वित्त मंत्रालय की समझ में वह बात नहीं आती है। वित्त मंत्रालय रेफ्रीजरेटर के ऊपर, कार के ऊपर रियायत दे सकता है। लेकिन, ट्रैक्टर जो देश में पैदावार बढ़ाए उसके ऊपर रियायत नहीं दे सकता है।

श्रीमन, इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस बात के पर हमें सोचना होगा कि क्या आप चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा अनाज पैदा करना बन्द करे? अभी चीनी का सवाल आप ले लीजिए। पिछली दफा क्या हुआ? गन्ने की कीमत पूरी अदा नहीं की जाती। गन्ने की कीमत ठीक नहीं अदा की जाती। इस देश में कोई भाई 8 रूपये 25 पैसे फी क्विंटल के हिसाब से गन्ना न खरीदता है, न देता है। लेकिन, ये 7 रूपया 25 पैसे करना चाहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि अगर, आप सब्सीडाइज्ड चीनी देना चाहते हैं। तो कुछ भाईयों को दो जिनको 200-400 रूपये तनख्वाह मिलती है। आज तो 3500-4000 रूपये पाने वाले जज, सेक्रेटरी बड़े-बड़े तनखादारों को चीनी कम कीमत पर दी जा रही है। यह वित्त मंत्रालय की आर्थिक नीति है। इसका नतीजा क्या हुआ है? पिछले साल, उससे पिछले वाले साल के मुकाबले 4 लाख टन कम चीनी पैदा हुई। अगर, यह 4 लाख टन चीनी बाहर जाती तो हिन्दुस्तान को 300-400 करोड़ रूपये मिलता।

अनाज के बारे में तो हालत यह है कि सरकार के पास रखने के लिए जगह नहीं है। हवाई अड्डों में, स्कूलों में, अनाज रखा जा रहा है। वह अनाज किसके लिए है? वह हिन्दुस्तान के लोगों के लिए नहीं होगा। वह तो खराब करने के लिए हैं। अब नयी फसल आ रही है, चावल की। उसको कहां रखेंगे? उसको बाहर भी नहीं भेजेंगे। 7000 करोड़ रूपये के विदेशी कर्जे को चुकाने के लिए अनाज बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि, उपभोक्ता कह सकते हैं कि उनको मिलने वाले अनाज के भाव बढ़ जायेंगे। उपभोक्ताओं का हित सामने रखना चाहिए। लेकिन, जो देश का हित है वह सबसे आगे होना चाहिए। कर्ज को अदा करने के लिए किसान की पैदावार को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं। आयात को कम करने के लिए भी तैयार नहीं। वित्त मंत्रालय की यह नीति इस देश को आर्थिक तौर पर कमजोर बना रहने देगी या इस देश को अपने पैरों पर खड़ा करने लायक बनायेगी? मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे सोचें और जो पिछले 25-30 साल में कर लगाने की नीति रही है, उसको छोड़े।

इसके साथ-साथ मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर, आप चाहते हैं कि

पंजाब और हरियाणा से गेहूं मिलता रहे, चावल मिलता रहे तो जो उनको घाटा हो रहा है, उसको आप पूरा करिए। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी के प्रदेश में भी गेहूं पैदा होना शुरू हो गया। दूसरे प्रदेशों में भी हो सकता है। वहां जमीन के नीचे मीठा पानी है। हमारे यहां तो जमीन के नीचे खारा पानी है। हमारे यहां फसल पैदा करने के लिए साढ़े 4 सौ फीट जमुना का पानी ऊपर उठाना पड़ता है। बंगाल में, आसाम में। उत्तर प्रदेश में तो दस हाथ के नीचे पानी मिल जाता है।

हमें खुशी है कि बंगाल की सरकार ने अनाज की पैदावार बढ़ाई है। उड़ीसा की भी यही हालत है दूसरे प्रदेश भी बढ़ाये। लेकिन, मैं यह कहता हूँ कि जब तक वे नहीं बढ़ाते क्या आप अनाज के आयात को पसन्द करेंगे या इस बात को पसन्द करेंगे कि हरियाणा को 4 करोड़ का और पंजाब को 8 करोड़ का घाटा है, उसको पूरा करे ? यह 12 करोड़ देने के लिए तो रिजर्व बैंक को सिर्फ कागज छापना होगा। आपने, इस कानून से हरियाणा और पंजाब की टैक्स की शक्ति को छीना है, उसको आप कम्पेनसेट करेंगे या नहीं ? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करे। अगर, इस कानून को बदलने की आवश्यकता हो तो बदलने के लिए संशोधन लाईए और अगर, बदले बगैर यह कर सकते हैं तो कर दीजिए।

आज केरल प्रदेश के सदस्यगण बहुत बोले। उनका भी एक ही कहना है कि वे केरल में बहुत सी चीजें पैदा करते हैं। चाय, कॉफी और दूसरी चीजें। उनकों दिखाई देता है कि इस नीति से वहां का जो पैदा करने वाला है, उसको घाटा होने वाला है, वहां की सरकार को घाटा होने वाला है। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि पंजाब और हरियाणा का मुझे ज्ञान है–आपके इस सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक से, जो यह सदन पारित करने वाला है, जिस जिस प्रदेश को जितना–जितना घाटा होता है, उतना घाटा आप पूरा करने की जिम्मेंदारी ले। वरना, एक तरफ तो आप उनसे कहते हैं, दबाव देते हैं कि अपनी आमदनी बढ़ाओ और दूसरी तरफ उनकी आमदनी के जरिये छीनते हैं। ठाड्डा मारै रोने न दे, चक्की घिसले पीसने न दे। वह मारे भी और रोने भी नहीं दे। इसलिये, केन्द्र का जो वित्त मंत्रालय है, अगर, वह प्रदेशों के आर्थिक ढ़ांचे से इसी तरह से खिलवाड़ करना चाहता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री जी बड़े समझदार है और वह वित्त मंत्रालय को मजबूर करें कि वह ऐसी नीति अपनाये जिससे देश की पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी, तभी महंगाई घट सकती है। देश की पैदावार घटने से मंहगाई कभी नहीं घट सकती। उससे उपभोक्ताओं की सेवा भी नहीं होगी और न उससे देश की ही कोई सेवा होगी।

राज्य सभा

वीरवार, 11 नवम्बर, 1976 ई.*

संविधान (चवालिसवां संशोधन) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, इस सदन में ऐसे सदस्य जिनको संविधान सभा का सदस्य रहने का अवसर मिला और उसके बाद में जो संशोधन आये थे उनके संबंध में किसी न किसी जगह कुछ बोलने का जिनको अवसर मिला, ऐसे दो ही सदस्य है। एक तो हमारे इस सदन के नेता माननीय श्री कमलापति त्रिपाठी जी है और दूसरा मैं हूँ। दो सदस्य हमारे साथ और संविधान सभा में थे, जिनमें से एक आन्ध्र प्रदेश के श्री केशव राव जी हैं, जो इस समय इस सदन के सदस्य है और दूसरे उत्तर प्रदेश के श्री भगवानदीन थे। हम लोगों ने बहुत से संशोधन संविधान में किये। मैं समझता हूँ कि संविधान बनाने वालों में वे लोग सबसे आगे थे, जो हिन्दुस्तान की गरीब जनता में से पैदा हुए थे और उनमें डा. बी. आर. अम्बेडकर भी एक थे। लेकिन, इसके बावजूद इस संविधान में इतने संशोधन क्यों किये गये? इस बारे में भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं। मेरा विचार तो यह है कि हमने अंग्रेजी राज्य को हटा दिया, लेकिन, अंग्रेजी राज्य की भाषा और अंग्रेजी राज्य के तरीकों को अपने संविधान में छोड़ा नहीं (रहने दिया)। हमने इस बारे में।--मैंने नहीं, मैं तो वकील नहीं हूँ, कभी वकालत नहीं की--लेकिन, हरियाणा के जो पहले सदस्य थे, जिन्होंने 1885 में जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनी थी, उस वक्त उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, लाला मुरलीधर जी वकील थे और वह एक माने हुए वकील थे,

----

**Rajya Sabha, Constitution (Forty-fourth Amdt.) Bill, 1976, 11 Nov. 1976, Page 68-76*

उनकी राय जो विधि संहिता इस देश में है, उसके बारे में क्या थी ? उसको कुछ समय बाद अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगा।

मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जितनी तेजी से हम तरक्की करना चाहते थे, वह तरक्की क्यों नहीं हुई ? मैं मानता हूँ कि इसके लिये दो–तीन प्रकार के लोग हैं, जो इस किस्म की तरक्की के रास्ते में रोड़ा रहे हैं। विधि मंत्री जी मुझे माफ करेंगे, विधि मंत्रालय से भी मैं माफी चाहता हूँ। एक तो ये जो कानूनदां है, जो वकील हैं, वे हिन्दुस्तान की तरक्की के रास्ते में रोड़ा रहे हैं और दूसरे अंग्रेजी राज के जो तरीके है वह रहे हैं। वे बड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बनाई है और वह बहुत आले दर्जे की निकली। लेकिन, मुझे दुख है क्योंकि, उसमें तमाम वकील थे, इसलिए, देश की जरूरत क्या है? इसको वह सोच नहीं सकते थे।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मोतीलाल जी, गाँधी जी, जवाहर लाल जी, सरदार पटेल और श्री अम्बेडकर भी वकील थे।

श्री रणबीर सिंह : पंडित जी ने जो कहा वह मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू बैरिस्टर थे, महात्मा गाँधी जी भी बैरिस्टर थे। लेकिन, ये लोग जब देश की लड़ाई लड़ने लगे तो इन्होंने बैरिस्टरी भुला दी, जनता की बात को याद रखा। जनता के विचारों को, जनता की जरूरतों को आगे रखा। लेकिन, हमारे जो विधि, कानून बनाने वाले भाई हैं, जो इसमें दखल रखते हैं, वे अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी भाषा को ही याद रखते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा एक नहीं है, चौदह हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे प्रदेश में पैदा हुआ, जिसकी भाषा देश की राजभाषा मानी गई। लेकिन, मैं यह कहता हूँ कि हमारी राजभाषा एक नहीं हैं। बल्कि 14 राजभाषाएं हैं। 14 राजभाषाओं में हमें कोई ऐतराज नहीं है। यहां अगर, तेलुगु चले, तमिल चले या किसी भी अन्य भाषा में कार्य चले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन, अंग्रेजी में नहीं चलना चाहिए। यह जो हमारे कायदे कानून हैं, वे हमारे देश की जरूरत के मुताबिक हों और ऐसे कायदे–कानून हम न बनायें जो अंग्रेजी तरीके से चलते हों। इनको हम जितना जल्दी छोड़ेंगे, उतनी ही देश की भलाई है।

इस सिलसिले में उपसभापति जी, मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जिन्होंने, इस देश को आजाद कराया, उनका निधन हुआ और

कातिल मौके पर गिरफ्तार हुआ। लेकिन, चूंकि कानून अंग्रेजी तरीके के थे, इसलिये, कातिल को तत्काल फांसी पर नहीं लटकाया जा सका। दो-तीन साल यों ही खत्म हो जाते हैं। अदालत बैठेगी, बहस होगी और इसका कोई पता नहीं कि वह छूटेगा कि नहीं। यह सब होता है।

सरदार प्रताप सिंह कैरों, जो हिन्दुस्तान के एक प्रदेश को बनाने वाले थे, उनके कातिलों को सजा या मौत तो मिली। लेकिन, फांसी पर लटकाने के लिये दो साल लग गये। इतने सब अनुभवों के बावजूद, विधि मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से माफी चाहता हूँ कि इनकी कार्य प्रणाली वही विदेशी है और इसीलिये, हमें इसे तब्दील करने पर.....

श्री ओम मेहता : श्रीमन, गृह मंत्रालय का इसमें क्या कसूर है जो कलप्रिट होता है, उसको पकड़ लिया जाता है और सौंप दिया जाता है। यदि उसको जल्दी सजा नहीं होती है तो इसमें हमारा क्या कसूर है?

श्री रणबीर सिंह : गृहमंत्री महोदय से माफी चाहता हूँ। यह गृह मंत्रालय की जिम्मेंदारी है देश में इन्तजाम करना। इस इन्तजाम को करने के बाद भी एक आदमी का सारा सामान लूट लिया जाये, वह चोर पकड़ा जाये, सामान मिल जाये तब भी उसे साबित करना है, यह कोई तरीका है

श्री एच. आर. गोखले : श्रीमन इस झगड़े को मिटा दूं। मैं मानता हूँ कि सब कसूर हमारा है।

श्री रणबीर सिंह : मेरा गोखले जी से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन, मैं मानता हूँ कि देश को सही रास्ते पर लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर, मेरा यह सुझाव मान ले तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अंग्रेजी छोड़ दें, अंगेजी कानून का तरीका छोड़ दें। इस देश का जो पुराना तरीका रहा, उपसभापति जी, आप जानते हैं। हमारे देश में तमाम हिस्सों में पंचायत मानी जाती है। पंचायत में झूठ बोलना पाप है, कभी पंचायत में बैठ कर कोई हिन्दुस्तानी झूठ नहीं बोलता था। दूसरी तरफ, कहते हैं कि अदालत में सच बोलना पाप है, अदालत में सच बोलना गलती है तो यह सिखाया है अंग्रेजी तरीके के इन्साफ ने हमारे देश को। इसी सिलसिले में जैसा मैंने कहा-में लाला मुरलीधर जी की राय पढ़ना चाहता हूँ। मुरलीधर जी अम्बाला के रहने वाले बहुत बड़े नामी वकील रह चुके। सन् 1885 में बम्बई में (होने वाले) पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जल्से में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा :

"Lala Murlidhar described the judicial system calling it costly and unsuitable and foreign to the Indian temperament-"

टेम्परामेंन्ट का बड़ा जिक्र, बड़ा झगड़ा था कल। में विधि मंत्री जी से टेम्परामेंन्ट की ही बात करता हूँ :

"According to him, litigation was completely unsuitable and alien to the Indian system of living and was one of the chief reasons that led to their moral and material decay. Millions who would otherwise have remained honest and truthful men became rogues and professional liars. He was of the opinion that these courts of justice were merely constituted to loose the poor Indians and to swell the pockets of the Britishers."

Now those who have replaced Britishers-I do not want to say anything. He goes on to say :

Those who ever went to seek justice with their pockets full were reduced to paupers for the fees stamps and legal charges of innumerable kinds-to say nothing of bribes-were levied heavily on them. Obviously the system of judicature was injurious to the health of the nation and helped starve the people.

मैं जानता हूँ कि 1885 में लाला मुरलीधर ने जो बात कही थी, वह आज हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद हमारा अपना संविधान और अपने कानून बनने के बाद भी, उतनी ही सत्य है। आज गरीब के लिये यह कहा जाता है कि उसको मौका मिलता है। इसलिए, कि जजेज के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट तक कौन पहुंच सकता है? हाईकोर्ट तक कौन पहुंच सकता है? हिन्दुस्तान का गरीब नहीं पहुंच सकता है। वहां पहुंचते हैं, वकील, पैसा लेने के लिए, वहां पहुंचते हैं, साहूकार, गरीब को लूटने के लिए। यह तरीका गलत है क्यों मैंने ऐसी कड़वी बात कही? क्योंकि, जिस वक्त संविधान में तब्दीली करने की बात सोची गई थी तब तो वहां 2 अनुच्छेदों के बारे में काफी जिक्र था, एक 226 और एक 311। अनुच्छेद 226 के मुताबिक हाईकोर्टस की कुछ शक्ति छीन लेने के बारे में था। हम मानते थे कि इस शक्ति में देश में न्याय को खत्म किया। दूसरा अनुच्छेद 311 था। संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना, इसके बारे में-अधिकार अदालत को है, वह हमारा बड़ा ख्याल था। देश की तरक्की को रोका है। हमने सारे देश में कोने-कोने में प्रचार

किया था कि इन दो अनुच्छेद की वजह से देश की तरक्की में रोड़ आया। इसलिए, उनको हटाया जाए। भूपेश गुप्त जी ने सबसे पहला गिला किया था कि कोई बात सलाह करके नहीं मानी गई। मुझे गिला है कि इतनी सलाह किया वकीलों से और जजों से और नतीजा हुआ कि हम वही के वहीं जाकर सब खड़े हो गए। वही का वही अनुच्छेत 226 और 311 है।

आई.जी. चाहे जो करे, आई.ए.एस. अफसर चाहे जो करे, उसकी कोई पदच्युति नहीं हो सकती। वह अदालत में जा सकता है। जिसके पास पैसा है वह रिट दायर कर सकता है और जज उसको स्टे आर्डर देगा। जहां से हम चले थे वहीं पहुंच गये। मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी ही हमको तब्दीली करनी होगी।

उपसभापति जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। भूपेश गुप्त जी यहां नहीं है। उन्होंने पंडित जवाहर लाल जी के विचारों की याद दिलाते हुए चौधरी बंसीलाल जी का जिक्र किया। मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि पिछले चन्द दिन पहले एक पार्लियामेंटरी डेलीगेशन सोवियत रूस गया था, उसमें मैं भी सोवियत रूस गया था। हमारे साथ सी.पी.आई. के एक और सदस्य थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पहुंचकर कुछ देखा, कुछ बदले, कुछ समझे? मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपने सावियत रूस को कुछ देखा, कुछ समझे, कुछ बदले? वह हंस पड़े कि हमें क्या समझना है? मैंने कहा कि भाई मेरे, मुझको बताओ कि जहां सरकार का संगठन हो, लोगों का इन्तजाम हो, वहां क्या कोई हड़ताल कर सकता है? क्या वहां बन्दी हो सकती है? कहीं पर रेल बन्द की जा सकती है? कहीं कोई रेल का पहिया जाम करने की बात कर सकता है? इतना बड़ा उनका इतिहास है, वह उसे नहीं पढ़ेंगे। मैंने मजाक मैं उनसे कहा कि आप हमारे देश को यह सिखाना चाहते हैं कि एक हेक्टेयर में खेती हो सकती है। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि सोवियत रूस में कहीं भी एक हेक्टेयर में खेती होती हो? वहां बड़े-बड़े खेत हैं। मैं मानता हूँ कि सोवियत रूस से अगर, किसी को शिक्षा लेनी है तो वह चौधरी बंसीलाल को नहीं लेनी है, वह शिक्षा लेने की आवश्यकता है भूपेश गुप्त जी को और उनकी पार्टी के सदस्यों को। उनको सावियत रूस जाकर उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने देश को बनाया है। वहां से सीख कर आना चाहिए कि कर्मचारियों को हड़ताल करने को नहीं उकसाना चाहिए। कहते हैं कि यह सदन सर्वशक्तिशाली है और ऐसा कहते हुए कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार दिलाना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए उनके दिमाग में भावना यह रहती है कि किसी तरह से रेल का पहिया जाम हो। अगर, वे ऐसा नहीं

कहे तो उससे रेल कर्मचारी नाराज हो जाएंगे। लेकिन, इस देश में और गार्ड भी तो है। उनकी नाराजगी की फिक्र उनको क्यों नहीं होती ? उनको केवल उन कर्मचारियों की फिक्र है (समय की घंटी बजती है।) में एक ही मिनट और लेना चाहता हूँ। उपसभापति जी, हमारे देश के संरक्षक कौन है ? वह जो 17 हजार फुट की ऊंचाई पर बैठा हुआ है, जिनकी वजह से आज देश आजाद है। वह हमारी फौज का जवान है वह हमारी पुलिस के जवान है। लेकिन, उनको कितनी तनख्वाह मिलती है और जो हमारे जीवन बीमा निगम का चपरासी है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है ? उसे साढ़े सात सौ रूपये तनख्वाह मिलती है। जो बैंक का चपरासी है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है ? और वहां का जो सुप्रींटेंडेट है उसको डिप्टी कमिश्नर से, एक आई.ए.एस. से ज्यादा तनख्वाह मिलती है।

चाहे रेल का चालक हो या हवाई जहाज का चालक हो, भले ही उसे पांच हजार रूपये तनख्वाह मिलती हो उसके बाद भी वह हड़ताल करता है। सी.पी.आई. के भूपेश गुप्त की और उनकी पार्टी जो उनके समर्थन में खड़ी होती है। उनको मैं मानता हूँ कि सोवियत रूस से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। उनको जानना चाहिए वहां रह कर कि अगर, किसी को संरक्षण देने की आवश्यकता है। एल.आई.सी. के चपरासी को नहीं, स्टेट बैंक के कर्मचारियें को नहीं बल्कि उसको संरक्षण देना चाहिए, जो देश की रक्षा के लिए बर्फ में बैठा है, उसकी हमें आमदनी बढ़ानी चाहिए। उस किसान की मदद करनी चाहिए, जो भले ही बर्फ पड़ रही हो या पानी नहीं बरस रहा हो वह रात में जाग-जाग कर भी अपना काम करता है और देश के लिये अन्न पैदा करता है। उस गरमी में अपने खेत में जाकर काम करता है, जिस गरमी में उनके पास कोई सी.पी.आई. का कार्यकर्ता नहीं जाता, जो उस गर्मी में अपने खेत पर काम करता है। उस किसान के लिये लड़ो, न कि एक एल.आई.सी. के चपरासी के लिए लड़ो। मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हुआ, इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

राज्य सभा

वीरवार, 11 नवम्बर, 1976 ई.*

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : श्रीमान उपसभापति जी, मैं रेल विनियोग संख्या 4 और 5 विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। रेलमंत्री कमलापति जी, बूटा सिंह जी और कुरैशी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे मालगाड़ी हो, उनके चलने में, उनकी स्पीड में, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। अनुशासन भी आया है। उसके साथ-साथ यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ और उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि मिश्र जी जब रेलमंत्री थे तो रोहतक भिवानी रेल लाइन को डालने के लिये जो अवधि बताई थी, वह दो साल की बताई थी और हरियाणा सरकार ने 80 लाख रूपये की कीमत की जमीन रेल मंत्रालय को मुफ्त में दी। जब उसके ऊपर काम तेजी से चला है, वहां पर क्वार्टर भी बन गये है, वहां मिट्टी का भी काम पूरा हो गया। जहां पक्के पुल बनने थे, वह भी बन गये। लेकिन, लाइन बिछाना बाकी है। लाइन की कमी नहीं, क्योंकि, जहां तक लोहे के कारखानों का सम्बन्ध है उनको माल उठाने की समस्या है। माल उठाने की चीज आपके पास है। आप मालगाड़ी से रेल लाइन को उठा सकते हैं। उसमें देरी होगी तो उससे हमको तो तकलीफ है। लेकिन, रेल मंत्रालय को भी आमदनी का घाटा है। वह काम हो जाये तो पैसे की कमी रेल मंत्रालय को कहां से होगी।

**Rajya Sabha, Appropriation (Railway) Bill, 1976, 11 Nov. 1976, Page 112-117*

इसके साथ-साथ में एक निवेदन यह भी करना चाहता हूँ कि रेल मंत्रालय एक अहम मंत्रालय है। अंग्रेजी साम्राज्य के वक्त में जो रेलें बिछाई गईं थीं, वह इसलिये, नहीं बिछाई गई थी कि उनसे लोगों को फायदा हो, बल्कि साम्राज्य को कायम रखने के लिए रेलों का जाल बिछाया गया था। आज साम्राज्य का प्रश्न नहीं है। आज देश की रक्षा का जब प्रश्न हो तो हम इस बात की तो फिक्र करें कि कलकत्ते में जमीन में रेल की लाइन बिछे। अभी बम्बई का जिक्र किया गया, दिल्ली का जिक्र आया। बड़े-बड़े शहरों में जमीनदोंज, जिस तरह से सोवियत रूस में मेंट्रो लाईन है, उसी तरह से लाइन विछाये। लेकिन, इस बात की फिक्र न करे कि कश्मीर की पहाड़ी के उस पार जो जवान बैठे है, उनको सामान पहुंचाने के लिए, देश की रक्षा के लिये वहां लाईन हम न बिछाये। इसलिये कि वह खर्चीली है। यह उचित नहीं। उप-सभापति जी, रक्षा मंत्रालय के ऊपर हम हर साल तीन हजार करोड़ रूपया खर्च करते हैं। श्रीनगर तक रेल लाइन डालने का खर्च तीन सै करोड़ रूपये हो सकता है। डेढ़ सौ करोड़ रूपये हो सकता है। दो सौ करोड़ रूपये हो सकता है। या चार सौ करोड़ रूपये हो सकता है। मेरा कहना है कि चार सौ करोड़ रूपये तीन हजार करोड़ रूपये से ज्यादा नहीं है। इतना तो मोटा सा हिसाब कोई भी अनपढ़ आदमी भी बता सकता है। देश की रक्षा के लिये जहां जहां रेलों को विछाने की आवश्यकता है। वहां-वहां बिछाई जानी चाहिए।

आप जानते हैं कि शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। जो हमारे प्लानर्स भाई है वे बड़े समझदार है। उन्होंने तमाम शिक्षा संस्थाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया। दिल्ली के तमाम कालेज एक जगह इकट्ठे कर दिये है। वह एक फौज बन गई है और उस फौज को काबू में करने के लिये भी एक फौज चाहिये। इसी तरह से, दफ्तरों को भी एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि देश की ट्रांसपोर्ट दरहम-बरहम हो रही है। इसके लिये जरूरी है कि रेलों की लाईनें जहां देश की तरक्की के लिये आवश्यक है, वहां बिछाई जाये। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के पोर्ट्स के साथ साथ रेल लाईनें बिछाई जाये ताकि और वहीं भी पोर्ट्स बन सके और वहां का बोझ घट सके। इससे उनको मकान देने, पानी मुहैया करने और उसी प्रकार की दूसरी समस्यायें भी घट सकती है। इससे देश की तरक्की सही मायनों में हो सकती है।

उपसभापति जी, मुझे याद है कि एक रेलवे लाइन की बात जो पहले पंजाब का हिस्सा था। आज वह हरियाणा का है, रोहतक-पानीपत। इसक लाईन को पहली लड़ाई के वक्त उठाया गया था। जब रेल लाइन को जिक्र आया है कि संसद् सदस्य जो कुछ कहते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता है। आप जानते हैं कि रेल

मंत्रालय एक बहुत बड़ा विभाग है। ऐसी हालत में मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वे हर जिले में एक एडवाइजरी कमेटी बनाये और उसका चेयरमैन संसद सदस्य को बनाये और संसद–सदस्य एक से ज्यादा हो तो कोई भी संसद सदस्य बारी–बारी से उस कमेटी का चेयरमैन हो सकता है। आज हालत यह है कि हमारे अफसर लोग जनता की परवाह नहीं करते हैं। सब जगह अफसरशाही चलती है। रेल विभाग में 17 लाख से भी अधिक लोग काम करते हैं। ऐसी हालत में केवल रेल मंत्री जी इतने बड़े विभाग को नहीं देख सकते हैं। इसलिये, आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक जिले में एडवाइजरी कमेटीज बनाई जाये और उनमें विधान मंडलों के दो चार सदस्यों को भी रखा जाये। इसके अलावा व्यापारियों के प्रतिनिधियों और किसानों के प्रतिनिधियों को भी उसमें रखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि व्यापारियों को रेल के डिब्बे नहीं मिलते हैं। इसलिये, उनको भी इस कमेटी में रखा जाए। वह कमेटी जो भी अपनी सिफारिश करेगी उस पर रेल मंत्रालय अमल करे। इस प्रकार से अगर, हमारा रेल मंत्रालय काम करेगा तो रेलों का प्रशासन बहुत अच्छे ढ़ंग से चल सकता है।

राज्य सभा

सोमवार, 15 नवम्बर, 1976 ई.*

विद्युत (आपूर्ति) संशोधन विधेयक, 1976

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, बिजली के संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन, समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि कानून के हेरफे र से बिजली ज्यादा पैदा नहीं की जा सकती है। अगर, कानून से बिजली पैदा होती तो अब तक बिजली की कमी नहीं रहती! बिजली पैदा करने के लिए पैसा चाहिए। बिजली से ही किसी देश की तरक्की हो सकती है और खेती की तरक्की भी इसी से होती है। कारखाने चलाने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है। बिजली के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती है। आज बिजली हमारे देश में ही बनती है। योजना कमीशन का कागज छपता नहीं। इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती।

इसके साथ-साथ, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कहा गया कि इस देश में बिजली बोर्ड जो है उनमें कोई भी मुनाफे में नहीं चल रहा है उसका एक कारण यह है कि हमारे देश की तरक्की के लिये रिजर्व बैंक और हमारे स्टेट बैंक बिजली पैदा करने के लिये ब्याज पर ऋण देगी, 7 प्रतिशत, 9 प्रतिशत या 5 प्रतिशत दर पर। फिर बिजली कैसे देश में बनेगी ? यदि सरकार को इस देश को आगे बढ़ाना है, यदि देश को आगे बढ़ाना है, यदि रूपये पर ब्याज भी हो तो वह कम से कम 10-15 साल तक

Rajya Sabha, Electricity (Supply) Amdt. Bill, 1976, 15 Nov. 1976, Page 185-188

ब्याज की दर उसके ऊपर न लगे। क्योंकि, जितनी बिजली पैदा होगी, चीज भी ज्यादा पैदा होंगी और सस्ती होगी। फिर, सरकार को डी.ए. देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए ब्याज रहित ऋण मिलना चाहिए। जो 700 करोड़ रूपये साल के हम डी.ए. में देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होगी।

इसके साथ-साथ, मैं इस बात को भी निवेदन करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जो विशेषज्ञ है, इंजीनियर है, उनमें से ही चेयरमैन हो। मैं जब बिजली पानी का मंत्री था तो उस वक्त उस समय हिन्दुस्तान के बहुत बड़े बिजली के इंजीनियर भाटिया उसके चेयरमैन थे। जब हरियाणा के गाँव-गाँव में बिजली पहुंची-22000 से लेकर सवा लाख तक- तो उस वक्त कोई टेक्नीकल आदमी चेयरमैन नहीं था। मैं इंजीनियरों के खिलाफ नहीं हूँ। इंजीनियर सलाहकार हो सकते हैं। अगर, हमें देश की तरक्की करनी है तो यह तरक्की जितनी तेजी से हम चाहते हैं। उसे इंजीनियर करा नहीं सकते। इंजीनियर तो एक तरह से एक मशीन है उस पर जितनी सवारी होगी, चौधरी बंसीलाल एक मजबूत सवार था, हरियाणा के इंजीनियरों को दबा सका, उनको हवाई जहाज की रफ्तार से चला सका और हमारे प्रदेश में बिजली गाँव-गाँव में गई। मैं मानता हूँ कि पिछले 10 सालों में यहां तब्दीली क्यों नहीं आई ? यह मंत्रालय सोचे कि यह जो बिजली के इंजीनियर है, विशेषज्ञ है, वही हिन्दुस्तान में बिजली को तेजी से लायेंगे, गलत है हरियाणा ने इसे साबित किया है। अगर, बिजली के कानून में कोई तब्दीली की आवश्यकता इस मंत्रालय को सोचनी थी तो इस मंत्रालय को चाहिए था कि हरियाणा के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वह मद्रास के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड-कामराज के इंजीनियर-मद्रास के गाँव-गाँव में बिजली नहीं पहुंचा सके तो हरियाणा में चौधरी बंसीलाल किस तरह गाँव-गाँव में बिजली पहुंचा सके। इंजीनियर से हम तभी अच्छा काम ले सकते हैं, जब हम उनसे काम लेना सीखे। हमें उनसे काम लेना होगा। लेकिन, काम सौंप कर उनसे काम लेना मुश्किल है। यह मैं मानता हूँ। इसके साथ-साथ--(समय की घंटी बजी)--

उपाध्यक्ष महोदय, में एक मिनट और लूंगा।

अभी एक बात का जिक्र यहां पर हुआ है। हमारे यहां जो बिजली पैदा होती है। उपाध्यक्ष महोदय, उसका सारा इन्तजाम तो हिन्दुस्तान की सरकार के पास है। हिन्दुस्तान की सरकार के कानून के तहत भाखड़ा मेंनेजमेंट बोर्ड है। हमारे यहां ब्यास प्रोजेक्ट है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें साफ लिखा था कि जितना

जिस स्टेट को वहां से पानी मिलता होगा, उतनी ही बिजली में उस प्रदेश का हिस्सा होगा। भाखड़ा में जितना हरियाण और पंजाब का हिस्सा था, उसमें 85 परसेन्ट में 50 परसेन्ट हरियाणा को मिला, जबकि 60 प्रतिशत मिलना चाहिए। लेकिन, हमें वह नहीं मिला। उस समय बिजली के तारों का उतना विस्तार नहीं था। आज तो पंजाब के विस्तार से ज्यादा हमारे तार हैं। हिन्दुस्तान की सरकार को प्रदेशों में ऐसे संस्थान बनाने का क्या फायदा] अगर, वह न्याय न दिला सके? यही नहीं, उपसभापति जी, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के कानून में 3 हेडवर्क्स के ऊपर, बी.एन.बी. का, अख्तियार होना चाहिए। आज उस कानून को बने हुए 11 वर्ष हो गए। ग्यारहों बार यहां से दखल नहीं दे सके। अगर, ऐसा है तो कोई फायदा नहीं है। मैं जहां इस बात को मानता हूँ कि पिछले 10 साल में खास तौर पर 1965 के बाद जब से हमारी प्रधनमंत्री जी प्रधनमंत्री बनी है। इस देश में पहले जो एक करोड़ यूनिट बिजली पैदा करने की शक्ति थी आज 2 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा पैदा करने की शक्ति है। उस वक्त 75000 गाँवों में बिजली थी, आज करीब 2 लाख गाँवों में बिजली पहुंची है। उस वक्त कोई 10 लाख बिजली के पम्प चलते थे, आज 30 लाख से ज्यादा चलते हैं। वे और ज्यादा तेजी से चलने चाहिए। वे चल सकते हैं। अगर, उसको पैसा पूरा दिया जाए और बगैर बयाज के दिया जाये। हरियाणा का हिस्सा हमको दिलाया जाए। लेकिन, अगर, सारे देश की या कोई दो चार प्रदेशों को मिलाकर के आथोरिटी बनाते हैं। उसमें यह अख्तियार ही नहीं बना सके, फै सला ही नहीं कर सकते, तो उसका क्या फायदा है? मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह–हम ज्यादा नहीं कहते हैं।–वह उसका फायदा दिला सकें। जो पहले फै सले हुए हैं, उन्हें मनवा सकें और काम तेजी से चले। जो आदमी है जैसा उन्होंने लिखा है, मैं तो कहता हूँ कि हमारे जैसे भाई जिनको देश में बिजली के संस्थन चलाने का मौका मिला है, उनको मेंम्बर बनाओ–हरियाणा के चेयरमैन को बनाओ ताकि देश में तेजी से काम हो या मद्रास के जिन भाईयों ने तेजी से बिजली का काम चलाया था, उनको बनाओ और अगर, इस सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथेरिटी बिल के पास करने से आप समझते हैं कि देश में बिजली की पैदायश ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके साथ–साथ पानी से बिजली की जितनी ज्यादा––(समय की घंटी बजी...)––एक ही मिनट चाहूंगा, पानी से बिजली सस्ती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। उन स्कीमों पर काम चालू किया जाए। इसी में देश का भला है। बिजली के ऊपर घाटा है तो उसको फायदे में हम तब्दील कर सकते हैं। जब सस्ती बिजली मिले।

1977

राज्य सभा

बुधवार, 30 मार्च, 1977 ई.*

बजट (सामान्य)

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, भारत के वित्तीय इतिहास में सबसे छोटा भाषण जनता पार्टी के वित्तमंत्री का है। उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि जो बजट तैयार हुआ है, वह उनके दृष्टिकोण के मुताबिक नहीं है। इसलिए, आगे के बजट में अपने दृष्टिकोण को दर्ज करेंगे।

आगे वह कैसा दृष्टिकोण रखना चाहते हैं? यह तो हमको मालूम नहीं है। इसलिये कि उन्होंने इस बात का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। लोगों को वह गलत आशायें देना चाहते हैं या लोगों की आर्थिक हालत को सही तौर पर मजबूत करना चाहते हैं यह तो आगे आने वाला समय बतायेगा। लेकिन, जैसी आज सदन में बहस हुई, जम्मू कश्मीर के बारे में कि पार्लियामेंट को भी अधिकार न हो, जो संविधान में होना चाहिए था। यह अजीब बात है। वहां एक शख्सी हुकुमत कायम की गयी जिसको कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया। वह किस इरादे से की गयी, यह तो आगे आने वाला समय बतायेगा। इसी इरादे को वह आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, यह भी आगे आने वाला समय बतायेगा। उनकी जो बजट स्पीच है, वह बहुत छोटी है। इसलिये, कि लोग सोच सकें।

जैसा पूर्व वक्ता भंडारी जी ने जिक्र किया कि आपात स्थिति में जो कुछ बातें हुई थीं, उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार खानी पड़ी, यह बात सही नहीं है। मैं जानता हूँ कि उनके बड़े-बड़े नेता एक ही बात की दुहाई देते रहे। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की

**Rajya Sabha, Budge (General), 30 March 1977, Page 145-152*

कि आपाकालीन स्थिति में हुए नुकसान को लोगों को बताये। वह एक ही बात की दुहाई देते रहे–परिवार नियोजन की और उसमें हुई ज्यादतियों की। उसके अलावा बड़े से बड़े नेता ने भी कोई दूसरी बात नहीं कही। मैंने सभी बड़े नेताओं के भाषण सुने हैं। वह केवल चुटकियां लेते थे कि अगर, कांग्रेस वाले आयें तो कहो कि 'दो केस दो, एक वोट लो'। इस मजाक में हिन्दुस्तान का चुनाव हुआ। उसके नतीजे पर आज सरकार के वजीर और दूसरे साथी खुश है। लेकिन, उनकी यह खुशी बहुत दिन नहीं ठहरने वाली है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आगे जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि वह नयी बात नहीं है, जब उधर बैठता था, तब भी कहा करता था। जहां तक हमारे वित्त मंत्रालय का संबंध है, उसकी सोच बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश ने माना है कि हमको देश में समाजवादी आर्थिक ढ़ांचे को लाना है। लेकिन, अभी तक वित्त मंत्रालय पिछले तीस साल से और आज भी उसी चक्कर में है, जिसको मरकेंटाइल इकोनामी का जमाना कहते हैं। वित्त मंत्रालय की सोच समाजवादी नहीं हुई है। हमारे देश में आज भी कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी को जो राज दिया है, वह कितनी मजबूत हालत में दिया है, यह देखने की बात है। हमारे पूर्व वक्ता ने इस बात की कोशिश की कि दो हजार करोड़ विदेशी रूपया, जो यह सरमाया हमने छोड़ा है, उसका उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं इस सदन का मेंम्बर था, जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी। खास तौर पर, भंडारी जी जिस पार्टी से पहले संबंध रखते थे, जिसका नाम जनसंघ था, उसकी बात मुझे आज भी याद आती है। पहली पंचसाला योजना के बारे में उन्होंने कहा था कि उसमें सिर्फ ढ़ाई सौ करोड़ रूपये की विदेशी सहायता का जिक्र था।

उन्होंने कहा था कि न अमरीका इनके साथ है, न रूस इनके साथ है। इनको कौन (सहायता) देगा, ये तो बहकावे की बातें है। आज हम दो हजार करोड़ रूपया विदेशी सरमाया उनके लिए छोड़कर जा रहे हैं। 2300 करोड़ रूपया छोड़कर जा रहे हैं तो बजाये इसकी तारीफ करने के उसको मजाक में उड़ाने की कोशिश की है। एक दफा तो मजाक में जीत गये। मजाक में लोगों को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आज इस बात को समझे। मैं मानता हूँ कि हमने 30 वर्ष तक इस देश का आर्थिक ढ़ांचा बनाने की कोशिश की है और मजबूत ढ़ांचा बनाकर आपके हाथ में देकर जा रहे हैं। मुझे याद है, जब 1947–48 में हिन्दुस्तान का बजट सिर्फ 900 करोड़ रूपये का था और 300 करोड़ रूपये का डिफेंस का बजट था, आज जब हम छोड़कर जा रहे हैं तो 14 हजार करोड़ रूपये की टैक्स की आमदनी होगी। ऐसी मजबूत हालत में हम आपको सौंपकर जा रहे हैं, 14184 करोड़ रूपये की आय आज होगी।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : छोड़कर कहां जा रहे हैं?

श्री रणबीर सिंह : आपके हाथ में दिया। छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपकी आंखों में हमेशा खटकते रहेंगे। आपके लिए यहां आकर भूत हम बने रहेंगे। लेकिन, भूत हमको मानकर आप सही देश के काम को चलायें तो उसमें हमें खुशी है। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने इस देश को 10-11 साल में मजबूत किया। ग्रामीण इलाकों की बात कही जाती है। जब वह प्रधानमंत्री बनी थीं, इस देश में 75 हजार गाँवों से ज्यादा गाँवों में बिजली नहीं गई थी। जब वह गई हैं तो पौने दो लाख गाँवों में बिजली का प्रसार करा कर गई हैं। जब वह प्रधानमंत्री बनीं थी, उस वक्त सिर्फ 10 लाख पम्पिंग सैट थे, जब वह गई हैं, देश में 28 लाख बिजली से चलने वाले पम्पिंग सैट छोड़कर गई हैं। जब वह प्रधानमंत्री बनी थीं, उस वक्त हिन्दुस्तान की जो बिजली पैदा करने की शक्ति थी, वह 20 लाख किलोवाट की थी, जब वह गई हैं तो वह 2 करोड़ 40 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की शक्ति बनाकर गई हैं।

आज देश आपकी तरफ देखता है। आपने बड़े वायदे किये थे। आपने लोगों को बताया था कि कांग्रेस ने देहातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हम आपकी तरफ देखना चाहते हैं कि आप कैसा करेंगे, कैसा न्याय किसान के साथ करेंगे।

आपने जिक्र किया था कि आज हमारी खेती के वजीर (अग्रिकल्चर मिनिस्टर) सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब करनाल जिले में गए थे और जेल के दरवाजे खटखटाये थे, यह कहते हुए कि 105 रूपए क्विंटल गेहूं का दाम थोड़ा है। अब हम देखते हैं कि बादल साहब का न्याय कैसा है? किसान को कितना पैसा मिलने वाला है और किसान के ट्रैक्टर के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, जैसा कि एक समय था, जबकि बाहर से जो ट्रैक्टर आते थे, उन पर कस्टम ड्यूटी लगानी पड़ी और जब आपके हाथ में काम दिया तो आर्थिक ढ़ांचा देश का मजबूत है और आज हम देखना चाहते हैं कि ट्रैक्टर पर से आप एक्साइज ड्यूटी घटाते हैं कि नहीं।

ट्रैक्टर पर कितनी एक्साइज ड्यूटी घटाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका काम भी वही वित्त मंत्रालय में काम करने वाले चलायेंगे, जिन्हें कार की फिक्र है, देश में अनाज पैदा करने की फिक्र नहीं है। देश में अनाज कैसे पैदा होता है, इस बात की उनको फिक्र नहीं है। इसीलिये, कीमत घटी है कारों की, ट्रैक्टरों की नहीं घटी। आप भी इम्तिहान में आने वाले हैं जब आप हमको मानते हैं कि हम इम्तिहान में पास नहीं हुए है तो आपको भी देश देखेगा कि आप कैसे इम्तिहान में पास होते हैं। आप जानते हैं मैं उस प्रदेश से आता हूँ जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार

चौधरी बंसीलाल थे, जिनका नाम विरोधी दल के सदस्यों को अखरता है।

लेकिन, इस बात से विरोधी दल के सदस्य इंकार नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान का वही सबसे पहला प्रदेश है जिस प्रदेश में हर गाँव में बिजली पहुंची है, जिस प्रदेश में 60 फीसदी गाँवों में सड़कें पहुंची है। अब हमको आपको देखना चाहते हैं। अब चौधरी चरण सिंह जी इम्तिहान में आए है। उनको हम देखना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह का अब छपरोली इलाका नहीं है। बागपत का इलाका है उसमें कितने अर्से से बिजली पहुंचाते हैं, कितने अर्से में सारे गाँव में सड़कें पहुंचाते हैं। जमुना हमारे बीच में है। आप याद रखिये कि इन चुटकियों से बहुत दिन काम नहीं चलेगा। चुटकियों से चुनाव एक दफा जीता जा सकता है। बार-बार चुटकियां लगाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। यह तो इतिहास की बात हो गयी कि परिवार नियोजन में ज्यादतियां हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप जरा इस बात का ब्यौरा दे, क्योंकि, हमारी कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गाँधी की सरकार ने, कभी यह नहीं कहा था कि ज्यादतियां हो। उन्होंने, चुनाव के वक्त में जब उनको पता लगा कि परिवार नियोजन प्रोग्राम चलाने में देश में कुछ ज्यादतियां हुई है, आश्वासन दिया था कि उन आदमियों के खिलाफ, जिन्होंने परिवार नियोजन में ज्यादतियां की है, गैर कानूनी कार्रवाइयां की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपके हौसलें का इम्तिहान है कि आप आई.सी.एस., आई.ए.एस., आई.पी.एस. आफिसरों से डरते हैं या उनकी गलतियों पर उनको सजा देते हैं।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : आपने सजा दिलवाई थी।

श्री रणबीर सिंह : आप तेजी न दिखाएं। अभी बहुत समय है। छः साल का समय है। आप छः साल चलते हैं या नहीं चलते हैं, यह भी देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार टूटती थी तो केन्द्रीय सरकार को बदनाम किया जाता था। जब आपकी सरकार, जो खिचड़ी सरकार है, कब तक चलेगी, यह संसार और भारत देश देखेगा। हम चाहते हैं कि आप कामयाब हों। इसलिये, कि आपकी कामयाबी से देश की तरक्की होगी। हम कुर्सियों के भूखे नहीं हैं। लेकिन, यहां कुर्सियों के भूखे आपस में लड़ते रहते हैं। यह आने वाला समय ही बतायेगा। (आप में से) किसानों की बात करने वाले, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने की बात करने वाले कितने कामयाब होते हैं, यह इतिहास ही बताएगा। आपको याद होगा कि जब हम उधर बैठते थे, तब भी यही बात किया करते थे। आप मेरी बात की ताईद करेंगे।

आखिर में, मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि यह वित्त मंत्रालय की जो सलाह है इसको आप छोड़ दें। अगर, आप चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सही हो, देश की

अर्थ व्यवस्था सही हो। यह जो तनख्वाहदार भाई हैं, इनके दबाव में आना छोड़ दे। यह देश तनख्वाहदारों का देश नहीं है। यह देश गरीबों का देश है, जिन गरीबों की आमदनी 30 रूपये महीना भी नहीं है। उनके लिए आप क्या करते हैं? उनको किस हद तक ऊपर उठाते हैं। जरा, यह देखने वाली बात है। मैं कहता हूँ कि हमारे देश ने जो शक्ति पैदा की है, जो बिजली पैदा की है और हमारे देश ने जो बिजली के यंत्र पैदा किये हैं, उनको अब लगाइये। मैं समझता हूँ कि आज जो कहा जाता है कि यह डेफिसिट बजट है, घाटे का बजट है और यह जो नोट का चक्कर है, इसको आगे देखने की जरूरत है।

आखिर में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू कहा करते थे कि समाजवाद में क्या होगा? समाजवाद में हिन्दुस्तान के लोगों के हाथ खुलेंगे, उनके बाजू खुलेंगे और हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा। आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान में जो शक्ति है, जो सम्पति है, उसके बारे में हमारे वित्तमंत्री कहते हैं कि जो तनख्वाहदार लोग है, उनकी मंहगाई बढ़ गई है। इसलिए, उनकी मंहगाई (भत्ता) बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे देश में मंहगाई भत्ते की मांग बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगात है कि यह मांग कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए, आज जरूरत इस बात की है कि हिसाब लगाकर योजना बनाई जाये। हम जितने यंत्र पैदा कर सकते हैं। जितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, उसको पैदा करें। हमारे देश में चाहे ईंटों का सवाल हो, या अन्य कोई दूसरा सवाल हो, हमें सबसे पहले अपनी खेती की तरफ ध्यान देना चाहिये। हम आपके लिए दो करोड़ टन अनाज का भण्डार छोड़कर गये हैं। इसी तरह से कोयले का भण्डार है, लोहे का भण्डार है। हमें अब आगे यह देखना है कि आप देश का शासन किस तरह चलाते हैं।

एक और बात मुझे कहनी है। मुझे यह मालूम नहीं कि किस की कार्यवाही से यह कार्य हुआ है? हमारे यहां जो सीमेंट के बोरे हैं, उनकी कीमत फी बोरा 10 रूपये बढ़ गई है। यह कैसे बढ़ गई, यह बात समझ में नहीं आती है। कोई मैं प्रशासन को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन, अगर, आप गलत नीतियों पर चलेंगे तो आपको भी वही नतीजा भुगतना पड़ेगा जो हमें आज देखना पड़ रहा है, क्योंकि, हमें जो सलाह देने वाले भाई थे, जो हमको सच्ची बात नहीं कहते थे, उनके बहकावे में हम चले। मैं चाहता हूँ कि आप देश को आगे बढ़ाये और देश की तरक्की करे।

राज्य सभा

शुक्रवार, 1 अप्रैल, 1977 ई.*

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1974

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। श्री भंडारी जी ने जितनी बातें कहीं। वह मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपनी धारणाओं के खिलाफ कहीं और उनके प्रतिकूल होते हुए भी उन्होंने यह तमाम बातें हमारे सामने रखी है। उपसभापति जी, जिस वक्त संविधान बन रहा था उस वक्त प्रश्न उठा कि राज्यपाल चुना हुआ हो या राज्यपाल को मनोनीत किया जाये। उस समय यह माना गया कि अगर, राज्यपाल चुना हुआ होगा, तो एक तरफ तो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनी हुई होगी और दूसरी तरफ राज्यपाल चुना हुआ होगा। एक ऐसे स्थान पर दो चुनी हुई संस्थाओं का रहना ठीक नहीं होगा। ऐसा माना गया कि ऐसा होने पर प्रदेशों का शासन ठीक से नहीं चल पायेगा। इसलिए, राज्यपालों को मनोनीत करने की प्रथा डाली गयी और यह माना गया कि जो चुना हुआ मंत्रीमण्डल होगा, उसकी आवाज में वजन होगा। यह तय किया गया कि मनोनीत राज्यपाल को उनकी सलाह को मानना होगा और उसके बाद जो कुछ अधिकार उनको दिये गये, वह इसलिये, दिये गये, जैसा अपने देश के इतिहास में हमने देखा और उसमें जनता पार्टी का भी काफी बड़ा हिस्सा है, तमिलनाडु में एक पार्टी है डी.एम.के.। उसका एक नारा था कि तमिलनाडु हिन्दुस्तान का हिस्सा न रहे। इसलिये, हमने कहा कि ऐसी बातों के लिये संविधान में राज्यपाल को अधिकार रहे कि वह मंत्रीमण्डल की छुट्टी भी कर सके।

**Rajya Sabha, Constitution (Amdt.) Bill, 1974, 1 April 1977, Page 48-53*

आप जानते हैं कि हमारे संविधन में एक शख्सी हुकूमत का कहीं भी स्थान नहीं है। इसीलिये, जम्मू काश्मीर के संविधान को भी वहां के चुने हुए सदस्यों ने और विधानसभा ने हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट की सलाह से बदला। लेकिन, जनता पार्टी ने जो जनता की दुहाई देती है। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली दफा वहां एक शख्सी हुकूमत कायम की, हालांकि, संविधान के मुताबिक अन्य प्रदेशों की तरह वहां भी राष्ट्रपति शासन हो सकता था। धारा 356 में पार्लियामेंट को वह अधिकार हो जाता है। जो हक विधानसभा को है, उसको ताक में रखकर उसके साथ ही साथ उस विधानसभा में ये 7 दिन की हुकूमत 8 दिन की जनता पार्टी की हुकूमत क्या-क्या ड्रामें करा रही है, वह हिन्दुस्तान में एक खुली किताब है। हिन्दुस्तान के केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के सदस्य जाते हैं। गुजरात में उन्होने झगड़ा कराया और अभी एक तरह से, अगर, यह माना जाए कि जनता पार्टी की सरकार का कुछ हिस्सा डिफे क्शन की सरकार, डिफे क्शन बनाने का तरीका है तो सही होगा। जिस तरह से गुजरात में पहली विधान सभा को डरा करके दस्तखत कराये गये थे और उनसे इस्तीफा दिलाया गया, वह 8 दिन की सरकार ने फिर दोहराया है....।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : चिमन भाई पटेल को आपने ही हटवाया था।

श्री रणबीर सिंह : आपने हटवाया था, भण्डारी जी। आप यह समझते हैं कि देश आपके इतिहास को भूल सकता है। आप यह न सोचें। आपने दुहाई दी। आपको शक्ति मिली तो एक मामूली सी बात के चटखारे के ऊपर शक्ति मिली है, इस बात को न भूल जाइये। आपकी पार्टी परिवार नियोजन की ज्यादतियों के बिना पर सरकार में आई हैं और इसीलिए हिन्दुस्तान के उन प्रदेशों में जहां इसकी चर्चा नहीं हो सकती, वहां आपको मुंह की खानी पड़ी। बुरी तरह से आप परास्त हुए हैं। डी.एम.के. की हिमायती जनता पार्टी तमिलनाडु में बुरी तरह पराजित हुईं। यहां पर एक सदस्य अभी है नहीं, जी. लक्ष्मणन वह कहा करते थे, किसी सुब्रह्मण्यम को कि हम देखेंगे, हमारे रहम पर आये थे अगले चुनाव में क्या बनेगा? वहां चुनाव में क्या हुआ? इस देश में भण्डारी जी जरा आंख खोलिये और कान खोलिये। जरा सुनने की ताकत रखे। जिस सुब्रह्मण्यम को वह कहते थे, हमारे वित्तमंत्री को, तुम चुनाव में जीत नहीं सकते, वह ढ़ाई लाख वोटों से जीत कर आये और वह डी.एम.के. के ठेकेदार जो इस देश के एक हिस्से को अलहदा करना चाहते थे, वह चारों खाने चित्त हुए और उनकीं जमानतें जब्त हुईं। यह चटखारे पर जीत की खुशी मनाने वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये मामूली मामूली चटखारे होते हैं। ये सदा नहीं रह सकते हैं। आपके

बड़े से बड़े नेता ने कहा है कि अगर, कांग्रेस वाले पर्ची मांगने आये तो उनको कहो कि दो परिवार नियोजन के केस दे दो और एक वोट ले लो। इस नाम पर आप जीते हैं। जनता से आपका कोई वास्ता नहीं है। न कभी पहले रहा है, न कभी आगे रहने वाला है। जनता तो हमेशा हिन्दुस्तान में इधर बैठने वाले सदस्यों के साथ रही है और रहेगी। भूल-भूलैया में डाल दिया आपने। कुछ हमारे अफसरों की गलती की वजह से जनता को आपने भूल भूलैया में डालकर आज आप जीत की कहानियां कहने वाले जनता पार्टी की नीति का नाम लेते हैं। यह तो वित्तमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया उससे जाहिर होता है कि इनकी कोई नीति नहीं है।

जिसको आई.सी.एस. का इतने सालों का तजुर्बा हो और हमारे वित्तमंत्री हों वह दो-तीन दिन में भाषण न बना सके। इससे साजिश जाहिर होती है। जिस तरह से इन्होंने गुजरात में कराया और दूसरे प्रदेशों में कराया उससे यह जाहिर होता है कि जो जनता पार्टी है यह जनता डिफे क्शन पार्टी है। दूसरे प्रदेशों की सरकारों को डिगायेगी। इसी वजह से आपके जो वित्तमंत्री है, उनका भाषण कोई स्पष्ट नहीं था। उसमें कोई नीति नहीं बताई गई।

कृषि मंत्री यहां बैठे है, जब यहां गेहूं की कीमत के बारे में प्रश्न पूछा गया था तो इन्होंने कोई भी कीमत बताने से इंकार कर दिया। मुझे याद है, हम वह दिन भूले नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान वह दिन भूले नहीं है। जिस दिन प्रकाश सिंह बादल जी करनाल में गये थे और यह दावा किया था कि 150 रूपये क्विंटल गेहूं का भाव मुकर्रर होना चाहिये। उस वक्त पंजाब और हरियाणा के लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई थी कि सरकार किसानों को लूट रही है। आज आपका इम्तिहान है। लोगों को पता लगेगा, हिन्दुस्तान के किसान समझेंगे कि आप कितने हमदर्द है। हिन्दुस्तान के किसानों को पता लगेगा कि आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, क्योंकि, वित्तमंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है और कृषि मंत्री जी कोई जवाब नहीं देते हैं। आपकी सारी पोल-पट्टी खुल जाएगी। हिन्दुस्तान की जनता आपके इरादों को जान जाएगी। भंडारी साहब को भी मालूम है कि इस सरकार के बनने से पहले यहां प्रदर्शन शुरू हुए। हमारे वक्त मैं तो वोट क्लब में प्रदर्शन हुआ करते थे। लेकिन, इस सरकार के समय में तो यहां सदन के सामने नारे लगते हैं। सात दिन में ही पोल-पट्टी खुलने लगी है।

मन्त्री महोदय, अपनी स्पीच में अपनी धारणाओं को रखते तो हम कुछ कह सकते थे। आपने अपनी स्पीच में कुछ नहीं कहा। जो आप पहले यहां बैठ कर कहते

थे, यह सब आप भूल रहे हैं। याद रखिये, देश नहीं भूलता है। देश की जनता नहीं भूलती है किसानों को यह याद है आप डेढ़ सौ रूपये गेहूं की कीमत रखने के लिये बहाना नहीं लगा सकते। आपने कहा था कि एक्साइज ड्यूटी घटेगी, ट्रैक्टर की कीमत घटेगी, खाद की कीमत घटेगी, किसान देखेगा कि कीमत घट रही है या नहीं। वह आपसे हिसाब-खाता लेगा, हमसे भी लिया है और आपसे भी लेगा।

अभी थोड़ी देर पहले राय साहब ने जिक्र किया कि इमरजेंसी जब लागू हुई तो किसी से सलाह नहीं ली गई। मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो इमरजैंसी लागू हुई तो इस सदन में और उस सदन में प्रस्ताव पेश किया गया था और आज के रक्षामंत्री ने उस समय प्रस्ताव पेश किया था। जनता पार्टी की हुकूमत में इस वक्त जो रक्षा मंत्री है उन्होंने यह प्रस्ताव किया था। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज अगर, यह कहा जाये कि यह सरकार की नीति नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर दूसरी कोई गलत बात नहीं हो सकती है। आप लोगों की आंखों में धूल डाल कर सरकार में आए हैं। इस प्रकार नीति से आपकी सरकार बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगी।

उपसभापति जी, कल गुजरात विधानसभा में जो कुछ हुआ, उसके बारे में आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा। कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो कुछ हुआ वह भी आपने देख लिया है। जो पहले विधानसभा के सदस्य थे और अब लोक सभा के सदस्य बन गये है, वे लोग वहां पर डिफेक्शन करवाने में लगे रहे। इस प्रकार का डिफेक्शन कुछ दिन पहले तो हो सकता था। लेकिन, अब जरा मुश्किल होगा। आपकी नीति अब यह हो गई है कि जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको डरा-धमका कर गिराया जाये। आप लोग तरह-तरह की कहानियां कह कर राज्यपालों को डरा रहे हैं। ऐसी हालत में मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे देश को वर्तमान हालत में यह सदन इस बिल को पास करेगा। इस बिल के ड्राफ्टिंग में जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां होंगी, उनको विधि मंत्री ठीक कर सकते हैं। हम ड्राफ्टिंग की गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वर्तमान जनता पार्टी डिफेक्शन पार्टी बन जाये। यह नहीं होना चाहिए कि जनता पार्टी डिफेक्शन के माध्यम से सरकार बनाये। राज्यों में सरकारों को तोड़ने के लिए अगर, हिन्दुस्तान की सरकार हवाई जहाजों का गलत इस्तेमाल करती है, यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। इसलिए, मैं दूसरी तरफ के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल के बारे में उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको वे वापस ले और इस विधेयक का समर्थन करें।

राज्य सभा

सोमवार, 11 अप्रैल, 1977 ई.*

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, में चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा मशकूर हूँ कि दिल्ली के बारे में यह बिल ला करके दिल्ली के प्रश्न पर विचार करने का मौका दिया। उनका जो विधेयक है, उससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ। उधर के कुछ दोस्तों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में जाने से डरती है और इसीलिए हम लोग छः साल की बात करते हैं। मैं उनका ध्यान हिन्दुस्तान के इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आज जो लोग हिन्दुस्तान के बड़े हिस्से से जीत कर आए हैं, ऐसा लगता है कि वे जीत की मस्ती में बात करते हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इस देश में सन् 1971 में चुनाव हुए थे और चौधरी चरण सिंह जी के प्रदेश में एक संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री श्री टी.एन. सिंह थे। वे खुद भी चुनाव हार गये थे। लेकिन, फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आज ये लोग हमको सबक सिखाने आए हैं। इनको खुद अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, चौधरी जगवीर सिंह जी यहां पर बैठे हुए है। जब मैं आपके स्थान पर दो दिन पहले बैठा हुआ था तो उन्होंने मेरे प्रदेश का जिक्र किया था और कहा कि मेरे प्रदेश में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हारना पड़ा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी हार वहां पर क्यों हुई ? इसका कारण यह था कि चौधरी चरण

**Rajya Sabha, Delhi Administration (Admt.) Bill, 1977, 11 April 1977, Page 237-241*

सिंह जी वहां गये थे और यह कहकर आए थे कि एक मौका मिला है कि एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है।

चौधरी चरण सिंह : मैं नहीं जानता कि माननीय मित्र यहां पर परसनल बातों को क्यों ला रहे हैं? लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे परसनल बातों को यहां पर चाहे जितना कहें, मैंने यह बात कभी नहीं कही है।

श्री रणबीर सिंह : चौधरी चरण सिंह ने यह बात नहीं कही हो तो दूसरी बात है। लेकिन, चौधरी चांदराम जिनकी हिमायत में आप गये थे, उन्होंने रोहतक शहर में यह बात न कही हो तो मैं आपसे क्षमा याचना कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी ने उनका भाषण नहीं सुना है। उन्होने कहा कि हिन्दुस्तान के एक किसान का बेटा अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें कांग्रेस 1946 से पहले कभी जीती नहीं थी। वहां पर किसानों के लिए बड़ा प्यार है। इसलिए, इन बातों से लोगों ने समझ लिया कि एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। दूसरी बात यह थी कि (फेमिली प्लानिंग) परिवार नियोजन का मसला सामने था। इस पर हमारे दूसरे दोस्तों ने भी चुटकी ली है। इन लोगों ने कहा कि जब कांग्रेस के भाई चुनाव में आए तो उनसे कहो कि परिवार नियोजन के दो केस लाओ। इस प्रकार से लोगों को गुमराह किया गया।

इन बातों के साथ-साथ, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज सवेरे श्री बीजू पटनायक जी ने 10 नं. के कुछ कागज सदन के पटल पर रखे थे। आप जानते हैं कि हम लोग सन् 1971 में चुनाव जीत कर यहां पर आए थे। तब, दो महीने में हमने चुनाव कराने की बात नहीं की, एक साल के बाद चुनाव कराने का आह्वान किया था, 1972 में। आज आपको जल्दी क्या है? उपसभाध्यक्ष जी, मुझे मालूम है कि यहां बैठे हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल। ये करनाल में गये थे। मुझे खुशी है कि आज जब उन्होंने बयान दिया। वह पहले मुख्यमंत्री थे। आज उनको पता चला कि कागज कहां जाता है? मुख्यमंत्रियों के बाद कागज प्लानिंग कमीशन में जाता है। वित्त मंत्रालय में जाता है और फिर उसके ऊपर फैसला होता है। हमें खुशी है कि कुछ हमारे लायक दोस्त को ज्ञान हासिल हुआ। लेकिन, आज डर क्यों हो रहा है? डर किस बात का है? चौधरी चरण सिंह 150 रूपये से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? उनकी पोल-पट्टी खुल रही है, हिन्दुस्तान के किसान की आंखें खुल रही है। आज आपको डर इसलिये है कि आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के किसान की आंखें खुलने से पहले चुनाव कर लिया जाये तो शायद जीत जाये। कांग्रेस सरकार में यह साहस

था, कांग्रेस सरकार में यह हौंसला था और आपको एक साल का मौका दिया था कि उसके बाद चुनाव किया जायेगा। मैं चौधरी साहब से इतना ही निवेदन करता हूँ कि उन्होंने न कहा हो, परन्तु, हमारे प्रदेश के किसानों को यह आश्वासन दिया था और उनको एक बहुत बड़ी चोट लगी, जब चौधरी साहब को उन्होंने प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखा। दूसरी बात मैं उनसे यह निवेदन करता हूँ कि चौधरी साहब जरा....।

चौधरी चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, में जानना चाहता हूँ कि ये दलीलें कोई दलीलें हैं ? जिस तरह से पर्सनल रिफरेंसेज माननीय सदस्य की तरफ से किये जा रहे हैं। यह कोई बहस नहीं है। मैं समझता हूँ कि....।

(Interruptions)

SHRI BIJU PATNAIK : Chaudhary Saheb should accept the position that the hon. Member is not versatile in the manner of speech. His early education was neglected or there must be something wrong with him.

चौधरी रणबरी सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, जिन्होंने आज प्रात: 10 नम्बरी के कागज पेश किये हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि वह हमारे प्रदेश के किसानों की भावना को समझते हैं। चौधरी साहब को यदि इसमें कोई आपत्ति हो तो मैं इस बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह के मशकूर हैं कि उन्होंने दिल्ली के बारे में बात करने का मौका दिया। चौधरी साहब हिन्दुस्तान में 1857 के बाद देहली के आसपास रहने वालों को आज पहली दफा मौका मिला है। हिन्दुस्तान की 1857 की क्रांति के बाद हम लोगों को सजा दी गई थी कि मेरठ को इलाहाबाद के साथ जोड़ दिया गया, लखनऊ के साथ जोड़ दिया गया और हमारे प्रदेश को कई रियासतों जीन्द और नाभा पटियाला के साथ और कुछ को लाहौर के साथ जोड़ दिया गया था। आज चौधरी साहब को मौका मिला है। हमारे प्रदेश के भाई देखना चाहते हैं कि चौधरी साहब की कलम में कितनी शक्ति है ? उन्हें बड़ा मजबूत आदमी हम मानते हैं और हैं। किन्तु, उस मजबूती का हमको कितना फायदा मिलने वाला है, यह देखना चाहते हैं। चौधरी साहब भूल गये इस बात को कि जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वे पहली बार मेंम्बर बने थे तो वह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंम्बर बने थे। अगर, मैं गलत न कहता हूँ। चौधरी साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1930 में श्री आसफअली जो उनके प्रधान

होते थे–उस कांग्रेस कमेटी के – तो उन्होंने जब सबसे पहले नया प्रदेश बनाने का जिक्र किया तो ....*(Interruptions)* .... महादिल्ली प्रदेश बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। उसी के साथ–साथ जब पहली गोलमेंज कांफ्रेस हुई, उसमें भी एक प्रस्ताव महादिल्ली बनाने के बारे में था। आज चौधरी चरण सिंह को मौका मिला है कि महानगर की जो कोंसिल है, उसको चाहे पांच साल हो, 5 साल छः महीने हो, सात महीने हो, छः वर्ष हो, इसे दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली के लोग आपको देखते हैं।--आगरा और मेरठ को--आगरा और मेरठ की डिवीजनों को कब आप हमारे साथ जोड़ते हैं, जिसको अंग्रेजी साम्राज्य ने बखेर दिया था।

हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चौधरी चरण सिंह को शक्ति दे, उनको आयु दे, ताकि वह जो हमारे बुजुर्गों का सपना था वह चौधरी चरण सिंह के हाथों से पूरा हो। हमारे साथ जो अन्याय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। वह अन्याय हटे और हम ''चौधरी चरण सिंह जय'' के नारे लगा सकें। इसलिए, मैं चौधरी साहब से प्रार्थना करता हूँ कि यह छः सात महीने के चक्कर में पहले की तरह इस बिल को वापस न लें। इस बिल को जैसे भी सदन पास करना चाहे पास करनें दें। मैं राजू जी की भावना, जो उन्होंने व्यक्त की, वह मैं व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि, चौधरी साहब के लिए मेरे दिल में बड़े भाई से ज्यादा बढ़ कर आदर है और उनकी तरफ मैंने देखा है, उनके विचारों पर चला हूँ। वे भटके हैं, हम तो भटके नहीं।

मैं आखिर में चौधरी साहब से यह प्रार्थना करता हूँ कि हम बड़ी तेजी के साथ वह जमाना देखना चाहते हैं। जो चौधरी जगवीर सिंह, चौधरी चांदराम जी ने और दूसरे कुछ लोगों ने हमारे प्रदेश के लोगों को आह्वान दिया था। इन शब्दों के साथ उन्होंने जो विधेयक पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और उसके साथ अगर, सदन में कोई अमेंडमेंट आए, संशोधन आए तो उसका वह भी समर्थन करे। उनसे भी मैं यह अपील करता हूँ।

राज्य सभा

सोमवार, 20 जून, 1977 ई.*

चाय आदि पर निर्यात शुल्क पर प्रस्ताव

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, माननीय वित्तमंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया है, उस सम्बन्ध में मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बजट भाषण किया लोकसभा में उसमें बड़ा जिक्र किया कि खेती की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने और आर्थिक ढ़ांचे को मजबूत करने के लिये। उसके साथ-साथ देहाती क्षेत्र के बारे में भी बड़ा जिक्र किया। आर्थिक समीक्षा मैंने पढ़ी और आपका बजट भाषण पढ़ा और सुना। लेकिन, मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि आपके जो विचार थे वह तो बहुत अच्छे मालूम होते थे और ऐसा मालूम होता था कि शायद देश के आर्थिक ढ़ांचे में आप बहुत तेजी से तब्दीली ला रहे हैं। लेकिन, आगे चलकर जब मैंने उसमें और बहुत सी बातें पढ़ीं तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी सोच वही मरकेन्टाइल इकोनामी की है। बाजार में कितनी चीज आती है, कितनी उसकी मांग है, कितनी खपत है और कितनी सप्लाई होती है, इसी सोच पर आप चलते हैं। यहां आपने देखा, निर्यात कर है, खेती की पैदावार पर, खास तौर पर काफी और टी के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, ये विशेषज्ञ इस बात को लिखते हुए भूल जाते हैं कि खेत के ऊपर टैक्स बहुत है। खेती की पैदावार पर टैक्स बहुत हैं। उन्हें प्रत्यक्ष कर लैण्ड रिवेन्यु ही दिखाई देता है। यह इस बात को भूल जाते हैं कि पिछले अन्तरिम बजट में

**Rajya Sabha, Resolution ore export duty on Tea etc., 20 June 1977, Page 152-154*

उसमें कोई 600 करोड़ का घाटा दिखाया गया था। अब 70–72 करोड़ के करीब घाटा रह गया। वह घाटा जनता पार्टी या उनके वित्त मंत्री जी ने होशियारी से कम नहीं किया, बल्कि उसके कम होने की उम्मीद यह है कि चाय के ऊपर जो निर्यात कर लगा है, उससे जो आमदनी होने वाली है] उससे वह घाटा पूरा करने की उन्हें उम्मीद है। अगर, दुनियां के बाजारों में भाव गिर गया तो शायद जो घाटा इनके अन्दाज में था, वह शायद ज्यादा बढ़े।

इस सिलसिले में मुझे इतना ही कहना है कि यह मान लेना कि जो कर है। यह किसानों के ऊपर नहीं है। खेत की पैदावार पर, खेत की पैदावार करने वालों पर नहीं है, सही नहीं है। इसी तरह से चीनी का है। चीनी के ऊपर निर्यात कर है, ऐक्साइज ड्यूटी है। यह कहते हुए जब आर्थिक समीक्षा में मैंने देखा तो वह लैण्ड रेवेन्यू का जिक्र करते हैं। लेकिन, इस बात को भूल जाते हैं कि यह सारा कर किसानों के ऊपर है। अगर, इसका फायदा बाजार में जाता तो जिसने पैदा किया है, काफी या चाय यह उसको भी मिलना था। उसका पैसा आप अगर, उस शक्ल में ले रहे हैं और उसकी भलाई में कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। काफी की चाय की प्लांटेशन है। उनके कृषकों की भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए कुछ हिस्सा तो इसमें आपको रखना चाहिए। लेकिन, एक तरफ हिस्सा नहीं रखा जाता और दूसरी तरफ यह कहा जाता है। विशेषज्ञों की तरफ से कि खेती के ऊपर जो कर है वह बहुत कम है, इससे बढ़कर कोई अन्याय हो नहीं सकता।

चीनी का उत्पादन शुल्क है दूसरी चीजों के ऊपर जो शुल्क है, यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह किसानों के ऊपर टैक्स नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह गलत है जो भी विशेषज्ञ यह मानते हैं। वह देहात की तरक्की की अगर, बात करें तो वह उनकी जुबानी भाषा है, उनके दिल की भावना नहीं है। दिल से भावना बदलने के लिए मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह यह महसूस करें। यह कि मुनाफा, यह फायदा जो चाय और काफी पैदा करने वालों को होना था वह आप उसकी जेब से अप्रत्यक्ष कर के रूप में ले रहे हैं। वह देश की भलाई के लिए हैं, इसके लिए तो हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन, देश उनके बगैर है, यह मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के बगैर, किसानों की इतनी बड़ी शक्ति देहात, जिसमें कि 80 फीसदी आबादी लगी है, उनकी तरक्की के बगैर उनसे टैक्स लिया जाए, उनके लिए सोच न की जाए, यह ठीक नहीं है।

उन्होंने खुद माना कि देश की उन्नति तभी हो सकती है, जब जो आदमी चाय पैदा करते हैं, जो काफी पैदा करते हैं, वहां सुविधायें हो। सड़कें अच्छी की जा सकती है। वहां अप्रोच रोड्स बनाई जा सकती हैं। वहां बिजली के तार उनके घरों में पहुंचाए जा सकते हैं। जो मालिक हैं, उनके पास तो सारे आराम हो सकते हैं। लेकिन, जो छोटे मालिक हैं, उनके पास अभी भी बहुत सारी सुविधाएं पहुंची नहीं हैं। जैसे पानी पीने की सुविधा हैं और दूसरी सुविधाएं हैं।

जो टैक्स से पैसा हम वसूल करते हैं। उसको हम शहर की तरक्की में लगाते हैं। गाँव की तरक्की में नहीं लगाते। जब तक यह नीति नहीं बदलेगी, तब तक गाँव की तरक्की नहीं हो सकती। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय एक किसान के घर पैदा हुए। लेकिन, बहुत समय उनका अफसरी के नाते बीता। हमें इस बात का ज्ञान नहीं कि वह भावना जो किसानों की भावना है, उनके दिल में कितनी है। हाँ, उनके भाषण से जरूर टपकता है कि किसानों की मुश्किलातें, देश के देहातों की मुश्किलातें उनके सामने हैं। लेकिन, इसके इलाज के लिये जो पैसा उन्हें टैक्स के रूप में मिलेगा, उसका कितना हिस्सा वह चाय, काफी के बागानों के मजदूरों, किसनों के व मालिकों की तरक्की में खर्च करेंगे, उनकी हालत को सुधारने में खर्च करेंगे और कल को अगर, ऐसी हालत पैदा हो कि बाजार में उनकी चाय इस हिसाब से बिके कि उनको पड़ता न खाता हो तो उस वक्त के लिये इस पैसे में से कोई पैसा इनके मूल्यों को समर्थन देने लिये जमा रखने की कोई योजना है या नहीं? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। हम यह इसलिये, चाहते हैं, ताकि चाय और काफी की पैदावार हमारे देश में घटे नहीं। बल्कि, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे और सारे देश के किसान, खासकर चाय और काफी के बागानों में जो मजदूर काम करते हैं, किसान काम करते हैं, उनकी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मैं इसलिये, मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वह इन कामों के लिये टैक्स के रूप में आए हुए पेशे में से कितना पैसा रखेंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

राज्य सभा

बुधवार, 22 जून, 1977 ई.*

आम बजट (सामान्य) 1977-1978 - पर चर्चा

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री महोदय ने जब काम चलाऊ बजट पेश किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि उन्होंने समय बहुत कम होने की बात कही थी। लेकिन, मैंने जिक्र किया था कि आज के वित्त मंत्री बहुत तजुर्बेकार है और उनको सरकार चलाने और उनको सचिवालय का इतना तजुर्बा है कि वे एक दो दिन में ही देश का बजट बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। पहले ही कागज तैयार थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि आज वह साबित हो गया कि उन्होंने स्टेट ऐसेम्बिलयों के चुनाव के पहले बजट को पेश नहीं किया। इसीलिए, नहीं किया कि यह अपना चेहरा, जनता पार्टी का चेहरा देश के सामने दिखाना नहीं चाहते थे। आज पता लगा कि जनता पार्टी का चेहरा क्या है? वह मानते हैं कि जनता के ऊपर टैक्स जरूर होना चाहिए और मानते हैं कि गरीब आदमी ही जनता है। इसलिए, जो उस वक्त पूरा बजट पेश नहीं किया गया, वह चुनाव के जीतने की एक चालाकी थी और होशियारी थी। वे उसमें कामयाब हो गये। लेकिन, चुनाव तो आये पांचवें छठे साल आयेंगे ही। उससे पहले भी हो सकते हैं। चूंकि ये तो घटकों में काम करते हैं। जनता पाटी कोई पार्टी नहीं है। कल ही भानु प्रताप सिंह जी बोल रहे थे। पटेल साहब यहां हाजिर नहीं थे। अभी चौधरी जगबीर सिंह जी से मैंने जिक्र किया था कि कभी हम भी उधर बैठ कर बोलते थे और आप इधर बैठकर बोलते थे। जरा मुकाबला कीजिये। कृषि की बात कही, देहात की उन्नति की बात कही। अगर, उसको आंसू

**Rajya Sabha, Budget (General) 1977-78 - General discussion., 22 June 1977, Page 195-207*

बहाना कहे तो आपसे ज्यादा अच्छे आंसू बहाते थे, आपसे ज्यादा जोरदार तरीके से बात करते थे। कल तो यहां वित्त मंत्री महोदय भी नहीं थे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे और शायद उनको डर यह था-एक तरफा सौदा नहीं था ?, दो-तरफा सौदा था-- कि कृषि की दुहाई देने वाले जो लोग अपने आपको बी.एल.डी. और बी.के.डी. कहते थे और जनसंघ के हमारे भाई दोनों घटकों ने मिलकर प्रदेशों की सरकार जनता पार्टी के नाम से बनाई है।

यह उस डर की वजह से जोरदार कृषि व देहात की तरक्की की बात नहीं कही और फिर कहते हैं कि हम देश की तरक्की करना चाहते हैं। देहात की तरक्की करना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, वित्त मंत्री महोदय किसान के घर पैदा हुए, गुजराती किसान के घर में पैदा हुए। लेकिन, भगवान ने उनको मौका दिया देश का एक बहुत बड़ा अफसर बनने का। उन्हें कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों का तजुर्बा है। जब वह सचिव थे, मेरा लोक सभा सदस्य के नाते उनसे वास्ता पड़ा और पंजाब में और हरियाणा में जब हम मंत्रीमण्डल में काम करते थे, उस वक्त भी उनसे वास्ता पड़ा। अभी पूर्ववक्ता चौधरी जगबीर सिंह जी ने कहा कि इसमें तरक्की के लिए बहुत सी बातें कही गईं हैं और जब मैंने कहा कि यह शुरूआत भी नहीं है तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे अखरता है।

मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे अखरता नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां आपने बहुत सारे कमीशन बनाए हैं, वहां जरा मेहरबानी करके इन दोनों सदनों में से कुछ सदस्यों को लेकर एक समिति बनाओ और पता लगाओ कि देश के हर हिस्से में किस तरह से तरक्की हुई है। हमने आंसू नहीं बहाये। पंजाब, जिसमें इतना अनाज पैदा नहीं होता था जिससे कि पंजाब के रहने वालों का पेट भर सके। उनके लिए हमने देश के दूसरे हिस्सों से अनाज मंगाया। हमने पेसा खर्च किया और इसका नतीजा यह हुआ कि आज देश में जो अनाज बाजार में बिकता है और जो हमारे देश में पैदा होता है, उसका 75 फीसदी हिस्सा आज पंजाब और हरियाणा से आता है।

मैं जानता हूँ कि ये भाई जो बहुत ज्यादा कहानियां कहने वाले है, बोलने वाले है, इन्होंने कमीशन बैठाया था, सरदार प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ, जिसने उस वक्त पंजाब को बनाया, आंसू बहाकर नहीं पैसा निकाल कर। हिन्दुस्तान की सरकार से कर्जा लेकर और हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल के खिलाफ भी बैठाया, जिन्होंने यमुना के पानी को, 400 फुट ऊंचा सिंचाई के लिए जिसको कि उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े नेता 10 फुट ऊंचा भी नहीं चढ़ा सके।

श्री जगबीर सिंह : बंसीलाल जी ने जब इतना काम किया है तो क्यों उनको बाहर निकाला गया, जरा रहम करते ?

श्री रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं आज राजनीति के ऊपर बहस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस तरह से कल मेरे लायक दोस्त आपके प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और आज के इस्पात मंत्री बीजू पटनायक साहब काम कर रहे थे, वह काम करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ बजट पर बात करूंगा। मैं कहता हूँ कि आप जाकर देखिए कि यह यमुना जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में से बहती है। उस यमुना के पानी को कितने फुट ऊंचा सीढ़ी लगाकर हरियाणा में चढ़ाया है और कितना फुट ऊंचा उत्तर प्रदेश में चढ़ाया है वड़ा आसान काम है कमीशन बैठाने का। जो सरकार बदलती है, वह पिछली सरकार के ऊपर कमीशन बैठाया ही करती है। लेकिन, कमीशन अगर, बैठाना है तो देश की तरक्की के लिए बैठाया जाये। वह यह देखे कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश, जो कभी भूखा प्रदेश था, सूखा प्रदेश था, आज लहरा रहा है। देहात की तरक्की की दुहाई देने वालों से कृषि की उन्नति की दुहाई देने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि जरा मुकाबला करें यमुना के उस पार के प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का जहां यमुना का पानी 10 फुट ऊंचा भी नहीं उठाया गया और यमुना के इस पार के प्रदेश यानी हरियाणा का जहां यमुना का पानी 400 फुट ऊंचा उठाया गया।

सवाल यह पैदा होता है कि कैसे पैसा लिया गया और कहां से लिया गया ? आज तो आपकी हकूमत है चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से जब वे कांग्रेस पार्टी में थे, तब हम उनका समर्थन करते थे। आज भी मैं इस बात को मानता हूँ कि हिन्दुस्तान के जो आयोजक विशेषज्ञ है या जो वित्त विषयों के विशेषज्ञ है, उनका खेती के ऊपर उतना ध्यान नहीं गया है, जितना जाना चाहिये था। यह भी ठीक है कि खेती के लिए जितने साधन जुटाये जाने चाहिये, उतने नहीं जुटाये गये हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में अब तक 12 हजार करोड़ विदेशी रूपए कर्ज लेकर खर्च किये गये और विदेशों का कर्जा है। लेकिन, इसके साथ ही लगभग इतना ही रूपया बाहर से अनाज मंगाने पर खर्च किया गया है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बात के आंकड़े नहीं दिये है कि कितने करोड़ रूपयों का अनाज अब तक बाहर से मंगाया गया है। कल जब श्री बीजू पटनायक साहब बोल रहे थे तो वे कह रहे थे कि हमें रूपये की जरूरत है। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान को हमारे देश से चीनी भेजी जाती थी, उस वक्त हमारे यहां चीनी का भाव 40 रूपये मन था। लेकिन, पाकिस्तान में 10 रूपये मन हमारी चीनी बिकती थी। हम

विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अपने देश में महंगी चीजें बेचते हैं। यही स्थिति आज चाय की भी है हमारे देश में चाय कितनी महंगी बेची जाती है और विदेशों को किस भाव पर दी जाती है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसी हालत में आज हमारी जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम कृषि और देहात की उन्नति करना चाहते हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो इक्नोमिक्स पढ़ी है और जो मर्कन्टाइल इक्नोमिक्स पढ़ी है, उसको वे भूल जायें। अब उन्हें कृषि के अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर, कृषि शास्त्र के मुताबिक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे तो वे उस देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे।

इनकी आर्थिक समीक्षा कहती है कि कृषि के ऊपर टैक्स बहुत कम है, कितने अफसोस की बात है और कितनी गलत बात है कि इस प्रकार की बातें लिख दी जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर, चीनी के ऊपर उत्पादन शुल्क न हो और चीनी का निर्यात शुल्क न हो तो करोड़ों रूपया किसानों को मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री महोदय इस बात का भी हिसाब लगाए कि चीनी के उत्पादन के ऊपर कितना उत्पादन और निर्यात शुल्क है, चाय के ऊपर कितना है और काफी के ऊपर कितना है, इससे देश को कितनी आय हुई? यहां पर यही समझा जाता है कि सारा हिसाब बाबू लोग ही जानते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया है कि देहातों की तरक्की के लिए वे क्या कर रहे हैं? मैं उनको याद दिलाना चाहात हूँ कि हिन्दुस्तान में 80 फीसदी लोग देहातों में रहते हैं। उन्होंने अपने भाषण मैं यह भी बताया है कि हमारे देश की आमदनी का 50 फीसदी भाग कृषि से आता है। इसके विपरीत उन्होंने यह भी बताया है कि कृषि व देहात की तरक्की के लिए जो रूपया खर्च किया जाएगा, वह 30 प्रतिशत के लगभग है। ऐसी हालत मैं यह बात समझ में नहीं आती है कि ये लोग किस तरह से कहते हैं कि हम किसानों की तरक्की कर रहे हैं। कल श्री बीजू पटनायक जी ने कहा कि पिछले 30 सालों में कुछ नहीं हुआ है। उनके यहां हीराकुण्ड डैम है। उसको उन्होंने अवश्य देखा होगा। इसके अलावा जब वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और मैं पंजाब मंत्रीमण्डल में इरीगेशन और पावर मिनिस्टर था तो वे पंजाब में भाखड़ा डैम देखने के लिए भी आए थे। लेकिन, वे अब इन सब बातों को भूल गए हैं। आज उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमारे देश में अनाज की पैदावार बढ़ी है और पिछले सालों में चीनी की पैदावार 10 लाख टन से बढ़कर 40 लाख टन तक हुई है। पिछली दफा इस देश में। 20 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ, जबकि पहले 50

मिलियन टन से कम था। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह तरक्की नहीं है तो क्या है? आप कहते हैं कि सरकार का ध्यान उद्योगों से खेती की तरफ मोड़ दिया है।

उन्होंने यह दावा किया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल योजना के ऊपर 10 हजार करोड़ रूपए खर्च हो गया है। मैं बीजू पटनायक साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह 10 हजार करोड़ रूपया घर से लाए है? क्या यह धनराशि वित्त मंत्री या अन्य दूसरे जनता पार्टी के मंत्री या जनता पार्टी के सदस्यों के घर से आया है? यह पैसा देश के साधनों से जुटाया गया है। पहले पांच साला योजना में 2400 करोड़ लगाए और इस देश को इस लायक बनाया कि एक साल में जनता पार्टी की सरकार का योजना का बजट दस हजार करोड़ रूपए का बन सका। यह है तरक्की जो पिछले 30 सालों में की है और जिसे यह जानना चाहते थे।

(समय की घंटी बजी।)

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूँ। कल मैं आपकी जगह बैठा था और मैंने देखा कि एक-एक घण्टे तक और 30-30 मिनट तक सदस्य बोले थे। परन्तु, जब देहात का समय आया तो आप घण्टी बजा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ...

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : आप तो चेयरमैन थे, आपको रोकना चाहिए था।

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके लिए उपसभापति जी ने एक सिलसिला रखा। वही मुझे रखना चाहिए और वही आपको रखना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किस तरह से देश की तरक्की हो सकती है? यह जिक्र करते हैं कि पैसा कहां से आयेगा? पैसा कहां से आयेगा, यह मैं आपको बता सकता हूँ। योजना आयोग ने यह निर्धारित किया था कि 10 मिलियन टन अनाज जो है उसे भण्डारों में रखा जाना चाहिए। आज 18 मिनियन टन अनाज हमारे पास है 18 मिनियल टन अनाज पर कितना करोड़ रूपया आपने लगा रखा है, 5400 करोड़ रूपये। 5000 करोड़ के करीब रूपया आपने देश के भण्डारों में बन्द कर रखा हुआ है और 900 करोड़ रूपये से ऊपर पिछली दफा अनाज बाहर से मंगाया था। उससे पहले साल और कई बार 1200 करोड़ रूपए का अनाज बाहर से मंगाया गया। कम से कम भगवान के लिए इस अनाज को चूहों को मत खिलाईये, कीड़े

मकोड़ों से इसे नष्ट न होनें दे। 250–300 करोड़ रूपये जो एफ.सी.आई. ब्याज की शक्ल में देगा, तो यदि वही पैसा हम किसानों को दे दें तो किसान तरक्की कर सकते हैं। आपके भाषण से किसी की तरक्की नहीं हो सकती, आपके भाषण से देहात तरककी नहीं कर सकते। भाषणों से अगर, तरक्की होती तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेसी राज में यह तरक्की हो गई होती। अगर, भाषण से तरक्की होती तो उत्तर प्रदेश की तरक्की हरियाणा से ज्यादा होती और पंजाब से ज्यादा होती। उत्तर प्रदेश वाले भाषण हमसे आगे देते थे, हमसे ज्यादा भाषण देते थे देहात की तरक्की के लिए। लेकिन, जरा मुकाबला करो, हरियाणा और पंजाब के किसानों का उत्तर प्रदेश के किसानों से।

आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। अगर, आप 8 मिलियन टन अनाज भेज दे। इस देश में अनाज बाहर पड़ा है, बारिश में पड़ा है। उनसे कितना अनाज खराब होगा, कितना घाटा होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। मेरा ख्याल है कि यह 300–400 करोढ़ रूपये का होगा। जरा इस देश के ऊपर रहम करो। जनता की दुहाई देने वालों जनता के ऊपर रहम करो। फालतू अनाज जो है, उसको विदेशों में भेजो।

आपने अपनी आर्थिक समीक्षा में लिखा है कि 5 लाख वर्ग मील किलोमीटर धरती ऐसी है, जिसमें माईनर इरीगेशन हो सकता है। जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे यहां माइनर इरीगेशन से बड़ी तरक्की हो सकती है। अगर, हरियाणा और पंजाब में एक–एक साल में लाखों ट्यूबवैल लग सकते हैं तो मैं वित्तमंत्री महोदय से पूछना चहाता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और बंगाल में क्यों नहीं लग सकते, जहां पर मीठा पानी भगवान ने जमीन में दिया है उसकी व्यवस्था कर देने से कितना घाटा आपको आने वाला है?

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने एक बात देखी। पहले भी और अब भी। हमारे देश के वित्त विशेषज्ञ ही वित्तमंत्री थे। आज के जो वित्त मंत्री है, वे मुद्रा–स्फीति का सवाल उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कागज के जो रूपये छपते हैं, इसकी जोड़–तोड़ में इसकी हेराफेरी में वित्त मंत्रालय और प्लानिंग कमीशन की कहानी इसी चक्र में फंसी रहती है।

मुद्रा स्फीति का संबंध तनखादारों से मतलब है और वह भी आपसे हल नहीं होता। मुझे याद है, पटेल साहब के वक्त के एक आई.सी.एस. अफसर हमारे पंजाब में फाईनेंशियल कमिश्नर थे। वे जब हमारे साथ दौरा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप यह छः मीनार की सिगरेट क्यों पीते हैं? उन्होंने कहा कि जब मैं

एस.डी.ओ. भर्ती हुआ था उस समय मुझे 250–300 रूपये मिलते थे और उस रूपये में क्रय शक्ति ज्यादा थी, बनिस्बत 3500 रूपये महीने के। आपके यह जो विशेषज्ञ है, तनख्वाह को चीजों की शक्ल में बचा नहीं सके। इस देश को बचाओ तो उनकी तनख्वाह भी बच सकती है। यह तनख्वाह को बचाने का फिक्र, कागज फिक्र, नोटों का फिक्र क्यों है? कल ही बीजू पटनायक साहब ने कहा था कि रूपया चाहिये। रूपया तो बाबा कागज को छापने के लिए मिल जाता है। फिर रूपये की कमी कहां रह गई! एक साल में आप ट्यूबवैल लगाने के लिए कर्ज देकर रूपये देवे। इतना रूपया तो एक साल में खेती की पैदावार बढ़ने से ही प्राप्त हो जायेगा। जब बतायें कि यह घाटे का सौदा कैसे हुआ? जो इसे घाटे का सौदा बताते हैं, वे क्या योजना बनाएंगे? जो योजना बनाते हैं, वे यह देखें कि देश के साधन क्या है? इस देश में कितने हाथ है जोकि काम चाहते हैं? मुझे मंत्री पद पर रहने का मौका मिला और मैंने देखा, इन विशेषज्ञों को बड़े नजदीक से पढ़ा। मशीन खड़ी है, तनख्वाह पूरी देनी होती है। सामान पड़ा है, कहते हैं। काम पर लगा देंगे। यह बजट से ऊपर हो जायेगा। ऐसी गलतियों ने इस देश को मारा है।

कौन से ऐसे संस्थान है, जिनमें करोड़ों रूपयों का सामान नहीं पड़ा, जिनको सरकारी काम पर को लगा दिया है और मुलाजिम तथा अफसरों से पूरा काम लिया जाता है? (समय की घंटी बजी) आप मुझको मजबूर कर रहे हैं। खेती 80 प्रतिशत आदमियों का धन्धा है और उसके लिये बोलने वाला मेरे जैसा इस सदन में अभी तक कोई नहीं उठा। कल आपके प्रदेश के मंत्री श्री बीजू पटनायक जी बोल गये। ;समय की घंटी बजीद्ध। लेकिन, मैं आपकी आज्ञा पर दो चार मिनट के बाद मानूंगा। मैं वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर, वास्तव में उन्होंने गाथा, कथा लिखी है, अपनी स्पीच में। अपने अभिभाषण में जो कथा लिखी है, वह दिल का दर्द है तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ और चौधरी चरण सिंह जी से भी उनकी मार्फत निवेदन करता हूँ कि वे उन पर दबाव डाले। वित्त मंत्रालय को सीधा करे। योजना कमीशन को सीधा करें कि जितनी माइनर इरीगेशन जो एक साल में पूरी हो सकती है। उसके लिये अगर, दो हजार करोड़ रूपया दे दीजिये। पिछले साल हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से मंगवाया था। साल 1976 दिसम्बर तक 900 करोड़ रूपये के ऊपर का अनाज मंगवाया था। इतना अनाज बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। आप माइनर इरीगेशन के ऊपर, छोटी सिंचाई योजनाओं के ऊपर पैसे की कोई पाबन्दी न लगाये। इसी तरह से अगर, आप चाहते हैं। देहातों में छोटे–

छोटे कारखानें बनें तो जो काम छोटे है उसके ऊपर रूपये की कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

सामान जितना है उसके लिये जितने नोट छाप के देने हों, आप दीजिये, आपको घाटा नहीं होगा और रूपया अगर, आपको बनाना ही है तो यह अनाज देश से बाहर बेचकर आप कई हजार करोड़ रूपया हासिल कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं एक और निवेदन आपसे करता हूँ। यह जो पड़ी वाली बात है, इसे आप छोड़ दीजिये। अगर, मंगाना ही है तो बिजली पैदा करने की मशीनें मंगाये। हमारे यहां इतनी शक्ति है कि यन्त्र जो बिजली पैदा करते हैं। कई दफा खाली पड़े रहते हैं। स्टेट इंलैक्ट्रिसिटी बोर्ड खरीद नहीं सकते। देश के बिजली बोर्ड ब्याज नहीं दे सकते। अगर, वास्तव में आप देहातों की तरक्की करना चाहते हैं, तो एक बात कर दीजिये कि जितना सरमाया खेती के ऊपर, सिंचाई के ऊपर लगाया जाये, उसके ऊपर प्रदेश सरकारों से कोई ब्याज न लिया जाये। जितना पैसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली की तारों को देहातों में पहुंचाने में लगायें, उस सरमाये के ऊपर उस कैपिटल के ऊपर, हिन्दुस्तान की सरकार कोई ब्याज वसूल न करे। यह कोई बहुत बड़े घाटे की बात नहीं है। जो ब्याज देंगे या जो आपने अनाज कैद कर रखा है, इससे बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। मुझे याद है कपास के बारे में एक दफा आपके प्रदेश का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। गुजरात वालों ने और महाराष्ट्र वालों ने लम्बे रेशे की पैदावार के बारे में खरीद करने का 1974 में प्रश्न उठाया था कि उसको खरीदा जाये 10 करोड़ रूपये दिये और आज 120 करोड़ रूपये बाहर से कपास लेने के लिये, बाहर का अनाज खरीदने के लिये 2000 करोड़ रूपये। यह कहां से आर्थिक विज्ञान आ गया? इस देश का आर्थिक विज्ञान सीखिये। यह जो भाई हमको गलत कहानी पढ़ाते हैं, उनकी किताबें जो है कुएं में डाल दीजिये। उस तरह से चलिये जिस तरह से सरदार प्रताप सिंह कैरों पंजाब में चले और बंसीलाल हरियाणा में चले, आर्थिक उन्नति के लिये, देहातों की उन्नति के लिये, सड़कों को बनाने के लिये और बिजली के तार बिछाने के लिये। अगर, आप पैसा देना चाहते हैं, तो लोगों को मजदूरी, नौकरी देंगे। मिट्टी हमारी और डालने वाले मजदूर उनको आपको धंधा देना है तो फिर पाबंदी कैसी? देहातों की तरक्की के लिये कोई रूपये की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये, जितना जो प्रदेश खर्च कर सके उसकी व्यवस्था आप करें। यही सबसे अच्छा तरीका प्लान चलाने का हो सकता है।

राज्य सभा

शुक्रवार, 24 जून, 1977 ई.*

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1974

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, श्री नृपति चौधरी ने जो विधेयक रखा है वह मंत्रीमण्डलों में आदर्श कायम करने के लिये रखा है। मंत्रीमण्डलों के लिये आदर्श क्या होना चाहिए ? उन्होंने इशारा किया कि नम्बर मुकर्रर किये जाए, केन्द्रीय मत्रीमण्डल के लिये और प्रदेशीय मंत्रीमण्डलों के लिये। मैं मानता हूँ कि देश में प्रजातंत्र हमें कायम करना है और उसको बनाये रखना है। लेकिन, मंत्रीमण्डलों की संख्या से ही कोई आदर्शवाद कायम नहीं हो सकता है। कम हो तो भी कोई आदर्शवादी मंत्रीमण्डल होगा, यह सही नहीं है। अगर, कहीं ज्यादा नम्बर हो गये तो वह आदर्शवादी नहीं रहेगा, वह भी बात सही नहीं है। हमारा आदर्श क्या है ? हमारा आदर्श है, जनता की सेवा करना। देश का उत्थान करना और देश में प्रजातंत्र ही लोगों का राज रहे, लोकराज रहे। इस सबको कायम रखना है।

मेरे साथी श्री लक्ष्मणन वह बात करते थे कि हम जो भाई दल बदलू हैं, हमारी पार्टी दल बदलुओं की है या नहीं ? परन्तु, मैं तो मानता हूँ कि आज की जनता पार्टी जो है, वह दल बदलुओं का एक गिरोह है। हिन्दुस्तान का इतिहास भी यह बतायेगा, इतिहास के लेखक भी यह बतायेंगे। आपने देखा कि चुनाव लड़ा गया एक निशान के ऊपर। उस निशान के बारे में आज हमारे सदन में सवाल हुआ और उसका उत्तर दिया गया। वह एक ड्रामा था। जनता पार्टी की टिकटें जो तक्सीम हुई, वह भी घटकों को हिसाब में रखकर हुई। जनता पार्टी की सरकारें बनीं तो वह भी घटकों के

**Rajya Sabha,Constitution (Amdt.) Bill, 1974, 24 June 1977, Page 131-142*

हिसाब से बनी। उपसभाध्यक्ष जी, यह मैं नहीं कहता, यह श्री राधन, जो महामंत्री हैं, जनता पार्टी के, कहते हैं।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : अब नहीं है।

श्री रणबीर सिंह : कोई सही बात कहता है तो उसको निकाल सकते हैं। ताज्जुब की बात नहीं है। वह महामंत्री जरूर थे। उन्होंने यह बात कही।

(Interruption by Shri G.. Lakshmanan).

लक्षमणन जी, आप यंत्र को कान में लगाकर मेरी बात सुनिये।

Please hear the translation. I can answer you very well. But first have your earphone and hear the translation.

कभी में लक्षमणन साह का हिसाब-किताब करता हूँ। इन्हें बड़ा शौक है हमसे यह कहने का कि हमारी पार्टी दल-बदलूओं की पार्टी है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान में अखिल भारतीय कांग्रेस ही एक पुरानी जमात है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है, जिसके सदस्य इधर बैठे हैं, जो आज विरोधी दल हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनका हिसाब-किताब क्या है, उनका क्या वास्ता था राजनीति का? पहले तो वे राजनीति में थे नहीं। राजनीति के बगैर राजनीतिक बन गये। कैसे बन गये रातों-रात, इसे वे ही जानते हैं। मैं नहीं जानता।

SHRI G. LAKSHMANAN : Our party is a socio-political product.

श्री रणबीर सिंह : वे डी.एम.के. पार्टी के राज्स सभा के सदस्य चुने गये। उनको चाहिए था कि इधर बैठते, ये जनता पार्टी में कैसे पहुंच गये? उनको यह बात बतानी चाहिए कि जनता पार्टी में कैसे जा पहुंचे?

(Interruption)

SHRI JAHARLAL BANERJEE : Sir, he should not interrupt if he has any sense.

SHRI RANBIR SINGH : I am capable enough to answer him.

ये डी.एम.के. पार्टी से राज्य सभा के सदस्य बनकर आये। इधर बैठते थे। अब उधर जा बैठे। ये दल-बदलू हैं कि हम दल-बदलू है? हमको तो हालात ने इधर

कर दिया। ये उधर कैसे चले गये, जरा इनसे पूछिये। मुझे याद है इन्होंने सुब्रह्मण्यम साहब से कहा था कि तुम हमारे रहम पर चुन कर आये हो और अब चुनाव में देखेंगे। बताइये, श्रीमान, ये चुनाव में कहां है? दो चुनाव हो गये, इनका कहीं नाम लेवा बाकी नहीं रहा। अब जनता पार्टी की शरण में रहकर चलना चाहते हैं। शीशे के महलों में रहने वालों को दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।

मैं निवेदन कर रहा था कि आदर्श हमारे लिए क्या होता है? आदर्श है कि हम देश की तरक्की करें। प्रजातंत्र को कायम रखे। प्रजातंत्र को कायम रखने का एक तरीका होता है कि सरकारी दल विरोधी दल का आदर करे। उनकी टीका-टिप्पणी सुनकर उनसे शिक्षा ले, अपने में तबदीली करे। उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में आजाद देश में 1952 में पहला चुनाव हुआ। 1952 से लेकर 1977 तक कभी इस देश के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ 50 से कम आदमी चुनकर नहीं भेजे।

लेकिन, कभी वे विरोधी दल नहीं बना सके। यह आज की जनता पार्टी राज करने के लिये कितने दिन तक अपनी यह खिचड़ी कायम रखेगी, इस बात को तो भंडारी साहब जानते होंगे या हमारे विधि मंत्री जानते होंगे या उनके दूसरे सदस्य जिनके बयान अब अखबारों में आने लगे हैं। वह जानते होंगे। हमको तो इस बात का हिसाब नहीं है। लेकिन, यह सब घटक मौजूद थे, हम लोगों को गाली देने के लिये, हमारे रास्तों में गलतियां सुझाने के लिये और कभी यहां पर उस जमाने में 51 की तादाद में इक्ट्ठा होकर नहीं बैठ सके। यह हिन्दुस्तान का राजनीतिक इतिहास है। यह मेरी कहानी नहीं है। यह हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र का इतिहास है, जिसको कोई झूठला नहीं सकता। श्रीमान, आपके प्रदेश के इस्पात मंत्री ने ऐसा जाहिर किया था कि शायद वह कांग्रेस पर बहुत बड़ा अहसान कर रहे हैं कि उन्होंने विरोधी दल को माना है और कांग्रेस ने कभी नहीं माना। कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस ने तो विरोधी दल के कई नेताओं का निर्विरोध चुनाव कराया। आचार्य कृपलानी के खिलाफ किसी उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया। वह कांग्रेस के प्रधान थे और यह इसलिये किया कि विरोधी दल को नेतृत्व दे सके। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इतनी कुर्बानी की। लेकिन, हमारे देश की यह बदकिस्मती थी कि हमारे संविधान बनाने वालों ने जो आदर्श अपने सामने रखा था, प्रजातंत्र का वह हम पूरा नहीं कर सके।

श्रीमान, यह लोग बड़ी बात करते हैं कि हमने बड़ी गलतियां की। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भाई बता सकते हैं कि कभी यह सदन या दूसरा सदन

विरोधी दलों के सदस्यों से खाली रहा है ? मैं मानता हूँ कि 19 महीनों में कुछ भाई ऐसे है इस सदन के और उस सदन के भी कि जो जेलों में रहे और उनके ऊपर कुछ पाबन्दियां भी रही। लेकिन, उन घटकों के अन्य सदस्य सदन में बने रहे, यह चुटकी मारने वाले सदस्य जो आज एक करोड़ का नसबन्दी का निशाना रखते हैं। फैमिली प्लांनिंग के बजट का, वह चुटकी मार-मार कर ही चुनाव जीत गये हैं। अगर, चुनाव जीत गये थे तो शान्ति के साथ लोकसभा में बैठकर इस देश का काम चलता। मैं तो चौधरी चरण सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ कि यह कौन सा आदर्श है कि अभी तो आपका 19 सदस्यों का ही मंत्रीमण्डल है। इस 19 सदस्यों के मंत्रीमंण्डल ने क्या फैसले किये ? उन्होंने तो आंधी के आम खाने की कोशिश की। लोकसभा के चुनाव में जीत गये थे तो एक साल, जरा अपना काम दिखाते। उन्होंने अपने फैसले भी देश के सामने नहीं रखे और असेम्बलियों के चुनाव पहले करा दिये। पहले बताते कि हम बीड़ी पर टैक्स लगाना चाहते हैं। हम जनता के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। तो हम मानते कि वह आदर्शवादी हो सकते हैं। लेकिन, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपना चेहरा दिखाया नहीं। अपना काम दिखाया नहीं और आंधी के आम खाने शुरू कर दिये। पूरे देश को चुनाव में झोंक दिया। उत्तर भारत के सारे प्रदेशों को चुनाव में झोंक दिया। उसमें इनके नेतागण नहीं गये। जरा उस गर्मी का स्वाद वह भी तो लेते। आप ठण्डे कमरों में रहे और पूरे देश को गर्मी में चुनाव में झोंक दिया। इसलिए, कि आम का मौसम है। इसलिए वह आंधी के आम खा सके। अब देश को बनाने की तरफ कुछ करके दिखाना चाहिए।

जैसा मैंने अभी बताया, आदर्श क्या होना चाहिए ? इस देश की सेवा ही आदर्श होना चाहिए। 10 साल में हमारी जो पहली प्रधानमंत्री थीं। वह तकरीबल 10 साल प्रधानमंत्री रहीं। उस समय में जब वह प्रधानमंत्री बनीं थीं। हमारे देश में ये जो देहात की तरक्की की दुहाई देने वाले हैं, बजट में यह दावा करना चाहते हैं कि हमारे सिवाय देहातों की कृषि की तरक्की करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। उनको में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि 75 हजार गाँवों में बिजली थी जिस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनीं थीं। अब पौने दो लाख गाँवों में बिजली के तार बिछा करके राज की शक्ति आपके पास देकर गई हैं।

(Interruption)

SHRI G. LAKSHMANAN : Sir, provision of electricity is a State subject.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभाध्यक्ष जी, उनका भाषण टेप रिकार्ड कर लीजिए। जरा बिल पर भी बोलिये।

श्री रणबीर सिंह : इस देश में 10 लाख ट्यूवेल थे और जब वह छोड़कर गई हैं, बिजली से चलने वाले 28 लाख ट्यूबवेल थे। यही मैं बताता हूँ कि नम्बरों से आदर्श मिलता तो आंधी से आम खाने की कोशिश नहीं की जाती है। न 40 में देश की भलाई है, न 19 में है, न 50 में है। उसके सम्बंध में ही मैं कह रहा हूँ, जरा शान्ति से सुनिये.....

(Interruption)

जरा सोचिये, तभी आप आदर्शवाद कायम कर सकेंगे। अब तो देश आपका आदर्श देखेगा। हम तो आपको देखेंगे। आपकी तरह से नहीं कि नसबन्दी के खिलाफ कोई आवाज नहीं। कोई प्रश्न नहीं। सैंकड़ों ज्यादतियां हुई। विरोधी दल के किसी सदस्य ने ऐतराज नहीं किया। चुनाव आया तो ज्यादतियों का फिर खाता बताने लगे। यह चुनाव जीतने की एक चाल थी कि जब चुनाव में वोट मांगने कांग्रेस वाले जायें तो इनसे कहा कि दो केस दो और एक वोट लो। यह चुटकी वाली बात बहुत दिन नहीं चलेगी। अगर, आपको भी हमारी तरह से आगे 30 साल की सेवा करने का स्वप्न है, आपने तो अभी 10 साल रखा है, कल मुझे अच्छा लगा कि प्रधनमंत्री जी 5 साल की बात कह गये पानी देने के लिए। तो कौन आपको दस साल देगा? अगर, दस साल चाहते हों तो गाली मत दो। जिन्होंने देश की तरक्की की, जिन्होंने इस देश का नाम ऊंचा किया, दुनिया में किसी समय भी इस देश की फौज जीती नहीं थी। इस देश को जिताया। इस देश को संसार में ऊंचा उठाया। भूमिगत ऐटम का परिक्षण करा कर दुनिया में एक नमूना दिखाया। बजाये इसके कि आप उन बातें की नकल करें। उनसे शिक्षा लेकर आगे चलें। हर मामले में आलोचना करते हैं। अगर, हममें कोई गलती है तो उस गलती को छोड़े। लेकिन, आपको तो केवल काम यही हो गया है कि यह कमीशन बनाये। वह कमीशन बनायें, जैसे कल चौधरी सुलतान सिंह ने कहा रेडियो, कहानी संगीत आदि में संजय गाँधी पकड़े गये, संजय गाँधी के कारखाने पर कब्जा कर लिया गया। विधि मंत्री बैठे है, ऐसे कभी ऐसी जगह में कटेनर बरामद करके किसी को सजा दे सकते हो? किसी को देश में बदनाम कर सकते हो। उसके लिए रेडियो का दुरूपयोग कर सकते हो। लेकिन, विधि मंत्री जी को चाहिए सलाह दे कि देश का कानून क्या कहता है। उसका प्रचार करना है तो चुनाव में चुनाव के

वक्त करो। अब तो कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन, मेरे ख्याल में उनको डर है कि चुनाव एक साल में होने वाला है।

श्रीमान, इनको डर है कि यह चुनाव एक साल में होने वाला है, क्योंकि, अभी भंडारी साहब ने ऐसा ही कहा। दिल की भावना रूकती नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को बना सकते हैं। यह इरादा है आपके दिल का।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : यह आपने कहां से सुन लिया ?

श्री रणबीर सिंह : आपने कहा था।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : जो कुछ आपको कहना है बिल पर कहिये।

श्री रणबीर सिंह : नम्बर से आदर्शवाद पैदा नहीं होता।

SHRI G. LAKSHMANAN : How is it relevant to the amending Bill?

SHRI RANBIR SINGH : I am not yielding, my friend. Please sit down.

SHRI G. LAKSMANAN : How is it relevant?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKNATH MISRA) : Please sit down. He is winding up.

श्री रणबीर सिंह : जैसा मैंने आरंभ में ही कहा कि यह बिल जो है, दल-बदल के इन्तजाम के लिये नहीं है। मंत्रियों की संख्या कम करने के लिए हैं जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा। जैसा भंडारी जी ने कहा उसके लिये नहीं। मैं मानता हूँ मंत्रीमण्डलों में आदर्शवाद कायम करने के लिये है। मेरी धारणा यही है। लेकिन, हो सकता है। गलत हो। भंडारी जी, इससे सहमत न हों। मंत्रीमण्डलों के लिये आदर्श जो है वह नम्बर कम करना नहीं है। उनका आदर्श है देश की सेवा करना। देश की सेवा का काम जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं, उन सबका भी काम है। आज देश के अन्दर एक-एक संस्थान 2000 करोड़ रूपये का है। लेकिन, इस पर कोई बात नहीं की जाती। यहां पर कोई बहस नहीं की जाती और न लोकसभा में बहस की जाती। जो बड़े-बड़े संस्थान हैं, उनकी जो रिपोर्टें है उन पर कभी बहस के लिये नहीं कहा

जाता। मैं मानता हूँ यह जनता पार्टी का राज है। पर कोई दखल नहीं है इसमें आपका। जिस वक्त हम थे, हमारा भी कोई दखल नहीं था। हमारा वक्त भी कट गया और अब आपका वक्त आया है, आपका भी कट जाएगा। राज जो है वह अफसरों का रहा है और अफसरों का रहेगा। अफसरों ने ही दक्षिण में गलती नहीं की है। अफसरों ने ही नार्थ इंडिया में गलती की है। इसलिये, भाई यह राज तो अफसरों का है। हम तो चाहते हैं कि जनता पार्टी का राज हो। जनता पार्टी का राज नम्बर कम करने से नहीं हो सकता। जो काम चलता है। उस काम में दखलअन्दाजी न करे। कायदे कानून के मुताबिक जो काम होता है। वह तेजी से होता है और उसे और तेज करना हर जनता पार्टी के मेंम्बर का काम है, हमारा काम है। आपकी जो गलतियां हैं, उसको हम आपको बताएं और आपका काम यह है कि जो गलतियां आपकी हुई हैं, उनको आप मानें और उनमें सुधार करें। न कि कमीशन बैठायें। कमीशन आप किसके खिलाफ बैठाते हैं? कमीशन आप बैठाते हैं, जिन्होंने इस देश की तरक्की की, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की तरक्की की, जिन्होंने पंजाब की तरक्की की। मेरा कहना यह है आप कमीशन बैठाईये, इस बात पर कि जितने मुख्यमंत्री बने, वे कितने-कितने साल रहे और उन्होंने अपने प्रान्त की तरक्की क्यों नहीं की हरियाणा व पंजाब के बराबर?

अगर, आप देश की तरक्की करना चाहते हैं तो भंडारी साहब आप इस प्रकार के कमीशन बैठाइये। भंडारी साहब जानते हैं कि राजस्थान में जितने मुख्यमंत्री हुए वे हरियाणा के बराबर तरक्की क्यों नहीं कर सके। भगवान ने बिहार को, बंगाल को, असम को बहुत मीठा पानी जमीन के नीचे दिया। लेकिन, अनाज के लिये चावल के लिये हरियाणा की तरफ देखना पड़ता है। गेहूं के लिये हरियाणा की तरफ देखना पड़ता है। कमीशन बैठाया जाता है। हमारे खिलाफ, बंसीलाल के खिलाफ, श्रीमती इन्दिरा गाँधी के खिलाफ या उनके खिलाफ बैठाया जाता है, जिन्होंने इस देश को ऊंचा उठाया। कमीशन बनना चाहिये जो सुस्त रहे। लेकिन, उनके खिलाफ कमीशन नहीं बैठाया जाता। आप यमुना के उधर के प्रदेश को देखिये और इधर के प्रदेश को देखिये आपको मालूम होगा कहां तरक्की हुई है? इनके लिए आप कमीशन बैठाओ ताकि देश की तरक्की हो सके। जो निठ्ठले आदमी हैं उनके खिलाफ कमीशन बैठाया जाना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि सरकारी मुलाजिमों की यह भावना रहती है कि कम से कम काम करो, कोई ऐतराज नहीं करेगा। अगर, काम करोगे तो

कहीं न कहीं पकड़े जाओगे, ऐतराज होगा। जो हमारे कुछ राजनीतिक हैं। उन्होंने भी यही नीति अपना रखी है। सिर्फ टीका-टिप्पणी ही की जाये और काम की कोई बात न की जाये, यह उचित नहीं है। अगर, आप इस तरह से दूसरों पर कीचड़ फेंकते जाएंगे तो इससे किसी का भी भला नहीं होगा। आप राजसत्ता में आए हैं। इसलिए, आपको एक आदर्श कायम करना चाहिए। मैं श्री नृपति रंजन चौधरी से कहूंगा कि वे इसके लिये बिल लाएं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मंत्रीमण्डलों में मेंम्बरों की घट-बढ़ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेंम्बरों को कम करने से आप सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं। आप लोग अपने कर्मों से ही जाएंगे। हम लोग अफसरों के कारनामों की वजह से गये। लेकिन, आप लोग अपने ही कर्मों से जाएंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इनके महामंत्री कोई तो लखनऊ से कुछ बयान देता है और कोई पटना से कुछ बयान देता है। दो तीन महीनों में ही इनकी सारी तस्वीर सामने आ गई है। हमारा घर तो कुछ बिगड़ा ही था। लेकिन, आपका तो भगवान ही भला कर सकता है। हम चाहते हैं कि आप पांच साल तक कुर्सी पर बने रहें। आप लोग अब तक गाँवों की हालत सुधारने की बात कहते रहे हैं। लेकिन, मैं पूछना चाहता हूँ कि गाँवों की तरक्की के लिए आपने क्या किया है? क्या आपने ट्रैक्टरों की एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी की है? श्री भानू प्रसाद सिंह किसानों की भलाई की बात यहां पर करते रहते हैं। लेकिन, 12 परसेन्ट पर किसानों को ऋण कौन देते हैं। अब 17 परसेन्ट कर दिया गया है। ऐसी हालत में 17 परसेन्ट में किसान किस तरह से कर्ज ले सकेगा, यह बात समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि यह सरकार बनिया हो गई है। चौधरी जगवीर सिंह जी जब इधर बैठते थे तो बहुत चिल्ला-चिल्लाकर बोलते थे। लेकिन, अब वे बड़े सीधे हो गये है। हमने इनको बधिया नहीं बनाया था। जनता पार्टी के दो तीन बधियाओं के भाषण मैंने पिछले दो तीन दिनों में सुने हैं। आप उनके आज के भाषणों की तुलना कीजिये। हम तो जब उधर बैठते थे और अपनी पार्टी के उप-नेता थे तो खूब बोलते थे। सरकार को रास्ता बताते थे। लेकिन, आप लोग तो सरकार को रास्ता भी नहीं बताते हैं। मैं नहीं जानता कि यह आपका राज है या किसी और का राज है। लेकिन, यह चाहता हूँ कि राज आपका हो। लेकिन, राज तो उनका होता है, जो तनख्वाहदार है। वे लोग सबसे पहले अपने लिए सोचते हैं। चूंकि इन्सान की फितरत ही कुछ इस प्रकार की है कि वह अपने बारे में पहले सोचता है। मेरा खुद का सम्बन्ध खेती वालों से है। इसलिए, मैं हरिजनों के बारे में उतनी फिक्र नहीं करता, जितनी खेती वालों की करता हूँ। आप जानते हैं कि मजदूर-मजदूरों की चिन्ता करता है।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे विधिमंत्री महोदय इस देश में एक आदर्श कायम करने के लिये रेडियो को भी ठीक विधि के मुताबिक चलायें। मैं चाहता हूँ कि इस देश में राजनीति को भी ठीक विधि के मुताबिक चलाया जाये। अगर, आप ठीक रास्ते पर चलेंगे तो इस देश में लोकतंत्र ठीक प्रकार से कायम हो सकेगा। आप हमारी गलतियों का फायदा उठा सकते हैं और खामियों को दूर कर सकते हैं। अन्त में मेरी विधि मंत्री महोदय से यही अपील है कि वे एक सच्चा आदर्श इस देश के सामने रखें और मैं समझता हूँ कि यही इस विधेयक की भावना है।

राज्य सभा

बुधवार, 3 अगस्त, 1977 ई.*

लोकपाल विधेयक, 1977

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन भी मैं सोच समझकर करता हूँ। जहां तक विरोधी दलों के सदस्यों का सम्बन्ध है, वह चार महीने के इतिहास ने बताया कि इनके बगैर भी हमारा चलान करा सकते हैं। इसलिए, जो घबराहट है, इधर के विरोधी दल के सदस्यों को वह हमको रखनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यह सदस्यों के ऊपर रहे। इसलिए, कि जहां तक विरोधी दलों के सदस्यों का सम्बन्ध है, चार महीने का इतिहास बता सकता है कि हिन्दुस्तान की संसद और असेम्बली के सदस्यों के खिलाफ किस किस दफा में मुकदमें दर्ज हुए हैं और उनका कोई सम्बंध भी है या नहीं ?

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे पहले मुख्यमंत्री जब भारत के रक्षामंत्री बन गये थे, उस समय भिवानी में एक घंटाघर को तोड़ा गया। यहां के रक्षामंत्री का तोड़ने से क्या सम्बंध हो सकता है ? यह आप स्वयं समझ सकते हैं। रक्षा मंत्री उस रोज वहां थे या कहां थे, यह तो समय बतायेगा, जब वह अदालत में कागज जाएगा। लेकिन, उस घंटाघर के तोड़ने का मुकदमा किसी सरकारी अफसर ने अदालत में गया, हाईकोर्ट में जब रिट में गया और जिस जायेदाद को अक्वायर किया गया, उस जायेदाद का मुआवजा दिया गया। मुआवजा अगर, कम है तो अदालत में जाता। लेकिन, उसमें एक प्राइवेट इस्तगासा चोरी और डकैती का दर्ज कराया जाता है। संसद सदस्य के

**Rajya Sabha, Lokpal Bill, 1977, 3 August 1977, Page 290-294*

खिलाफ। इसलिए, विरोधी दल के सदस्यों को इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। यह घबराहट कि प्रधानमंत्री के कागज केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के सामने आयेंगे, इससे भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि, प्रधानमंत्री कभी कोई एक इस देश में रहा नहीं। न रहने वाला है। अगर, वह कागज बनेगा तो कागज के ऊपर पाँच साल के बाद, चार साल के बाद कार्यवाही की जा सकती है। अगर, किसी मंत्रीमंडल के सदस्यों के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के कागजात हैं और लोकायुक्त उनके बारे में मंत्रीमण्डल को लिखता है और वह मंत्रीमण्डल उन कागजात को दबा देता है तो जो नया मंत्रीमण्डल आएगा वह उन कागजातों की आसानी से तलाशी कर सकता है। जैसा कि जनता पार्टी की सरकार तलाश कर रही है। यहां तक कि जमीन के नीचे रखे हुए कागजों को भी निकाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में घबराहट की कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि प्रवर समिति के पास यह बिल नहीं भेजा जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी से मैं इस बात से सहमत हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बिल को पास किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें किसका नाम होना चाहिए? यह भी कहा गया कि केन्द्र में जिस पार्टी की सरकार होगी, उनके दबाव में आकर के राज्यों के मुख्यमंत्री काम करेंगे और उनकी आजादी पर रोक लगेगी। मैं समझता हूँ कि इन सब विचारों में कोई बहुत बड़े तथ्य नहीं है। सिर्फ सोचने का फर्क है। जो पार्टियां इस देश को एक कौम का न माने। कई नेशनलिटी का माने। भारतीयता को एक न माने। उनके प्रति कोई रोक होनी चाहिए या नहीं। इस पर विचार करने की जरूरत है।

मैं मानता हूँ कि जैसा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि उन पर रोक होनी चाहिए। मुश्किल यह है कि इस देश में बड़ी मुश्किल से जो नक्शा तैयार किया गया था और बड़े प्यार और प्रेम से इस देश के मुख्तलिफ हिस्सों को एक करने की जो कोशिश की गई है, जनता पार्टी की सरकार ने इन चार महीनों में उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश मजबूत हो। इसलिए, यह जरूरी है कि मुख्यमंत्रियों के ऊपर कोई न कोई अंकुश होना चाहिए। मुझे किसी मुख्यमंत्री से प्यार नहीं है। मुझे अपने देश से प्यार है।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहा कि केन्द्र में जिस पार्टी की सरकार है, अगर, इसके विपरीत राज्यों में विरोधी पक्ष की सरकारें होंगी तो उनके खिलाफ मुकदमें चलाये जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि मुकदमें तो इस वक्त भी चल रहे हैं और बनाये जा रहे हैं। इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है। जनता पार्टी के सदस्यों को और जनता पार्टी के मंत्रियों को यह भ्रम है कि हमारी तरफ बैठने वाले

सदस्य इसकी मुखालफत करेंगे। हमने इस कानून का समर्थन किया है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज इसको समझने की आवश्यकता है।

जैसा शर्मा जी ने कहा है, एक बात से मैं सहमत हूँ कि इस बिल में जुर्माने की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें जमानत जब्त करने की बात भी नहीं होनी चाहिए, ताकि जो भी शिकायत करना चाहे, उसके सामने कोई रोक, रूपये की कमी नहीं होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और फिर भारत सरकार से सिफारिश करता हूँ कि अगर, यह बिल प्रवर समिति में जाता है तो अगले सेशन के बीच में ही इसको सदन में आना चाहिए? मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के सदस्यों की यह भावना और कोशिश होगी कि इस बिल को खटाई में डाला जाये। उनके मंत्रियों की भी यह कोशिश होगी कि इस बिल को खटाई में डाला जाये। जो विरोधी दल के सदस्य है, उनसे में प्रार्थना करता हूँ कि इसको जल्दी पास कराने की कोशिश करे।

श्री प्रेम मनोहर (उत्तर प्रदेश) : क्या आपको अब अपना मुँह शीशे में दिखाई दे रहा है, जो इस तरह से कह रहे हैं?

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, हमने आईने में अपना मुँह अच्छी तरह देख रखा है। जरा माननीय सदस्य अपना भी मुंह देखें। हमारा मुँह तो देखा गया। अब आप अपने आपको ठीक करो। हमारा इससे आगे अभी कुछ बनने वाला नहीं है। आप अपनी फिक्र करो। अपना मुँह रोशनी में, आईने में देखकर आईये। हिमाचल प्रदेश में जो श्यामा शर्मा मंत्री हैं, उनके ऊपर आपने एक घटक के भाईयों ने हमला कराया और फिर चरित्र हनन की बात कर रहे हैं। हमें लोगों ने देख लिया है और भोग लिया है, अब आप देखिये।

श्री चरण सिंह : हमारा चेहरा देखने लायक है ही नहीं।

श्री रणबीर सिंह : चौधरी साहब, यह बात नहीं। मैंने आपकी ताईद की थी। इसको प्रवर समिति में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक से हमारे विरोधी दलों के सदस्यों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे जनता पार्टी के सदस्यों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, हमारे लिये कई कानून है। वह हमें किसी भी कानून से जेल करा सकते हैं। इसलिये, हमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए और अगर, किसी को घबराहट हो रही है तो वह गलतफहमी में है।

राज्य सभा

मंगलवार, 9 अगस्त, 1977 ई.*

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा हमारे प्रदेश हरियाणा में बाढ़ ने 11 पुरूषों की जान ले ली है, 283 के करीब पशु मर चुके है और करीब 12 से 15 लाख एकड़ जमीन पानी के नीचे हैं। एक-तिहाई गाँव है, वहां पर बाढ़ का असर है।

उपसभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में तबाही क्यों आई ? इसके साथ-साथ जैसा अभी इन्होंने कहा कि ढ़ांसा बांध को इन्होंने ऊंचा किया, एक मीटर ऊंचा किया, इन्होंने ढ़ांसा बांध के साथ, ढ़ांसा लेक कहा जबकि ढ़ांसा लेक जैसी कोई चीज नहीं है। ढ़ांसा से दूसरी तरफ एक इंच भी जंगल जमीन नहीं है। वहां गाँव बसते हैं, हरियाणा के। देश की रक्षा के लिये इस हरियाणा के हजारों जवानों ने कुर्बानी की, अफसरों ने कुर्बानी की। फौज की मदद लेकर उसी हरियाणा को डुबोने की इस सरकार ने कोशिश की, जिसका सही इलाज हो सकता था, वह इन्होंने नहीं किया। अभी इन्होंने बताया कि यमुना के पानी का स्तर ऊंचा हो गया, इसलिये, पानी उसमें ज्यादा नहीं गया और दिल्ली शहर की कई एक कलोनियों में गन्दा पानी चढ़ा। उपसभापति जी, जिस तीन हजार क्यूसिक पानी को ढ़ांसा बांध में छोड़ा गया था, उसी कारण बाढ़ आई है ढ़ांसा बांध को ऊंचा कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि यह बात हरियाणा के हितों के खिलाफ थी। वहां पर जो रेगुलेटर था, उसमें से आज छः हजार क्यूसिक पानी जाता है। लेकिन, उसमें आरम्भ से ही 6 हजार

**Rajya Sabha, Statement by Minister, 9 August 1977, Page 226-229*

क्यूसिक पानी छोड़ दिया जाता तो कम पानी इकट्ठा होता। ऐसा न करने का परिणाम यह है कि बहुत से गाँवां में बाढ़ आ गई है और गाँव पानी में डूब गये है। यह पानी साहिबी नदी का है। दूसरी तरफ राजस्थान में एक नदी है, जिसमें मेंवात के इलाके का पानी आता है। आपने खिलुका रेगुलेटर को पूरा खुला नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से यह कोशिश हो रही है कि हरियाणा की परवाह न की जाये और वहां के लोगों को पानी में डूबने दिया जाये, क्योंकि, वहां के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सेन्ट्रल कैबिनेट में हरियाणा का कोई नुमाइन्दा नहीं है। जिस तरह से किसी व्यक्ति का जब कोई वारिस नहीं होता है तो उसको कोई नहीं पूछता है। यही हालत हरियाणा की भी हो गई है। चूंकि भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व रक्षामंत्री के खिलाफ यह सरकार है, इसलिये, हरियाणा को भी परेशान किया जा रहा है। ये लोग हरियाणा प्रदेश को डुबोना चाहते हैं। यह जनता की सरकार हरियाणा का भला नहीं कर सकती है। किसाऊ डेम के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सन् 1963 में जब मैं पंजाब के मंत्रीमण्डल मैं मंत्री था, तब यह डेम बनाने की योजना बनी थी। उपसभापति जी, आप जानते हैं कि सन् 1924 में जब सर छोटू राम पंजाब में वजीर रहे थे तो उस वक्त से इस डेम की बात चल रही थी। भाखड़ा डेम बन गया। लेकिन, किसाऊ डेम का काम नहीं किया जा रहा है। सन् 1924 से लेकर आज तक 53 साल हो गये है। हमारे होम मिनिस्टर भी इसी इलाके के हैं। लेकिन, फिर भी यह काम अभी तक रुका हुआ है।

आज हालत यह है कि हरियाणा को बचाने वाला कोई नहीं है। दिल्ली को सब बचाना चाहते हैं। लेकिन, हरियाणा की परवाह नहीं की जा रही है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली को बचाने के लिए हरियाणा को डुबाया जा रहा है। इनकी जो यह सोच है कि ढ़ांसा बांध को ऊंचा करके दिल्ली को बचाया जा सकता है, यह ठीक नहीं है। आप इस तरह से दिल्ली को बाढ़ से नहीं बचा सकते हैं। जब तक आप साहिबी नदी नदी के ऊपर बांध नहीं बनाते हैं और यमुना नदी पर बांध नहीं बनाते हैं, तब तक समस्या हल होने वाली नहीं है। आज हालत यह है कि हमारे प्रदेश को पानी में डुबाया जा रहा है और उसी तरह से राजस्थान को पानी में डुबाया जा रहा है।

एक महीने बाद पानी की ज्यादा जरूरत होगी। यह बात विचार करने की है कि कितना पानी हरियाणा के और दूसरे प्रदेशों के गाँवों की सिंचाई के लिए मिल सकेगा। (रात्रि के 8 बजे) यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। जब 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, तो उस समय कानून बना था। उसके तहत यह फै सला हुआ कि

फिरोजपुर हैड वर्क्स, हरी-के हैड वर्क्स और रोपड़ हैड वर्क्स का प्रबन्ध भाखड़ा मेंनेजमेंट को दिया जाये, ताकि पानी का ईमानदारी से बंटवारा हो सके और दिल्ली को पीने का पानी मिल सके। दिल्ली बाढ़ के पानी से बच सके। लेकिन, 11 साल हो गये, जो यह कानून था, इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। इसलिये, मैं आपके मार्फत जनता सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर, वह चाहती है कि हिन्दुस्तान जो है, वह मजबूत रहे, उसकी शोभा बढ़े तो हिन्दुस्तान के सभी भाग तरक्की करें। हमारे देश के बड़े-बड़े नेता हैं। वह दिल्ली में रहते हैं। अगर, आपको दिल्ली को बाढ़ से बचाना है तो किसाऊ बांध बनाना शुरू करे। साहिबी नदी के ऊपर डैम बनाना शुरू कीजिए, वरना दिल्ली शहर डूबता रहेगा और दिल्ली को बचाने के नाम पर हरियाणा को डुबोते रहेंगे।

मेरी प्रार्थना है कि सरकार हरियाणा को न डुबोये और यह जो बदनामी है, यह न उठाये। हमारी आज दिन कोई पूछ नहीं है। क्योंकि, यहां हमारा न कोई छोटा मंत्री है और न कोई बड़ा मंत्री। पहले हरियाणा वालों को यहां पूरा वजीर बनाते थे। यहां हमारे यहां का डिफेंस मिनिस्टर था। लेकिन, उसको हराने वाले को यहां चौकीदार भी नहीं बनाया गया, जबकि अन्य प्रदेशों में छोटे-छोटे मंत्रियों को हराने वाले को जनता सरकार ने पूरा वजीर बना दिया। यह जनता पार्टी का न्याय है। जनता पार्टी क्या चाहती है। वह हरियाणा के साथ क्या बर्ताव करना चाहती है, इस बात पर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ बसता है। दिल्ली को घेरने में हमको कोई मुश्किल नहीं है। अगर, आप चाहते हैं तो हम दिल्ली को घेर भी सकते हैं।

राज्य सभा

शुक्रवार, 26 अगस्त, 1977 ई.*

वित्त (नं. 2) विधेयक, 1974

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए वित्तमंत्री दूसरा वित्त विधेयक लाए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए कि इस आर्थिक संकट में हम कैसे दाखिल हुए और इस आर्थिक संकट का असल कारण क्या है?

बहुत से अर्थशास्त्री, आर्थिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि रूपए का ज्यादा प्रसार होने की वजह से देश में आर्थिक संकट आया। उनसे मैं इतना ही निवेदन कहना चाहता हूँ कि 1943 में देश में गेहूं का भाव कम था, मुश्किल से 8, 10, 11 रूपया मन था, जब बंगाल में 33 लाख भाई भूख से मर गए थे। देश में आर्थिक संकट जो आया है, वह खेती की पैदावार में कमी होने की वजह से आया है। हमें सोचना होगा कि खेती की पैदावार क्यों घटी है? इसके लिए किसान दोषी है या इसमें सरकार की मशीनरी दोषी है या यह इन दोनों की शक्ति से बाहर की बात है।

आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में कोई 75 प्रतिशत भूमि ऐसी है, जिसकी खेती भगवान की बारिश के ऊपर मुनहसिर है। भगवान की बारिश के लिए जब कुपित दृष्टि होती है तो देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होती दिखाई देती है। 1970-71 में जब देश में ज्यादा अनाज पैदा हुआ तो कुदरत ने मदद की थी किसान की मदद की थी, सरकार की मदद की थी। उस वक्त

**Rajya Sabha, Finance (No. 2) Bill, 1974, 26 August 1977, Page 206-213*

सबने सोचा कि हमने हरी क्रांन्ति कर ली। उस वक्त हमने सोचा नहीं कि जब कुदरत की कुपित दृष्टि होगी तो हम इतना अनाज पैदा कर सकेंगे या नहीं ?

आज हम देखते हैं कि देश में पैदावार की कमी के कई कारण है। देश में पैदावार की कमी का कारण बिजली की पैदावार में कमी है, जबकि उसकी खपत ज्यादा बढ़ गई है। बचत करने का तरीका सोचा सरकार ने। लेकिन, पाबन्दी लगाई हरियाणा में। पानीपत का थर्मल प्लान्ट बनने जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक से हमारा सौदा हुआ कि साढ़े 6 करोड़ रूपया उससे ऋण लेंगे। बिजली की पैदावार कारखाने की पैदावार के लिए जरूरी है, खेती की पैदावार के लिए जरूरी है। लेकिन, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर पाबन्दी लगा दी गई कि वह पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज नहीं उठा सकता। पाबन्दी लगानी चाहिए जहां जरूरत हो। अगर बिजली की पैदावार बढ़ाने के ऊपर कोई पाबन्दी लगती है तो आने वाले वर्षों में हमारी हालत और खराब होगी। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूगा कि जहां पाबन्दियां जरूरी हों, वहां लगाएं। जहां खर्चा घटाने की आवश्यकता हो वहां घटाएं। लेकिन, ऐसी जगहों पर नहीं।

अभी जिक्र किया रबी राय जी ने-अब उन्हें बी.के.डी. का कहें, बी.एल.डी. का कहें, सोशलिस्ट कहें....।

श्री बाबूभाई एम. चिनाई : कुछ कहो नहीं। ऐसे ही बोलो।

श्री रणबीर सिंह : उन्होंने जिक्र किया रेलमंत्री जी का, भ्रष्टाचार का। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश में जितने राजनीतिक तत्व थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर-कांग्रेस (ओ.) के भाई शायद उनके साथ कुछ थे, कुछ नहीं थे-उन सबने मजदूरों के हित के खिलाफ देश की आर्थिक स्थिति को तबाह करने के लिए देश में रेल हड़ताल कराने की कोशिश की, रेल का पहिया जाम कराने की कोशिश की। अगर, इस देश के कानून से किसी को सीधा करना चाहिए तो उन शक्तियों को करना चाहिए जो देश की आर्थिक स्थिति को खराब करना चाहती है। ताकि उनको राज्य की गद्दी मिल सके। प्रजातंत्र में किसी की गद्दी सुरक्षित नहीं। हर पांच साल के बाद लोगों के पास जाना पड़ता है। कुछ भाई हैं। फिर मनगढ़न्त कहानियां गढ़ी जाती है। ताकि पांच साल से पहले ही उथल-पुथल हो जाये। यह राजनीतिक तत्व है। यह भाई हैं जिनके लिए महात्मा जी कह गये कि इस देश में हमको बच्चों को राजनीति मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकारी मुलाजिमों को राजनीति मैं इसतेमाल नहीं

करना चाहिए। लेकिन, हमारे यह राजनीतिक तत्व जो कांग्रेस पार्टी से मात खा गये वह देश में बच्चों का इस्तेमाल यहां की राजनीति में करना चाहते हैं। यहां क्रांति उनके सहारे लाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि सरकारी मुलाजिम ही इस देश में क्रांति ला सकेंगे। उनको अपने ऊपर अब कोई हौंसला रहा नहीं...।

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) : 9 अगस्त की रैली में आपने क्या किया था?

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, बनारसी दास जी को पता नहीं कि 9 अगस्त को क्या हुआ था? डा. कुरियन साहब कहते तो बात कुछ समझ में आ सकती थी। 9 अगस्त को देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम चले थे। उस दिन हमने अपने घर छोड़े थे। 9 अगस्त का दिन देश के लिए एक मुतबर्रिक दिन है और उस दिन एक कोशिश होनी चाहिए कि देश में जार्ग्रति पैदा हो, जो सुस्ती हमें आ गयी है, उसको हटाया जाये। यह कोई बुरा काम नहीं था और अगर, इस प्रयास में उसमें किसी ने ऐसे तत्व दाखिल कर दिये जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं था, जैसा कि हमारे सरदार अमजद अली साहब ने बतलाया कि उनका अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, तो वह बात दूसरी है। लेकिन, यह 9 अगस्त की रैली किस लिये की गयी, इस बात को आपको सोचना चाहिए। क्या हमारा ध्येय गलत था या इससे आप मुतफिक है। इस बात पर आप सोचें। मैं निवेदन कर रहा था कि हम आर्थिक संकट में क्यों फंसे? इसलिए, कि हमारी खेती की पैदावार कम हो गयी और जब खेत की पैदवार कम हो गयी तो भाव बढ़ने के कारण हमको सरकारी मुलाजिमों को मंहगाई भत्ता देना पड़ा। मंहगाई भत्ता देते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए और सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह का लिजो जो है, वह सारे देश की आर्थिक स्थिति को दरहम बरहम करने की तरफ ले जा रहा है। बहुत से भाई हैं जो एक तरफ कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाइये, दूसरी तरफ कहते हैं कि टैक्स न लगाया जाये और तीसरी तरफ कहते हैं कि रूपये का प्रसार न किया जाये। कौन सा जादू का डंडा वह हमारे वित्तमंत्री जी को देना चाहते हैं, जिससे टैक्स भी न लगे, रूपये का प्रसार भी न हो और देश की उन्नति भी हो और यहां का खर्च भी कम हो जाये। यह ज्ञान तो शायद उनके ही पास है, जिसको वह किसी और को देना नहीं चाहते। हड़ताल बंद करने की बात है। यह एक रिट्रोग्रड बात है। यह प्रोग्रेसिव बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका देश जिसकी वह बहुत प्रशंसा करते हैं, उस चीन में क्या रेल के मजदूर को हड़ताल करने का हक है? क्या रूस के रेल मजदूर को हड़ताल करने का हक है? कभी पिछले इतिहास में उन्होंने वहां हड़ताल की है। अजीब हालत है। हम समझ सकते हैं कि बिरला के कारखाने में,

टाटा के कारखाने में, जो 93 मोनोपोली हाउसेज है, उनमें मजदूरों को कभी हड़ताल करनी पड़े। वह बात समझ में आ सकती है। लेकिन, देश का कारखाना, देश के मजदूर और वह अपना फैसला हड़ताल से कराना चाहते हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको समर्थन दे रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश में मंहगाई कौन कर रहा है? वही भाई करा रहे हैं। जो देश के आर्थिक ढ़ांचे को दरमह बरहम करना चाहते हैं। कुरियन साहब ने एक दफा कहा था और कई और दोस्तों का ख्याल है कि शायद हमारी सरकार को शौक है, पुलिस की शक्ति बढ़ाने का।

हमारे देश में 1950 में जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस थी, उस पर 3 करोड़ रूपया खर्च होता था, आज उस पर 170 करोड़ रूपया खर्च करने पर सरकार मजबूर हुई। इसी तरह से स्टेट्स की जो पुलिस है, उसके ऊपर 1946 में 13 करोड़ रूपया खर्च होता था। आज उनके ऊपर 313 करोड़ रूपया खर्च करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है किसलिए? इसलिए, कि कुछ राजनीतिक तत्व जो हमारा संविधान है, उसके खिलाफ बातें करते हैं, जिससे उनको कुर्सी मिल जाये, चाहे देश तबाह हो जाये। यही भावना रखकर आज देश में वे तरह-तरह की कहानियां गढ़ते हैं। मनगढ़ंत बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं। हड़ताल करो। दूसरी तरफ कहते हैं। तनख्वाह बढ़ाओ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में बहुत सारे भाई है और खास तौर से हमारे देश के जो अर्थशास्त्री या आर्थिक विशेषज्ञ है, उनका भी एक ख्याल है कि किसान के ऊपर टैक्स बहुत कम है ऐसे भाई आंकड़ों की बात करते हैं। और किसानों की बात कहते हैं। यह देश तो किसानों का है। मैं यह मानता हूँ और मुझे बताया कि इस देश में कपड़े का उद्योग है, चीनी का उद्योग है और दूसरे उद्योग है। खेती भी एक उद्योग है, चीनी का उद्योग है और दूसरे उद्योग है। कोई उद्योग प्रोटेक्शन के बगैर बढ़ा है? प्रोटेक्शन देना पड़ा। खेती सबसे ज्यादा आदमियों का उद्योग है। फिर एक नयी कहानी चलाई जाती है कि किसानों के ऊपर टैक्स बहुत कम है बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ इस बात की कहानी गढ़ते हैं। बात साफ है, एक तरफ वे भाई हैं, जिनकी माहवारी तनख्वाह नहीं है। जो मेहनत करते हैं। मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत से रोजी कमाते हैं। दूसरी तरफ वह भाई है, जिनको महीने के महीने तनख्वाह मिलती है। वह मंहगाई भत्ते की मांग करते हैं। मंहगाई भत्ता उनका बढ़ता है। यह अभी बहुत से भाईयों ने बताया कि 83 फीसदी टैक्स जितना हिन्दुस्तान का टेक्सेशन का है, वह अप्रत्यक्ष कर से आता है। में कुरियन साहब से और दूसरे विशेषज्ञ है, उनसे पूछता हूँ कि क्या किसान नंगा रहता है। क्या किसान दूसरी चीजें

इस्तेमाल नहीं करता है? में मान सकता हूँ कि 83 परसेंट में हमारी आबादी के मुताबिक हिस्सा न हो क्योंकि, हमारे कुछ भाई गरीब है। लेकिन, 83 परसेंट जो टैक्स है, उसमें से 60 फीसदी टैक्स किसान अदा करता है। यही नहीं, जो स्टेट्स में टैक्स है, वह भी किसान अदा करता है। इसके बावजूद यह मानना कि किसान के ऊपर टैक्स बहुत कम है, यह कोई समझ की बात नहीं है।

उप-सभाध्यक्ष (श्री बिपिन पाल दास) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रणबीर सिंह : उप-सभाध्यक्ष जी, जैसा आपने कहा था, यह बहुत जरूरी है आप मुझे पांच मिनट और दे दे।

उप-सभाध्यक्ष (श्री बिपिन पाल दास) : पांच मिनट नहीं। एक मिनट।

श्री रणबीर सिंह : एक मिनट में बात पूरी नहीं होगी।

उप-सभाध्यक्ष जी, आज कहा जाता है कि बिजली बोर्डों के ऊपर जितना खर्चा है, वह पूरा नहीं कर सकते। बिजली बोर्ड बिजली देते हैं। कूलर के लिए भी देते हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए भी देते हैं। मैं वित्तमंत्री जी से कहूंगा कि जरा उसका टैक्स बढ़ाये। उसका यूनिट दर ;रेटद्ध बढ़ाये। जब मेरे पास पंजाब में सिंचाई और बिजली विभाग था, मैंने उसका दाम बढ़ाने की कोशिश की थी। गरीब आदमी को 34 पैसे यूनिट बिजली देनी पड़ती है। हमने सबको उसी भाव से बिजली देने की कोशिश की थी। हमारे प्रदेश का उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी था, वह भी कहता था कि यह गलत काम करते थे क्योंकि, टैक्स लगता था तो उनकी जेब से भी निकलता था। मैं चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड का फाइनेंस ठीक हो। लेकिन, वह ठीक कैसे होगा? वह फाइनेंस ठीक होगा, जब घरेलू इस्तेमाल की बिजली के भाव (रेट) को बढ़ाया जाए। उसको इतना किया जाए जितना कि गरीब आदमी से लिया जाता है। बिजली जो ज्यादा खर्चा करता है। जो कमरे को गर्म और ठण्डा करता है। जो उससे भी उसी हिसाब से खर्चा लिया जाए, तो देखना होगा कि बिजली बोर्ड का फाइनेंस-वित्तीय अवस्था ठीक होगा कि नहीं।

उपसभाध्यक्ष जी, इसी तरह से नहरों के पानी की बात है। इस देश में अनाज कम पैदा हुआ। देश आर्थिक संकट में फंस गया है। हमको फिक्र है हम पानी का इंतजाम करके अन्न की पैदावार बढ़ाये। इसी तरह देश को फिक्र होनी चाहिए। देश में खेती की पैदावार बढ़े और अनाज की पैदावार और दूसरी चीजों की पैदावार बढ़े।

ताकि इस देश का आर्थिक ढ़ांचा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसका तरीका यह नहीं है कि किसान को चीजें हम महंगी दे।

सभाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में सरकार कहती है कि किसान बड़े साहूकार हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्टेट फार्म हैं, उनका क्या हिसाब किताब है? उनकी क्या आमदनी है? देश का करोड़ों रूपया आपने उनको दिया है। उतना रूपया आपने किसानों को दिया है? अगर, नहीं तो जरा इस बात को सोचा जाए। कुछ भाई कहते हैं कि किसान को बड़ी बचत है और उसके ऊपर टैक्सेशन कम है तो हमारे जो इकानोमिस्ट हैं, वे इस बात को देखे। मैं आपकी मार्फत मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जितने हमारे सरकारी फार्म हैं, उन सात फार्मों का जिक्र इसमें किया गया है, जो यह रिपोर्ट है कमेटी आन पब्लिक अंडरटेकिग की, इसमें यह लिखा है.....।

उप-सभाध्यक्ष (श्री बिपिन पाल दास) : बिन्दु बता दीजिए। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री रणबीर सिंह : मैं आपको बिन्दु ही बता रहा हूँ। यह जो भाई कहते हैं कि किसान को ज्यादा आमदनी है, वे बताएं किसानों को क्या इन्वेस्टमेंट है? उनके मुकाबले में जो सरकारी फार्म है, उनको सरकारी बढ़िया बीज मिलते हैं। सरकार के वहां अच्छे विशेषज्ञ हैं। जब वे आमदनी में नहीं हो सकते तो किसान कैसे हो सकते हैं।...

उप-सभाध्यक्ष (श्री बिपिन पाल दास) : अब काफी हो गया है अब आप खत्म करिए।

श्री रणबीर सिंह : आप मुझे पढ़ने भी नहीं देते....

उप-सभाध्यक्ष (श्री बिपिन पाल दास) : नहीं। आप इसे नहीं पढ़ सकते। आपने अपना पोइन्ट कवर कर दिया है।

श्री रणबीर सिंह : मैं इसे जरूर पढूंगा। 118 सफा पर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट में है....।

उप-सभाध्यक्ष (श्री बिपिन पाल दास) : इसको वित्तमंत्री जी खुद पढ़ लेंगे।

श्री रणबीर सिंह : यह बहुत जरूरी है। इसे में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

उप-सभाध्यक्ष (श्री बिपिन पाल दास) : आपके 25 मिनट हो गये हैं।

श्री रणबीर सिंह : आप कहते हैं। मैंने 25 मिनट लिए हैं। आप बताइए आपने खुद कितने मिनट लिए हैं। सभापति जी यह अन्याय नहीं हो सकता।

उप-सभाध्यक्ष (श्री बिपिन पाल दास) : मैंने कहा है आप बैठ जाईये।

श्री रणबीर सिंह : कल को इस बात पर हल्ला होगा। यहां पर कुछ लोगों को मोनोपली हाउसिज के खिलाफ गिला है और मुझे सदस्यों के लिए टाइम मोनोपली हाउस बन गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPINPAL DAS) : I am on my legs. I cannot allow this. I am calling the nesat speaker. Yes, Mr. Bhupesh Gupta.

राज्य सभा

सोमवार, 14 नवम्बर, 1977 ई.*

बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि विधेयक तो बड़ा साधारण सा है। लेकिन, मैं मानता हूँ कि यह नीति निर्धारण का एक नया विषय, नयी सरकार बनने के बाद जाहिर करता है। इसमें मुझे यह समझ नहीं आया कि यह बेतवा के बारे में तो पहले जो तरीका था, उसको कायम रखना चाहते हैं। लेकिन, थाई के बारे में अभी जो कि बनना शुरू हुआ है, यह दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं। हो सकता है, माननीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री महोदय एक प्रदेश से आते हैं। जैसा कि उन्होंने कह रखा है कि जिन प्रदेशों की सरकारों का सम्बंध है, चाहे बिजली के मंत्री हों, चाहे सिंचाई के मंत्री हो, उनका उसके बोर्ड में स्थान रखा है। इसी तरह से थाई डैम जिसमें आपका प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इन सारों का सम्बंध था और जो पानी उसमें इकट्ठा होगा, वह इन तीनों स्टेटस में बंटेगा। इसके साथ-साथ इस पानी में दिल्ली के लिए पीने के पानी का हिस्सा है तो इन सारे प्रदेशों को नुमांइदगी मिलनी चाहिए। लेकिन, यह एक अजीब बात हो गई है। चूंकि, मंत्री महोदय बिजली के मंत्री नहीं है। लेकिन, बिजली पैदा करने की तबदीली की वजह से वह विधेयक स्वयं लाए हैं। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाखड़ा डैम की योजना बनाई गई थी, उस समय एक उसूल तय किया गया था कि बिजली में हिस्सा उतना ही था,

---

**Rajya Sabha, Betwa River Board (Amdt.) Bill, 1977, 14 November 1977, Page 168-170*

जितना कि स्टोर्ड वाटर बांध के पानी में होता है। डैम बनने से जो पानी उसमें इकट्ठा किया जाएगा, उसमें जितना हिस्सा किसी प्रदेश का था, उतनी बिजली की पावर का हिस्सा रख गया।

आपके प्रदेश का और इकट्ठा पंजाब का, उस समय पैप्सू उससे अलग था तो उसका उसी तरह से हिस्सा रखा गया। बाद में जब पैप्सू और पंजाब इकट्ठे हो गया तो पंजाब और पैप्सू का जितना हिस्सा बनता था, उसके मुताबिक बिजली का हिस्सा रखा गया। लेकिन, उसके बाद 1966 में जब पंजाब बंटा तो हरियाणा का जितना पानी या स्टोरड वाटर सप्लाई में हिस्सा था। वह पानी तो उतना ही मिलेगा। लेकिन, बिजली का हिस्सा हमको उतना नहीं मिलेगा। यह उस वक्त के फैसले के विरोध में आज जो थाई प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम करना शुरू किया है, उसमें न राजस्थान के लिए जगह है और न हरियाणा के लिये। ऐलान यह किया है कि बाद में फैसला होगा। जब अभी से पैदा होने वाली बिजली को बांट लिया है तो बाद में फैसला किस चीज का होगा? यह हरियाणा और राजस्थान के लोगों को धोखा देना है, वह राजस्थान और हरियाणा जिनके जवान हिन्दुस्तान की रक्षा करते हैं और हर वक्त आगे रहे हैं, उनको इस तरह से भुला दें। यह इस मंत्रालय के लिए सही नहीं था। अत: मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि भाखड़ा में जो हरियाणा का बिजली का हिस्सा है, वह हिस्सा दिलाने में सिंचाई मंत्रालय हमारी मदद करें। थाई डैम के लिए भी इसी तरह से एक बोर्ड का गठन किया जाये, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अगर, हो सके तो दिल्ली व इन सारे प्रदेशों के नुमाइंदे और बिजली के वजीरों या सिंचाई के मंत्रियों को रखा जाये। जिस तरह से भाखड़ा व्यास, प्रोजेक्ट एक्जीक्यूट हुआ, ब्यास कन्ट्रोल बोर्ड के तहत, इसी तरह से थाई डैम का भी उन्हीं के सुपुर्द किया जाये। इस निवेदन के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

राज्य सभा

सोमवार, 5 दिसम्बर, 1977 ई.*

शत्रु संपत्ति (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभाध्यक्ष जी, विधेयक तो बहुत साधारण है और जैसा खान साहब ने कहा था, विधेयक का नाम बड़ा खतरनाक है-'दुश्मन की जायेदाद। किस दुश्मन की जायेदाद है? डा. जाकिर हुसैन खुद जो हमारे प्रधान थे, राष्ट्रपति थे, उनके भाई पाकिस्तान में थे। इसी तरह से भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फखरूद्दीन अली अहमद के बहुत से रिश्तेदार पाकिस्तान में है। वे सब हमारे दुश्मन हो गये। यह किस तरह का विचार है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और फिर से बसाने की इसके पीछे जो धारणा है, उसके संबंध में भी विचार करने की जरूरत है जैसा दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है, जहां तक फिर से बसाने का संबंध है, हमदर्दी के नाम पर पिछले 30 सालों में काफी गलत काम हुए है। जिस वक्त शाही जी बोल रहे थे तो मैंने यह कहा था कि कुछ भाईयों को यहां से खदेड़ दिया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि आप जैसे जिम्मेंदार सदस्य को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन, वे इस बात को भूल गये कि उधर से आने वालों को बसाने मैं यहां से वहां जाने वालों में दिक्कत का सामना करने वालों में अगर, कोई पहला प्रदेश था तो वह हमारा पंजाब प्रान्त था। वहीं पर सबसे पहले लोगों को बसाने का काम शुरू हुआ। अगर, इस सारी कहानी को देखा जाये तो एक अजीब सी स्थिति दिखाई देती है। हमारी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। हम अपने देश में संविधान के मुताबिक धर्म, जाति, या इस प्रकार की अन्य बातों में भेद नहीं करते हैं। लेकिन, हमारे राष्ट्रपति के भाई को यहां पर जायेदाद नहीं मिल सकती है। श्रीमान, हमारे एक साथी थे, जिनका जिक्र कृष्ण मेंनन साहब

**Rajya Sabha, Enemy Property (Amendt.) Bill, 1977, 5 December 1977, Page 170-175*

ने यू.एन.ओ. में भी किया था। वे थे श्री अब्दुल गफ्फार खां जो अम्बाला के रहने वाले थे और सन् 1947 में जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई तो उनके भाई हिन्दुस्तान से खदेड़ दिये गये। वे यहां पर अकेले रह गये। वे हमारे साथ देश की आजादी के लिए जेलों में रहे। देश की आजादी के आन्दोलन में उन्होंने बराबर का हिस्सा लिया। हमारे देश की सरकार ने उनको स्वाधीनता सेनानी मानकर बाद में सहायता दी। वे हरियाणा सरकार मैं मंत्री भी रहे उनका देहान्त जून, 1976 में हुआ। उनके एक सुपुत्र है और एक लड़की है। ये लोग उनकी जायेदाद के हकदार हैं। लेकिन, वे पाकिस्तान में हैं, क्योंकि, वे पहले ही यहां से खदेड़े जा चुके हैं। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके उनके पुत्र और पुत्री को हिन्दुस्तान में बुलाया और आखिर में 15-20 साल के बाद उन लोगों ने दर्शन किये। खां साहब इतने सख्त थे कि उनके पत्रों का जवाब भी नहीं देते थे और न उनको पढ़ते थे। जो लोग पाकिस्तान चले गये थे उनको हम एवेक्यू कहते हैं। जायेदाद का यह कायदा है कि जिसका उसमें हिस्सा होता है, उसको वह हिस्सा मिल जाता है। इस कायदे के मुताबिक उनको जायेदाद का हिस्सा मिल गया। लेकिन, अम्बाला में उनकी जो जायेदाद थी वह उनके पास ही रह गई। मेरे पुत्र को यह अधिकार है कि वह मेरी जायेदाद का हकदार है। लेकिन, इसके विपरीत उनके पुत्र और पुत्री को यह अधिकार नहीं है। क्योंकि, उनको पाकिस्तान में खदेड़ दिया गया। यह हमारा देश है जिसमें जाति और धर्म का भेदभाव नहीं है। एक तरफ तो एक धर्म के मानने वाले भाई, जो पहले पाकिस्तान में थे और अपनी जायेदाद वहां छोड़कर आए उनको पाकिस्तान में छोड़ी गई जायेदाद का मुआवजा मिलता है। लेकिन, हमारे देश में बसाने के नाम पर, हमदर्दी के नाम पर यह भी एक तजुर्बा हुआ और उस तजुर्बे में जैसी कि गलतियां होती हैं, वह हुई। चूंकि जो लोग स्कीम बनाते हैं, योजना बनाते हैं। वे भाई आम तौर पर अच्छे खाते-पीते घरों के होते हैं और गरीबों पर वह स्कीम, योजना बनाते समय, अपने को ही फायदा पहुंचाते हैं। गरीबों को बसाने के नाम पर भी वेस्टेड इन्टरेस्ट जो है, धनवान आदमी जो है, जो शक्तिशाली है, वही उसका फायदा उठाते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, जैसा मैंने बताया हमारे प्रदेश में सीलिंग का कानून बना, जमीन का। मुझे आज भी याद है कि उस सीलिंग के कानून को हमारे प्रदेश की सरकार नहीं चाहती थी। केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के योजना कमीशन ने कहा कि उनके लिये 50 स्टैन्डर्ड एकड़ जमीन की सीलिंग की कम से कम छूट होगी चाहे वह खेती करते हों या नहीं करते हो। जो यहां के रहने वाले है, जिनके बाप दादा यहां के थे और खेती करते थे, उनके लिये सिर्फ 30 स्टैंडर्ड एकड़ जमीन छोड़ी जाएगी। इस तरह सीलिंग के कानून में भी बसाने के नाम पर यह एक भेदभाव का

इतिहास है। मैंने जैसा जिक्र किया, वह भेदभाव है। यह भेदभाव आज भी चलता है, बावजूद इसके कि हमने समाजवाद को अपनाया है। उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। लेकिन, दूसरे दृष्टिकोण से उन्होंने इसको देखा। आपको यह ज्ञान होगा कि जो भाई यहां के जागीरदार है, उनको भी मुआवजा मिला है और जो पाकिस्तान के जागीरदार यहां आकर के बसे है, उनको ज्यादा मुआवजा मिला है। यहां के मालिकों का मुआवजा कम है। यह मुआवजे की कहानी है किस तरह से इशारा किया उन्होंने रीहैवलीटेशन का। आपको इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है। आपको जो सदस्य पूर्वी भारत के है उन्हें पूर्वी भारत की समस्याओं का ज्यादा ज्ञान है। हमारे यहां मान्यता है कि एक हरिजन भाई जहां अपना मकान बनाकर रहता है तो उस मकान के नीचे की जो जमीन है, उसका मालिक वहां के गाँव का भूमिधर ही समझा जाता था। वहां बसता था, उसको मकान के नीचे की जमीन का मालिक नहीं समझा जाता था। जो मुसलमानों के गाँव थे, जहां भूमिधर मुसलमान थे और जब वह चले गये तो उनकी जो जमीन थी, वह भूमि निकासी के महकमें की जमीन मानी जाती थी। लेकिन, जिस जमीन के मालिक भारत के थे बिना किसी मुआवजे के हरिजनों को मिल गई और उन्हें उसका मालिक बना दिया गया, हमारी सरकार ने। लेकिन, जो एवेक्यू प्रापर्टी थी, उसके बारे में प्रदेश सरकार कोई कानून बना नहीं सकती थी, जब तक कि भारत सरकार की मंजूरी इसके बारे में न हो। भारत सरकार के उस वक्त के रीहैवलीटेशन मिनिस्टर ने वहां देखा कि हरिजन जो पीढ़ियों से उन मकानों में रहते आये थे, उनको बेदखल किया गया, क्योंकि, उनके मालिक पाकिस्तान चले गये थे और वह एवेक्यू प्रापर्टी बन गई। मकान हरिजनों के है। परन्तु, मकान के नीचे की जमीन उनकी है बड़ी मुश्किल से हमने कहा कि कोई मुआवजा ले ले। इन बेचारे गरीबों का कसूर क्या है? अगर, उस जमीन के मालिक पाकिस्तान चले गये तो उसमें इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। यह चीजें हम पाते हैं। एक भाई अमेरिका में है। अमरीका का भाई यहां अपनी जायेदाद रख सकता है और अगर, वह गुजर जाता है तो उसकी जायेदाद जो है, वह उसके बच्चों को मिल सकती है। लेकिन, जिसका एक भाई यहां रहता है। पुत्र वहां है, बाप वहां हो, किसी का पुत्र इधर हो, घर वाला उधर हो तो वह आपस में आ जा भी नहीं सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यह जनता सरकार ने नहीं किया है। हो सकता है कि कुछ मंत्री हों, जो पहले भी थे। मोहन धारिया जी पहले भी उसमें शामिल थे। उनको भी एक शौक होता है। यह कहने का कि कांग्रेस के वक्त में ऐसा था। लेकिन, अगर, कोई गलत बात हो, तो इस समय देश में समय बदल आया है, तो ऐसे समय में उन गलत बातों को दुबारा नहीं चलने देना चाहिए। आप किसी भी

चीज को फायदे के हिसाब से देखे कि हम किसके फायदे पर चल रहे हैं? पाकिस्तान जाने वाले 29-30 करोड़ की जायेदाद छोड़कर गये हैं। उसका कब्जा लेने के लिए हमारी सरकार यह बिल एनीमीज प्रोपर्टी एक्ट यहां लाई हैं। 100 करोड़ रूपये की जायेदाद है - हमारे भाई उधर से भारत में आये है और उनके रिश्तेदार उधर भी हो सकते हैं। हमारे प्रदेश में भी कुछ इलाके ऐसे है, जिसमें आज भी मुसलमान भाई है। इसी तरह से पूर्वी एरिया में बहुत सारे भाई हिन्दुस्तान में आए और पूर्वी पाकिस्तान में प्रोपर्टी छोड़ आए। जबकि अब शान्ति है, कोई लड़ाई नहीं है। देशों का कोई झगड़ा नहीं है। फिर भी आपने जायेदाद का झगड़ा खड़ा कर रखा है। भारत में आने वाले भाई 100 करोड़ की जायेदाद छोड़कर आए हैं और जो भारत से गए वे 29 करोड़ की जायेदाद छोड़कर गए। अब हमारी सरकार यह कहे कि वह तो दुश्मन की जायेदाद हो गई है, इसको नहीं छोड़ना है। मैं मानता हूँ कि अगर, भारत सरकार को नीति में तबदीली करनी है तो इस बात की करनी चाहिए, फरक्का के बार में बात करनी चाहिए थी। वहां इस बात पर बात करनी चाहिए थी कि 29 करोड़ की जायेदाद जो भाई हिन्दुस्तान से बंग्लादेश गए है। उनकी जायेदाद मान ली जाए और जो हमारे भाई 100 करोड़ की जायेदाद छोड़कर आये है, वह उनकी मानी जाए। इसके बारे में कोई फैसला करना चाहिए था। अंत में जैसा कि मैंने जिक्र किया था, अपने दोस्त का कि उनके बच्चों को कोई आपत्ति हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह तो दुश्मन की जायेदाद बन नहीं सकती। एक तहसीलदार को नोटिस पाकिस्तान में जा नहीं सकता, पाकिस्तान से इधर नहीं आ सकता। मेरी मार्फत वह गया। अब बड़ी मुश्किल से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिफारिश से उनको इजाजत मिली है कि दिसम्बर की 29 तारीख तक हिन्दुस्तान में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन, तहसीलदार कहता है कि फलां तारीख तक नहीं पहुंचे तो जायेदाद सरकार की हो जाएगी। अजीब तरीका है धर्म के नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जाति के नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे दुश्मन नहीं है। दोस्त हैं। वहां जो रहने वाले है, इधर के किसी के रिश्तेदार है, किसी का साला इधर है किसी का बहनोई इधर है, किसी का बाप उधर है तो किसी का बेटा उधर है। हम उनको दुश्मन कहे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। न ही यह कोई समझ की बात है। मैं श्री मोहन धारिया जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिए विधेयक में संशोधन लाए, ताकि इस ऐक्ट का नामकरण दूसरा किया जाए। इसको दुश्मन की जायेदाद कहना बहुत गलत बात है।

राज्य सभा

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1977 ई.*

संविधान (संशोधन) विधेयक 1974

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस सदन में इस समय हम दो ही सदस्य ऐसे बैठे है जो संविधान सभा के सदस्य थे। रंगा जी और मैं। वैसे इस सदन के दो तीन सदस्य और भी हैं। हमारे नेता पंडित कमलापति जी भी संविधान सभा के सदस्य थे।

उपसभाध्यक्ष जी, जैसे वहां खड़ होकर जब आप बोल रहे थे कि अगर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य, खास तौरपर श्री नृपतिरंजन चौधरी इसको इतना आवश्यक समझते थे तो जब संविधान में तब्दीली की गई तो उस वक्त क्यों नहीं कोशिश की गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप भी उस समय इस सदन के सदस्य थे। आपको मालूम है कि किन हालात में संविधान में हमने संशोधन किया था ? राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, इस देश में और राजनीतिक परिस्थिति में शिक्षा का ख्याल कैसे रह सकता है ? वह तो स्वाभाविक बात थी कि उस वक्त यह ख्याल आ ही नहीं सकता था। राजनीतिक परिस्थितियों से मुकाबला करने का ही ख्याल रहता है। अगर, उस वक्त इसको संविधान के संशोधन में नहीं ला सके, 42वें, 41वें या उससे पहले नहीं ला सके तो मैं समझता हूँ कि अब हमको चूक नहीं करनी चाहिए।

जैसे आपने आशंका प्रकट की कि कितने पैसे लगेंगे। जब संविधान सभा बैठी थी तब तो देश आजाद हुआ ही था। उस वक्त हमारे देश का बजट 1 हजार करोड़

**Rajya Sabha, Constitution (Amdt.) Bill, 1974, 16 December 1977, Page 59-60*

रूपये साल का था। आज तो हमारा बजट 10 हजार करोड़ के ऊपर है। उस वक्त की परिस्थितियों के मुताबिक आप सोच सकते हैं कि संविधान के अन्तर्गत फै ंडामेंटल राइट्स में इसको क्यों नहीं शामिल किया गया? मैं मानता हूँ कि अगर, उस वक्त भी कहीं सम्मिलित कर सकते तो कर देना चाहिए था और देश में उसके मुताबिक तरक्की भी होती और पालन भी होती। लेकिन, आज तो यह बहुत जरूरी है। अभी आपने जिक्र किया कि जिस वक्त 12 साल का बच्चा हो जाता है तो उसे चाय के बागान में काम करने के लिए जाना होता है। उपसभाध्यक्ष जी, कौन इस बात से इंकार करे कि बच्चे को काम बचपन से करना चाहिए और जो देहात में पैदा होते हैं, उनको तो बचपन से ही काम करना होता है। उन लोगों को बहुत ही सख्त हालत में, सर्दी और गर्मी में हमेशा कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन, यह तो सरकार का काम है कि अगर, कोई लड़का या कोई आदमी बागान में काम करने के लिए जाता है और दिन में वहां पर काम करता है तो उसके लिए रात में शिक्षा प्राप्त करने का इंतजाम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह कोई नामुमकिन बात नहीं है। यह मुमकिन हो सकता है। आज जब श्री नन्दा आंकड़े पेश कर रहे थे तो आंकड़े पेश करते करते उनको शक हुआ कि संविधान में इसको शामिल करना चाहिए या नहीं? उन आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि अब तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं रह गई है। आज अपने देश की आजादी के 30 साल बाद भी हम इस बात पर शक करें कि आर्थिक तौरपर हमारे अन्दर इतनी शक्ति है या नहीं, यह कोई उचित बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह एक तरह से अपने ऊपर अविश्वास प्रकट करना है, देश की शक्तियों पर अविश्वास प्रकट करना है। हम आज यह काम कर सकते हैं। इसके लिए 25 करोड़ रूपयों का खर्च नहीं होगा, 100 करोड़ रूपयों का खर्च होगा।

श्री एन.एच. कुम्भारे : इसके लिए 200 करोड़ रूपये चाहिए।

श्री रणबीर सिंह : आज के जमाने में 200 करोड़ रूपयों की क्या गिनती है? उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हमने ढ़ाई सौ करोड़ अनाज के उपभोक्ताओं को सबसीडी देने में खर्च किये हैं। हमने अनाज पैदा करने वालों को इतना कर्ज नहीं दिया। हम उपभोक्ताओं को सबसीडी देते हैं। यह सोच का अन्तर है। इसमें पैसे की बात नहीं है। पैसे का इंतजाम करना आजकल मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि हमारे देश में पढ़े-लिखों की बेकारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैं भी यह मानता हूँ कि हमारे शिक्षा के तरीके में गलती रही है। शिक्षा देने का तरीका गलत रहा है। इसकी वजह से हमारे देश में

गड़बड़ी पैदा हुई। मैं तो यह भी मानता हूँ कि जनता पार्टी की जो क्रांति आज हमारे देश में आई है, उसके पीछे भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि, श्री जयप्रकाश नारायण जी ने जो आन्दोलन शुरू किया था, वह पढ़े-लिखे बेकार लोगों के सहारे और उसके कन्धों के दम पर ही किया था।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : उस क्रांति को चलाकर क्या आप भी लाभ उठाना चाहते हैं?

श्री रणबीर सिंह : ऐसी बात नहीं है। मैं तो 14 वर्ष के बच्चों की बात कह रहा हूँ। में 25‘ -30 वर्ष के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। 14 वर्ष के बच्चे क्रांति नहीं ला सकते हैं। हो, उनको सही रास्ते पर लाया जा सकता है और सरकार इसमें मदद कर सकती है। इसी भावना से प्रेरित होकर गाँधी जी ने बेसिक ऐजूकेशन की बात कही थी। मैं समझता हूँ कि बेसिक एजूकेशन अगर, हम इस देश में चलाते तो हमारे देश में इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं होती। बेसिक ऐजूकेशन को किसने रोका? अगर, हम इसके इतिहास में जायें तो यही पता चलेगा कि आंकड़े पेश करने वालों ने ही इसको रोका। ये हिसाब पेश करने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। जो भाई आंकड़े पेश करते हैं, वे जितनी बुद्धिमानी दिखाते हैं, उसमें अपने स्वार्थों को कभी नहीं भूलते हैं। वे अपने निहित स्वार्थों के साथ आंकड़े पेश करते हैं, एक तरफ तो चौधरी चरण सिंह आंकड़े पेश करते हैं और दूसरी तरफ हमारे प्लांनिंग कमीशन के विशेषज्ञ आंकड़े पेश करते हैं। ये आंकड़े कहां तक दुरूस्त होते हैं, यह सब लोग जानते हैं।

आपका भी पेशा है और मेरा भी पेशा है। हम लोग सब खेती करते हैं। खेती में 70 फीसदी धन ये ही पैदा करते हैं। लेकिन, हमारे नेशनेलाइज्ड बैंक बहुत कम पैसा किसानों को कर्ज के तौर पर देते हैं। हमारे देश में जो स्टेट बैंक है, वह सरकार का बैंक है। लेकिन, वह भी दूसरे लोगों को कर्ज देता है किसानों की तरफ बहुत कम ध्यान देता है। उपसभाध्यक्ष जी, आपको ज्ञान ही है कि 13 हजार करोड़ रूपये का नेशनाइज्ड बैंक लेन-देन करते हैं। जो ये 13 हजार करोड़ रूपये में से सिर्फ 1 हजार करोड़ है किसानों की तरक्की व बच्चों की शिक्षा के लिये देते हैं। जोकि 10 फीसदी है आबादी में ये 70 फीसदी है और पैदावार में 50 फीसदी। परन्तु, इंडस्ट्री पर सबसिडी दे दी। लेकिन, नहरों पर टैक्स उसके लिये कह दिया जाता है कि राज्य सरकारों की मर्जी। चाहे किसान अच्छी फसल बोने जा रहा है। लेकिन, उससे कर्जा वसूल होना चाहिए। चाहे खेती बोई जाये या नहीं बोई जाये। यह आंकड़े का फे र है।

यह सही है कि आंकड़ों के फे र में आकर नीति में बदल करना कोई समझ की बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हम इसी दिशा में चल रहे हैं।

इसके अलावा उपसभाध्यक्ष जी, हमने देश में एक ऐसा वक्त ला दिया। पहले जमाने में एक अनपढ़ आदमी काम चला सकता था। आज तो सहयोगी संस्थायें है, वे अनपढ़ आदमी से अंगूठा लगवा लेती है और लिख देती है कि 10 हजार रूपये कर्ज लिया। वह 10 हजार रूपये पता नहीं कितनी जगह गड़बड़ है। आज जो अनपढ़ है, उसको अपना काम चलाना मुश्किल है। आज तो उसकी लूट हो रही है। उस लूट से उसको बचाने के लिये यह जरूरी है कि भविष्य में हमारे देश में कोई भी निरक्षर भट्टाचार्य न रहे, वह खत्म हो। सबको अक्षरों का ज्ञान कराया जाये। इसके लिये यह जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षा मुफ्त हो और लाजिमी हो। यह बात जब तक संविधान में नहीं रखी जायेगी, तब तक यह बात पूरी नहीं हो सकती है। इसका सबूत हिन्दुस्तान का पिछले 30 सालों का इतिहास है। प्रो. रंगा साहब ने और आपने जो बातें कहीं, ऐसे सब लोगों का, सबका सहयोग लिया जा सकता है। अगर, इसमें संविधान की कोई बात है तो सहयोग कब बन्द है? उसको अब भी लिया जा सकता है। प्रदेश सरकार का यह मामला बताया गया है। लेकिन, मैं यह मानता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार को मदद तो देनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में केन्द्रीय सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। कोई तमिल पढ़ने वाला है, कोई तेलुगु पढ़ने वाला है, कोई हिन्दी पढ़ने वाला है, कोई उर्दू पढ़ने वाला है, तो यह राज्य के जिम्में होना चाहिए। प्रदेशों के पास ही इसे रहना चाहिए। हाँ, केन्द्रीय सरकार के पास आय के स्त्रोत बहुत सारे हैं। केन्द्रीय सरकार को इसके लिए पैसा दिल खोलकर देना चाहिए। 25 करोड़, 50 करोड़ और 200 करोड़ रूपये की मदद केन्द्रीय सरकार की तरफ से होनी चाहिए।

आज अनपढ़ लोगों के साथ ठगी होती है। इसलिये, यह सरकार की जिम्मेंदारी है कि वह यह न होने दे। सरकार का यह फर्ज हो जाता है, कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस ठगी को बन्द करे। देश में से ठगी बन्द हो, ठगों का रास्ता रूके। इसके लिये यह जरूरी है कि हम वर्मा जी ने जैसा कहा कि हम अपनी शिक्षा में सुधार करें। लेकिन, अनपढ़ हमारे देश में हैं। इसलिये, ठगी को बढ़ावा मिलता है। यदि अनपढ़ देश में होंगे तो यह होगा। इसलिये, केन्द्र सरकार का सबसे पहला फर्ज यह होना चाहिए कि देश में कोई भी अनपढ़ न रहे। आप जानते हैं कि जनता पार्टी के भाई क्रांति का बड़ा नाम लेते हैं। और कहते हैं कि वह क्रांति लाए है। अगर, कांग्रेस को

हराने का नाम क्रांति है तो में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तौर तरीके हमारे गलत रहे, जो तौर तरीके देश की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बने और जिनके कारण तरक्की नहीं हुई, तो उनको बदल कर ही क्रांति होगी। चौधरी चरण सिंह जी की बात जो है कि देहात के बच्चे है, उनको पढ़ना चाहिए .....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U.K. LAKSHMANA GOWDA) : Please wind up.

श्री रणबीर सिंह : एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

मैं कहता हूँ कि संविधान में तब्दीली अगर, कोई करनी है जैसा आप जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत की है कि संविधान में कुछ तबदीलियां लाई जाएं। 42वां संशोधन जो हमने किया था, उसमें कुछ जनता पार्टी के सदस्यों को इख्तलाफ है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी भी आ गये है। उनकीं मार्फत क्योंकि, उनकीं प्रधानमंत्री तक बहुत पहुंच है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां आप संविधान में इतनी सारी राजनीतिक बातों पर तबदीलियां करा रहे हैं। वहां यह बिल जो लाया गया है, इसको भी पास करे। वैसे तो हम भी यह पास करा सकते हैं। चूंकि आप ऐलान करते हैं कि आप गाँधी जी के तौर तरीकों में विश्वास करते हैं तो जो संविधान में संशोधन आज आया है, उसका जैसा कि सबने कहा पास किया जाना चाहिए। हमारे साथी कुछ दो तरह की भाषा बोल गए। इसलिए, मैं मंत्री जी से अपील करता हूँ कि वे संविधान की तबदीली का विधेयक हमारे सामने लाएं। उसमें यह लाएं कि यह सरकार का कर्त्तव्य होगा, यह हर हिन्दुस्तानी का हक होगा कि उसे शिक्षा मिल सके। 6 साल से 14 साल तक अनिवार्य रूप से और नि:शुल्क शिक्षा मिल सके, इसके संदर्भ में सरकार को संविधान में तबदीली लानी चाहिए।

राज्य सभा

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 1977 ई.*

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1977

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वित्तीय नीति किसी सरकार की क्या है, उसका कुछ-कुछ अभास खास तौर पर एप्रोप्रियेशन बिल से होता है। बड़ा शोर था कि पिछले 30 सालों में जो आर्थिक नीति चलायी गयी, वह बड़े-बड़े कारखानों के हितों में चली। प्रोफे सर रंगा इधर से या चौधरी चरण सिंह जी जो आज के शासकों में से है या हमारे जैसे आम सदस्य पिछले 30 सालों में इस बात के ऊपर जोर देते रहे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश में 70 फीसदी आदमी कृषि के ऊपर निर्भर है। अत: देश के बजट में देश के पैसे को कृषि की तरक्की के लिए प्राथमिकता देकर रखना चाहिए। जनता पार्टी ने जब अपना मेंनिफस्टो, (चुनाव घोषणा-पत्र) निकाला तो उसमें बड़ी बात कही थी और अब हाल ही में खबर निकली कि 450 करोड़ रूपये जो उत्पादन शुल्क है, कृत्रिम खाद के ऊपर, उसको 30 साल में माफ किया जायेगा। इस साल में तो उसकी कोई झलक दिखायी नहीं दी। 50 करोड़ रूपये उसमें रखे और वह भी यह कह कर रखे कि कारखानों को घाटा है। क्या मालूम है घाटा सिर्फ उत्पादन शुल्क की बिना पर ही हो ?

उपसभापति जी, कुरूक्षेत्र नाम से एक अखबार निकलता है। उसमें वित्तमंत्री जी का एक भाषण छपा और वह मैं मानता हूँ जो आंकड़े उन्होंने दिए वे आंकड़े शायद नेशनल ऐग्रीकल्चरल कमीशन ने जो आंकड़े इकट्ठे किए, तथ्य इकट्ठे किए, उन्हीं का शायद हवाला

**Rajya Sabha, Appropriation (No. 4) Bill 1977, 20 December 1977, Page 162-169*

है। उन्होंने उसमें कहा है कि खेती की जरूरत के लिए, कृषि की जरूरत के लिए, आज के दिन 10,000 करोड़ रूपये का कर्जा चाहिये। उसके साथ-साथ उन्होंने उसमें लिखा है कि 20,000 करोड़ रूपये जो बैंको में जमा के तौरपर इकट्ठा होता है। नेशनलाइज्ड बैंकों में और दूसरे बैंको में और उसमें 16,000 करोड़ रूपये जब बैंक सरकार को भी देते हैं। उसको मिलाकर 16,000 करोड़ रूपये का वह लेनेदेन करते हैं। 16000 करोड़ में से 13,000 करोड़ रूपये का कर्जा देश के विभिन्न कार्यों के लिए नेशनलाइज्ड बैंक्स--जो देश के बैंक माने जाने चाहिएं--उन्होंने लोगों को कर्जा दे रखा है। उस कर्ज में किसान और खेती के लिए सिर्फ 1000 करोड़ रूपया है। यह तो दिशा दिखायी और उसके साथ-साथ वित्तमंत्री जी ने उसमें लिखा है कि सारा ही जो इंसटीट्यूशनल क्रेडिट है, उसको मिलाकर 2600 करोड़ रूपये कृषि में आज के दिल लगा हुआ है। रिजर्व बैंक के आंकड़े 2800 करोड़ रूपये होंगे। 100-200 करोड रूपये, आगे पीछे कोई हिसाब करके, हो सकता है। लेकिन, कहां 16,000 करोड़ रूपये की जरूरत में से 2800 करोड़ रूपये? अभी चौधरी चरण सिंह जी ने एक भाषण में कहा कि सालाना बजट का 40 फीसदी रूपये खेती की तरक्की में लगेगा।

उपसभापति जी, इस बात को मैं मानता हूँ कि पिछले 30 सालों में कृषि को जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, वह नहीं दी। उसका सबसे बड़ सबूत यह है कि उपभोक्ताओं के लिए सस्ती चीज देने के लिए 250 करोड़ रूपये की सब्सिडी हर साल तकरीबन पिछले 30 साल में दी है। लेकिन, किसानों को खेती की तरक्की के लिए उतना कर्जा भी नहीं दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि 7000 करोड़ रूपये के करीब विदेशी रूपये की मालियत की खेती में पैदावार की चीजें बाहर से आई। आज भी हम क्या देखते हैं? कपास को ले लीजिए। उपसभापति जी, कपास हमने विदेश से मंगाई जबकि यहां कपास काफी है। दो-ढ़ाई साल पहले का मुझे याद है कि इस सदन में बड़ा शोर हुआ था और काटन कारपोरेशन बना, उसके लिए 10 करोड़ रूपये रखा गया। उस वक्त के जो हमारे मंत्री थे उनसे मैंने इस सदन में पूछा था कि सारा कपास जो देश में पैदा होता है, अगर, वह खरीदना पड़े तो उसके लिए कितना रूपया चाहिए? उस वक्त एक हजार करोड़ रूपया बताया था। किसानों को उसकी पूरी कीमत मिले इसके लिये 10 करोड़ रूपया रखा गया था। उसमें से साढ़े तीन करोड़ के करीब की खरीद की गयी तो उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे वित्त मंत्रालय को बाहर से कपास मंगानी पड़ी। आज देश में वह कपास पड़ी हुई है देश में जो कपास की पैदावार हुई, उसकी कीमत सस्ती है और बाहर की कपास मंहगी है। जो कपास बाहर से आयी, वह तकरीबन साढ़े तीन सौ रूपये फी क्विंटल बैठती है और हम अपने किसान को ढ़ाई सौ रूपये फी क्विंटल के हिसाब से देना चाहते हैं। देने की बात कहते हैं। यह कोई हिसाब नहीं कि किसान को कितना घाटा है। हर काम में

नफा और घाटा देखा जाता है कि कास्ट प्राइस क्या है ?लेकिन, किसान जो चीजें पैदा करता है। उसका दाम जो हिसाब सरकारी अदारे बताते हैं, यूनिवर्सिटियां है, कृषि विश्वविद्यालय है या दूसरी संस्थायें है, उनके हिसाब से उनको मूल्य नहीं दिया जाता है। इसी तरह से तेल का हिसाब है। तेल हमने बाहर से मंगाया था। लेकिन, अगर, अपने देश में तिलहन का हिसाब देखा जाये तो अंदाजा साढ़े तीन सौ या पांच सौ रूपये फी क्विंटल के हिसाब से वह पड़ता है। लेकिन, इस हिसाब से भी उसका मूल्य देने का आश्वासन देने के लिये हम किसान को तैयार नहीं है और न ही हम कोई वफर स्टाक बनाने के लिये तैयार हैं। आज से ढ़ाई या तीन साल पहले कपास की भी यही हालत थी कि उसे कोई खरीदता नहीं था। उसके बाद कपास की उपज कम हो गयी और फिर शार्ट स्टैपिल और लोंग स्टैपिल कपास बाहर से मंगायी गयी।

इसी तरह से चीनी का सवाल है। कहते हैं कि इतनी चीनी पैदा हुई कि सरकार के लिये उसका इंतजाम करना मुश्किल है। किसानों के हक की बड़ी बात की जाती है। लेकिन, आज उसका 12 करोड़ रूपया गन्ने के मूल्य के रूप में कारखानों की तरफ बाकी है। यह उस देश में है, जिसमें सरकारी बैंको में 20000 करोड़ रूपया लोगों से जमा होता है। यह सरकारी, डाइरेक्शन पर चलने वाले जो बैंक है, वे इस 12 करोड़ रूपये की पूंजी को भी अदा नहीं कर सकते। किसान जिन्होंने मेहनत करके गन्ना पैदा किया और मिलों को दिया, उनको मिलों की मार्फत उस गन्ने के दाम की अदायगी होनी चाहिए। लेकिन, वह नहीं हो सकी है। मुझे खुशी है कि सरकार की नीति के कार्यान्वयन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन, कहानी में जरूर फर्क आ गया है। श्री एच.एम. पटेल साहब एक किसान के बेटे है। उनको वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव की हैसियत से भी तजुर्बा है और वित्त मंत्री के हिसाब से भी आज उनको मौका है। अगर, कोई गड़बड़ करे तो उसका इंतजाम करने के लिये भी आज आई.जी. और थानेदार सब एक किसान के बेटे के हाथ में है। अगर, कोई गड़बड़ करना चाहे, कोई खराबी करना चाहे तो उसका इंतजाम चौधरी चरण सिंह जी के हाथ में है और जहां इतना सब हो उसके बाद भी किसान के साथ न्याय न हो, यह सही बात नहीं लगती। आज देश में 70 फीसदी किसान है और 50 फीसदी जो दौलत देश में पैदा होती है। वे यह किसान पैदा करते हैं। 13 हजार करोड़ रूपये में से साढ़े 6 हजार करोड़ रूपया तो ऐसा है कि जिसका लेनदेन किसान को कर्जा मिलना चाहिए। पीछे का जो उनका घाटा हुआ 30 साल का, जिसकी कहानी कहकर आपने इस देश में क्रांति का नाम लिया, तो अगर, क्रांति के मायने इधर के बैठने वाले सदस्यगण उधर चले गये और उधर के बैठने वाले इधर आ गये, यही है तो कुछ कहने की बात नहीं है। अगर, क्रांति के मुताबिक नीति है तो आर्थिक नीति में कोई खास तबदीली नहीं आई है।

श्रीमान, खादी और ग्रामोद्योग की बड़ी चर्चा की जाती है कि खादी और ग्रामोद्योगों की उन्नति की जाएगी। लेकिन, बजट में 25 करोड़ रूपया या 35 करोड़ रूपया रखा गया है। इससे कैसे वह दशा सुधर सकेंगी? हजारों करोड़ रूपया बड़े-बड़े कारखानों में लगा है। पीछे का घाटा तो दूर रहा। लेकिन, एक बात देखकर मुझे हैरानी हुई, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में मैंने देखा कि जो काटेज इंडस्ट्रीज है, उसका 1 हजार करोड़ रूपया कर्जा दिखाया है। खेती के बराबर कर दिया गया, 1 हजार करोड़ खेती के लिए कर्जा दिया गया।

अभी उप-सभापति जी रिजर्व बैंक के नुमाइंदों ने कृषि मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में बताया, कि जो कर्जा किसानों द्वारा नहीं अदा हो सकता वह 5 साल के बजाये 7 साल की मोहलत बढ़ा दी जाए। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसके लिए आर्डिनेंस लायें तो देश के किसान उनका स्वागत करेंगे।

इसी तरह से उन्होंने बताया कि जो बैंक हैं, वह सस्ते सूद के ऊपर किसानों को खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए पैसा तभी दे सकते हैं, जब सूद में कोई सबसिडी हो। अनाज खाने के लिए आपने सबसिडी दी है तो अनाज, जिससे रूपया लेकर अनाज पैदा हो सके, उसमें 200 या ढ़ाई सौ करोड़ रूपये साल की सबसिडी आपको देनी पड़े और किसान वह रूपया अदा करने के लायक हो सके तो इसमें कौन सा नुकसान हो सकता है?

उप-सभापति जी, बहुत बार कहा जाता है कि बकाया ऋण किसान ठीक वक्त पर अदा नहीं करता। लेकिन, कृषि के जानने वाले है वह कहेगे, उनका लिखा हुआ है कि कृषि की पैदावार का 5 साला साईकिल हमारे देश में है दो साल कृषि की अच्छी पैदावार होती है और उन सालों में कुछ बचा सकता है और एक साल ऐसा है जिसमें वह काम चला सकता है। दो साल घाटे के है। यह तो छह महीने के बाद किसान डिफाल्टर हो जाता है। नतीजा यह है कि जितने बैंक हैं, जितने कोआपरेटिव बैंक है जिनसे किसान कर्जा लेने वाले है वह तो कह दें कि किसान डिफाल्ट हो गया। यह तरीका रिजर्व बैंक को बदलना चाहिए।

(समय की घंटी बजी)

उपसभापति जी, एक मिनट और लूंगा। इसमें जिक्र है बिजली के उत्पादन का। आप जानते हैं कि थाईन डैम बन रहा है और बिजली का जो उत्पादन होगा, उसके बंटवारे के बारे में उन्होंने जो तरीका भाखड़ा में रखा था, वह नहीं अपनाया। आपका राजस्थान प्रदेश और हरियाणा जिसमें शामिल है, उस पानी में उनका हिस्सा

होगा। लेकिन, बिजली पैदा होगी उसमें हिस्सा नहीं होगा। यह अन्याय क्यों है ? इसी तरह से हरियाणा और राजस्थान के साथ आज से 10 साल पहले से पानी का जो हैड-वर्क्स का जो अख्तियार है, पंसाल का अख्तियार, वह कानून के अनुसार हिन्दुस्तान की सरकार के भाखड़ा मेंनेजमेंट बोर्ड का होगा। लेकिन, आज तक वह नहीं दिया गया। यह राजस्थान और हरियाणा के साथ अन्याय कब दूर होगा ? क्रांति आ गई, क्रांति के पहले हम न कर सके तो क्रांति आने के बाद तो यह अन्याय दूर करना चाहिए हमारे साथ। इसी तरह से किसानों के साथ अन्याय दूर होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर, पटेल साहब और चौधरी चरण सिह साहब किसानों के साथ न्याय नहीं करा सके तो किसानों की आशा और उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। वह फौज के ऊपर ऐतबार करना शुरू कर दें और वह समझेंगे कि फौज ही हमारे साथ न्याय करा सकती है। यह जो पर्ची मांगने किसानों के पास जाते हैं। और किसानों की भलाई के गीत गाते हैं, जब कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, तो कोई फर्क नहीं रहता कि किसान का बेटा है या कारखानेदार का बेटा है इनकी नीति वही है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस क्राति को आप किसानों के हितों के लिये भी लाये है।

हमारे देश के स्वाधीनता सेनानी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब न्यौछावर कर दिया, उनकी पेंशन बन्द करना उचित नहीं है। आप लोग पिछले वर्षों में जिन लोगों को आपकी क्रांति के सिलसिले में जेल में भेजा गया था उनको भी पेंशन देने की बात कह रहे हैं। हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है। आप उनको पेंशन दीजिये। हमें इसके लिए कोई गिला नहीं है। स्वाधीनता सेनानी होने के नाते मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे देश के स्वाधीनता सेनानी जो बहुत ही गरीब हैं और जिनकी उम्र 60-65 या 70 वर्ष से भी ज्यादा हो गई है, उनकी पेंशन किसी भी हालत में बन्द नहीं की जानी चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में जब सब लोग अंग्रेजों से डरते थे, उस मौके पर इन लोगों ने देश की आजादी के लिए काम किया है। मैं समझता हूँ कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। केन्द्र के दो मंत्रियों की भी यह राय है कि इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हो सकता है, केन्द्र के वित्तमंत्री की इस बारे में दूसरी राय हो या यू.पी. के चीफ मिनिस्टर की दूसरी राय हो अथवा दूसरे मंत्रियों की दूसरी राय हो। लेकिन, आखिर में मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि स्वाधीनता सेनानियों की खातिर अगर, उन्हें पैसा बढ़ाना भी पड़े तो उस पैसे को बढ़ाना चाहिए। कहीं से भी पैसा निकाल कर इन लोगों को पेंशन देनी चाहिए। इन लोगों ने देश की आजादी के लिए काम किया है और हमारे देश को इस हालत में पहुंचाया है कि वह आज अपने पैरों पर खड़ा हो सका है।

1978

राज्य सभा

बुधवार, 22 फरवरी, 1978 ई.*

गुड़ और खांडसारी की कीमतों में गिरावट पर ध्यानाकर्षण

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : सभापति जी, कृषि मंत्री इस बात को भूल गये कि पिछले साल जब गन्ने की बुआई हुई थी तो वह मार्च में हुई थी और उस वक्त उनकी सरकार बन चुकी थी।

(श्री उपसभापति कुर्सी पर विराजमान हुये।)

मैं उनको इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि खास तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के दिल में चौधरी चरण सिंह जी के लिए बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि, जब चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो गन्ने के भाव 18 और 25 रूपये क्विंटल के बीच में चला गया था। इस बार भी उन्होंने सोचा कि इसी प्रकार की स्थिति होगी। इसमें किसानों ने कोई गलती नहीं की। चूंकि इस बार चौधरी चरण सिंह केन्द्र में गृहमंत्री बन चुके थे। इसलिए, किसानों को एक आशा बंध गई थी और इसी कारण से उन्होंने गन्ने की पैदावार ज्यादा करने की कोशिश की। में कृषि मंत्री जी से यह कहूंगा कि मेहरबानी करके किसानों के ऊपर नया मीसा न लाईये। हिन्दुस्तान में यदि यह किया जाये कि फसलों की बुआई में संतुलन हो तो यह एक गलत बात साबित होगी। हिन्दुस्तान गरीब किसानों का देश है। अनपढ़ किसानों का देश है यह किसान जो फसल पैदा करता है, उसके मूल्य को सरकार पिछले 30 सालों से सही तौर पर कायम नहीं रख सकी है। आप फसलों की बुवाई के संतुलन के नाम से कोई दूसरा मीसा किसानों के लिये न लाइये, यह मेरा आपसे निवेदन है। मंत्री महोदय ने कहा कि कोई

**Rajya Sabha, Calling Attention re. fall in pricesa of gur and khandsari, 22 February 1978, Page 119-123*

सुझाव दें, जिससे कि किसानों को राहत मिले। सुझाव बहुत आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कृषि मंत्री जी ने आंकड़े दिये कि 5000 टन गुड़ को बाहर भेजने की उन्होंने इजाजत दी है। कृषि मंत्रालय को उस समय क्या यह पता नहीं था कि 46 फीसदी गन्ना ज्यादा बो दिया गया है। 5000 टन का सुझाव देने वाले कृषि मंत्रालय को किसान क्या समझेगा और जिस मंत्रालय में आप और बरनाला जैसे मंत्री हों तो क्या ऐसे मंत्रालय को किसानों से कोई हमदर्दी है? आज लोग आपको किसानों का नेता मानते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप किसानो के हितों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन, आपने जो ऐलान किया कि 5 हजार टन गुड़ ही बाहर भेजा जायेगा, यह कृषि मंत्रालय की सबसे बड़ी भूल है। इसके अलावा चीनी के बारे में आज का नहीं, पहले का भी इतिहास बताता है कि हमारे जो बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं, जब इन्होंने कहा कि गन्ना ज्यादा हुआ है, उससे अगले ही साल गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत इतनी ज्यादा हुई कि बाहर से हमें चीनी मंगानी पड़ी। इसके लिये काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। हमको मशकूर (कृतज्ञ) होना चाहिए किसानों का, जिन्होंने इस देश को इस लायक बना दिया कि हम अपने देश के लोगों को ही मीठा नहीं खिला रहे हैं बल्कि अब विदेशों को भी भेज सकते हैं। में पहला सुझाव यह देना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक और हिन्दुस्तान के जितने सरकारी बैंक है, उनको कहा जाये कि गुड़ को खरीदने के लिये कर्जा देने पर कोई पाबन्दी न हो। जो व्यापारी या जो सरकारी निगम गुड़ को खरीदना चाहते हैं, इसके लिये जिस तरह से अन्न की खरीद में आपने हजारों करोड़ों रूपये लगाये हैं, उसी तरह से आप हजार करोड़ रूपये गुड़-खरीद के लिये निकाल सकते हैं। रूपयों की हिन्दुस्तान के बैंकों में कोई कमी नहीं है। यह आपको मालूम है। हिन्दुस्तान के बैंक 13 हजार करोड़ रूपये का कर्जा देते हैं। और अपना काम चलाते हैं। उसमें से सिर्फ एक हजार करोड़ रूपये किसानों को दिया जाता है। आप उन बैंको को चौधरी चरण सिंह के डंडे के हौसले पर सलाह दें कि एक हजार करोड़ रूपया गुड़ को खरीदने के लिये निकालना होगा, ताकि हिन्दुस्तान का वह किसान जिसकी आस्था चौधरी चरण सिंह के ऊपर है, वह बनी रहे, जिसने उन पर आस्था रखकर गन्ने की बुआई की, उसकी आस्था टूटे नहीं। किसान के बल पर ही इतनी बड़ी सरकार आई, आपके पास इतनी शक्ति आई। हमारी आवाज का कोई असर नहीं था, आपकी आवाज का असर है। आपको खंडसारी के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी हटानी चाहिए। यह पहले हटी हुई थी, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिन्दुस्तान में एक्साइज ड्यूटी खंडसारी के ऊपर बिलकुल न हो। आपको ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि ताकि हमें फिर दुबारा बाहरसे चीनी न मंगानी पड़े। अगर, आपको इसके लिये मदद देनी पड़े तो दीजिए। सरकार को इसके लिये सौ-दो सौ करोड़ रूपये घाटे के लिये रखने चाहिए ताकि किसानों को गन्ने का मूल्य सही तौर पर मिल सके। सरकार ने जो 9 रूपये 15 पैसे के हिसाब से गन्ने का मूल्य रखा है, वह इस हिसाब से खरीदा जा सके।

एक दूसरा सुझाव मैं आपको यह देना चाहता हूँ कि कैन कोआपरेटिव यूनियन के मार्फत आप गन्ने को खरीदवायें ताकि किसी क्रैशर का मालिक जो दूसरे के गन्ने को पेरता है, वह सस्ते भाव में न खरीद सके। कैन कोआपरेटिव यूनियन को जितना पैसा चाहिए गन्ने को खरीदने के लिए वह बैंको से दिलाइये और उसमें ब्याज की राहत भी दिलाइये। जनता सरकार छोटे-छोटे कारखाने वालों को चार प्रतिशत और बैंक रेट में जितना फर्क होता है, यह सरकार सहायता देती है। इसी प्रकार गन्ना पैदा करने वाले किसानों को भी ब्याज की राहत दिलाइये। अगर, आप नहीं दिला सकते तो आप यह कबूल कीजिये कि अभी भी सरकार के ऊपर आपका कोई असर नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि वित्त मंत्री एक किसान का बेटा हो और पुलिस का डंडा एक किसान के बेटे के पास है, तब भी किसान के हित का अगर, संरक्षण नहीं हो सकता तो फिर हिन्दुस्तान के किसानों की प्रजातन्त्र से आस्था उठ जाएगी। प्रजातंत्र में आस्था कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि जितना भी रूपया चाहिए किसानों को दिया जाए। आज गेहूं का भाव 125-150 रूपया क्विंटल हो रहा है। लेकिन, गुड़ का भाव 75 रूपये क्विंटल हो गया है मैं यह पुरानी कहानी यहां पर नहीं कहना चाहता और न ही यह चाहता हूँ कि जनता सरकार मुझे यह कहने का मौका दे। मैं इतनी आपसे अवश्य प्रार्थना करता हूँ कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दीजिए, ताकि जो गुड़ पैदा हो वह खरीदा जा सके। अगर, उसमें घाटा भी रहे तो भी कोई बात नहीं। मान लीजिए 25-50 करोड़ रूपये का सरकार को घाटा रहेगा। एक ओर तो आप सात हजार-दस हजार करोड़ रूपये का गेहूं दूसरे देशों से मंगा कर यहां के 25 प्रतिशत लोगों को खिलाते हैं। हर साल 250-300 करोड़ रूपये की सबसिडी देते हैं तो क्या किसानों के लिए 50 करोड़ रूपये की सबसिडी देने के लिए जनता सरकार बुरा मानेगी ? किसान आपके लिए अनाज पैदा करेगा, मीठा पैदा करेगा जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, उनको कार्यान्विंत कराइये। अगर, इन सुझावों को कार्यान्वित कराने के लिए हमारे झण्डे उठाने की आवश्यकता है तो मैं भी झंडा उठाकर आपकी सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। अगर, आप समझते हैं कि आपकी सरकार, आपके कृषि मंत्रालय की बात तब तक नहीं सुनेगी जब तक कुछ आदमी जेल का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो आपकी मदद के लिए हम जेल का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। लेकिन, आप हमसे न पूछे। आप तो हमसे भी ज्यादा समझदार समझे जाते हैं किसानों के हितों के लिए। यह जो एक तर्क है कि मंत्री बनते ही समझ गहने हो जाती है। आप समझ को गहने न कीजिए। आप अवश्य ही हमसे कहीं ज्यादा सयाने है। दोनों किसानों के बेटे हो। अब भी किसान लुटेगा तो इससे बढ़कर बुरा नहीं हो सकता।

राज्य सभा

शुक्रवार, 24 फरवरी, 1978 ई.*

विपक्ष के नेता की मान्यता

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : जैसा आपने फैसला किया। आपको ज्ञान था कि कांग्रेस पार्टी की अपोजिशन में मेंजोरिटी है। उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आपने फैसला दिया कि कमलापति त्रिपाठी जी अपोजीशन के नेता नहीं रहे। मैं मानता हूँ कि आपका वह फैसला सही था। सही ज्ञान के मुताबिक था। उसके बाद दूसरा फैसला तुरंत आना चाहिए था। क्योंकि, अगर, उस फैसले को जिन सदस्यों ने आपको यह लिखकर भेजा कि वे वाई.वी. चव्हाण के साथ है और उनमें से 5 या 7 कोई भाई आपके सामने पेश होते और कहते कि भोला पासवान जी शास्त्री हमारी मजबूरी से नहीं बने है तो मैं समझता हूँ कि आपको फैसला देने में कोई रूकावट हो सकती थी। लेकिन, मेरे ज्ञान के मुताबिक कोई भाई हममें से जाकर आपके पास नहीं आया। किसी ने यह नहीं कहा कि हमारा विश्वास उस नेता पर जिसको मनोनीत किया गया वाई.बी. चव्हाण द्वारा, श्री भोला पासवान शास्त्री पर नहीं है। इस हालत में मैं मानता हूँ कि आपके ज्ञान के मुताबिक कोई चारा नहीं था। जब आप स्वयं यह मानते थे कि कमलापति त्रिपाठी जी की इतनी शक्ति नहीं है कि उनको विरोधी दल का नेता रखा जा सके, तो आपको विरोधी दल का कोई भी नेता जिसके पास शक्ति हो उसको बनाना चाहिए था। यह देरी हमारे सदन की कार्यवाही में एक बाधा है। सदन के लिए यह शोभा नहीं देता है कि आप उस बाधा को कायम रखें। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तुरन्त आज ही इसका फैसला सुनाए।

**Rajya Sabha, Recognition of Leader of Opposition, 24 February 1978, Page 97-98*

राज्य सभा

शुक्रवार, 24 फरवरी, 1978 ई.*

विपक्ष के नेता की मान्यता

श्री कल्पनाथ राय : एक ही तरफ से आपने 5 आदमियों की बात सुनी। हमारी बात भी सुनिये। मैं कहता हूँ....

(व्यवधान)

श्री रणबीर सिंह : उनके पास कहने के लिए क्या है? उनके पास कोई आधार नहीं है। न इनके पास मेंम्बरों की शक्ति है। ये वैसे ही दबा कर अपनी बात कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको हमारे निवेदन को अब टालना नहीं चाहिए। सदन के नेता ने भी आपको कहा और सही तौर पर कहा कि जब आपने विरोधी दल के नेता को हटाया तो उसी दिन उनकी जगह दूसरे नेता को मान्यता देनी चाहिए थी। अब आपको और देर नहीं करनी चाहिए। इनके पास वह शक्ति नहीं रही कि उनकी बात को सुना जाए। उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। यह सदन के सम्मान का भी सवाल है कि विरोधी दल के नेता को चुनने में देर न हो।

(व्यवधान)

**Rajya Sabha, Recognition of Leader of Opposition, 24 February 1978, Page 101-102*

राज्य सभा

शुक्रवार, 24 फरवरी, 1978 ई.*

कमजोर वर्ग के लिए अधिमान्य उपचार

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मैं श्री रबी राय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। उनका समर्थन करते हुए जो बात में आरम्भ मैं कहना चाहता था, वह श्री महादेव प्रसाद वर्मा जी ने कह दी। रबी राय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अब वह रबी राय नहीं है, जो इधर बैठा करते थे। जो दिल में आया नारा लगाया करते थे। कई दफा सदन में नीचे भी बैठे। अब रबी राय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एक प्रस्ताव लाए और श्री मंडल किसी की सलाह पर टाल जाए, यह जनता पार्टी को शोभा नहीं देगा। इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए, मैं यह मानता हूँ। जैसा वर्मा जी ने कहा कि कुछ समय के लिए जात-पात को यह बढ़ावा देगा। लेकिन, यह देश हमारा अजीब है यहां जात-पात का अगर, हिसाब लगाये, जो पार्टी के सिस्टम में नहीं जाना चाहता। लेकिन, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि चौधरी ब्रह्मप्रकाश चीफ मिनिस्टर दिल्ली बने तो उनके खिलाफ बावेला इतने जोर से उठाया गया कि असेम्बली ही तोड़ दी गई। जाति के चीफ मिनिस्टर बनते रहे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यह देश बहुत अजीब है। इस देश में धारणा ऐसी है कि जात-पात का भाव पैदा होता है, गरीबों में और देहातों में। बजाये इसके कि उनकी त्रुटियों को वह देश के सामने लायें वह यह कहते हैं कि अगर, उनको शक्ति मिलेगी चाहे वह मंडल हो, चाहे ठाकुर हो या यादव हो तो शोभा नहीं देगा। यह एक भावना रहती है।

**Rajya Sabha, Re. Preferential Treatment to weaker Section, 24 February 1978, Page 157-165*

पूर्ववक्ता ने एक सिद्धान्त की बात कही। यह बात दुरूस्त है कि जब तक हर आदमी को काम का हक कानूनी तौर पर नहीं देंगे उस वक्त तक यह संरक्षण और आरक्षण की लड़ाई चलती रहेगी। हम संरक्षण क्यों मांग रहे हैं? कंस्टीटयूएन्ट असेम्बली से लेकर आज तक मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूँ। तब से ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन, हम यह देखते हैं कि गाँव के हरिजन जिनके पास अनाज नहीं, चीनी नहीं उसकी पैदावार के लिए कोई संरक्षण नहीं। 80 फीसदी खेती का काम करने वाले भाई हैं, इसमें से नौकरियों का हिस्सा काट लेते हैं। क्योंकि, नौकरी कोई पैदावार नहीं। पैदावार तो जमीन से या कारखानों से होती है।

(श्रीमान उपसभाध्यक्ष जी कुर्सी पर विराजमान हुए।)

अगर, जमीन और कारखानों का ही हिसाब लगाया जाये तो खेती की जो पैदवार है वह 45 से 50 के बजाये 60 फीसदी है। लेकिन, हम इसके लिए कितना पैसा देते हैं? मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर, हमें संरक्षण देना है तो जातिवाद से ऊपर उठकर देना होगा। जो जितना पैदा करते हैं, उनके लिए हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। आज संरक्षण उन लोगों को नहीं दिया जाता है, जो गुड़ की पैदावार करते हैं, जिनके पास एक किला या दो किला जमीन है। जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गुड़ का संरक्षण हम नहीं करेंगे, क्योंकि, अगर, वह सारा का सारा नष्ट हो जाता है तो हम इतना नुकसान नहीं उठायेंगे। उनका कहना है कि अगर, इसके संरक्षण में नुकसान होता है तो हम गुड़ को क्यों खरीदेंगे? में पूछता हूँ कि संरक्षण और आरक्षण की। इसलिए, जरूरत है कि इस देश की आजादी के बाद दो सौ, ढ़ाई सौ करोड़ रूपयों की सबसिडी हर साल उन 15 प्रतिशत लोगों को दी गई है जो सरकारी आदमी है या जो शहरों में रहने वाले है। उन लोगों को सस्ता अनाज मिले और उनको कोई कठिनाई न हो, इसी बात को अब तक ध्यान में रखा गया है। गाँवों में जो किसान है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज हमारे देश में यह स्थिति हो गई है कि गाँव का किसान जो गन्ना पैदा करता है, जो सबका जीवन चलाता है। उसको किसी प्रकार की सबसिडी देने के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं है। शाही जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? उनकी पार्टी के मंत्री की तरफ से इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि गुड़ अगर, नष्ट हो जाता है तो उसको हम कोई संरक्षण नहीं देंगे। श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी भगवान के प्यारे हो गये। उनका स्वर्गवास हो गया। वे आंकड़े दिया करते थे कि कितने लोगों के हाथ में आज हमारे देश का प्रशासन तंत्र चल रहा है। उनका कहना था कि हमारे देश में कुल 700 या 800 कुटुम्ब होंगे, जिनका

हिन्दुस्तान की सारी नौकरियों पर कब्जा है। इसी प्रकार के लोग हमारे देश की पार्टियों में भी फैले हुए है। आज हमारे देश में यह हालत हो गई है कि अगर, कोई मुख्यमंत्री यादव जाति का हो जाता है तो वह जातिवाद का द्योतक बन जाता है। दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो तो उसको जातिवाद का द्योतक नहीं माना जाता है। हमारे देश में जितने भी ऊंचे-ऊंचे पद है या जो योजना कमीशन के सलाहकार है, वे सब ऊंची-ऊंची जातियों से संबंध रखते हैं। चीनी खाने के लिये विदेशी मुद्रा भी खर्च की जा सकती है। लेकिन, गाँवों के लिये बिजली पैदा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। अगर, गाँवों का विकास करने की बात कही जाती है या उसके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करने की बात कही जाती है तो बताया जाता है कि इस प्रकार मुद्रा स्फीति से देश तबाह हो जाएगा। यह बात किसी की समझ में नहीं आती कि जब तक गाँवों में रहने वाले गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है।

अभी श्री महन्ती जी ने लायक और नालायक की बात कही। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि लायकी किस चीज को कहते हैं और नालायकी किस चीज को कहते हैं? इसका फैसला कैसे होगा? हिन्दुस्तान में बहुत से मुख्यमंत्री हुए। देश की आजादी के बाद अनेक मुख्यमंत्री राज्यों में हुए। श्री कामराज भी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हुए। वे न तो अंग्रेजी जानते थे और न ही हिन्दी जानते थे। फाइलों को पढ़ना भी नहीं जानते थे। लेकिन, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उस तमिलनाडु में आज भी बिजली से चलने वले पम्पों की तादाद देश भर में सबसे ज्यादा है। ऐसी हालत में यह कहना कि एम.ए., एल.एल.बी. ही लायक होता है और दूसरे लोग नहीं होते हैं तो यह कोई उचित बात नहीं है।

उप-सभापति जी, मुझे भी 15-16 चीफ इंजीनियरों के साथ काम करने का मौका मिला है। मैंने देखा कि वह मिस्त्री, जिसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, वह बताते हैं कि साहब यह लिख दो। आजकल डाक्टरी की कक्षा में प्रवेश का जो इम्तिहान होता है, उसमें क्या देखते हैं? उसमें देखते हैं कि अंग्रेजी किसको अच्दी आती है। यह नहीं देखते कि सेवा कौन कर सकता है? गाली खाने के बाद, माता-पिता की गाली खाने के बावजूद भी दवाई सही कौन दे सकता है? हमारे संविधान में लिखा है कि भेदभाव नहीं होगा। लेकिन, भेदभाव है जो बच्चा बचपन से टेलीविजन देखता है। बचपन से पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में टेलीविजन देख लेता है। उसका मुकाबला देहाती बच्चे, जिसने कभी टेलीविजन बिल्कुल नहीं देखा कैसे करेगा? इसके हिसाब

से ही नम्बर दिये जाते हैं। मेरा दावा है और मैंने यह देखा है कि जो इम्तिहान में अंग्रेजी पास होते हैं। मैं फौज का जिक्र कर रहा हूँ, तो जो अंग्रेजी के इम्तिहान में आगे आये वह लड़ाई के मेंदान में भागते नजर आये और वह अफसर जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, जिनको लिखना कम आता था और किसी कारण भर्ती हो गये, उन्होंने देश की रक्षा की। वह अच्छे अफसर बने। अच्छी अंग्रेजी जानने से किसी आदमी की लियाकत बढ़ती हो तो ऐसी बात नहीं है। मुझे माफ करेंगे जो उन्होंने ख्याल दिया कि अंग्रेजी से लियाकत बढ़ती है। बंगाल में बड़े क्रांतिकारी हुए। उत्तर प्रदेश की जागीरदारी खत्म हो गई। लेकिन, बंगाल की जमींदारी खत्म नहीं हुई, कांग्रेस के 30 साल के राज में। मैं कमलनाथ राय जी की इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी लियाकत को अंग्रेजी से आंकना बिल्कुल गलत है। यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि यह बात अभी भी चल रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है, जब में देखता हूँ कि जनता पार्टी के जो नये-नये मंत्री बने, उनमें से कई दोस्तों ने अपना जवाब हिन्दी में दिया। कुछ दोस्तों ने यह मांग की कि अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए, बावजूद इसके कि यहां पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के जरिये वह उस बात को सुन सकते हैं। अगर, एक मंत्री हिन्दी में जवाब देना चाहता है तो सदन के कुछ सदस्य उनको अंग्रेजी में बोलने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? मानो वह किसी इलाके के झगड़े में फंसे हुए है। हिन्दी देश की भाषा है, देश की लिंक लैंग्वेज हिन्दी रखी गई है, संविधान बनाने वालों की तरफ से। आज 30 साल बाद भी हिन्दी में उनके जवाब पर आपत्ति होती है तो यह इस बात को जाहिर करता है कि हमारे देश में संरक्षण और आरक्षण के बगैर गरीब कभी चल नहीं सकता। हरिजनों को आज भी चीनी नहीं मिलती गाँवों में। हाँ, मैं यह जरूर मानता हूँ कि हरिजनों के नाम से कुछ ही लोगों को इसका फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। एक स्तर हो और उस स्तर के ऊपर जो पहुंच गया हो...।

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu) : Even in the Constituent Assembly only by the casting vote of Dr. Rajendra Prasad it was decided that Hindi shall be the *lingua france.*

श्री रणबीर सिंह : उपसभापति जी, मैं श्री जी. लक्ष्मणन् साहब की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वह तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मैं तो संविधान सभा का सदस्य था। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि डा. राजेन्द्र प्रसाद....।

SHRI G. LAKSHMANAN : I am only telling you how it was decided in the Constituent Assembly. It was decided by one-vote majority.

श्री रणबीर सिंह : Please listen to me, my friend...

यह बिल्कुल गलत बात है डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को कभी भी कांस्टिटुयेन्ट असेम्बली में मत देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि, वह उसके प्रधान थे। बल्कि सही बात यह है कि जब भाषा के बारे में संविधान सभा ने रेजोल्यशन (Article) पास किया।

SHRI G. LAKSHMANAN : Only by one vote it was decided in the Constituent Assembly.

SHRI RANBIR SINGH : Please try to have some knowledge from others also.

यह तो इतिहास की बात है उपसभापति महोदय, अगर, जी. लक्ष्मणन साहब इनकार करते हैं, वे लायब्रेरी में संविधान सभा की रिपोर्टें पढ़े। यदि वे नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हम जो जिंदा है, हमसे ही सुन और समझ ले। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ। उनकी जानकारी के लिए कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद कभी अपनी राय नहीं दिया करते थे। क्योंकि, वे संविधान सभा के प्रधान थे। संविधान सभा में जब भाषा के बारे में प्रस्ताव पास हुआ तो वह सर्वसम्मति से हुआ। इसमें महर्षि राजर्षि टंडन जी का विरोध था। उनका किस बात में इत्तिलाख (विरोध) था हमारे कृष्णकांत जी के पिता लाला अनंत राम ने खिलाफ राय दी कि यह जो आंकड़े हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा अंग्रेजी के यह आंकड़े इंटरनेशलन है और ये हिन्दुस्तान से गए है तो टंडन जी ने कहा यह मेरे लिए आत्मा का सवाल है और यह आंकड़े हिन्दी में ही होने चाहिएं अंग्रेजी वाले नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर विरोध प्रकट हुआ था संविधान सभा में। आप जाकर लाईब्रेरी मैं यह चीज पढ़ें। पता नहीं आपके दिमाग में यह बात कहां से आ गई कि डा. राजेन्द्र प्रसाद की राय से हिन्दी देश की लिंक भाषा बनी। उपसभापति महोदय, में क्षमा चाहूंगा मुझे ये दूसरी तरफ खींच कर ले गए। मैं तो आर्थिक विषय के बारे में बात कर रहा था। मुझे भाषा से बैर नहीं है। मैं तो जिस वक्त ये राजनीति में पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त अंग्रेजी का ग्रेजुएट बना था और 31 वर्ष मुझे हो गए हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा कांस्टीच्यूएंट असैम्बली तथा विधान सभाओं में रहा हूँ। में सात सदनों का सदस्य रहा हूँ।

SHRI G. LAKSHMANAN : For your information, my age is 54.

श्री रणबीर सिंह : उसको दो से डिवाइड कर लो। मेरे ख्याल में शायद ही

कोई एक–आध सदस्य होगा जो सात सदनों का सदस्य रह चुका हो। इसलिए, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मुझको भाषा का कोई विरोध नहीं है। न अंग्रेजी से विरोध है, न ही दक्षिण की दूसरी भाषाओं से विरोध है, उनसे मुझे प्यार है। मैं तो चाहता हूँ कि उनमें काम शुरू हो। लेकिन, विदेशी भाषा में इम्तिहान में टेस्ट न हो। विदेशी भाषा की बिना पर नौकरी मिलेगी, दाखिला मिलेगा, यह गलत है। मैं महंती जी को बताना चाहता हूँ कि मद्रास में उन्होंने 10 फीसदी ब्राह्मणों के लिए नौकरियां रिजर्व कर दी। वे 49 प्रतिशत वाले चक्कर में नहीं आए। 90 प्रतिशत दूसरों के लिए अपने आप रिजर्व हो गई। 25 प्रतिशत पोस्टें उनके लिए रिजर्व कर दो और बाकी हमारे लिए रहने दो। यू.पी.एस.सी. मेंम्बर है और चेयरमैन है या प्रदेशों के पब्लिक सर्विस कमीशंस है। उन सबको पिछड़ी जातियों में से छांट दो। यह मानना कि पिछड़ी जातियों में देहात वाले नौकरी के लायक नहीं है। वे इस बात को नहीं जानते हैं कि अगर, सबको नौकरी से हटा दिया जाये तो भी आज हरिजन अकेले नौकरी की आसामियां पूरी कर सकते हैं। आई.ए.एस. बन सकते हैं। आई.पी.एस. बन सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज लियाकत की बिना पर उनको आगे नहीं आने दिया जाता हो। बात यह है कि जिनका ठेका नौकरियों पर होता है, वे दूसरे खानदानों को नहीं आने देते हैं। गाँव के ब्राह्मणों को दाखिला नहीं मिल सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम किसी तरीके से यह जो ठेकेदारी बन गई है, उनकी ठेकेदारी तुड़वा ले। जिस प्रकार जागीरदारी समाप्त हो गई है, रजवाड़ाशाही खत्म कर दी है, नौकरियों में भी उसी तरह ठेकेदारी को हमें खत्म करना चाहिए। इस काम में हमें घबराना नहीं चाहिए। मंडर साहब की यह लियाकत की बात बहकाने वाली बात है जो भी जवाब आप देते हैं, अपनी भाषा में जवाब दे। मंत्रालय द्वारा लिखा हुआ जवाब बिलकुल न माने। जो भी जवाब सेक्रेटरी से ड्राफ्ट होकर आया हो, अगर वह आपके मन के खिलाफ है तो उसका उल्टा लिखो तो जवाब अपने आप सही हो जाएगा। में फिर प्रस्तावक महोदय से निवेदन करता हूँ कि भाई इस तरह से जनता पार्टी की पोपुलेरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। पापुलेरिटी नहीं बढ़ने वाली है कि प्रस्ताव पास हो और आप उसके लिए सर्विस में आरक्षण, संरक्षण न कर सके। अगर, आरक्षण, संरक्षण कर सकें तो होगी। लेकिन, आपके साहस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

राज्य सभा

वीरवार, 2 मार्च, 1978 ई.*

बाल विवाह निरोधक (संशोधन) विधेयक, 1978

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : 5 मिनट लें।

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, आपका हुक्म तो शिरोधार्य है। लेकिन, मामला बड़ा गम्भीर है। आप जानते हैं, यह कानून जब सेन्ट्रल असेम्बली में विधेयक के तौर पर आया था तो वह एक आर्य समाजी का विधायक था, श्री हरविलास शारदा जी ने इसको पेश किया और आर्य समाज के पुराने धर्मशास्त्री यह मानते हैं कि जिस वक्त बह्मचर्य आश्रम था। हमारा समाज 4 आश्रमों में बंटा होता था–ब्रंह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और सन्यास– और जहां समाज में सिनेमा जैसी कुरीतियां नहीं थी। आज का आधुनिक प्रचार नहीं था। उस वक्त भी ऐसा माना जाता था। भारत में, वैदिक युग के समय से 16 साल की उम्र के बाद पुत्री शादी के लायक हो जाती है। अब 16 की बजाये मंत्री महोदय 18 साल विवाह की आयु करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : चौधरी साहब, तुलसीदास जी ने कहा–बरस 18 की सिया, 27 के राम।

श्री रणबीर सिंह : पांडे जी, वह सारी व्याख्या आप कीजिए, मैं अपनी व्याख्या करूंगा।

Rajya Sabha, Child Marriage Restraint (Amdt.) Bill, 1978, 2 March 1978, Page 200-206

मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं होता अगर, बच्चे की, लड़के की आयु 21 वर्ष से 25 वर्ष कर देते, क्योंकि, यह वैदिक सभ्यता के मुताबिक है। न इस देश की हालत के मुताबिक है। यह तो कुछ पाश्चात्य सभ्यता के दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है। जहां तक इसकी भावना का संबंध है, उपसभाध्यक्ष जी, में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि शारदा जी ने जब वह विधेयक पास कराया था तो उस वक्त इक्ट्ठा (अविभाजित) पंजाब था। सबसे पहले जब वह कानून आया उस वक्त, वहां पुलिस को अधिकार नहीं था कि जिससे कोई दरख्वास्त दे तो उस पर गौर हो सकता था। सबसे पहले मेरे पिता जी ने छोटी उम्र में शादी करने वालों के खिलाफ दावा किया था। मैं भी बच्चों की शादी के हक में नहीं हूँ। प्रौढ़ होने पर शादी होनी चाहिए। इसलिए, नहीं कि फै मिली प्लानिंग का इससे कोई ज्यादा सम्बन्ध है। वह तो 16, 18 या 25 के बाद कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा संबंध जोड़ना, सही नहीं है। लेकिन, यह बात जरूर सही है कि हमारा देश एक ऐसा देश है, जिसमें आपस में बैर भी है। कोई थानेदार को घूस देकर किसी को गिरफ्तार करा लेगा, या फिर गाँव में ऐसी हालत होगी कि कोई बताएगा नहीं कि 14 साल की शादी है या 16 साल की शादी है। वह थानेदार कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसा भी है कि उसके विपरीत कहेगा कि उसकी उम्र 19 साल है तो उसको भी 17 साल साबित करने की कोशिश की जाएगी। बच्चे की उम्र 22 साल है तो उसको 20 साल साबित करने की कोशिश की जाएगी। यह मुकदमेंबाजी देश में बढ़ाना अच्छी चीज नहीं है। देश में तरह-तरह के समाज है।

देहात में आप जानते हैं कि शादी के मायने कुछ होते नहीं। असली शादी तो जब होती है, जब लड़का दुबारा आता है और उसकी उम्र 18 या 21 साल हो तो कोई बात नहीं। शादी तो एक जरिया है, गरीबों में लड़के और लड़कियों का सम्बन्ध बांधने का। कई बार उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं होती और इसलिये, दो, तीन इक्ट्ठे करके शादी कर देते हैं। उसमें किसी की उम्र छोटी भी हो तो कोई परवाह नहीं करता। वह शादी कर देता है। लेकिन, आज भी हमारे समाज में है कि 14 या 16 साल से कम उम्र में जिसको सैकिण्ड मेंरिज कहते हैं, वह करते नहीं। जो विदेशी सभ्यता है, उसके मुताबिक जिसको मेरेज कहेंगे, वह हमारे यहां नहीं होती। वह सेकिण्ड मेरेज में होता है। आप जानते हैं कि शादी के बाद लड़के लड़की को इक्ट्ठा नहीं रहने दिया जाता। समाज की इसके लिए इजाजत नहीं है तो वह शायद शादी 14 साल की उम्र में हो या 16 की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 के बाद अगर, सैकिण्ड मेरेज होती

है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक हालात की बिना पर जो मजबूरियां होती हैं, उनकी वजह से छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। वह एक तरह से सम्बन्ध में बांधना है। फिर जैसा कि शाही साहब ने कहा, हमारे देश में जैसा सरकारी काम चलता है, उसकी सजा हम आज इधर बैठकर भोग रहे हैं। उसका आनन्द हमारे मंत्री जी उधर बैठकर ले रहे हैं? हमारा जुर्म क्या था? हमारा जुर्म भी था क्या? लेकिन, 60 साल वाले बुढ़े को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसने कहा कि मेरे तो बच्चे है, बीबी नहीं है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अभी हम तुमको 35 साल का जवान बना देंगे। तो आज भी पुलिस वाले वही है। न वह आई.पी.एस. बदले है और न वह थानेदार बदले है। हम तो बदल गये। उनकी शिक्षा दीक्षा है वह भी नहीं बदली। आज इस बहाने से कह देना चाहता हूँ, जिनकी क्वालिफिकेशन का बड़ा ढ़िढोंरा पीटा जाता है कि वह बड़े लायक हैं। वह काहे के लायक है? पहले वह हमारे एजेंट थे, आज वह हमारे खिलाफ एप्रूवर बनेंगे। एजेंट बनना आई.ए.एस. और आई.पी.एस. लोगों का धंधा हो गया है। अगर, आपको गिरफ्तारी करानी है तो आज ही करा दीजिए। हम तो तैयार बैठे है। इसके कारण क्यों कराना चाहते हैं। यह अधिकार जो दे रहे हैं कि पुलिस वाला मेंजिस्टेऊट के पास भी न जाये और वैसे ही बांध ले। यह बहुत ज्यादा है। आप लोग भी कहीं इस रौ में न बह जाये। आप क्यों नहीं हमसे शिक्षा लेते? हमारा इरादा तो बड़ा नेक था। देश की आबादी बढ़ती जा रही थी और देश की बढ़ती आबादी पर काबू पा सके। इसके लिये फै सला किया गया कि फै मिली प्लानिंग हो। मैं मानता हूँ कि हमारी भूत पूर्व प्रधानमंत्री जी को भी शायद पूरी तरह से पता न हो और संजय गाँधी जी को भी पता न हो कि उसके प्रोग्राम को लेकर क्या-क्या हुआ, किस तरह से 60 साल के बुढ़े को 35 साल का जवान बनाया गया? (व्यवधान) चौधरी साहब आपका भी नम्बर आ सकता है। कहीं कांग्रेस वालों का राज हो गया तो आप यकीन रखिये कि वह आपके खिलाफ शहादत लेकर पेश होंगे और आप दिखाते रहियेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है। हमारे लड़के की उम्र का यह सर्टिफिकेट है आप भी जानते हैं। और हम भी जानते हैं कि देहात में जो जन्म तिथि लिखी जाती है। उसमें बच्चे का नाम नहीं लिखा जाता। ऊटपटांग नाम लिख देते हैं। उसको कहीं भी जोड़ा जा सकता है। उसका नाम कुछ और मिलेगा। वहां कुछ और नाम मिलेगा और जन्म तिथि से साबित नहीं हो सकेगा कि आपका यह लड़का 18 या 21 साल का हो गया है, चौधरी साहब आपकी मजबूरी आयेगी।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : चौधरी साहब यह साबित नहीं कर सकेंगे कि यह उन्हीं का लड़का है।

श्री रणबीर सिंह : चौधरी साहब आपके ऊपर भी मजबूरी आयेगी, मेरे ऊपर भी आयेगी। लेकिन, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें। यह तो एक बड़ा लम्बा चौड़ा भाईचारा है हमारे मंत्री महोदय के जितने समर्थक है, जो आज हमारे जैसे मुखलिफ है, वह झूठ लगायेंगे या इनको हमारे खिलाफ लगायेंगे। इस समाज में आप एक नयी राजनीति का मोड़ क्यों देना चाहते हैं? आप समझते हैं कि जो एजेन्ट थे, वह आज अप्रूवर हो गये, इसलिए आप उन पर विश्वास करने लग गये। वह आज अगर, अपूरूवर हो रहे हैं तो जो आपके आज एजेन्ट है वह कल अप्रूवर बनेंगे। लेकिन, एक बात आप समझ कर चलेकि देश में जो हालत है, इस देश का तौर-तरीका जो है, यह सब देखकर चले। यहां श्री किशन चन्द का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था। आज वह सबसे बड़ा अप्रूवर हो गया। कोई बात आये तो किशन चन्द यह कहते हैं, वह कहते हैं। जो सबसे बड़े एजेन्ट थे, वे सबसे बड़े अप्रूवर हो गये है। चाहे सरकारी मुलाजिम का हिसाब लगायें चाहे किसी का। श्री साही जी इतने साल पार्लियामेंट में रह गये, ऐसेम्बली में रह गये, इनको मालूम नहीं कि इनकी जन्म तिथि क्या है? शायद मंत्री महोदय को पता होगा, दूसरे मंत्री महोदय का पता न हो।

(व्यवधान)

लेकिन, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरी जन्म तिथि यह है। लेकिन, मैं साबित नहीं कर सकता। जिस रोज में पैदा हुआ, पता नहीं मेरे से पहले और बाद भी मेरे भ्राता पैदा हुए है। उस रोज रजिस्टर में पता नहीं मेरा क्या नाम लिखा होगा। रणबीर सिंह तो नहीं होगा। वह तो बाद में हुआ होगा। यह साबित करना मुश्किल है। अदालत को साबित करना बड़ा मुश्किल है। यह बात तो साबित करना और भी मुश्किल है। मंत्री महोदय। इस देश के ऊपर एक दूसरा फै मिली प्लानिंग का प्रहार चलाने का कार्य आप कर रहे हैं। जरा सोचें और भी कुछ नहीं तो कम से कम आप ऐक्सप्लेनेशन में दे दें कि विवाह के मायने सैकिण्ड मेंरिज, जिसे गौना कहा जाता है, वह होगा। वह तो एक रास्ता है। कहीं फे रे देकर, कहीं बात पक्की कर दी जाए तो हमारे यहां कह दिया जाता है कि शादी हो गई। इसके अलावा विवाह की रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं होती। मैं करूंगा सगाई और शहादत आयेगी कि ब्याह कर दिया। मैं कैसे साबित करूंगा कि ब्याह नहीं हुआ? जिसका चालान होगा वह कैसे साबित कर सकता है कि शादी नहीं हुई। जो मुकदमा चलायेगा, पुलिस वाला उसको तो शहादत, सबूत मान लिया जाएगा। लेकिन, जिसकी शादी होगी या सगाई होगी उसको मुश्किल हो जाएगा यह साबित करना कि नहीं हुई है। हमारे समाज में जिस

तरह से आप एक बन्धन देना चाहते हैं, उनको बांधना चाहते हैं। वह नहीं हो सकता। इरादा आपका अच्छा है। फर्क इतना है कि आप 16 साल की लड़की के बजाये 18 साल की लड़की को शादी के योग्य मानते हैं। गाँव वाले 16 को मानते हैं। शहर में चाहे कम हो। लेकिन, गाँव में 16 साल की लड़की बड़ी ह्रष्ट-पुष्ट, तगड़ी होती है। हमारे ऊपर यह जुल्म क्यों करना चाहते हैं? यह अच्छा नहीं है। लेकिन, फर्ज किया कि आप इसमें कोई संशोधन करने के लिए तैयार नहीं होते और हमारे साथी सब भाग गये। मैं अकेला रह गया तो हमारा मामला वैसे ही गया, नहीं तो आपको हम यहीं पर हरा सकते थे। वैसे कोरम का सवाल उठाकर मैं आपको हरा सकता हूँ। लेकिन, यह अच्छा नहीं लगता, एक प्रचार हो जाता। इसलिए, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यह कहिये कि शादी के मायने न सगाई है, न फेरे हैं, शादी के मायने दरअसल में एक विवाद के बाद स्त्री-पुरूष का जो सम्बन्ध स्थापित होना है, वह सम्बन्ध है। उसके ऊपर आप रोक लगाना चाहते हैं। जो सगाई देकर या फेरे देकर लड़के-लड़कियों का जो हम रोकना कहते हैं। वह शादी नहीं है। वरना मामला बड़ा वल्नरेबुल होने वाला है। वह कहेगा कि यह वजीर का मामला है, उनका हुकम है। मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ। मैं अगर इसको नहीं करता तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता या नये मीसा में बंद कर दिया जाता। इसलिये, मेरा कहना है कि जरा सोच कर, समझ कर इस वा शांति से गौर करें। हमारे जो पुलिस वाले है, दूसरे महकमें है, कार्यकर्ता है, उनकी क्या दिमागी अवस्था है, इसको भी देखें कि किस तरह से वे काम करते हैं। इन सारी बातें को ध्यान में रख कर इसमें कोई संशोधन लायें तो इससे आपका भी भला है, हमारा भी भला है और समाज का भी भला है।

राज्य सभा

मंगलवार, 14 मार्च, 1978 ई.*

बजट (सामान्य) 1978-1979

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, जनता पार्टी का ऐलान था कि अब तक जिस तरह से देश में काम चला आया है, वह बड़े-बड़े कारखनेदारों को बढ़ावा देने के लिए चला है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हों या पब्लिक सेक्टर में हो। छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धंधों को या कृषि में जितना पैसा लगना चाहिए था, वह नहीं लगा। अब एक साल हो गया। पहले साल तो कहा गया था कि वह बजट जाने वाली सरकार का बनाया हुआ है। हमारे पास समय बहुत कम था। इसलिए, हम उसमें ज्यादा बदल नहीं कर सके। अब कुछ फे रबदल करने की कोशिश की है तो कुछ साथियों को इस पर गिला हो सकता है कि घरेलू उद्योग-धंधों को, जैसे खादी और ग्रामोद्योग के लिए कुछ पैसा अधिक दिया जाए या कृषि के ऊपर, कृषि के उत्पादन और कृषि सुधार में, ज्यादा रूपया दिया जाए। इस पर भी उनकी दो राय हो सकती हैं। हो सकता है, जैसा कि अभी एक दो साथियों को हमने सुना कि जो इकानॉमिक सर्वे है, उस पर आर्थिक विशेषज्ञों ने यह बात साबित करने की कोशिश की है कि खेती करने वालों के पास रूपया ज्यादा है। यह कोई सोच नयी नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, जो भाई तनख्वाह-दार है, वे कभी दूसरे इशारों में काम करने वालों का सोच नहीं कर सकते हैं। यह उनका दोष नहीं है। उनकी जिस तरह से परवरिश हुई है, उसका दोष है। हमारे देश में क्या तरीका है कर लगाने का? आज दस हजार

**Rajya Sabha, Budget (General) 1978-79, 14 March 1978, Page 175-186*

रूपये तक कोई टैक्स नहीं है। खेती में टैक्स का क्या तरीका है कि अगर, एक भाई के पास घाटा हो तो भी उसको खेती का कर देना होगा। खेती का टैक्स अकेला ही नहीं है। जितने भी टेढ़े टैक्स है, अप्रत्येक्ष, वह सब उनको देने पड़ते हैं। 80 फीसदी लोग देहात में रहते हैं। खेती पर निर्भर है। जो भी टेढ़े टैक्स लगाये जाते हैं, इनकम टैक्स और कारपोरेशन टैक्स के अलावा या कम्पनी टैक्स के अलावा जो भी बढ़ोत्तरी होती है। उसका 80 फीसदी नहीं तो 60 फीसदी खेती करने वाले और छोटे-छोटे ग्रामोद्योगों में काम करने वालों को देना पड़ता है। उपसभाध्यक्ष जी, आप तो उन लोगों में से है कि जो मेरे से सहमत है और रंगा साहब भी मेरे से सहमत है। लेकिन, बहुत से विशेषज्ञों का यह ख्याल है कि देश में समाजवाद तभी पूरा होगा, जब खेती को इस ढ़ंग से बांट दिया जाये कि किसी के फायदे के लिये वह रहे ही नहीं। यही सोच रखने वाले भाईयों ने हमेशा जमीन के बंटवारे की बात की है। हम क्या देखते हैं? मुझे बार-बार प्रकाशवीर शास्त्री जी की बात याद आती है कि हिन्दुस्तान के जो भाई बड़े-बड़े सरकारी मुलाजिम हैं। वह सारी बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों को सात या आठ सौ कुटुम्बों में बांट लिये है। मियां भी आई.ए.एस. है। उस पर कोई सीलिंग नहीं है। घरवाला भी डॉक्टर हो सकता है और घरवाली भी डॉक्टर हो सकती है। इनकम टैक्स लगेगा 20 हजार पर। दस हजार की उसको छूट है। खेती जिसमें बुढ़ा भी काम करता है और बुढ़िया भी काम करती है, जवान भी काम करता है, बीवी भी काम करती है और नाबालिक भी काम करता है। उन सबका एक कुटुम्ब होता है। ऐसे खेत को बोने वाले हमारे देश के 80 फीसदी नागरिक है। देश में जिनका राज है, वह लोग, हम लोग भी और जनता पार्टी के लोग भी दावा करते हैं कि हम सब जनता के हितैषी है। सब कहते हैं कि बदलेंगे। लेकिन, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी बात बदली है? टैक्स लगाने की बात है तो किसानों को भी 20 हजार से ऊपर छूट दे दो। लेकिन, वह कैसे दे सकते हैं? क्योंकि, आर्थिक विशेषज्ञ तो कहते हैं कि खेती वालों के पास ही रूपया होगा।

बड़े-बड़े कारखानेदारों का पूंजी चौगुनी-पाँच गुनी हो गई। लेकिन, जमीन किसानों को बंटती है। फिर भी किसान साहूकार है, उसी के ऊपर टैक्स लगाने की बात होती है। यही हमारे देश की पढ़ाई है और इसको बदलने के लिए अगर, कोई कोशिश करे, चाहे वह चौधरी चरण सिंह हों या जार्ज फर्नेंडीज हों, अगर, कोई घरेलू उद्योग घंधों के बारे में। ग्रामोद्योग के बारे में बात करता है तो देश के पढ़े लिखे लोग, जो हिन्दुस्तान के विशेषज्ञ हैं, वे कभी उससे सहमत नहीं हो सकते। मुझे गिला है कि

जो जनता पार्टी के नेता मकानों की चोटी पर चढ़कर ऐलान करते थे कि तीस साल तक खेती करने वालों के साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने भी न्याय नहीं किया। इसके बावजूद आज भी गिला किया जाता है। आज हम क्या देखते हैं। उपसभाध्यक्ष जी। यहां पीछे एक प्रश्न हुआ। राज्यसभा में एक सदस्य ने प्रश्न किया कि बिजली पैदा करने वाले संस्थान, देश के जितने भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, उनके जिम्में ब्याज कितना है और कितना ब्याज वह अदा नहीं कर सके? वह साढ़े आठ सौ करोड़ रूपया, हरियाणे का मैंने देखा तो वह 64-65 करोड़ रूपया है

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश में जितनी सिंचाई की योजनाएं हैं, जितने बिजली के संस्थान हैं, उनको हमारे आर्थिक विशेषज्ञ घाटे का सौदा बताते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल देश में जो कारखाने हैं, उनसे जो आमदनी होती है, वह कम हुई और खेत की जो पैदावार है, उसमें बढ़ोतरी हुई। उसका क्या नतीजा हुआ? किसानों को क्या ईनाम दिया, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए जनता पार्टी के नेताओं ने? वह आप सब जानते हैं। आज से दो तीन साल पहले दुनिया में जितनी चीनी महंगी थी, हमारी सरकार ने हजारों करोड़ों रूपया किसानों से सस्ता गन्ना लेकर विदेशों में महंगी चीनी बेचकर विदेशी रूपया कमाया। एक-एक सल में 700-800 करोड़ रूपया कमाया। जनता पार्टी की सरकार आई है जो मकान के ऊपर चढ़कर ऐलान करती है कि हम खेती करने वालों के हमदर्द है। लेकिन, चीनी उपभोक्ताओं का दबाव पड़ता है कि चीनी हमारे भंडारों में है, बाहर के देशों में चीनी नहीं भेजी जा सकती है। अनाज का भण्डार है 18 मिलियन। लेकिन, उसको टाड़ा खा सकता है। सुरसी खा सकती है। लेकिन, बाहर के देशों में उसको नहीं भेजा जा सकता है। क्योंकि, उपभोक्ताओं का डर है। यह 30 साल तक कांग्रेस पार्टी को उपभोक्ताओं का डर खा गया। हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारे देश ने दुनिया में सबसे पहले खेती करना सीखा। वह घाटे का काम बन गया। ऐसी बात नहीं थी कि हम इस देश में खेती की पैदावार नहीं बढ़ा सकते। खेती की पैदावार बढ़ी। गुड़ की हालत है, वह पिछले साल में 125 रूपये से 150 रूपये क्विंटल तक बिकता था। इस साल 75 रूपया बिकता है और हमारा कृषि मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय, जिन्होंने विदेशी रूपया एक-एक हजार करोड़ रूपया एक-एक साल में चीनी बेचकर कमाया, वह गुड़ को खरीदने के लिए सौ या दौ सौ करोड़ रूपया नहीं निकाल सकता। हमारे अर्थ-शास्त्री कहते हैं कि किसानों के पास पैसा बहुत है। वह टैक्स लगाने का सुझाव दे सकते हैं। गुड़ को पानी बनाना मंजूर है, गन्ने को जलवाना मंजूर हो रहा है। लेकिन, देश की सही

आर्थिक नीति के लिए ऐसे सुझाव नहीं देंगे, चाहे योजना कमीशन हो, चाहे हमारे अर्थ-शास्त्री हों, कभी वह सही करेंगे नहीं।

उपसभाध्यक्ष जी, इस बजट में कृषि के अर्थ शास्त्रियों की कुछ बढ़ौतरी और उस संस्थान को मजबूत करने की बात की है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर, वैसे भाई ही जो योजना कमीशन में बैठे हैं, या वैसे भाई जो 30 साल से हमारे इकोनोमिस्ट हैं, वही विशेषज्ञ हैं, जिनकी भर्ती का सवाल हैं तो खेती करने वालों के ऊपर रहम करो। मैं तो इससे आगे कहता हूँ कि अगर, देश की तरक्की करनी है तो कुछ सोच करो। मुझे बहुत हंसी आती है कि जो अपने आपको समाजवादी कहते हैं। वे बात करते हैं, मर्केन्टाइल इकोनोमी की। मर्केन्टाइल इकोनोमी के जो विचार है, उसी विचार को सोचते हैं। मैं आपको बताऊं कि हरियाणा और पंजाब 75 फीसदी अनाज देश के शहरों के लिये पैदा करते हैं। ये ही दो प्रदेश हैं जो सबसे अधिक अनाज पैदा करते हैं।-चाहे वह गेहूं हो या चावल हो। पर उन पर ब्याज जरूर लगाया जाता है। दुनियां के जो बड़े-बड़े देश है, वे हिन्दुस्तान की सहायता करते हैं। रूपया देते हैं। और ब्याज छोड़कर रूपया देते हैं। अगर, ब्याज लेते भी है तो एक-दो फीसदी ब्याज लगाते हैं। लेकिन, यह जो हिन्दुस्तान की सरकार है, जो खुद ब्याज अदा नहीं कर सकती। आपकी सरकार से मेरा कोई आज की सरकार से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है केन्द्र सरकार से चाहे वह पिछले 30 साल तक रही हो या आज की हो, जो कर्जा प्रदेश की सरकारों को देते हैं। वे कर्जे का ब्याज देश की केन्द्रीय सरकार को पूरा नहीं दे सकते, जबकि सिर्फ 6 फीसदी ब्याज ही लिया जाता है। अपने किसानों से ब्याज व कर्ज जबरदस्ती वसूल करते हैं। जिनसे कि 18 फीसदी ब्याज लिया जाता है। क्या इस बनिया सरकार से कभी पिण्ड छुड़ेगा इस देश का ?

चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता की सरकार हो, इस ब्याज ने देश को तबाह करके रख दिया है। अगर, ब्याज खाते को पूरा करने के लिये किसी बिजलीघर को आप बंद कर देंगे, गर्मियों में पंखों की हवा और सर्दियों में हीटर वगैरह की गर्मी विशेषज्ञों को नहीं मिलेगी तो वे आपके आगे हाथ जोड़ने लगेंगे। यह बहुत अच्छा तरीका है जो संस्थान बिजली पैदा करते हैं। उनकी खास तौर से योजना भवन की बिजली बंद कर दें-चाहे वहां सर्दियों में बिजली देना बंद कर दें ताकि हीटर की गर्मी न ले सके। जहां-जहां योजना कमीशन के सदस्य रहते हैं, वहां बिजली न पहुंचे, ऐसा कोई तरीका निकाले और जो बिजली में काम करते हैं, वे यह ऐलान कर दे कि जब तक ब्याज का खाता नहीं मिटेगा तब तक बिजली नहीं मिलेगी तो सब

काम सही हो सकता है। इनके कपड़े बिजली से धुलते हैं। इनके बर्तन बिजली साफ करती है। इनको बिजली मिलती है। 17 नये पैसे फी यूनिट के हिसाब से, जबतकि देहात में रहने वालों को 34 नये पैसे बिजली मिलती है। यह है समाजवाद। यह है साम्यवाद। इस समाजवाद और साम्यवाद का ढ़िंढ़ोरा अब इस देश में कभी बंद होगा या नहीं ? मैं आपके द्वारा यह सरकार से पूछना चाहता हूँ। यह तो क्या बतायेंगे यह तो भविष्य ही बतायेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, कभी काफी की बात चला कर, कभी चाय की बात चला कर जनता पार्टी अपना राज्य चला सकती है। लेकिन, खेती की पैदावार या कारखानों की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। अभी तो जूते पड़ने शुरू हुए हैं। अभी तो बिहार में पड़े हैं और अब दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होगा।

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : क्या यह अच्छा हुआ है ?

श्री रणबीर सिंह : बहुत बुरा। चौधरी साहब बहुत बुरा हुआ। उधर बैठते थे तब भी इसको बुरा कहते थे और आज इधर बैठे हैं तब भी बुरा कहते हैं। चाहे आज के रेलमंत्री कराते हो। चाहे प्रधानमंत्री कराते हों। चाहे दूसरे मंत्री कराते हो। जब रेलें टूटतीं थीं तब भी बुरा कहते थे और आज भी बुरा कहते हैं। चाहे रेल का इंतजाम किसी के पास हो, मैं तो बुरी चीज को बुरा ही कहूंगा। कोई चाहे भले ही अच्छा कहे, मैं तो इसे बुरा मानता हूँ।

आज क्या हालत है और पैदावार कम क्यों होती है ? इस पर विचार करने की जरूरत है। आपको सरकार में आये हुए साल भर हो गया है। इस बीच में आपने जनता की भलाई के लिए कौन से काम किए हैं ? इसको आप जरा देखिए। अब तो यह हालत हो गई है कि लोग सुनते सुनते तंग आ गये हैं कि 30 साल के कांग्रेस राज ने सारे खजाने को खाली कर दिया और खाली खजाना हमको दिया। लेकिन, भारत की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जब कांग्रेस की सरकार गई तो हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार कितना भरा हुआ था ? वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में चार या पांच हजार करोड़ जमा हो गई है। मैं चाहता हूँ कि हमारे वित्तमंत्री इन बातों पर विचार करे और अपने लक्ष्यों पर फिर से गम्भीरतापूर्वक सोचे। आज हमारे देश में जरूरत इस बात की है कि बिजली की पैदावार बढ़ाई जाये और इसके लिए विदेशों से बिजली के यंत्र खरीदे जायें। आप विदेशों से घड़ियां नहीं मंगायेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप घड़ी बांधो या न बांधो, आप पाउडर

का इस्तेमाल करो या न करो। लेकिन, बिजली की पैदावार जरूर बढ़ाई जानी चाहिए। आज ऐसा मालूम पड़ता है कि तेल खाने वालों को तेल नहीं पच रहा है। मैं सोचता हूँ कि चाहे उन लोगों को भी सूखी रोटी खाने का अभ्यास करना पड़े। आज सबसे बड़ी जरूरत हमारे देश में बिजली पैदा करने की है। अगर, हमारे देश में बिजली की पैदावार बढ़ेगी तो खेती की पैदवार भी बढ़ेगी और इस देश में छोटे-छोटे कारखाने भी बढ़ेंगे और तब ही देश सही मायनों में तरक्की कर सकेगा।

हमारे देश में कपास ज्यादा पैदा हो तो किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। हमारे श्री चट्टोपाध्याय जी जब मंत्री थे तो मैंने उनसे पूछा था कि देश में कितनी कपास पैदा हो रही है और जो बाजार में आ रही है, उसको खरीदने के लिए कुल कितनी रकम की जरूरत होगी? उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक हजार करोड़ रूपयों की जरूरत होगी। इसके विपरीत काटन कारपोरेशन को कितना रूपया दिया गया? उसको केवल मात्र 10 करोड़ रूपये दिये गये। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर किसानों के साथ दूसरा खिलवाड़ नहीं हो सकता है। आज हमारे देश में गुड़ की पैदावार ज्यादा हो गई तो उसके लिए सरकार सौ, दो सौ करोड़ रूपये देने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार के विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर, गुड़ का संग्रह किया गया तो गुड़ पानी में बदल जाता है। हमारी सरकार के पास बड़े-बड़े साइंटिस्ट है, बड़े-बड़े विशेषज्ञ है, वे इस बात को नहीं जानते हैं कि देहात में किसान अपने गुड़ को तीन-तीन साल तक रखते थे। आपके विशेषज्ञ इसका तरीका नहीं बता सकते हैं। वे तो कहेगे कि ज्यादा दिनों तक रखने से गुड़ पानी हो जाता है। ये लोग तो किसान का ही पानी बना देना चाहते हैं। गुड़ पैदा करने वाला किसान आज तबाह हो गया है। इसके बावजूद भी कहा जाता है कि हमारे देश का किसान पैसे वाला हो गया है। इसलिए, उस पर भी टैक्स लगना चाहिए।

मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में किसान एक ऐसा तबका है जो मिनटों में सरकार को बदल सकता है। मजदूर कितना भी आन्दोलन करें वे ऐसा नहीं कर सकते हैं किसानों ने हमारे देश में जनता पार्टी को हुकूमत दिलाई है और यह भी सभी जानते हैं कि किसानों ने एक ही हवा के झटके में कांग्रेस की सरकार को खत्म कर दिया। अगर, जनता पार्टी का रवैया भी वही रहा तो हमारे देश के किसान जनता पार्टी की सरकार को भी अगले चुनाव में एक दो दिन में ही हवा में उड़ा देंगे। इतनी बड़ी शक्ति किसानों के पास है इसका सबको ध्यान में रखना चाहिए। उसकी शक्ति को पहचानना चाहिए।

हमारे देश में आज स्थिति यह हो गई है कि अगर, किसान कपास पैदा करे तो उसका कपास खरीदने वाला कोई नहीं होता है। सरकार विदेशें से कपास मंगाने पर पैसा खर्च करती है। लेकिन, देश के किसानों को पैसा नहीं देती है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी नीतियें में परिवर्तन लाना चाहिए। जब तक आप इस नीति को नहीं बदलेंगे और बड़े-बड़े कारखानों की बात करेंगे तब तक इस देश से बेकारी दूर होने वाली नहीं है। बड़े-बड़े कारखाने लगाने से बेकारी दूर नहीं हो सकती है।

मैं समझता हूँ कि जनता पार्टी इसलिए जीती थी कि हमारे देश में जितनी भी योजनायें बनीं उनसे बेकारों की तादाद बढ़ती चली गई। उन बेकारों ने मिल करके मेंम्बरों का घेराव किया। चाहे गुजरात हो या बिहार, सभी जगह यही स्थिति रही। मैं समझता हूँ कि बेकारी की समस्या केवल मात्र कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था से ही हल हो सकती है। इसलिए, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी सरकार के पास जो पैसा है, उसको केवल तनख्वाह देने पर ही खर्च नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को यह पैसा सस्ते ब्याज पर ऊपर किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए देना चाहिए और उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

रूपया तो बहुत है हमारे बैंको में। 13 हजार करोड़ रूपये में से एक हजार करोड़ रूपया आपने कृषि की उन्नति के लिए दिया है। जो अर्थशास्त्री हैं, वे जरा कान खोल कर सुन लें और वे यह न समझें कि वही दुनियां में सबसे होशियार हैं। जो रेडियो सुनते हैं, वे एक एक बात जानते हैं कि उनको कितना हिस्सा 13 हजार करोड़ रूपए में से बैठना चाहिए। किसानों को 10-11 हजार करोड़ रूपया मिलना चाहिए, जबकि मिला है केवल 1 हजार करोड़ रूपए। यदि आप यह कहते हैं कि पैसा हमारे पास आ गया है तो इससे आप बहका नहीं सकते। वह जमाना अब चला गया, जबकि सरकार का बड़ा दबाव होता था और सरकार के दबाव में गरीब किसान बोल नहीं सकता था, किसान आवाज नहीं उठा सकता था।

एक बात मैं आखिर में निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता पार्टी वालों कान खोल कर सुन लो कि अगर, हमारे गुड़ का पानी बन गया तो हम जनता पार्टी का पानी बना देंगे। चुनाव ज्यादा दूर नहीं होते। अगर, गन्ना जलाना पड़े तो उसमें स्वाह जनता पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी तो स्वाह हो चुकी है। यह सब समझकर ही अपनी नीति तय करो और जो चौधरी चरण सिंह कहते हैं, उनकी आर्थिक नीति पर इस देश

को चलना चाहिए। इसी से देश आगे बढ़ सकता है। किसान आगे बढ़ सकता है। देश मजबूत हो सकता है और देश तरक्की कर सकता है। चन्द तनख्वाहदारों की तरक्की से कभी नहीं हो सकती।

देश की तरक्की 60 करोड़ भाईयों की तरक्की है, यह तरक्की चन्द कारखानेदारो। बड़े-बड़े कारखानेदारों से नहीं होगी। यह बहलावा कांग्रेस का नहीं चला कि जमीन बांटेंगे। वह 30 साल तक हरिजनों को भुलावे में रखते रहे। लेकिन, अब वह जनता पार्टी के भुलावे में नहीं आयेंगे। जमीन बांटने का जो भुलावा उनको तदिया गया था, उससे वह निकल गए है। अब आपका काम यह होना चाहिए कि कृषि तरक्की करे, अधिक जमीन में पानी आए, उसकी पैदावार बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा। अब यह नारा कि जमीन बाटेंगे, वह जमाना अब चला गया। उसका आनन्द तो हम ले चुके, उसकी मलाई तो हम खा गए। जनता पार्टी को यह मलाई मिलने वाली नहीं है। जनता पार्टी मलाई तभी खा सकती है। जबकि किसान तरक्की कर सके।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे बिजली के संस्थान हैं, उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। सिंचाई पानी की हमारी जितनी योजनायें है, सिंचाई की जो योजनायें है, उसके ऊपर ब्याज का लेन-देन और उसका खाता ही बन्द कर देना चाहिए। अगर, इस खाते को आप बन्द नहीं करेंगे तो कोई अदा नहीं करेगा, आप केवल कागज गंदा करेंगे और पैसा आपको मिलेगा नहीं। किसानों ने पैसा नहीं दिया तो हमने जबरदस्ती की। इसलिए, इधर बैठ गए। अगर, जनता पार्टी के लोग भी ऐसा ही करेंगे तो फिर हम उधर आ जायेंगे, इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे

किसान के ऊपर टेढ़ा टैक्स, सिंचाई टैक्स या इसी तरह के दूसरे टैक्स लगाकर देश की तरक्की नहीं हो सकती। कपड़े के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई तो उसका असर किसान पर ही अधिक हुआ है, क्योंकि, इसका इस्तेमाल 60 फीसदी किसान ही करता है। इस तरह आप किसान को भुलावा देने की कोशिश मत करो, यह भुलावा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। समाज और देश आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। एक कन्स्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम यही है कि सरकार जो देश को बनाने की योजना लाए उसका स्वागत करे और जो भुलावे में डालने की योजना लाए, उसकी मुखालफत करे।

राज्य सभा

मंगलवार, 22 मार्च, 1978 ई.*

विनियोग विधेयक, 1978

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, दोनों विधेयक जो संसद की मंजूरी से ज्यादा खर्च हुआ है, उसकी मंजूरी देने के लिए लाये गये हैं। पहले विधेयक में तो 1976-77 के साल में जो ज्यादा खर्च हुआ है, उसका जिक्र है दूसरे विधेयक में। जो जनता पार्टी के राज का सवाल है, उसमें जो ज्यादा खर्च हुआ है, उसका जिक्र है। उपसभाध्यक्ष जी, 37 अरब 63 करोड़, 86 लाख 77 हजार रूपये का यह खर्च इसमें दर्ज है। जहां तक वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध है, यह देखकर ताज्जुब होता है कि कुछ बातें जो चार्जड होती है। उनका ज्ञान भी पहले वित्त मंत्रालय को नहीं था। पहले मिला था कि 1977-78 का बजट पिछली सरकार ने बनाया था। लेकिन, अब ऋण की वापसी के लिए 2988 करोड़ रूपया रखा गया है उसका भी वित्त मंत्रालय को ज्ञान नहीं था कि ऋण कब वापस होगा? यह बजट में रखा नहीं। इससे जाहिर होता है कि वित्त मंत्रालय कितनी समझ से काम करता रहा है?

इसके अलावा बड़ा शोर था कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जनता पार्टी बड़ी उत्सुक है। अगर, देखा जाये कि जो खर्चा हमने मंजूर किया उसके अलावा कितना ज्यादा खर्च हुआ है, इस साल में तो वह भी देखकर ताज्जुब होता है कि उनकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। उपसभाध्यक्ष जी, अगर, आप देखें तो पायेंगे कि कृषि पर 115 करोड़ रूपया अधिक खर्च हुआ है और किस लिए हुआ? आपको मालूम है कि पानी की बाढ़

Rajya Sabha, Appropriation Bill, 1978, 22 March 1978, Page 124-132

आयी। समुद्री तूफान आया और इन सबके लिए 115 करोड़ रूपया ज्यादा खर्च करना पड़ा। सिंचाई के लिए दो करोड़ 32 लाख रूपया ज्यादा खर्च किया गया। इसके अलावा खाद्य वगैरह के लिए 17 करोड़ 98 लाख रूपया खर्च किया गया।

बड़ा जिक्र था कि छोटे-छोटे घरेलू और ग्रामीण उद्योगों की बड़ी तरक्की की जाएगी। इसके विपरीत अगर, देखा जाये तो मुझे मालूम नहीं कि माननीय बीजू पटनायक साहब मोरारजी की वजारत में कितने मजबूत है, लोहा जितना मजबूत होता है, उतने ही हैं या कम है? लेकिन, इस बात से यह जाहिर होता है कि इस्पात विभाग के ऊपर फालतू पैसा खर्च किया, वह 220 करोड़ रूपया है और यह वह खर्च है, जिसकी संसद को मंजूरी देना होता है।

मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि जो तरीका पहले था, वही तरीका आज भी कायम है। वित्तमंत्री जी ने जब जवाब दिया था, तो उन्होंने जिक्र किया कि किसानों के लिए कर्जे दिए जायेंगे 11 फीसदी ब्याज पर। उन्होंने जिक्र किया कि 7,000 करोड़ से ज्यादा बिजली के संस्थानों पर पैसा लगा है और एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि देश के बिजली के संस्थानों ने 858 करोड़ लगभग ब्याज अदा नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया कि हमें जो एक्साइज ड्यूटी कोयले के ऊपर लगानी पड़ी या बिजली के उत्पादन पर लगानी पड़ी, वह इसलिए जरूरी थी कि बिजली के संस्थानों का खर्च पूरा कर सके। खर्च पूरा करना तो बड़ा आसान है। यह बनियेपन की बात सरकार छोड़ दे। बनिया बुद्धि को छोड़ दीजिये। 858 करोड़ माफ कर दीजिए। पैसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जब तक बनिया बुद्धि रहेगी, तब तक हम आगे नहीं चल सकते। अगर, बिजली के संस्थान बिजली पैदा न करें। तो कितने करोड़ों का सामान बाहर से मंगवाना पड़ेगा, उसका भी हिसाब देखें। इसी तरह से सिंचाई विभाग का सवाल है सिंचाई विभाग में जितनी योजनायें देश के आजाद होने के बाद बनी हैं, उनमें से कोई एक-आध हो में कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि भाखड़ा भी घाटे की योजना है, उसके अलावा तो सभी घाटे की है। यदि वे ब्याज अदा नहीं कर सकते हैं तो कौन सी समस्या पैदा हो गई? हिसाब लगाया जाये, जब से देश आजाद हुआ कोई कम से कम 4500 करोड़ रूपया तो अनाज की सब्सिडी उपभोक्ताओं के लिए दिया गया। सिंचाई विभाग की तरक्की के लिए कितना दिया गया, वही 4500 या 5000 करोड़ रूपया। क्या आप इस देश में उपभोक्ताओं को ज्यादा सब्सिडी देना चाहते हैं? अब तक जो तरीका रहा, वह उपभोक्ताओं को अनुदान देने का तरीका रहा। इसीलिए देश की तरक्की जितनी तेजी से होनी चाहिये थे, उतनी नहीं हुई। कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे देश में पिछले 30 साल में 7-8

हजार करोड़ की मालियत की कृषि पैदावार अन्न आदि बाहर से मंगवाया गया। अब हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा सिंचाई के ऊपर लगा, कुछ बिजली के संस्थानों पर लगा, तो हमारी सरकार को परेशानी है कि गुड़ कहां बेचे। चीनी कहां बेचे और पिछले 2-3 साल में गन्ने की पैदावार से विदेशी मुद्रा लगभग हजार करोड़ कमाई गई और गुड़ की खरीद के लिए हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारी सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वह ब्याज के लिए अनुदान नहीं दे सकता, किसी व्यक्ति को नहीं। प्रदेशों को नहीं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि आज तो ज्यादा मुख्यमंत्री जनता पार्टी के ही है, जब उनकी नेशनल डिवेलपमेंट कौन्सिल में बात आई तो उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास की खाली बातों से काम नहीं चल सकता। इसके लिए पैसा ज्यादा निकालना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी बैठे है, जो 13 हजार करोड़ रूपया बैंक उधार देते हैं। हमारे देश में कृषि के लिए सिर्फ 1 हजार करोड़ रूपए दिया है तो उसमें कौन सी मुश्किल है? जो सरकारी बैंक है, उनको सलाह दें कि एक साल में 1 हजार करोड़ रूपया कृषि की तरक्की के लिए और अधिक दिया जाये, चाहे कोई छोटे-छोटे पम्प लगाना चाहे या दूसरी चीजे। आप जानते हैं। मैं उन सदस्यों में से नहीं हूँ जो मानता हो कि देश में कुलाक्स बसते हैं।

ये तो वहां कुलक होंगे, जहां कि देश के भूमि सुधार कानून जमीन के ऊपर लागू नहीं होते। या कोई और प्रदेश हो सकता है, उनको ज्ञान नहीं। उत्तर प्रदेश हो सकता है, उनको ज्ञान नहीं। उत्तर प्रदेश में 12 या 12-15 एकड़ की, इसी तरह से हरियाणा में 18 एकड़ भूमि किसान के एक कुटुम्ब के पास रह गई और उससे आज वह कितना पैदा कर सकता है? साल में कितनी बचत कर सकता है? 6-6 हजार से ज्यादा नहीं। उसको आप कहते हैं, कुलक है। इससे बढ़कर अन्याय और नहीं। जो आदमी देश के लिए वह चीज पैदा करता है। जिसके बिना कोई आदमी जिन्दा नहीं रह सकता। वह पाउडर के बिना जिन्दा रह सकते हैं, कपड़े के बिना भी रह सकते हैं। लेकिन, अनाज के बिना कोई जिन्दा नहीं रह सकता।

SHRI HAMID ALI SCHANMNAD : On a point of information I want to ask one thing. Cannot one famiy have property in two or three States; 15 acres in Haryana, 15 acres in Punjab and 15 acres in Uttar Pradesh?

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, यह जवाब आपको देना है, मुझे तो

देना नहीं। अगर, वह जानना चाहते हैं तो इसके लिए लाईब्रेरी है, पार्लियामेंट लाईब्रेरी उधर स्थापित है। वहां जाकर पढ़ लें। फिर उनको ज्ञान होगा। मुझे मालूम है, उनको गिला है। जो बात मैं कहता हूँ, वही उनको तकलीफ है, क्योंकि, केरल में और प्रदेशों से भी ज्यादा धक्का रहा है। किसानों को वहां संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ मैं हमदर्दी रखता हूँ। लेकिन, इनके जो विचार है कि कहीं पंजाब और हरियाणा के किसान लाखों एकड़, सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं, वह गलत है। आपकी जानकारी के लिए मैं अपने गाँव का हिसाब आपको बता दूं। हमारे गाँव में 1 हजार कुटुम्ब हैं, जो खेती करते हैं। मुश्किल से 15 कुटुम्ब होंगे, जिनके पास 10 या 15 एकड़ जमीन थी। इसलिए, आप यह न सोचें कि पंजाब और हरियाणा का किसान हजारों एकड़ या चार पांच हजार एकड़ की जमीन होगी। मेरे बाप के पास 5 एकड़ जमीन थी। इसलिए, आप यह न सोचें कि पंजाब और हरियाणा का किसान हजारों एकड़ की मल्कियत का है। वह एक दो एकड़ या चार पांच एकड़ में मेहनत करके कमाता है। गिल साहब बैठे हैं। आपको मालूम नहीं। लेकिन, मैं जानता हूँ कि उनके पिता के पास दस पन्द्रह एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। कितनी मुश्किल से, कितनी कुश्ती करके यहां आये, कितने-कितने साहूकारों से मुकाबला करके यहां पहुंचना पड़ता है। उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन, आज किसान जागृत हैं, वहां से करोड़पतियों के नुमाइंदों को भागना पड़ा। अभी आपने देखा हरियाणा में बी.एल.डी. के निर्माताओं में से जो ये स्वतंत्र पार्टी के निर्माताओं में से थे, किस तरह से भागे हरियाणा से, क्योंकि, किसानों में जागृति है। मैं मानता हूँ कि वहां जनता पार्टी के लिए अभी श्रद्धा है और हम उस श्रद्धा को तोड़ नहीं सके और उसकी जीत है। लेकिन, अगर, कोई करोड़पति जनता पार्टी के नाम से आना चाहता है तो उसकी जमानत बचने वाली नहीं है। क्योंकि, किसानों में जागृति है।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन वित्तमंत्री जी से यही है कि आज से नहीं शुरू से, आपने देखा कि ग्राम विकास विभाग पर कितना खर्च हुआ है। विभाग को जाने दीजिए, ग्रामों पर खर्च कीजिये। कम्यूनिटी डेवलपमेंट में मुझे याद है कि पहली पांच साल योजना का खर्च 200 करोड़ रूपये था, जिसमें से 105 करोड़ रूपये कृषि के लिए कर्ज और 36 करोड़ रूपये का खर्च विभाग पर हुआ। इसी तरह से ग्राम विकास विभाग का खर्च है। मेहरबानी करके ग्राम विकास विभाग के नाम पर नौकरियां देने का जो काम है, उसको बन्द करके ग्राम की तरक्की के लिए लगे और ग्राम विकास के लिए मैं वित्तमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि 11 परसेंट नहीं, 4 परसेंट से ज्यादा किसान को सूद न देना पड़े तो इस देश में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा जितना पैसा सिंचाई और अन्य कामों के लिए किसानों को चाहिये, वह दें।

वित्त मंत्री जी, मुझे मालूम है कि किसान के बेटे हैं और वह आईसी.एस. बन गये। वह शायद यह भूल गये होंगे कि कृषि को। लेकिन, उनके भाई, रिश्तेदार आज भी खेती करते होंगे। उनका ज्ञान है। मैं उनसे कहता हूँ कि देश के किसानों के हित के लिए, देश के हित के लिए। आप अगर अनुदान देते हैं तो उपभोक्ताओं को अनुदान देना छोड़ दीजिये। सबसिडी देनी है तो ब्याज की सबसिडी दीजिए किसान को दीजिए। जितना रूपया छोटी सिंचाई के लिये एक आदमी लेता है। एक साल में वह उतना पैदा कर सकता है। उसके लिये न किसी प्रकार की सीलिंग खर्च पर हो, सरकारों के लिये हदबन्दी हो। न कि किसी किसान पर कोई खर्च पर हदबन्दी हो।

कोई बड़े से बड़ा किसान भी करोड़पति नहीं बना और न बन सकता है। बड़े से बड़ा किसान मुश्किल से दो हजार, पांच हजार या सात हजार रूपया कमाता होगा। करोड़पतियों को छः सात सौ करोड़ रूपया देते हो, उसका कोई जिक्र नहीं करते। हमारे जो विशेषज्ञ है, जो अर्थशास्त्री हैं, उनके ध्यान में कुलक शब्द जुड़ा हुआ है उनके दिमाग मैं यही रह गया है। कुछ भाईयों को गाली देने से राजनीति नहीं चला करती है। उपसभाध्यक्ष जी मेरा कोई इरादा किसी मंत्री के बारे में अपशब्द कहना नहीं है और न ही में ऐसा सोचता हूँ कि यह सही है। सही यह है कि मैं एक सुझाव दूं। जैसा इन्होंने कहा कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ायेंगे। लेकिन, वित्तमंत्री जी दो सौ करोड़ रूपया आप देते हैं। बड़े कारखानों वालों को छोटे किसानों को नहीं। नाम लेते हैं, छोटे कारखानों को बढ़ाने का। खेती जो 80 फीसदी आदमियों का धंधा है, उसके लिये 115 करोड़ रूपये और लोहे के कारखानों के लिये 220 करोड़ रूपये देते हैं। जिसका लम्बा कद है, उसको आप ज्यादा पैसा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लम्बे कद के नाते पैसा मत दीजिये। मैं मानता हूँ कि बीजू पटनायक जी लम्बे कद के होंगे और शायद मजबूत भी होंगे। लेकिन, हमारा बरनाला साहब की लम्बाई भी कम नहीं है। भानु प्रताप सिंह जी भी अच्छे और मजबूत है। देश को वह मजबूत बना सकते हैं। इसलिये, खेती की तरक्की के लिए उन्हें पैसा दीजिए। यह देश का पैसा है, किसान का पैसा है।

आप कहते आए हैं कि खेती और ग्रामीण क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है तो मैं पूछता हूँ कि क्यों आपने 43 फीसदी रूपया अपने अगले बजट में खेती के लिये, ग्रामीण उन्नति के लिये रखा है? आप जानते हैं कि किसानों की आबादी 80 फीसदी है और 30 साल तक आप मानते हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है। फिर भी आपने केवल 43 फीसदी रूपया रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह आप न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं? यह मैं मानता हूँ कि यह कदम कुछ ठीक दिशा की तरफ है। लेकिन, उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश तेजी से नहीं कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में पहले भी कांग्रेस थी, आन्ध्र में पहले भी कांग्रेस थी और अब फिर आई है। पर, इससे आपको डर जाना चाहिये या नहीं ? पता नहीं आगे क्या क्या होगा ? आप जानते हैं, 1971 में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली थी। लेकिन, 1977 में हमारा पता नहीं चला। क्या आप जानते हैं कि जनता पार्टी अगले पांच साल की अवधि करने की इच्छा थी। लेकिन, अब फिर आपकी नीयत छह साल की तरफ है। हो सकता है, यही डर आपको भी हो। यह भी मान लिया जाए तो अब केवल पांच ही साल रह गए हैं। अगर, आपने इसी तरह से 43 फीसदी बढ़ाया या दो-तीन-चार फीसदी बढ़ाते गये तो आपके खिलाफ भी वही इल्जाम होगा जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुआ है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिये बहुत कम पैसा खर्च किया गया, जिसका परिणाम कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ा। इसलिये, आपसे कहता हूँ कि आप ऐसा न करें। आप कम से कम 70 फीसदी पैसा इस पर खर्च करें। इस पैसे को कृषि, ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की के लिये खर्च करें। मैं जानता हूँ कि अगर, आप बजट में ऐसा प्रोविजन कर देंगे, तीन हजार करोड़ रूपये खेती के लिये ले आयेंगे तो न जनता पार्टी का कोई भाई बोल सकता है और न कांग्रेस पार्टी का कोई भाई बोल सकता है। अगर, कांग्रेस पार्टी का कोई भाई बोलता है तो उसको शर्म आएगी। विरोधी दल के भाई अगर, बोलते हैं तो वे लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। इस सदन में। चैम्बर में हल्ला-गुल्ला करने से काम नहीं चलेगा। इसलिये, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्याज की प्रथा को खत्म करे। प्रदेश सरकारों को सिंचाई के लिये जो पैसा दिया जाता है। उनके लिये ब्याज की प्रथा खत्म करनी चाहिये।

आज हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले सरकारी व विदेशी धन का उपयोग बिजली पैदा करने और बिजली के संयंत्र खरीदने में किया जाना चाहिये, ताकि कृषि के हम जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कायम कर रहे हैं। उनको ठीक प्रकार से चलाया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक तरफ तो आप नोट छापते जायें और दूसरी तरफ हमारे देश में बिजली का उत्पादन न होने पाये। आप आज आठ सौ करोड़ रूपया बिना किसी अमानत के बदले में छाप रहे हैं। लेकिन, अगर, आप इन नोटों को सिंचाई के बांधो, डैम्स और बिजली पैदा करने और बिजली के यंत्रों की अमानत पर छापेंगे तो यह आपकी स्थायी सम्पत्ति होगी और इसको कोई भी नहीं चोर सकता है। हमारे देश की तरक्की होगी। मैं चाहता हूँ कि इस देश में नोटों का प्रसार होना चाहिए और कागज के इन नोटों की कमी से देश की तरक्की नहीं रूकनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

राज्य सभा

बुधवार, 23 मार्च, 1978 ई.*

हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड
(उपक्रम अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1978

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स का राष्ट्रीयकरण करने के लिये मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन, एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि एक जमाना था, जिस जमाने में आदमी बैलों से और हल से खेती करता था। देश बदल रहा है। मशीनरी देश में हर सूबे में आ रही है और खेती को मशीनरी भी तेजी से हमारे देश में आ रही है। मंत्री महोदय समाजवादी है और समाजवादी मंत्री से जब मैंने सुना कि वह मुनाफे की फिक्र में है तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। इसलिये, किसानों की सेवा की बजाये, किसानों को उपलब्ध चीजें ठीक कीमत पर मिले, इस सोच की बजाए, कारखानों के मुनाफे की सोच ज्यादा है, ट्रैक्टर ज्यादा हों, इस तरफ सोच नहीं है।

उपसभापति जी, हमारे देश में जितने ट्रैक्टर बनते हैं। आज के दिन किसान सबसे अच्छा मेंसर्ज फर्ग्यूसान को मानता है और उसके बाद हिन्दुस्तान ट्रैक्टर को मानता है। हिन्दुस्तान ट्रैक्टर छोटा ट्रैक्टर पैदा नहीं करता। वह 15 हार्स पावर का ट्रैक्टर पैदा नहीं करता। 15 हार्स पावर का ट्रैक्टर हिन्दुस्तान ट्रैक्टर के कारखानों को पैदा करना चाहिये।

**Rajya Sabha, Hindustan Tractors Ltd. (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1978, 23 March 1978, Page 163-165*

इसी के साथ साथ हम बड़ा सुनते रहे हैं कि जनता पार्टी कृषि और ग्रामीण विकास के बड़े हक में है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ट्रैक्टर के ऊपर कितना टैक्स लगता है तो बताया गया कि ट्रैक्टरों के ऊपर साढ़े सैंतीस परसेंट टैक्स लगता है। जबकि ट्रैक्टरों की कीमत 50 से 55 हजार रूपये तक है और ट्रैक्टर खरीदने के लिये मिलने वाले पैसे पर ब्याज की दर 11, 14, 15, 17 परसेंट है यह समय के मुताबिक लिया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में खेती की क्या हालत है? पांच साल में दो साल ऐसे होते हैं, जबकि किसान के पास कुछ भी नहीं बचता है। इन सालों में उसको मुश्किल से काम मिल पाता है। एक साल तो पांच सालों में ऐसा होता है, उसको इसमें घाटा ही घाटा होता है।

श्री उपसभापति : यह बहस आप किसी और दिन के लिए छोड़ दीजिये।

श्री रणबीर सिंह : ये बातें भी बहुत जरूरी हैं । इसलिए, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इन बातों की तरफ आकर्षित कर रहा हूँ। हमारे मंत्री महोदय को अगर, देश के हित में कारखाने चलाने हैं तो जरूर आप उनको चलाइये। लेकिन, किसानों के हितों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये और उनकी कीमत कम होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ट्रैक्टर की कीमत 15-20 हजार से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। इनको खरीदने के लिए जो कर्ज लिया जाता है। उसके ऊपर ब्याज की दर ज्यादा नहीं होनी चाहिये और किसानों से 4 फीसदी से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि अगर, वही पुराना तरीका अख्तियार किया गया तो आपका वह दावा कि हम ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना चाहते हैं, वह सही साबित नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय समाजवादी है और उनके दिल में बड़ा जोश है। वे छोटे-छोटे कारखाने खोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका ध्यान खेती में जिन औजारों का प्रयोग होता है और जिस मशीनरी का इस्तेमाल होता है। उनकी कीमतें कम करने की तरफ भी जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर, वे ट्रैक्टरों की कीमत कम करेंगे तो उनको यश मिलेगा। लेकिन, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर, उन्होंने ट्रैक्टरों की कीमत कम नहीं की तो इससे जनता में बड़ी निराशा फैलेगी और उस निराशा से लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था भी घट जाएगी। इसलिए, यह जरूरी है कि ट्रैक्टरों की कीमत कम की जाये। आप बनियेपन से सरकार को मत चलाईये। अगर, आप समाजवादी होते हुए भी मरकेंटाइल इकनोमी की बात करेंगे तो लोग आपको समाजवादी नहीं कहेगे। हमारे देश में पिछले राजतंत्र जमाने से जो ढ़ांचा चला आया है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि

आपने जो सरमाया इस फैक्ट्री पर लगाया है, उस सरमाये पर 4 फीसदी से ज्यादा सूद नहीं लिया जाना चाहिए। वहां से आप जो ट्रैक्टर पैदा करें। उस पर कोई एक्साईज ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज को कुछ न कुछ सबसीडी देते हैं। इसलिए, मेरा कहना यह है कि अगर, आप किसानों के हित में उनके उपयोग में आने वाली मशीनरी को भी अनुदान देंगे तो इससे हमारे देश का भला होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।